

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक
मार्च 2010

© भारतीय रिज़र्व बैंक

सर्वाधिकार सुरक्षित। सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया जाए।

इस प्रकाशन को इंटरनेट के माध्यम से <http://www.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई 400 001 द्वारा प्रकाशित और एल्को कॉर्पोरेशन, ए2/72, शाह एण्ड नाहर इंडस्ट्रियल एस्टेट, लोअर परेल (प.), मुम्बई - 400 013. में अभिकल्पित और मुद्रित।

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	
संक्षिप्त रूप	i से iii
विहंगावलोकन और मूल्यांकन	I से VII
अध्याय I : परिचय	1
अध्याय II: वित्तीय स्थिरता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण	6
अध्याय III: समष्टि आर्थिक परिवेश	14
अध्याय IV : वित्तीय बाजार	22
अध्याय V : वित्तीय संस्थाएँ	35
अध्याय VI: वित्तीय क्षेत्र संबंधी नीतियाँ और बुनियादी संरचना	60
अध्याय VII: दबाव परीक्षण और आघात-सहनियता	76
अनुबंध 1	
चलनिधि अनुपात	86
बॉक्स-सूची	
1.1 वित्तीय स्थिरता बोर्ड	3
2.1 प्रतिचक्रिय विवेकपूर्ण विनियम : भारतीय अनुभव	9
4.1 वित्तीय दबाव संकेतक (एफएसआइ) : भारतीय संदर्भ में चयनित घटक	32
4.2 वित्तीय दबाव संकेतक (एफएसआइ) की गणना के लिए पद्धति	32
5.1 बुनियादी संरचना उधार के लिए उपाय	41
5.2 विरासती मामलों में शहरी सहकारी बैंकों की परिसंपत्तियों और देयताओं का वाणिज्य बैंकों को अंतरण	55
5.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के विभिन्न प्रकार	56
6.1 भारत में विनियामक पूँजी की बदलती संरचना	61
6.2 साख निर्धारण एजेंसियाँ - स्थानांतरण सांचा	64
6.3 भारत में वित्तीय संगुट	66
सारणी-सूची	
2.1 वाणिज्य बैंकों के लिए एक्सपोजर मानदंड	8
3.1 मुख्य राजकोषीय संकेतक (केंद्र और राज्य)	19
5.1 मौद्रिक नीति साधनों और बीपीएलआर में उतार-चढ़ाव	38
5.2 बैंक समूह-वार सीआरएआर	45
5.3 आरओए और आरओई का वियोजन	48

	पृष्ठ सं.
5.4 अल्पावधि एएलएम का विश्लेषण	49
5.5 एएलएम का विश्लेषण	49
5.6 चलनिधि अनुपात	50
5.7 साख-निर्धारण के प्रति बैंकों का दृष्टिकोण	51
5.8 लाइसेंस-रहित सहकारी बैंक	52
5.9 शहरी सहकारी बैंकों के लिए विभेदक विनियामक मानदंड	53
5.10 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियाँ अग्रिम और निवेश	54
5.11 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ की निधियों के प्रमुख स्रोत	57
6.1 वसूली संबंधी कार्य	74
7.1 परिदृश्य विश्लेषण-दबाव परीक्षण के परिणाम - पहली आधार-रेखा	84
7.2 परिदृश्य विश्लेषण-दबाव परीक्षण के परिणाम - प्रतिकूल आधार-रेखा	84

चार्ट-सूची

3.1 जीडीपी संवृद्धि - भारत और विश्व	14
3.2 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति	15
3.3 अमेरिका और चीन व्यापार संतुलन तथा अमेरिका की वैयक्तिक बचत दर	15
3.4 भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण	16
3.5 देशी खपत का अंश (चालू कीमतें)	16
3.6 बड़े पैमाने पर घरेलू बचत द्वारा वित्तपोषित निवेश (चालू कीमतें)	17
3.7 सेवा क्षेत्र में अवमंदन	17
3.8 बैंक ऋण की आपूर्ति	18
3.9 मुद्रास्फीति	18
3.10 कंपनियों की निधियों के स्रोतों में उतार-चढ़ाव	19
3.11 कुल उधार राशियों में विदेशी उधार राशियों का अंश	19
3.12 कंपनी क्षेत्र के लीवरेज अनुपात	20
3.13 कंपनी क्षेत्र का तिमाही निष्पादन-संवृद्धि दरें	20
3.14 कंपनी क्षेत्र का तिमाही निष्पादन-चयनित अनुपात	20
3.15 घरेलू बचत और चयनित वित्तीय निवेश	21
3.16 आवास कीमतों में परिवर्तन	21
3.17 निजी उपभोग (पीएफसीई) और फुटकर ऋण	21
4.1 सरकारी सीडीएस स्प्रेड	23
4.2.क कंपनी सीडीएस सूचकांक (सितंबर 2008-मार्च 2009)	23
4.2.ख कंपनी सीडीएस सूचकांक (मार्च 2009-सितंबर 2009)	23
4.3 शेयर बाजार सूचकांक (मार्च 2009 को वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन और पी/ई)	24

	पृष्ठ सं.
4.4 शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव	24
4.5 यूरो/अमेरिकी डॉलर और उसका दो वर्षीय विदेशी मुद्रा आधारित स्वैप	24
4.6 अमेरिकी डॉलर, एशियाई मुद्राओं और भारतीय रुपये के उतार-चढ़ाव	25
4.7 अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये की दरें और निवल एफआइआइ प्रवाह	25
4.8 अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया और निफ्टी	25
4.9 अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया वायदा सौदे तथा तीन माह की परिपक्वता में भारतीय रुपया सीडी दरों और अमेरिकी डॉलर लाइबोर दरों का अंतर	26
4.10 अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक माह की परिपक्वता के लिए विभिन्न मुद्रा युग्मों के वार्षिक अंतर्निहित उतार-चढ़ाव	26
4.11 एक माह, तीन माह और एक वर्ष की परिपक्वताओं में सुखद परिवर्तनों का आकार - 23 अक्टूबर 2008	26
4.12 एक माह, तीन माह और एक वर्ष की परिपक्वताओं में सुखद परिवर्तनों का आकार - 23 अक्टूबर 2009	27
4.13 भारतीय रिजर्व बैंक और अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये द्वारा मिलियन अमेरिकी डॉलरों में बकाया वायदा खरीद/बिक्री	27
4.14 सरकार के बाजार उधार	28
4.15 सरकारी प्रतिभूति बाजार में औसत दैनिक टर्नओवर सहित 10 वर्षीय प्रतिफल में उतार-चढ़ाव	28
4.16 अप्रैल 2008 से आय वक्र के रूप	29
4.17 चयनित देशी बाजारों का मासिक अनुषंगी बाजार टर्नओवर	29
4.18 कारपोरेट स्प्रेड संबंधी उतार-चढ़ाव	30
4.19 चलनिधि समायोजन सुविधा और माँग-दर	30
4.20 वित्तीय दबाव संकेतक - भारत	33
4.21 2009 में राष्ट्रीय शेयर बाजार के बांड वायदा सौदों संबंधी मात्रा और अस्थिर ब्याज- राशि	33
4.22 मुद्रा संबंधी वायदा सौदों में अस्थिर ब्याज-राशि	33
4.23 मुद्रा संबंधी वायदा सौदों की मात्रा	34
5.1 वित्तीय क्षेत्र परिसंपत्तियाँ	35
5.2 जीडीपी और बैंक परिसंपत्तियों में वृद्धि	36
5.3 जीडीपी अनुपात की तुलना में बैंक परिसंपत्तियाँ - चयनित देश	36
5.4 जमाराशियों निवेशों और अग्रिमों में संवृद्धि दर	37
5.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात और निवेश-जमा अनुपात	37
5.6 वाणिज्य बैंकों की परिसंपत्तियाँ	37
5.7 वाणिज्य बैंकों की देयताएँ	38
5.8 वृद्धिशील जमाराशियाँ	38
5.9 बैंक जमाराशियों की संरचना	39
5.10 कुल जमाराशियों में सीएएसए का बैंक-वार अंश	39
5.11 बैंकों की जमाराशियाँ : सकेन्द्रण जोखिम	39

	पृष्ठ सं.
5.12 मीयादी जमाराशियों का वितरण	40
5.13 मीयादी जमाराशियाँ : ब्याज दरें	40
5.14 कुल अग्रिमों में अंश	40
5.15 बुनियादी संरचना को अग्रिमों में वृद्धि	41
5.16 कुल बैंक ऋण में खुदरा आवास अग्रिमों के अंश में घट-बढ़	42
5.17 वाणिज्यिक स्थावर संपदा अग्रिमों में वृद्धि	42
5.18 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अग्रिमों में वृद्धि	43
5.19 बड़े कारपोरेट समूहों को एक्सपोजर	43
5.20 तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोजर	44
5.21 चयनित बैंकों की सकल एमटीएम हानियाँ, प्रावधान तथा ऋण डेरिवेटिव्स को कुल एक्सपोजर और निवेश (आनुमानिक मूलधन)	44
5.22 सीआरएआर और मुख्य सीआरएआर	45
5.23 विनियामक पूँजी की संरचना	45
5.24 आरडब्ल्यूए की तुलना में विनियामक पूँजी - बीआरआइसी देश	46
5.25 उन्नयन (लीवरेज)	46
5.26 परिसंपत्ति की तुलना में बैंक पूँजी - बीआरआइसी देश	47
5.27 आस्ति गुणवत्ता	47
5.28 आस्ति गुणवत्ता - अंतरराष्ट्रीय तुलना - बीआरआइसी देश	47
5.29 पुनःसंरचित मानक अग्रिम	48
5.30 परिसंपत्तिहास	48
5.31 आय	48
5.32 व्यय	49
5.33 आरओए और आरओई - बीआरआइसी देश	49
5.34 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय अनुपात	51
5.35 कारोबार के आकार में शहरी सहकारी बैंकों की वृद्धि	53
5.36 शहरी सहकारी बैंकों का ग्रेड-वार वितरण	53
5.37 सकल और निवल अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात	54
5.38 प्रावधानीकरण और आरओए	54
5.39 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के सीआरएआर और लीवरेज अनुपात	55
5.40 राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक - तुलन-पत्र के घटकों में वृद्धि	55
5.41 राज्य सहकारी बैंक - ऋण अनुपात की तुलना में आरओए और एनपीए	56
5.42 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक - ऋण अनुपात की तुलना में आरओए और एनपीए	56
5.43 वाणिज्य पत्रों की भारित औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर)	57
5.44 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा उधार - एनडी - एसआइ	58

	पृष्ठ सं.
6.1 प्रमात्रा की प्रवृत्ति	68
6.2 मूल्य की प्रवृत्ति	68
6.3 सीसीआईएल में दैनिक औसत एकमुश्त, रेपो, विदेशी मुद्रा और सीबीएलओ निपटान टर्नओवर	69
6.4 सरकारी प्रतिभूति बाजार का व्यापार - शेयर बाजार द्वारा व्यापारित और शेयर बाजार पर आधारित	70
6.5 मुद्रा लेनदेनों के लिए ओटीसी और शेयर बाजार द्वारा व्यापारित टर्नओवर का अंश	70
6.6 आपदा प्रबंधन (डीआर) अभ्यासों में प्रतिभागियों की सफलता का अनुपात	71
6.7 दिवालियेपन के समाधान का पुनःप्राप्ति अनुपात और समय	71
6.8 प्रारक्षित निधि अनुपात	72
6.9 जमाराशियों में वृद्धि	73
6.10 प्रति-सहायता - वाणिज्य बैंक	73
6.11 प्रति-सहायता - सहकारी बैंक	73
7.1 अनर्जक अग्रिमों में 100 प्रतिशत वृद्धि पर 9 प्रतिशत सीआरएआर से नीचे आनेवाले वाणिज्य बैंक	77
7.2 अनर्जक अग्रिमों में 200 प्रतिशत वृद्धि पर 9 प्रतिशत सीआरएआर से नीचे आनेवाले वाणिज्य बैंक	78
7.3 अनर्जक अग्रिमों में 300 प्रतिशत वृद्धि पर 9 प्रतिशत सीआरएआर से नीचे आनेवाले वाणिज्य बैंक	78
7.4 दबावयुक्त अनर्जक अग्रिमों पर वाणिज्य बैंकों का दबावग्रस्त सीआरएआर	78
7.5 दबाव के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रभावी अनर्जक अग्रिम	79
7.6 दबाव के विभिन्न स्तरों पर फुटकर अग्रिमों का दबावग्रस्त सीआरएआर	79
7.7 दबाव के विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का दबावग्रस्त सीआरएआर	79
7.8 दबाव के विभिन्न स्तरों पर औद्योगिक अग्रिमों का दबावग्रस्त सीआरएआर	80
7.9 शेयरों की अवधि - समय-समूहों की बारंबारता (परिदृश्य I - 1 माह के भीतर बचत जमाराशियों का आहरण)	80
7.10 शेयरों की अवधि - समय-समूहों की बारंबारता (परिदृश्य II - 3-6 माह के भीतर बचत जमाराशियों का आहरण)	80
7.11 दबावग्रस्त बैंकों की चलनिधि की स्थिति परिदृश्य I : मार्च 2009	82
7.12 दबावग्रस्त बैंकों की चलनिधि की स्थिति परिदृश्य I : दिसंबर 2009	82
7.13 दबावग्रस्त बैंकों की चलनिधि की स्थिति परिदृश्य II : मार्च 2009	83
7.14 दबावग्रस्त बैंकों की चलनिधि की स्थिति परिदृश्य II : दिसंबर 2009	83

प्रस्तावना

संकट के बाद वित्तीय स्थिरता को वैश्विक रूप से समष्टि-आर्थिक नीतिगत ढाँचे के एक अभिन्न और सुस्पष्ट तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि 'वित्तीय स्थिरता' शब्द अपने दायरे में व्यापक और सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाला है, तथापि संकल्पनात्मक तौर पर इसका अर्थ सामान्यतः वित्तीय प्रणाली के विभिन्न घटकों - बाजारों, संस्थाओं और बाजार की संरचना की मजबूत कार्य-पद्धति की सतत स्थिति के रूप में लिया जाता है जो प्रणाली को किसी अंतर्जात अथवा बहिर्जात वित्तीय आघात को न्यूनतम विघटनकारी प्रभाव के साथ सहने की क्षमता प्रदान करती है।

एक औपचारिक लक्ष्य के रूप में वित्तीय स्थिरता का अनुसरण करने के लिए दो स्थूल पहलू आवश्यक हैं : पहला तो प्रक्रियागत पहलू है - जो समूची वित्तीय प्रणाली में जोखिम निर्माण के कठोर, व्यापक और निरंतर प्रणालीगत निर्धारण है तथा दूसरा, परिणाम का पहलू है - जिसके अंतर्गत अभिनिर्धारित जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रभावी विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतिगत उपाय करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक संस्थागत और साधन-विषयक व्यवस्था है।

वित्तीय स्थिरता की किसी भी व्यवस्था में केंद्रीय बैंकों की भूमिका को उनके मौद्रिक नीतिगत लक्ष्यों, अंतिम ऋणदाता की भूमिका तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए दायित्व से प्राप्त उनकी अंतर्निहित अथवा सुनिश्चित जिम्मेदारी के कारण केंद्रीय माना जाता है। वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से बड़ी प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण संस्थाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण करने में केंद्रीय बैंक की संबद्धता की अनिवार्य आवश्यकता, जो संकट के बाद के परिदृश्य में स्वीकार की जा रही है, ने उपर्युक्त भूमिका की केवल पुनः पुष्टि की है।

2010-11 के लिए केंद्रीय बजट ने बड़े वित्तीय समूहों की कार्यपद्धति सहित अर्थव्यवस्था के समष्टि-विवेकसम्मत पर्यवेक्षण की निगरानी एवं अंतर-विनियामक समन्वय की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक शीर्ष-स्तरीय वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की प्रस्तावित स्थापना की घोषणा की है। यद्यपि उक्त एफएसडीसी की सुस्पष्ट संरचना और अधिदेश का रूपायित होना अभी बाकी है, तथापि राजकोषीय तुलन-पत्र के लिए संभावित रूप से अत्यधिक लागतों के साथ प्रणालीगत जोखिमों के निर्माण को रोकने के लिए संकट के बाद के परिदृश्य में महसूस की गई एक संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता को उक्त प्रस्तावित निकाय पूरा करता है। मौजूदा ढाँचे की तुलना में उक्त एफएसडीसी की विशिष्ट भूमिका और कार्यों का निरूपण करते हुए एक सहमत मसौदा निर्धारित करने के लिए रिजर्व बैंक सरकार और अन्य विनियामकों के साथ भली भाँति मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रिजर्व बैंक अपनी ओर से प्रणालीगत स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों का अभिनिर्धारण और विश्लेषण करने तथा दबाव परीक्षण संचालित करने पर फोकस सहित वित्तीय प्रणाली की स्थिति का आकलन करने के निर्दिष्ट उद्देश्य के साथ एक समर्पित बहुविषयक 'वित्तीय स्थिरता इकाई' (एफएसयू) की स्थापना कर चुका है। उक्त एफएसयू ऐसे संभावित क्षेत्रों, जिनका समाधान वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है, का पता सुस्पष्ट रूप से करते हुए अपने निरंतर मूल्यांकनों पर आधारित छमाही रिपोर्टें भी तैयार करेगी। इसी प्रकार की रिपोर्टें कई केंद्रीय बैंकों द्वारा आवधिक रूप से प्रकाशित की जा रही हैं। यह रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जानेवाली ऐसी पहली रिपोर्ट है। प्रारंभिक अंक होने के कारण आवश्यक रूप से यह अधिक व्यापक है जिसमें भारत में मौजूदा वित्तीय प्रणाली की रूपरेखा दी गई है, वित्तीय स्थिरता में निहित समस्याओं के संपूर्ण विस्तार का समाधान प्रस्तुत किया गया है एवं संकट से पहले और संकट के बाद वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए की गई पहलों को विशिष्ट रूप से दर्शाया गया है।

हमें आशा है कि यह रिपोर्ट सभी हितधारकों को उपयोगी अंतर्दृष्टि और जानकारी प्रदान करेगी। इस रिपोर्ट के संबंध में विचारों और टिप्पणियों का स्वागत है जिन्हें fsu@rbi.org.in पर भेजा जा सकता है।

संक्षिप्त रूप

एडीआर	अमेरिकी निक्षेपागार (डिपोजिटरी) रसीद	सीएमएएक्स	अधिकतम संकेद्रण
एडीएक्सवाइ	ब्लूमबर्ग - जेपी मोर्गन एशिया डॉलर सूचकांक	सीएनवाइ	चीनी युवान
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध	सीओवी	सहप्रसारण
एआइजी	अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय समूह	सीपी	वाणिज्यिक पत्र
एएलएम	परिसंपत्ति-देयता प्रबंध	सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली समिति
एएमए	उन्नत माप दृष्टिकोण	सीआरए	साख निर्धारण एजेंसी
एएमएफआइ	भारतीय पारस्परिक निधि संघ	सीआरएआर	जोखिम भारत परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात
बैंकेक्स	बंबई शेयर बाजार का बैंकिंग सूचकांक	सीआरआइएसआइ	भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड
बीसीबीएस	बैंक पर्यवेक्षण संबंधी बासल समिति	एल (क्रिसिल)	
बीएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड	सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
बीआइए	आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण	सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन
बीआइएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक	डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
बीओपी	भुगतान शेष	डीआइसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
बीपीएलआर	बेंचमार्क मूल उधार दर	डीआइएफ	जमा बीमा निधि
बीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड	डीओई	शेयर की अवधि
बीआरआइसी	ब्राजील, रूस, भारत और चीन	डीपीएल	विकास पालिसी ऋण
बीएसई	मुंबई शेयर बाजार	डीआर	आपदा प्रबंधन
सीएजीआर	संयोजित वार्षिक वृद्धि दर	डीएक्सवाइ	अमेरिकी डॉलर सूचकांक
सीएपीएम	पूँजीगत परिसंपत्ति कीमत-निर्धारण मॉडल	ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
सीएसए	चालू खाता बचत खाता	ईएम	उभरता बाजार
सीबीएलओ	संपाक्षीकृत उधार और ऋणदायी बाध्यता	ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्था
सीसीआइएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	ईएमपी	विनिमय बाजार दबाव
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्ष पार्टी	ईएमपीआइ	विनिमय बाजार दबाव सूचकांक
सीडी	जमा प्रमाणपत्र	ईएसआरबी	यूरोपीय प्रणालीगत जोखिम बोर्ड
सीडीएफ	संचयी वितरण कार्य	एग्लिम बैंक	निर्यात आयात बैंक
सीडीएस	ऋण चूक अदला-बदली (स्वैप)	एफएएसबी	वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड
सीडीएक्स	सीडीएस सूचकांक कंपनी का सूचकांक	एफसी	वित्तीय समूह
सीएफएसए	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति	एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड
सीजीएफएस	वैश्विक वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति	एफडीआइसी	फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन
सीआइबीआइएल	भारतीय ऋण सूचना ब्यूरो लिमिटेड		

एफईएमए (फेमा)	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम	आइडी	निवेश-जमा
एफआइ	वित्तीय संस्था	आइडीबीआइ	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दबावग्रस्त परिसंपत्ति
एफआइआइ	विदेशी संस्थागत निवेशक	एसएसएसएफ	स्थिरीकरण निधि
एफआरबीएम	राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंध	आइडीएफसी	मूलभूत संरचना विकास वित्त कंपनी
एफएसएपी	वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम	आइएफआरएस	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सूचना मानक
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड	आइआइएफसीएल	इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी लिमिटेड
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद	आइआइपी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
एफएसआइ	वित्तीय दबाव संकेतक	आइएमए	आंतरिक प्रतिमान दृष्टिकोण
एफएसयू	वित्तीय स्थिरता इकाई	आइएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
एफएक्स	विदेशी मुद्रा	आइएनआर	भारतीय रुपया
जीएपी	सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांत	आइओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
जीएआरसीएच	सामान्यीकृत स्वतः अवरोही सशर्त असंबद्ध प्रकीर्णन (जनरलाइज्ड ऑटो रिग्रेसिव कंडिशनल हिटिरोसेडैस्टिसिटी)	आइपीडीआइ	नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखत
जीडीसीएफ	सकल देशी पूँजी निर्माण	आइआरबी	आंतरिक दर आधारित
जीडीपी	सकल देशी उत्पाद	आइआरडीए	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
जीडीआर	वैश्विक निक्षेपागार (डिपाजिटरी) रसीद	आइटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जीडीएस	सकल देशी बचत	केआरडब्ल्यू	कोरियन वोन
जीएफसीई	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	एलएबी	स्थानीय क्षेत्र बैंक
जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट	एलएएफ	चलनिधि समायोजन सुविधा
जीएनपीए	सकल अनर्जक परिसंपत्तियाँ	एलआइबीओआर (लाइबोर)	लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर
जीएसडीपी	सकल राज्य देशी उत्पाद	एलएलपी	ऋण हानि प्रावधान
एचएफसी	आवास वित्त कंपनी	एलओएलआर	अंतिम ऋणदाता
एचएफटी	व्यापार के लिए धारित	एमसीएक्स-एसएक्स	एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
एचएलसीसीएफएम	वित्तीय बाजारों संबंधी उच्चस्तरीय समन्वय समिति	एमएफ	पारस्परिक निधि (म्युचुअल फंड)
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित	एमआइबीओआर-	मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर - एक दिन की सूचीबद्ध
आइएडीआइ	अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ	ओआइएस	अदला-बदलियाँ (स्वैप्स)
आइएआइएस	अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ	एमआइसीआर	चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान/माइकर
आइएएसबी	अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड	एमओयू	सहमति ज्ञापन
आइबीएल	अंतर बैंक देयता	एमपीआइ	समष्टि विवेकपूर्ण संकेतक
आइसीएपी	आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया	एमएससीआइ	मोर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल
आइसीएआइ	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	एमएसएस	बाजार स्थिरीकरण योजना
		एमटीएम	बाजार मूल्य को बही में अंकित करना (मार्क-टू-मार्केट)
		एमवाइआर	मलेशियाई रिंगिट
		एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

एनएएफएससीओबी	राज्य सहकारी बैंक राष्ट्रीय महासंघ लि.	आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी	आरटीजीएस	तत्काल सकल भुगतान
एनबीएफसी-एएफसी	एनबीएफसी - परिसंपत्ति वित्त कंपनी	आरडब्ल्यूए	जोखिम-भारित परिसंपत्तियाँ
एनबीएफसी - डी	एनबीएफसी - जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी	एसएण्डपी	मानक और निर्धनों का
एनबीएफसी-एनडी-	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-जमाराशि स्वीकार न	एसए	मानकीकृत दृष्टिकोण
एसआइ	करनेवाली- प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण	एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनबीएफसी-	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण	एससीबी	अनुसूचित वाणिज्य बैंक
एसआइ		एसडीए	मानकीकृत अवधि का दृष्टिकोण
एनडीएस	तयशुदा लेनदेन प्रणाली	एसईबीआइ (सेबी)	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एनडीटीएल	निवल माँग और मीयादी देयताएँ	एसईसी	प्रतिभूति विनिमय आयोग
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक	एसईएनएसईएक्स	बंबई शेयर बाजार संवेदनशील सूचकांक (सेन्सेक्स)
एनआइएम	निवल ब्याज मार्जिन	एसआइ	प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण
एनपीए	अनर्जक परिसंपत्ति	एसआइडीबीआइ	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
एनएसई	राष्ट्रीय शेयर बाजार	एसआइएफआइ	प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था
ओबीएस	तुलन-पत्र बाह्य (ऑफ-बैलेंस शीट)	एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
ओएमसी	तेल विपणन कंपनी	एसएमई	लघु और मझौले उद्यम
ओएमओ	खुले बाजार का परिचालन	एसपीवी	विशेष प्रयोजन माध्यम
ओटीसी	काउंटर पर	एसटीसीबी	राज्य सहकारी बैंक
पी/ई	उपार्जन की तुलना में कीमत का अनुपात	एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण समिति	टीए	कुल परिसंपत्तियाँ
पीसीए	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई	टीएएफसीयूसी	शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	टीबी	खजाना बिल
पीडी	प्राथमिक व्यापारी	टीडी	कुल जमाराशियाँ
पीपीसीई	निजी अंतिम उपभोग व्यय	टीडीएस	स्रोत पर कर-कटौती
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण	टीआइ	कुल निवेश
पीएलआर	मूल उधार दर	टीएसए	मानकीकृत दृष्टिकोण
पीएसबी	सरकारी क्षेत्र का बैंक	यूसीबी	मानकीकृत दृष्टिकोण
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम	यूएनसी-	मानकीकृत दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी	आइटीआरएएल	व्यापार विधि आयोग
आरओए	परिसंपत्तियों पर आय	यूटीआइ	भारतीय यूनिट ट्रस्ट
आरओई	शेयरों पर आय	डब्ल्यूएडीआर	भारित औसत बट्टा दर
		डब्ल्यूईओ	विश्व आर्थिक दृष्टिकोण
		वाइ-ओ-वाइ	वर्ष-दर-वर्ष

विहंगावलोकन और मूल्यांकन

1. वैश्विक वित्तीय संकट ने उस पद्धति को बदल दिया है जिससे नीति निर्धारक वित्तीय स्थिरता के मुद्दे को देखते हैं और उसपर विचार करते हैं। इस संकट ने यह दर्शाया है कि कीमतों संबंधी और समष्टि-आर्थिक स्थिरता के साथ भी वित्तीय स्थिरता एक सुस्पष्ट संभावना है। अतः वित्तीय स्थिरता का एक सुनिश्चित नीतिगत परिवर्ती स्थिति के रूप में अनुसरण करने की आवश्यकता है। संकट के बाद उभरते हुए परिप्रेक्ष्य का लक्ष्य अलग-अलग संस्थाओं की सूक्ष्म विवेकपूर्ण निगरानी और प्रणालीगत जोखिमों का समाधान करने के लिए समष्टि विवेकपूर्ण साधनों के उपयोग के अलावा, वित्तीय क्षेत्र की विभिन्न संस्थाओं के बीच प्रणालीगत अंतर-संबद्धता पर फोकस सहित वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के प्रति एक अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का है। अनेक देशों में विनियामक उद्देश्यों और विभिन्न विनियामकों के अधिदेशों को पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रभावी विनियामक, पर्यवेक्षी और वित्तीय क्षेत्र की अन्य नीतियों के कार्यान्वयन का विकास और संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों के कार्य का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करने के उद्देश्य से जी-20 के प्रमुखों से प्राप्त एक विस्तृत अधिदेश के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना की गई है।

2. भारतीय संदर्भ में मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र प्रबंध के प्रति बहुविध संकेतक दृष्टिकोण ने अंतर्निहित रूप से नीतिगत दृष्टिकोण को वित्तीय स्थिरता के तत्वों के साथ संबद्ध कर दिया है। यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) अंतर्निहित फोकस को संस्थागत करने तथा वित्तीय स्थिरता को नीतिगत ढाँचे का एक अभिन्न प्रेरक बनाने का एक प्रयास है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें उन जोखिमों के स्वरूप, व्यापकता और निहितार्थों की समीक्षा करने में एक आवधिक अभ्यास होंगी जिनका संबंध समष्टि-आर्थिक परिवेश, वित्तीय संस्थाओं, बाजारों और मूलभूत संरचना से है। ये दबाव परीक्षणों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की आघात-सहनियता का मूल्यांकन भी करेंगी। आशा की जाती है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें वित्तीय प्रणाली में प्रारंभ होनेवाली जोखिमों के प्रति पहले से अधिकृत नीतिगत प्रतिक्रियाओं को निदेशित करने के लिए एक मुख्य साधन के रूप में उभरेंगी।

3. यह इस प्रकार की पहली रिपोर्ट होने के कारण भारत में मौजूदा वित्तीय क्षेत्र की संरचना और गतिशीलता को ग्रहण करने का एक प्रयास किया गया है। इस रिपोर्ट को हाल के संकट की पृष्ठभूमि में वित्तीय

नीति-निर्धारण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण के संबंध में एक परिप्रेक्ष्य के रूप में भी देखने की आवश्यकता है।

संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया

4. भारत पर वैश्विक संकट के प्रभाव का स्वरूप और सघनता कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बहुत ही भिन्न थी। कुछ उतार-चढ़ाव के बावजूद वित्तीय क्षेत्र आघात को सहने और कार्यरत होने में सक्षम बना रहा। अनर्जक वित्तीय लिखतों के कारण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तुलन-पत्रों पर कोई ठोस दबाव नहीं था। सरकार से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की अपेक्षा करते हुए किसी भी वित्तीय संस्था के पास शोधक्षमता की कोई समस्या नहीं थी।

5. संस्थाओं और बाजारों के लिए वर्षों से विकसित किया गया विवेकपूर्ण नीतिगत ढाँचे एवं उभरती जोखिमों के प्रतिक्रियास्वरूप किये गये अपरंपरागत उपायों के संबंध में अब यह व्यापक तौर पर स्वीकार किया जा रहा है कि इन्होंने प्रमुख असुरक्षितताओं से भारतीय वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस दृष्टिकोण के प्रमुख तत्व थे :

- (i) बैंकों के लिए विवेकपूर्ण ढाँचा जो अन्य बातों के साथ-साथ लीवरेज, चलनिधि और प्रतिपक्षी जोखिम संकेन्द्रणों का समाधान करता है;
- (ii) बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण रूप में पहचान तथा ऐसी संस्थाओं तक विनियामक परिधि का विस्तार;
- (iii) विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाहों के संबंध में एक सक्रिय पूँजी खाता प्रबंध का ढाँचा;
- (iv) मुख्य ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों का सुनिश्चित विनियमन।

6. यद्यपि भारत पर संकट का प्रत्यक्ष प्रभाव अपेक्षाकृत शांत था, तथापि भारतीय आर्थिक और वित्तीय प्रणाली पर अप्रत्यक्ष प्रभाव गोचर थे जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के तीव्र और बढ़ते हुए एकीकरण का संकेत कर रहे थे। उक्त अर्थव्यवस्था ने पिछले पाँच वर्षों की जबर्दस्त वृद्धि के निष्पादन की तुलना में 2008-09 में उल्लेखनीय मंदी का अनुभव किया। विस्तृत हो रहे ऋण के स्प्रेडों और उच्चतर चलनिधि के प्रीमियमों ने घरेलू वित्तीय बाजार की स्थितियों की सख्ती

को प्रतिबिंबित किया जिससे 2008 की तीसरी तिमाही और 2009 की पहली तिमाही के दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में विद्यमान दबाव का पता चलता है। भारतीय रुपया भी उल्लेखनीय रूप में कमजोर हो गया तथा शेयर बाजारों ने तीव्र सुधारों का अनुभव किया।

7. तथापि, लेहमैन के बाद के परिदृश्य में दोनों सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई त्वरित और आक्रामक प्रतिक्रियाओं ने वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर दिया। अनेक पारंपरिक और गैर-पारंपरिक उपाय तुरंत किये गये। जिससे देशी और विदेशी मुद्रा चलनिधि में सुधार लाया जा सके तथा अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके। देशी बाजार वैश्विक बाजारों से काफी पहले ही जोखिम में उल्लेखनीय कमी और बाजार की सक्रियता में पुनः तेजी के साथ सामान्य स्थिति में वापस आ गये। आर्थिक वृद्धि में भी शीघ्र ही पहले की स्थिति पुनः प्राप्त की गई।

8. भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के लिए तत्काल चुनौती कार्यकुशलता में न्यूनतम हानि के साथ संकट के पूर्व की स्थिति को पुनः प्राप्त करने की है। एक समझौतापरक राजकोषीय और मौद्रिक रुझान से बाहर जाने की प्रक्रिया प्रणाली की आघात-सहनीयता की जाँच-पड़ताल ही होगी। देशी अर्थव्यवस्था पर वैश्विक घटनाओं के जटिल और अनिश्चित प्रभाव का प्रबंध करना एक अतिरिक्त चुनौती होगा।

वैश्विक दृष्टिकोण

9. संकट के प्रति प्रबल और समन्वित वैश्विक नीतिगत प्रतिक्रिया ने विशेष रूप से 2009 की दूसरी छमाही में वैश्विक बाजारों के सापेक्ष स्थिरीकरण एवं वित्तीय उथल-पुथल के बाद ऋण जोखिम संबंधी चिंताओं के शमन को सुसाध्य बनाया है। तथापि, संवृद्धि की संभावनाओं और वित्तीय स्थिरता के बारे में अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं। इस अनिश्चितता के अतिरिक्त, वैश्विक तौर पर पूर्व स्थिति पुनःप्राप्त करने (रिकवरी) में असमानता भी विद्यमान है।

10. सरकारी ऋण संबंधी जोखिम के बारे में चिंताएँ भी ग्रीस और कुछ अन्य यूरो क्षेत्र के राष्ट्रों की राजकोषीय चिंताओं के आलोक में गहराई हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ अत्यधिक लोक ऋण को निवटाने में चुनौतियों का सामना कर रही हैं जिनका समाधान केवल मौजूदा प्रेरक उपायों को शिथिल करने मात्र से नहीं हो सकता। इन सरोकारों के व्याप्त प्रभाव आस्तियों की अन्य श्रेणियों पर अप्रत्यक्ष प्रभावों के साथ बढ़े हुए सरकारी ऋण स्प्रेडों में प्रकट हुए हैं।

11. संकट के दौरान बैंक देयताओं की परिपक्वता अवधि विन्यासों को कम करने से आगामी कुछ वर्षों में पुनर्वित्त की बहुत बड़ी आवश्यकताएँ निर्मित हुई हैं। अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लिए यह

आवश्यक होगा कि वे अपनी देयताओं के परिपक्वता अवधि विन्यास को बढ़ाने और ग्राहकों की अधिक जमाराशियों को शामिल करने के लिए अपनी देयता संरचना का विविधीकरण करने के लिए प्रत्येक अवसर का लाभ उठाएँ।

12. एक ओर जहाँ वित्तीय संकट के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में माँग के संकुचन के कारण वैश्विक असंतुलनों में कुछ कमी आई, वहीं दूसरी ओर उक्त असंतुलनों के साथ संबद्ध संरचनात्मक समस्या बनी हुई है। आर्थिक पुनःप्राप्ति के संबंध में इन असंतुलनों के आवर्तन के कुछ प्रारंभिक लक्षण विद्यमान हैं जो संकट-पूर्व समय की याद दिलाने वाले हैं तथा चिंता के कारण के रूप में उभर सकते हैं। यद्यपि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के प्रति भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक्सपोजर अपेक्षाकृत कम है, तथापि भारतीय वित्तीय क्षेत्र पर वैश्विक समष्टि-आर्थिक आघातों से होनेवाले संक्रामक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता।

देशी दृष्टिकोण और मूल्यांकन

13. संवृद्धि की पुनःप्राप्ति के स्पष्ट संकेत हैं जो अधिकाधिक टिकाऊ हो रहे हैं। औद्योगिक उत्पादन के संबंध में आंकड़े जो फिलहाल जनवरी 2010 तक उपलब्ध हैं, यह दर्शाते हैं कि ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति बरकरार है। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र ने मजबूत वृद्धि दर्ज की। पूँजीगत माल क्षेत्र की वृद्धि में बढ़ी हुई गति निवेश की सक्रियता के पुनरुत्थान की ओर संकेत करती है। 13 नियत महीनों के लिए संविदा करने के बाद नवंबर 2009 से निर्यातों का विस्तार हुआ है। बैंक ऋण में निरंतर वृद्धि और गैर-बैंक स्रोतों से वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा जुटाये गये संसाधन भी पुनरुत्थान का संकेत करते हैं।

14. मौद्रिक नीतिगत बहिर्गमन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। क्षेत्र-विशिष्ट चलनिधि सुविधाएँ बंद की जा चुकी हैं तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को संकट-पूर्व स्थिति में वापस रखा गया है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात को जनवरी 2010 में 75 आधार अंक बढ़ा दिया गया है। मुद्रास्फीति के दबावों के सघन होने के साथ ही, 19 मार्च 2010 को रेपो और रिवर्स रेपो में प्रत्येक 25 आधार अंक की वृद्धि घोषित की गई है।

15. 2010-11 के लिए केंद्र बजट में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया की ओर वापसी के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करने के साथ ही राजकोषीय प्रोत्साहन के उपायों से निर्गम के लिए शीघ्र कार्रवाई भी प्रारंभ की जा चुकी है। राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को चाहिए कि वह बेहतर मौद्रिक प्रबंध को सुसाध्य बनाए। देशी आर्थिक संवृद्धि के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ही, घाटे और ऋण के स्तरों को नीचे लाने के सरकार के इरादे की पहचान करते हुए एसएण्डपी ने हाल ही में

भारत के संबंध में अपने दृष्टिकोण का ग्रेड “ऋणात्मक” से बढ़ाकर “स्थिर” कर दिया है।

16. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में बैंकिंग क्षेत्र स्थूल रूप से स्वस्थ बना हुआ है। उच्चतर स्थायी पूँजी और बनाए रखने योग्य वित्तीय लीवरेज के साथ विनियामक पूँजी-पर्याप्तता अनुपातों के तौर पर बैंक भली भाँति पूँजीकृत हैं तथा वित्तीय स्थिरता में इसका अंशदान है। ऋण और बाजार जोखिम के लिए दबाव के परीक्षण दबाव के अप्रत्याशित स्तरों को सहने की बैंकों की क्षमता को प्रकट करते हैं। घर-परिवारों और कारपोरेटों के तुलन-पत्र यह संकेत करते हैं कि वित्तीय प्रणाली बड़े लीवरेजों की जोखिम के प्रति असुरक्षित नहीं है। वित्तीय मूलभूत संरचना सशक्त है तथा बाजार अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का स्तर और सरकारी ऋण में प्रबल देशी निवेशक आधार संभव बाह्य क्षेत्र के आघातों के विरुद्ध एक अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं।

17. तथापि, आगे बढ़ते हुए ऐसे अनेक तत्व हैं जिनका संबंध वित्तीय स्थिरता के चिंतन से हो सकता है।

मुद्रास्फीति

18. हाल ही की अवधि में मुद्रास्फीतिकारक दबाव गहरे हो गये हैं। भले ही खाद्य कीमतें नरमी के लक्षण दर्शा रही हैं, तो भी वे बढ़े हुए स्तर पर बनी हुई हैं। अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि खाद्येतर विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की दर में तेजी आई है। इसके अलावा, क्षमता का बढ़ता हुआ उपयोग तथा बढ़ती हुई पण्य और ऊर्जा की कीमतें समग्र मुद्रास्फीति पर दबाव बना रही हैं। कुल मिलाकर ये तत्व आपूर्ति की ओर के दबावों की जोखिमों में वृद्धि कर रहे हैं जो एक सामान्यीकृत मुद्रास्फीतिकारी प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। अतः मुद्रास्फीति के अनुमानों पर अंकुश लगाना और समग्र मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना अनिवार्य हो गया है।

सरकार द्वारा बाजार उधार

19. सरकार के उधार कार्यक्रम का प्रबंध निवल उधार के कम अनुमान के बावजूद 2010-11 में एक चुनौती रहेगा। यह इस तथ्य के कारण है कि 2009-10 में नये ऋणपत्रों (पेपर) की निवल आपूर्ति निवल उधार से उल्लेखनीय रूप से कम थी क्योंकि रिज़र्व बैंक ने 61,307 करोड़ रुपये की सीमा तक खुले बाजार के परिचालन किये थे और 53,036 करोड़ रुपये की एमएसएस का निवल मोचन किया गया था।

20. माँग की ओर की दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दा बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य संस्थागत निवेशकों से सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बढ़ती

हुई आकांक्षा है। इसके अलावा, राजकोषीय समेकन के पथ पर वापसी के लिए, खास तौर से इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने में सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता बांड बाजारों में भावनाओं को सुधार सकती है तथा मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों को नियंत्रित करने में सहायता उपलब्ध करा सकती है।

देशी बाजार

21. वित्तीय बाजारों में अस्थिरता का संपदा क्षेत्र और वित्तीय क्षेत्र के तुलन-पत्रों से महत्वपूर्ण संबंध है। एक ओर जहाँ कुछ ब्याज दर और विदेशी मुद्रा जोखिमों का प्रबंध उपलब्ध बचाव (हेजिंग) के तरीकों का उपयोग करते हुए किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से एक अल्प अवधि में तीव्र उतार-चढ़ाव के कारण अत्यधिक अस्थिरता का प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। बहरहाल, काफी चिंतन इस बात पर निर्भर होगा कि आगामी महीनों में किस तरह की समष्टि-आर्थिक स्थिति विकसित होती है। सरकार के उधार कार्यक्रम के कुल परिमाण का बाजारों द्वारा पहले ही कीमत-निर्धारण किया जा चुका है। आगे बढ़ते हुए, वर्ष भर में नये निर्गमों का परिपक्वता-विन्यास और उधार कार्यक्रम के लिए उपयुक्त समयांतर तय करना महत्वपूर्ण चिंतनीय विषय होंगे।

22. अनिश्चितता पूँजी प्रवाहों के संबंध में काफी अधिक है जो वैश्विक घटनाओं द्वारा अधिक प्रेरित होने की संभावना है। हालांकि वर्तमान दौर में कम साक्ष्य उपलब्ध है कि अंतर्वाहों की मात्रा अर्थव्यवस्था की अवशोषण-क्षमता से अधिक हो गई है। यदि यह प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूप में बदलती है तथा अंतर्वाहों में उछाल का अनुमान आगामी महीनों में ठोस रूप धारण करता है, तो यह पूँजी खाते के प्रबंध के लिए पर्याप्त चुनौती खड़ी कर सकता है। जबकि उक्त चुनौती की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए अनेक नीतिगत विकल्प उपलब्ध हैं, इष्टतम नीतिगत मिश्रण को अर्थव्यवस्था की विकसित हो रही स्थिति और वित्तीय स्थिरता संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक नाप-तोलकर निर्धारित करना होगा।

विनियामक परिवेश

23. विश्व स्तर पर वित्तीय प्रणाली को अधिक सुरक्षित, हाल के प्रकार के संकटों के प्रति कम असुरक्षित और संपदा क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति अधिक ध्यानकेंद्रित बनाने हेतु विनियामक ढाँचे को पुनः सुयोजित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जी-20, एफएसबी और बीसीबीएस के संस्थागत ढाँचे, जिनमें से भारत एक मुख्य सदस्य है, के अंतर्गत अनेक मुद्दों पर बहस की जा रही है जिससे विनियामक दृष्टिकोण को एक प्रणालीगत जोखिम नियंत्रण दृष्टि की दिशा में अभिमुख

किया जा सके। जिन मुख्य विषयों पर स्थूल रूप से सहमति है, वे हैं : एक, बैंकों के लिए पूँजी, चलनिधि और लीवरेज के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक सख्त विनियामक मानक; दो, अब तक अविनियमित रही प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं को पर्यवेक्षण प्रदान करना/विनियामक दायरे में लाना; तीन, वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के बीच विद्यमान अंतरसंबद्धता से उत्पन्न होनेवाली प्रणालीगत जोखिमों का समाधान करना; तथा चार, एक प्रणालीगत जोखिम के दृष्टिकोण से वित्तीय बाजारों और वित्तीय मूलभूत संरचना का विनियमन करना।

24. अब प्रस्तावित किये जा रहे कुछ उपाय विनियामक पूँजी के स्तरों को बढ़ा सकेंगे तथा बैंकों की उधार देने की क्षमता को प्रभावित कर सकेंगे। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौती वास्तविक अर्थव्यवस्था को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के साथ ही, वित्तीय स्थिरता की आवश्यकताओं को संतुलित रखने की होगी। इस प्रयोजन के लिए वास्तविक अर्थव्यवस्था को उधार दिये जाने पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए एक मात्रात्मक प्रभाव का मूल्यांकन करने एवं विनियामक नीतियों को नाप-तोलकर निर्धारित करने की आवश्यकता होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन पहलुओं की जाँच-पड़ताल करने के लिए एफएसबी और बीसीबीएस का एक कार्यकारी दल गठित किया जा चुका है।

25. विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। भारत के संदर्भ में वित्तीय क्षेत्र के लिए विनियामक दृष्टिकोण उपर्युक्त सरोकारों के लिए संवेदनशील था और संकट से काफी पहले ही इसने अनेक उपायों की व्यवस्था की थी। मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी वाणिज्य बैंकों ने मार्च 2009 की समाप्ति की स्थिति के अनुसार बेसल II की अपेक्षाओं तक अंतरण कर लिया है। आगे बढ़ते हुए, बेसल II के अंतर्गत उच्चतर दृष्टिकोणों तक अंतरण आंकड़ों, प्रणालियों, प्रौद्योगिकी और कुशल मानव संसाधनों की अपेक्षाओं के संबंध में उल्लेखनीय चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

वित्तीय बाजारों का विनियमन

26. उक्त संकट ने वित्तीय बाजारों के प्रभावी विनियमन की आवश्यकता न केवल व्यावसायिक संचालन के दृष्टिकोण से, बल्कि एक वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से भी दर्शाई है। यह ऐसे बाजारों के लिए विशेष रूप से संगत हो जाता है जो भारत जैसे उभरते देशों के संदर्भ में विनियम दरों और ब्याज दरों जैसी मुख्य समष्टि-आर्थिक परिवर्ती दरों (वेरियेबल्स) से संबद्ध हैं।

27. ब्याज दर फ्यूचर, मुद्रा फ्यूचर और कंपनी बांडों में रेपो आदि जैसे नये उत्पादों को अनुमति देने के रूप में हाल ही में कई दूरगामी

उपाय किये गये हैं। ऐसे उत्पाद भारतीय बाजार के लिए नये हैं तथा अन्य बाजारों पर उनके अप्रत्यक्ष प्रभाव, संस्थागत व्यवहार और समग्र रूप में प्रणाली का मूल्यांकन महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हुए, एक मुख्य फोकस क्षेत्र अवश्य इन नये बाजारों के लिए एक सशक्त बाजार की मूलभूत संरचना बनाएगा और प्रणालीगत निगरानी ढाँचे को मजबूत करेगा।

28. विकासशील बाजारों और भावी उत्पादों के लिए वास्तविक चुनौती बैंकिंग प्रणाली से जोखिमों का केंद्रीकरण समाप्त करने की होगी। डेरिवेटिव बाजारों को सैद्धांतिक तौर पर बैंकों से दूर जोखिमों के विविधीकरण के साधनों के रूप में देखा गया, परंतु संकट ने यह दर्शाया है कि ये तो बैंक ही हैं जिन्होंने अंततः प्रणाली में जोखिम भंडारों के रूप में, वह भी एक अपारदर्शी तरीके से कार्य किया है। भारतीय संदर्भ में बाजारों को विकसित करते समय मुख्य समर्थन यह सुनिश्चित करना होगा कि एक, बैंकों से अलग अमध्यस्थता की प्रक्रिया वास्तविक है तथा दो, जहाँ भी बैंक और गैर-बैंक वित्त कंपनियाँ संबद्ध हैं, वहाँ एक विवेकपूर्ण ढाँचे के अंतर्गत जोखिमों की स्पष्ट, पारदर्शी पकड़ विद्यमान है।

वित्तीय स्थिरता का समाधान करने के लिए संस्थागत व्यवस्था

29. वित्तीय बाजारों के संबंध में अंतर-विनियामक और अन्य नीतिगत समस्याओं का समाधान करने तथा प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण संस्थाओं (वित्तीय समूहों) की निगरानी करने के लिए एक उच्चस्तरीय समन्वय समिति विद्यमान है। यह समिति गवर्नर, रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में है तथा इसमें सरकार और अन्य प्रमुख वित्तीय क्षेत्र विनियामकों अर्थात् सेबी, आइआरडीए और पीएफआरडीए का प्रतिनिधित्व है। बड़े वित्तीय समूहों की कार्यपद्धति सहित अर्थव्यवस्था के समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करने तथा अलग-अलग विनियामकों की स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता किये बिना अंतर-विनियामक समन्वय की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के रूप में वित्तीय स्थिरता के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की स्थापना की घोषणा भी की है। एक मुख्य समस्या जिसका समाधान किया जाना है, मौजूदा एचएलसीसीएफएम के साथ एफएसडीसी के संबंध के स्वरूप की है।

30. मौद्रिक नीति के प्राधिकरण, संस्थाओं और बाजारों के विनियामक और पर्यवेक्षक एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक की भूमिकाओं के बीच स्वाभाविक सहक्रियाएँ रिजर्व बैंक को वित्तीय स्थिरता के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करने में एक मुख्य भूमिका अदा करने के लिए आवश्यक साधन और क्षमता प्रदान करती हैं।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र

31. सबप्राइम संकट की चरम स्थिति के दौरान और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न वित्तीय उथल-पुथल के दौरान भी भारतीय बैंक इस आघात को सहने की स्थिति में रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूँजीकृत है तथा प्रधान घटक हानि अवशोषक सामान्य ईक्विटी है। वास्तव में, बेसल II (ऋण और बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण एवं परिचालन जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण) की ओर अंतरण के परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली के पूँजी पर्याप्तता अनुपात में वृद्धि हुई है। ऋण की गुणवत्ता लगातार सुदृढ़ बनी हुई है। कुल जमाराशियों में से कम लागत वाली चालू और बचत खातों की जमाराशियों का अंश अधिक है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी देयताओं का एक न्यूनतम प्रतिशत जोखिम-रहित सरकारी प्रतिभूतियों में धारित करें। इसके द्वारा एक बड़ी सीमा तक चलनिधि और शोधक्षमता की समस्याओं का ध्यान रखा जाता है।

32. एक अपेक्षाकृत मजबूत दृष्टिकोण के बावजूद, यह स्पष्ट है कि आर्थिक अवमंदन ने बैंकिंग प्रणाली के तुलन-पत्र में संवृद्धि को मंद कर दिया है। इससे बैंकों की ऋण-गुणवत्ता और लाभप्रदता पर एक विलंबकारी प्रभाव पड़ा है। वास्तव में, 2007-08 तक एक गिरावट की प्रवृत्ति दशानि के बाद 2008-09 में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के स्तरों में कुछ बढ़ोतरी रही। आस्तियों के आर्थिक और उत्पादक मूल्य को, जो अन्यथा अर्थक्षम थीं, सुरक्षित रखने के लिए असाधारण बाह्य कारकों को देखते हुए पुनः संरचित खातों के लिए विवेकपूर्ण विनियमों का आशोधन एकबारगी उपाय के रूप में तथा एक सीमित अवधि के लिए किया गया। इस प्रबंध के अंतर्गत अनेक खातों की पुनःसंरचना की गई। दिसंबर 2009 की समाप्ति पर मानक श्रेणी में पुनः संरचित खाते सकल अग्रिमों का 3.1 प्रतिशत रहे। यदि कुछ पुनःसंरचित खातों में उल्लेखनीय चूकें हों तो उक्त आस्ति-गुणवत्ता भी दबाव में आ सकती है।

33. तथापि, बैंक ऋण में एक व्यापक आधार वाली पुनःप्राप्ति के प्रारंभिक लक्षण हैं और इससे कुछ विवेकपूर्ण जोखिमों को कम हो सकती है। इसके अलावा, दबाव परीक्षण यह संकेत करते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र सुविधापूर्वक आघातों को सह सकता है तथा यदि सबसे खराब स्थिति के परिदृश्य में यह मान भी लिया जाता है कि सभी पुनः संरचित मानक अग्रिम अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) बनने वाली हैं, तो भी दबाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

34. मुद्रास्फीति के मोर्चे पर उभरते हुए दबावों और बड़े राजकोषीय उधार कार्यक्रम के चलते, प्रतिफलों पर दबावों के होने की संभावना है जिनका बैंकों की निधियों की लागत पर कुछ प्रभाव हो सकता है। बैंकों के लिए यह भी आवश्यक हो सकता है कि वे अपने संविभाग की अवधि के आधार पर निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान करें। इसका प्रभाव

बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) और उनकी लाभप्रदता पर पड़ सकता है। उक्त मार्जिनों को 1 अप्रैल 2010 से बढ़े हुए प्रावधानों और दैनिक आधार पर बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज की गणना के लिए विनियामक अपेक्षा से दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

35. यद्यपि हाल के महीनों में बैंकों की ईक्विटी की अवधि में कुछ वृद्धि रही है, तथापि वह अपेक्षाकृत कम है। यह बैंकों द्वारा सक्रिय ब्याज दर जोखिम के प्रबंध का सूचक है और यह संकेत करता है कि ब्याज दर वृद्धियों के संबंध में बैंकों की असुरक्षितता बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

36. भारत में बैंक अपने आस्ति-देयता संबंधी असंतुलनों का प्रबंध उन दिशा-निर्देशों के आधार पर सक्रियतापूर्वक कर रहे हैं जिनके अंतर्गत ब्याज दर जोखिम और चलनिधि जोखिम मापन/सूचना प्रदान करने का ढांचा और विवेकपूर्ण सीमाएँ शामिल हैं। वर्तमान दौर में एएलएम विश्लेषण किसी उल्लेखनीय असंतुलन का संकेत नहीं करता। तथापि, हाल की अवधि में ऋण की वृद्धि अधिकतर मूलभूत संरचना और वाणिज्यिक स्थावर संपदा जैसे क्षेत्रों में अंकित है, जिन दोनों ही क्षेत्रों के लिए अपेक्षाकृत दीर्घतर अवधि का निधीयन अपेक्षित है। परिणामी एएलएम असंतुलनों के लिए निरंतर आधार पर सावधानीपूर्वक निगरानी आवश्यक होगी।

37. अन्य उभरते हुए मुद्दों में कुछ संस्थाओं में रखी भारी जमाराशियों पर अधिक निर्भरता शामिल है जो उन्नत स्तरों पर स्थित हैं तथा यह जमा-आधार की लागत और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। तेजी से विस्तृत हो रहे कारपोरेट क्षेत्र और वर्तमान एक्सपोजर मानदंडों के चलते बैंकों के लिए उपलब्ध गुंजाइश अवरुद्ध हो जाती है और इसका समाधान करने की आवश्यकता है।

38. कालक्रम में ऋण और ब्याज दर संबंधी आघातों के प्रति वाणिज्य बैंकों की सहनीयता में सुधार आया है, चलनिधि के परिदृश्य का विश्लेषण कुछ संभावित जोखिम को दर्शाता है। चलनिधि अनुपातों का एक विश्लेषण अल्पकालिक समय-खंडों में सकारात्मक असंतुलनों को प्रकट करता है। तथापि, तुलन-पत्र संबंधी संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अस्थिर देयताओं पर निर्भरता में वृद्धि हुई है। कुछ आस्तियों की तुलना में मुख्य जमाराशियों का अंश वर्षों से प्रगामी रूप में गिर गया है (2009 की अंतिम दो तिमाहियों को छोड़कर)। कुल आस्तियों में से अस्थायी आस्तियों के उच्च अनुपात के बावजूद, अस्थिर देयताओं के संबंध में तरल आस्तियों का समावेश एक से भी कम रह गया है जो एक संभावित चलनिधि समस्या का संकेत करता है।

39. चलनिधि दबाव के परीक्षण यह संकेत करते हैं कि कुछ बैंक दबाव के परिदृश्यों के अंतर्गत चलनिधि संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। यद्यपि विकसित परिदृश्यों के संबंध में अत्यंत युक्तियुक्त मान्यताएँ हैं, तथापि दबाव परीक्षण के परिणाम यह संकेत करते हैं कि बैंकों के लिए

चलनिधि जोखिम के प्रबंध के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के साथ ही, अपनी आकस्मिकता चलनिधि योजनाओं की निरंतर निगरानी करने की आवश्यकता है। उक्त दबाव परीक्षण यह मानते हैं कि निधीयन के अंतरों की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध आस्तियाँ वे आस्तियाँ हैं जो एक वर्ष के भीतर परिपक्व हो रही हैं। फिर भी, चूँकि बैंक आपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का न्यूनतम 25 प्रतिशत एसएलआर प्रतिभूतियों में बनाए रखते हैं, अतः चब भी अतिरिक्त चलनिधि की आवश्यकता होगी, तब उसे जुटाना संभव होगा।

40. बैंकों का तुलन-पत्र के आकार की तुलना में तुलन-पत्र से बाहर (ओबीएस) की मदों के समकक्ष ऋण का अनुपात लगभग 3 प्रतिशत पर निम्न है। फिर भी ऐसे एक्सपोजर, विशेष रूप से वे जो मिश्रित (कांप्लेक्स) डेरिवेटिव्स से संबंधित हैं, कुछ ही विदेशी बैंकों में संकेंद्रित हैं जो चिंता का विषय हो सकता है।

41. बैंकिंग प्रणाली में गैर-बीमाकृत जमाराशियों की अत्यधिक वृद्धि भी निगरानी की अपेक्षा करती है। यह जमा बीमा को कम प्रभावी बना सकती है तथा प्रणाली पर इसका अस्थिर करनेवाला प्रभाव पड़ सकता है। एक ओर जहाँ जमा बीमा दावों के निपटान में प्रति-सहायता का महत्वपूर्ण तत्व रहा है, वहीं दूसरी ओर इस दौर में जोखिम-आधारित प्रीमियम प्रारंभ करना व्यवहार्य नहीं होगा।

सहकारी बैंक

42. भारत का सहकारी बैंकिंग क्षेत्र अनुमानतः बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों का 7 प्रतिशत है। पंजीयक, सहकारी समितियाँ एवं रिजर्व बैंक के बीच विनियामक नियंत्रण का दोहरापन सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण और विनियमन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। एक सीमा तक राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक के बीच किये गये सहमति ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से इसका समाधान किया गया है। जहाँ एक ओर शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति ने सुधार दर्शाया है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सहकारी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति एक चिंता का विषय बनी हुई है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

43. गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, संकट के घटित होने का प्रबंध प्रणालीगत समस्याएँ उत्पन्न किये बिना कर सका। यद्यपि पात्र जमा स्वीकार न करनेवाली प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) के लिए चलनिधि संबंधी अस्थायी संतुलनों को पूरा करने के लिए चलनिधि सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, तथापि इस पटल के माध्यम से इसका वास्तविक उपयोग अल्पतम रहा। तुलन-पत्रों की वृद्धि की गति में एक ज़ेय अवमंदन रहा है। फिर भी, तत्काल भविष्य में इस क्षेत्र को एएलएम संबंधी असंतुलनों की निगरानी और ऋण की गुणवत्ता की समस्या को हल करना होगा।

44. एक अन्य पहलू, जिसके लिए गहन निगरानी की आवश्यकता है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वित्तीय क्षेत्र की अन्य कंपनियों के बीच अंतर-संबद्ध प्रवाह हैं। जबकि एनबीएफसी को बैंकों के एक्सपोजर के लिए विवेकसम्मत रूप में एक उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है, एनबीएफसी और वित्तीय क्षेत्र में (विशेष रूप से पूँजी बाजार में) उनकी समूह संस्थाओं के बीच निधियों की आवाजाही अपेक्षाकृत रूप में उल्लेखनीय मानी जा सकती है। बैंकों, म्युचुअल फंडों, एनबीएफसी और इस क्षेत्र में विद्यमान अन्य संस्थाओं के बीच एक्सपोजरों की गहन और समग्र निगरानी प्रणालीगत जोखिमों के निर्माण को रोकने तथा विनियामक अंतरपणन के लिए अवसर प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

45. इस क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए अंतर्निहित जोखिमों के एक सशक्त मूल्यांकन के लिए प्रणालीगत तौर पर जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली एनबीएफसी के लिए पर्यवेक्षी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।

प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं का विनियमन

46. प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (भारत में ये वित्तीय संगुट -एफसी कही जाती हैं) के लिए एक निगरानी और पर्यवेक्षण का ढाँचा विद्यमान है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं संबंधी तकनीकी समिति जो एचएलसीसीएफएम का एक अंग है, को एफसी निगरानी व्यवस्था का अधीक्षण करने तथा एफसी डेटा के विश्लेषण से उत्पन्न होनेवाले सरोकारों के संबंध में मार्गदर्शन करने/निदेश देने एवं प्रधान विनियामकों के कब्जे में स्थित अन्य महत्वपूर्ण सूचना के आदान-प्रदान, जो संभवतः समग्र रूप में समूह से संबंधित हो, के लिए अंतर-विनियामक मंच के रूप में नामित किया गया है। वित्तीय समूहों के समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक अन्य क्षेत्रीय विनियामकों के साथ परामर्श कर वित्तीय समूहों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक संवर्धित ढाँचे का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में अग्रसर है।

केंद्रीय प्रतिपक्षी (सीसीपी)

47. केंद्रीय प्रतिपक्षी वित्तीय बाजारों के सुचारु कार्य-संचालन के लिए महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में एवं डेरिवेटिव बाजारों द्वारा उत्पन्न की गई प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए एक साधन के रूप में उभरे हैं। तथापि, समाशोधन गृह जोखिमों को अदृश्य नहीं करते। वे प्रतिपक्षी (काउंटर-पार्टी) जोखिमों के अपेक्षाकृत छोटे समूह के बड़े अंश को संचित करते हैं। ये संस्थाएँ अधिकाधिक प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण बाजार संस्थाएँ बन रही हैं तथा मजबूत जोखिम प्रबंध प्रणालियों के लिए अधिक दृढ़तापूर्वक इनको विनियमित करने की आवश्यकता है। उनकी पूँजी, मार्जिन-व्यवस्था और संपार्श्विक

अपेक्षाओं का मूल्यांकन एक विवेकपूर्ण और प्रणालीबद्ध स्थिरता के दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है।

लेखांकन का ढाँचा

48. वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप वित्तीय साधनों के मूल्यांकन और वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए नीतिगत प्रस्तावों ने अपेक्षाकृत अधिक महत्व प्राप्त किया है। वित्तीय साधनों की पहचान और माप का कार्य संभालनेवाले आइएसएस 39 को स्थानापन्न करने के लिए आइएसएसबी ने एक त्वरित कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके अलावा, आइएसएसबी और अमेरिकी एफएसएसबी, आइएफआरएस और अमेरिकी जीएपी के बीच अभिसरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

49. भारत में, आइसीएआइ ने 1 अप्रैल 2011 से आइएफआरएस के साथ भारतीय लेखाविधि के मानकों के अधिदेशात्मक अभिसरण की घोषणा की थी। तत्पश्चात् कंपनी कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2011 से प्रारंभ करते हुए एक चरणबद्ध तरीके से अदिदेशात्मक अभिसरण के लिए एक रूपरेखा घोषित की है। बैंकों और बीमा कंपनियों के अभिसरण के लिए एक अलग रूपरेखा तैयार की जा रही है। कौशल-उन्नयन के लिए सख्त अपेक्षाओं, सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) प्रणालियों में परिवर्तनों, संक्रमण की अवधि के दौरान समांतर लेखों के रखरखाव एवं कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं को देखते हुए भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए उक्त अभिसरण कार्यक्रम एक चुनौती हो सकता है।

अरक्षित कारपोरेट एक्सपोजर

50. ब्याज दर विभेदकों के साथ वर्तमान एक्सपोजर मानदंडों का परिणाम यह हुआ है कि कंपनियाँ ईसीबी जैसे वैकल्पिक निधीयन स्रोतों का अन्वेषण कर रही हैं। जबकि नीतिगत ब्याज दरों में भिन्नता के चलते ये निधीयन के अपेक्षाकृत सस्ते स्रोत प्रतीत होते हैं, इससे विनिमय दर और चलनिधि जोखिमों का सामना कंपनियों को करना पड़ता है तथा बैंकों के लिए यह ऋण जोखिम का स्रोत हो सकता है। अरक्षित कारपोरेट विदेशी मुद्रा एक्सपोजर ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिम का एक संभावित स्रोत बनाती है।

कानूनी अनिर्णीतता

51. भारतीय संदर्भ में कानूनी मुकदमों के निपटान में विलंब एक प्रमुख चिंता का विषय है, विशेष रूप से दिवालियेपन की कार्यवाही के मामले में। वास्तव में, वसूली दरों और समापन प्रक्रियाओं को पूरा करने के तौर पर विश्व बैंक की 'व्यवसाय निष्पादन रिपोर्ट' (डूइंग बिजनेस रिपोर्ट) में भारत एक बहिर्वासी के रूप में रह जाता है। स्पष्ट रूप से, इस संबंध में प्रमुख विधि-निर्माण की पहलें अपेक्षित हैं।

आंकड़ों की उपलब्धता

52. किसी भी स्थिरता के मूल्यांकन के कार्य में एक मुख्य आयाम उपयुक्त आंकड़ों की उपलब्धता है। वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों की एक बेहतर, अग्रदर्शी और लक्ष्यीकृत पहचान को सुसाध्य बनाने के लिए उपलब्ध आंकड़ा स्रोतों को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पहलें की जा रही हैं। एफएसबी के साथ मिलकर आइएमएफ ने इस संबंध में सिफारिशों का प्रारूप बनाया है, जो जाँच-पड़ताल के अधीन है।

53. भारत ने अपने आंकड़ा-प्रसार के मानकों के संवर्धन में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह उन देशों के पहले समूह में से है जिन्होंने आइएमएफ के विशेष आंकड़ा-प्रसार मानकों (एसडीडीएस) में अभिदान किया है। फिर भी, वित्तीय संस्थाओं की अंतर-सबद्धता, घर-परिवारों की ऋणग्रस्तता तथा वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर जैसे कुछ खंडों में आस्तिकी-कीमतों के संबंध में एक प्रणाली-आधारित डेटाबेस के क्षेत्र में आंकड़ों के अंतरों को पाटने की आवश्यकता है।

समापन टिप्पणी

54. सारांश के तौर पर, वैश्विक वित्तीय संकट के द्वारा भारत अपेक्षाकृत रूप में कम प्रभावित हुआ है तथा उसकी वित्तीय संस्थाएँ, बाजार और मूलभूत संरचना स्वस्थ और सुदृढ़ हैं। जबकि सशक्त विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों ने वित्तीय क्षेत्र की ताकत और आघात-सहनीयता को सुनिश्चित किया है, एक बार जब वैश्विक अशांति ने भारत की सीमा का स्पर्श किया था, तभी एकसाथ राजकोषीय, मौद्रिक और विवेकपूर्ण उपायों का उपयोग वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए किया गया। यह सहक्रियात्मक दृष्टिकोण इस तथ्य के साथ संबद्ध करते हुए कि रिजर्व बैंक दोनों मौद्रिक प्राधिकारी तथा बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और वित्तीय बाजारों के कुछ खंडों का विनियामक है, सरकार और रिजर्व बैंक एवं वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों के बीच सघन समन्वय के कारण संभव हो सका है।

55. तथापि, हाल की वित्तीय उथल-पुथल ने यह स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए लक्ष्य-प्राप्ति के प्रयास में आत्मसंतोष के लिए कोई स्थान नहीं है। विश्व में कहीं भी, किसी भी वित्तीय स्थिरता से कोई भी देश उन्मुक्त नहीं है। वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने में समझौताकारी समन्वयन (ट्रेड ऑफ) संबद्ध हैं तथा इससे अनेक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसके लिए निरंतर सतर्कता अपेक्षित है, विशेष रूप से अस्थिरता के किसी भी प्रारंभिक लक्षण को पहचानकर उसे कम करने के लिए 'शांति' के समय के दौरान इसकी आवश्यकता है। रिजर्व बैंक में एक वित्तीय स्थिरता इकाई की स्थापना तथा यह रिपोर्ट इस दिशा में केंद्रीय बैंक के प्रयासों का भाग है।

अध्याय I

परिचय

1.1 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने एक प्रतिमान अंतरण देखा है जिसे विश्व वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से देखता है। उक्त संकट से यह विदित हुआ कि वित्तीय स्थिरता और सुदृढ़ समष्टि-आर्थिक स्थितियों के परिदृश्य में भी वित्तीय अस्थिरता घटित हो सकती है। इससे यह भी पता चला कि एक अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता के लिए आशंका अन्य अर्थव्यवस्थाओं में भी बिखर सकती है तथा एक वैश्विक संकट के रूप में तेजी से फैल सकती है। अतः सार्वभौमिकृत विश्व में वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए दोनों राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर सशक्त संरचना अपेक्षित है।

वित्तीय स्थिरता - एक परिभाषा की तलाश में

1.2 यद्यपि यह अक्सर उद्धृत और व्यापक तौर पर प्रयुक्त वाक्यांश है, तथापि मूल्य स्थिरता की तुलना में वित्तीय स्थिरता की परिभाषा देना अथवा इसे मापना कठिन रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नीति-निर्धारक और विश्लेषक वित्तीय स्थिरता की परिभाषा एक सुस्पष्ट, मापनीय और व्यापक तरीके से देने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। एक समष्टि-विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से वित्तीय स्थिरता की परिभाषा एक ऐसी स्थिति के रूप में दी जा सकती है जिसमें वित्तीय क्षेत्र किसी अंतराल के बिना वास्तविक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है।

1.3 एक पुनरुत्थात्मक परिभाषा वित्तीय अस्थिरता का अभाव हो सकती है। उस अर्थ में वित्तीय स्थिरता अलग-अलग वित्तीय फर्मों की विफलता अथवा किसी प्रणालीगत दबाव की संभावना को रोकने और इसके द्वारा अर्थव्यवस्था से संबद्ध लागतों को सीमित करने के रूप में भली भाँति देखी जा सकती है। वित्तीय संकट आर्थिक एजेंटों, चाहे वे उपभोक्ता हों, निवेशक हों, सरकार हो अथवा वित्तीय मध्यस्थ हों, द्वारा अत्यधिक वित्तीय जोखिम उठाने के कारण उत्पन्न हो सकता है।

1.4 अतः वित्तीय स्थिरता का प्रबंध करने की कला के अंतर्गत न केवल वित्तीय प्रणाली के विभिन्न खंडों (अर्थात् वित्तीय संस्थाएँ, बाजार तथा भुगतान, निपटान और समाशोधन प्रणालियाँ) से जोखिमों के स्रोतों की पहचान और उनकी निगरानी एवं उन्हें एक प्रणालीगत संकट के रूप में तेजी से फैलने से पहले से ही अधिकृत तौर पर कार्रवाई करना, बल्कि सामान्य समय में भी एक सुदृढ़ वित्तीय परिवेश के लिए अनुकूल स्थितियाँ निर्मित करना भी सम्मिलित है। इसके लिए यह अपेक्षित है कि वित्तीय प्रणाली के सभी प्रधान खंड किसी भी स्वरूप और परिमाण के दोनों प्रत्याशित या अप्रत्याशित आघातों को सुचारु

रूप से अवशोषित करने एवं इसके द्वारा जोखिम के पर्याप्त कीमत-निर्धारण के माध्यम से बचतकर्ताओं से निवेशकों तक वित्तीय संसाधनों के एक कुशल पुनराबंटन को सुसाध्य बनाने के लिए संयुक्त रूप से सक्षम हों। इसके लिए किसी भी अवरोध अथवा बाहरी सहायता के बिना जनता के प्रति संविदागत दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की सक्षमता में जनता के विश्वास को सुरक्षित रखना भी अपेक्षित होगा। अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि वित्तीय स्थिरता का कार्य गतिशील होना चाहिए तथा इसे दोनों व्यष्टि-विवेकपूर्ण और समष्टि-विवेकपूर्ण विषयों से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि फर्मों और बाजारों के बीच अंतर-निर्भरताओं एवं अल्पकालिक निधीयन बाजारों तथा काउंटर पर डेरिवेटिव्स संविदाओं जैसे अन्य प्रतिपक्षी संबंधों के माध्यम से उत्पन्न होनेवाली संबद्धताओं में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को क्षति पहुँचाने की अंतःशक्ति रहती है।

1.5 अतः आदर्श रूप में वित्तीय अस्थिरता का प्रबंध करने के लिए प्रभावी ढाँचे के अंतर्गत आवश्यक तौर पर वित्तीय प्रणाली को बनानेवाली संस्थाओं, बाजारों और मूलभूत संरचनाओं की अलग-अलग और सामूहिक सशक्तता का निर्धारण, जोखिम और अस्थिरता के मुख्य स्रोतों की पहचान जो भविष्य में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर सकें एवं इन जोखिमों के उत्पन्न होने की स्थिति में संकट से निपटने की उसकी क्षमता के तौर पर वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता का मूल्यांकन सम्मिलित होना चाहिए। समग्र मूल्यांकन को तब यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या उपचारात्मक कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए प्रणालीगत जोखिम विश्लेषण के भाग के रूप में पूर्व चेतावनियाँ देने पर समय पर कार्रवाई की जाती है।

1.6 स्थिरता का ढाँचा नीतिगत साधनों में संभव प्रेषण अंतरालों में फैक्ट्रिंग द्वारा वित्तीय असंतुलनों के संभावित निर्माण, 'अज्ञात अज्ञातों' (अननोन अननोन्स) के संभावित परिणामों, तथा मॉडलिंग उपकरणों और दबाव परीक्षण अभ्यास की सीमाओं की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। तदनुसार उक्त ढाँचे को किसी संकट के अनुशीलन करने योग्य पूर्ववृत्तों, जैसे लीवरेज का प्रयोग, परिपक्वता के असंतुलन, चूक की दरें और आस्ति कीमत आधिक्यों (बबल्स) के प्रति एक्सपोजर का पता लगाने एवं तब उपयुक्त नीतियाँ बनाने में सक्षम होना चाहिए। कभी-कभी वित्तीय स्थिरता बाजार सहभागियों की प्रत्याशाओं/स्थिरता के अवबोधनों पर निर्भर रहती है; अतः देशी स्थिरता का पिछला रिकार्ड स्थापित करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

1.7 भारतीय संदर्भ में सारांश के तौर पर वित्तीय स्थिरता निम्नलिखित तत्वों को निगरानी के लिए सम्मिलित करती है :

- बाजार की प्रवृत्तियाँ जैसे ब्याज दरें, विनिमय दरें और आस्ति कीमतें;
- वित्तीय, कारपोरेट और घरेलू क्षेत्र के तुलन-पत्रों में लीवरेज का निर्माण;
- अर्थव्यवस्था के लिए संभावित आघातों को सहने के लिए दोनों संस्था और प्रणाली के स्तरों पर वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध प्रणालीगत प्रतिरोधक;
- वित्तीय क्षेत्र में अविनियमित बिंदुओं (नोड्स) के कार्यकलाप, जो औपचारिक विनियमित प्रणाली के साथ अपनी अंतरसंबद्धता के माध्यम से प्रणालीगत अस्थिरताओं को जन्म दे सकते हैं।

वैश्विक संकट और वित्तीय स्थिरता

1.8 बढ़ते हुए वैश्विक असंतुलन, अत्यधिक लीवरेज का निर्माण और वित्तीय मध्यस्थों में बेमेल स्थितियाँ, विनियामक और पर्यवेक्षी प्रणाली में कमजोरियाँ तथा वित्तीय नवोन्मेषणों से उत्पन्न किये जानेवाले वित्तीय उत्पादों में जटिलताएँ ऐसे कुछ प्रमुख तत्व रहे हैं जो वैश्विक संकट के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। उक्त संकट ने प्रणाली में जोखिम की सीमा के बारे में अभूतपूर्व आतंक और अनिश्चितता को प्रेरित किया जो समूची वित्तीय प्रणाली में अचानक और भारी विश्वासभंग में प्रतिबिंबित हुआ। जबकि बैंकों ने चलनिधि का संचय करने की प्रवृत्ति दर्शाई, ऋण, बांड और ईक्विटी बाजारों ने इसकी विपरीत परिस्थिति को देखा। अचानक सुरक्षा के लिए अधिमानता को देखते हुए सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफलों का अवपतन हो गया जबकि सभी बाजार खंडों में जोखिम-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर स्प्रेडों में उछाल आया। भारी अवनति (डीलीवरेजिंग) ने आस्ति-कीमतों को नीचे ढकेल दिया जिससे एक दुश्क्र का निर्माण हुआ। अनेक सम्मानित वित्तीय संस्थाएँ समाप्त होने के कगार पर पहुँच गईं। जबकि संकट का अधिकेंद्र अमेरिका से उत्पन्न होकर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में रहा, वह शीघ्र ही उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक क्षेत्र में व्याप्त हो गया तथा सहवर्ती तौर पर भौगोलिक रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में फैल गया और जल्दी ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया।

1.9 संकट के बाद विश्व में सभी देशों में केंद्रीय बैंकों के लिए वित्तीय स्थिरता एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में उभरी। न केवल अलग-अलग विनियामकों ने अपने संबंधित देशों में अनेक उपाय अपनाये, बल्कि समग्र रूप में वैश्विक समुदाय भी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार लाने और भविष्य में ऐसे संकटों को रोकने के लिए संगठित प्रयास करता रहा है।

वैश्विक पहलें

1.10 जी20 प्रमुखों से व्यापक बनाये गये अधिदेश के अंतर्गत वित्तीय स्थिरता मंच के एक वर्धित रूपांतर के तौर पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की स्थापना वैश्विक तौर पर वित्तीय स्थिरता का संवर्धन करने के लिए संकट के बाद की गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलों में से एक रही है। उक्त एफएसबी की स्थापना प्रभावी विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य वित्तीय क्षेत्र की नीतियों के कार्यान्वयन का विकास और संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों और अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों के कार्य का समन्वय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करने के उद्देश्य से की गई है (बॉक्स 1.1)।

अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय

1.11 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं सहित, बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस), वैश्विक वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (सीजीएफएस), प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन (आइओएससीओ), अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आइएएसबी), अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आइएआइएस) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय भी बदले हुए वैश्विक परिवेश के अनुरूप अपने वर्तमान मानकों और कूटों का संशोधन करने की प्रक्रिया में हैं।

1.12 अमेरिका में दी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स ने 2009 का वाल स्ट्रीट रिफार्म एण्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन अधिनियम पारित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक वित्तीय सेवा पर्यवेक्षण परिषद (*अंतिम विधि-निर्माण सेनेट में अभी चर्चाधीन है*)। इसी प्रकार यूके में वित्तीय स्थिरता के लिए एक परिषद हेतु एक प्रस्ताव है। इन परिषदों का लक्ष्य आवश्यक रूप से समूची वित्तीय प्रणाली में वित्तीय स्थिरता के लिए उभरती हुई जोखिमों की निगरानी और पहचान करने, विनियामक अंतरालों की पहचान करने तथा संभावित प्रणालीगत जोखिमों के प्रति एजेंसियों की प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के लिए एक अधिदेश सहित निगरानी और समन्वय करनेवाले निकायों के रूप में कार्य करना होगा।

1.13 दी यूरोपियन यूनियन ने लैरोसियर समूह की सिफारिशों के आधार पर एक यूरोपीय प्रणालीगत जोखिम बोर्ड (ईएसआरबी) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जो प्रणालीगत जोखिमों को रोकने अथवा उन्हें कम करने के लिए यूनियन के भीतर वित्तीय प्रणाली का समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होगा। उक्त ईएसआरबी के लिए सचिवालय यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। ईएसआरबी कानूनी हैसियत और बंधनकारी शक्तियों के साथ एक निकाय के रूप में परिकल्पित नहीं है, बल्कि एक परामर्शदात्री भूमिका

बॉक्स 1.1 : वित्तीय स्थिरता बोर्ड

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) वित्तीय प्रणाली की अनिश्चितताओं का समाधान करने एवं वित्तीय स्थिरता के हित में मजबूत विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियों के विकास और कार्यान्वयन का संचालन करने के लिए स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है। एफएसबी वित्तीय स्थिरता मंच (एफएसएफ) का उत्तरवर्ती है जिसकी स्थापना 1999 में एशियाई संकट के चलते जी-7 द्वारा की गई थी। एफएसबी विस्तृत की गई सदस्यता (मुख्य रूप से जी-20 से) के साथ स्थापित की गई है। एफएसएफ लगभग केवल विकसित वित्तीय केंद्रों पर केंद्रित है, जबकि एफएसबी अधिक व्यापक तौर पर प्रतिनिधित्व से युक्त है। एफएसएफ के पहले के अधिदेश को अब निम्नलिखित को सम्मिलित करने के लिए विस्तृत किया गया है :

- वैश्विक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करनेवाली अनिश्चितताओं का आकलन करना तथा उनका समाधान करने के लिए आवश्यक विनियामक, पर्यवेक्षी और संबंधित कार्रवाइयों और उनके परिणामों की समय पर और निरंतर आधार पर पहचान और समीक्षा करना;
- वित्तीय स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्राधिकरणों के बीच समन्वय का समर्थन और सूचना का आदान-प्रदान करना;
- बाजार की गतिविधियों और विनियामक नीतियों पर उनके अप्रत्यक्ष प्रभावों की निगरानी करना और उनके संबंध में परामर्श देना;
- विनियामक मानकों को पूरा करने में सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में परामर्श देना और उनकी निगरानी करना;
- अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों के नीतिगत विकास कार्य की संयुक्त युद्धनीतिगत समीक्षाएँ करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका

कार्य सामयिक, समन्वित, प्राथमिकताओं तथा अंतरों का समाधान करने पर केंद्रित है;

- पर्यवेक्षी महाविद्यालयों के लिए मार्गदर्शी निदेश निर्धारित करना, और उनकी स्थापना को समर्थन देना;
- सीमापार संकट के प्रबंध के लिए, विशेष रूप से प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण फर्मों के संबंध में, आकस्मिकता आयोजना का समर्थन करना;
- पूर्व चेतावनी अभ्यासों के संचालन के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के साथ सहयोग करना; तथा
- उसकी गतिविधियों के क्रम में तथा इस चार्टर के ढाँचे के भीतर सदस्यों द्वारा सहमत कोई भी अन्य कार्य करना।

एफएसबी के सदस्य अन्य बातों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों (12 मुख्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों और कूटों सहित) को कार्यान्वित करने एवं अन्य साक्ष्य के बीच आइएमएफ/विश्व बैंक की सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम रिपोर्टों का उपयोग करते हुए आवधिक समकक्ष समीक्षाएँ कराने के लिए सहमत हैं। एफएसबी प्लिनरी मुख्य निर्णायक निकाय है। तीन स्थायी समितियाँ अर्थात् अनिश्चितताओं के निर्धारण के लिए स्थायी समिति (एससीएवी), विनियामक और पर्यवेक्षी सहयोग के लिए स्थायी समिति (एससीआरएससी) एवं मानकों के कार्यान्वयन के लिए स्थायी समिति (एससीएसआइ) एफएसबी प्लिनरी को रिपोर्ट करती हैं। प्लिनरी के अधीन एक संचालन समिति एफएसबी के निदेशों को आगे ले जाने के लिए प्लिनरी बैठकों के बीच परिचालनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करती है तथा पूरे एफएसबी को सूचना के प्रभावी प्रवाह सुनिश्चित करती है।

स्रोत : एफएसबी।

के साथ अपेक्षाकृत एक ‘‘प्रतिष्ठात्मक’’ निकाय के रूप में परिकल्पित है जिससे यह अपेक्षा है कि वह अपने नैतिक प्राधिकार के द्वारा नीति निर्धारकों और पर्यवेक्षकों के कार्यों को प्रभावित करे।

1.14 विभिन्न देशों में उभरती हुई रूपरेखाओं के मुख्य पहलू निम्नानुसार हैं :

- (i) क्षेत्रीय विनियामकों के पास विहित एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से अलग-अलग फर्मों का पर्यवेक्षण;
- (ii) प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण संस्थाओं के पर्यवेक्षण में जहाँ पहले से नहीं हैं वहाँ केंद्रीय बैंकों की बृहत्तर संबद्धता;
- (iii) प्रणालीगत जोखिमों के प्रति प्रतिक्रिया की निगरानी और समन्वय करने के लिए सरकार/केंद्रीय बैंक/विनियामकों का एक मंडलीय निकाय - वित्तीय संस्थाओं की दिवालियेपन की जोखिम के अंतिम अवशेषक के रूप में सरकार की भूमिका हाल के संकट के दौरान प्रदर्शित की गई है;
- (iv) प्रणालीगत दृष्टि को ध्यान में रखने के लिए भी सभी विनियामकों के विनियामक अधिदेशों का नया स्वरूप।

केंद्रीय बैंक और वित्तीय स्थिरता

1.15 वैश्विक संकट के परिणाम के अंतर्गत, इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय स्थिरता आइएमएफ द्वारा सर्वेक्षण किये गये केंद्रीय बैंकों में से केवल तीन प्रतिशत के पास ही वास्तव में वित्तीय स्थिरता के लिए सुस्पष्ट कानूनी जिम्मेदारी है, वित्तीय स्थिरता केंद्रीय बैंकों में एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में उभरी है।

1.16 विश्व भर के केंद्रीय बैंकों के दो मुख्य उद्देश्य मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने से संबंधित हैं। एक ओर जहाँ मौद्रिक स्थिरता आम तौर पर एक सुस्पष्ट उद्देश्य है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय स्थिरता एक अंतर्निहित लक्ष्य है। दोनों मौद्रिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। मौद्रिक स्थिरता मजबूत निवेश और धारणीय संवृद्धि को समर्थन देती है जो फिर वित्तीय स्थिरता के लिए प्रेरक है। चूँकि बैंकों और उनकी प्रतिपक्षियों की दुर्बलता कीमतों के अस्थिर होने के समय बढ़ती की प्रवृत्ति दर्शाती है, अतः मौद्रिक स्थिरता के अनुसरण को वित्तीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण अंशदान के रूप में देखा जा सकता है। इसी प्रकार, वित्तीय स्थिरता का अनुरक्षण भी दीर्घावधि में मौद्रिक स्थिरता के लिए सहायक सिद्ध होता है।

1.17 केंद्रीय बैंक भी वास्तविक अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों एवं वित्तीय संस्थाओं के बीच संबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रणाली-व्यापी आधार पर जोखिमों का मूल्यांकन करते हैं। वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के संबंध में नीतिगत कार्यों के लिए इस प्रकार का मूल्यांकन आधार बनता है।

वित्तीय स्थिरता की रूपरेखा को मजबूत करने के लिए भारत की पहलें

1.18 भारतीय रिजर्व बैंक विगत 75 वर्षों से अपने विकास के द्वारा बहुविध क्षेत्रों में व्याप्त दायित्वों के साथ सही मायने में एक सर्वव्यापी, पूर्ण सेवा प्रदाता केंद्रीय बैंक के रूप में उभरा है। भिन्न-भिन्न समय पर पृथक् विधि-निर्माण के माध्यम से रिजर्व बैंक को सौंपे गये विभिन्न दायित्वों में अंतर्निहित एक व्यापक अधिदेश है जो वह सुनिश्चित करने के लिए है जिसे अब अंतरराष्ट्रीय तौर पर 'वित्तीय स्थिरता' के रूप में कहा जा रहा है।

1.19 वित्तीय स्थिरता का अनुसरण भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के केंद्रीय फलक के रूप में वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति की रिपोर्ट, 1992 (अध्यक्ष : श्री एम. नरसिंहम) की प्रस्तुति से उभरा है जिसने वित्तीय स्थिरता को तीव्र और टिकाऊ आर्थिक प्रगति के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में पहचाना। 2000 के बाद के प्रारंभिक वर्षों से वित्तीय स्थिरता को बनाये रखना कथित नीतिगत लक्ष्यों के एक भाग के रूप में रहा है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दोनों मौद्रिक और विनियामक नीतिगत उपायों का प्रयोग किया जा रहा है।

1.20 वित्तीय स्थिरता की भूमिका को अन्य बातों के साथ-साथ तीन प्रधान दृष्टिकोणों से पहचाना गया है :

- वित्तीय प्रणाली की स्थिरता का कीमत-स्थिरता और धारणीय वृद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है जो नीति के प्रधान लक्ष्यों को बनाते हैं।
- एक स्थिर वित्तीय प्रणाली मौद्रिक नीति के कार्यों के कुशल अंतरण को सुसाध्य बनाती है।
- विनियमन और पर्यवेक्षण के दृष्टिकोण से, जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करना तथा वित्तीय प्रणाली, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता को सुनिश्चित करना रिजर्व बैंक का अधिदेश है।

1.21 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक 1999 से वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) का संचालन संयुक्त रूप से कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों में वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता और आघात-सहनीयता का मूल्यांकन करना है। भारत 2001 में एक एफएसएपी में भाग लेनेवाला सबसे पहले वालंटियरों में एक रहा है तथा वह तब से आइएमएफ/विश्व बैंक द्वारा किये जा रहे मानकों और कूटों के स्वतंत्र

मूल्यांकनों के साथ भी संबद्ध रहा है। उसने 2002 में अंतरराष्ट्रीय मानकों और कूटों के अनुपालन का एक स्व-मूल्यांकन संचालित किया तथा एक अन्य समीक्षा 2004 में की। एफएसएपी और स्व-मूल्यांकनों में भारत के अनुभव के आधार पर सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके भारत के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक स्व-मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति (सीएफएसए) का गठन किया। उक्त सीएफएसए, जिसने अपनी रिपोर्ट मार्च 2009 में प्रस्तुत की, ने भारत में वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन किया है तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मानकों और कूटों के अनुपालन का भी मूल्यांकन किया है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की आवश्यकता

1.22 सामान्यतः वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें (एफएसआर) का उद्देश्य किसी भी असुरक्षितता, जो संभावित तौर पर वित्तीय प्रणाली में किसी संकट के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है, की पहचान प्रारंभिक स्तर पर ही करना तथा ऐसी असुरक्षितताओं के समाधान के लिए नीतिगत उपायों की सिफारिश करना है। कई केंद्रीय बैंक वर्तमान में एफएसआर के माध्यम से अपनी वित्तीय प्रणालियों की स्थिरता का आकलन करते हैं। दी बैंक ऑफ इंग्लैंड और दी स्वेडिश रिक्सबैंक, स्वीडन सबसे पहले के ऐसे केंद्रीय बैंकों में से थे जिन्होंने 1997 में एक एफएसआर प्रारंभ की थी। वैश्विक स्तर पर आइएमएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ भी वैश्विक वित्तीय स्थिरता के संबंध में आवधिक रिपोर्टें प्रकाशित करती हैं। वित्तीय स्थिरता के संबंध में सूचना देना जनता की समझ को बढ़ावा देने एवं वित्तीय स्थिरता के बारे में जागरूकता निर्मित करने के लिए महत्वपूर्ण होने रूप में देखा जा सकता है तथा इसे इस प्रक्रिया में उस भूमिका के रूप में समझा जा सकता है जिसे केंद्रीय बैंक अदा कर सकता है। संकट के समय एक एफएसआर के माध्यम से प्रस्तुत सूचना और विश्लेषण भी अनिश्चितता को नियंत्रित करने एवं प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं।

1.23 भारत में जहाँ एक ओर संस्था के फोकस से युक्त व्यष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण सुस्पष्ट रूप में किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर समष्टि-विवेकपूर्ण प्रणालीगत विषयों को समाविष्ट करते हुए वित्तीय स्थिरता के लिए उपाय एक अधिक अंतर्निहित तरीके से सुनिश्चित किये गये हैं। वित्तीय स्थिरता के बढ़ते हुए और निर्णायक महत्व को देखते हुए इस रिपोर्ट के साथ प्रारंभ करते हुए, रिजर्व बैंक से निकलनेवाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्टें (एफएसआर) संभावित जोखिमों और अनिश्चितताओं पर फोकस के साथ वित्तीय स्थिरता के संबंध में रिजर्व बैंक का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगी।

1.24 यह प्रतीत हो सकता है कि एफएसआर की विषय-वस्तु समष्टि-आर्थिक स्थितियों और वित्तीय प्रणाली पर रिजर्व बैंक की अन्य रिपोर्टों का अतिव्यापन करती है। परंतु यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त

सावधानी बरती गई है कि एफएसआर एक भिन्न फोकस अर्थात् ऐसी जोखिमों के परिमाण और निहितार्थों के आकलन से युक्त हो जिनका प्रभाव समग्र वित्तीय प्रणाली और अंततः अर्थव्यवस्था पर होगा। ऐसा करने से यह आशा की जाती है कि एफएसआर पारदर्शिता को बढ़ाएगी और वित्तीय प्रणाली में विश्वास का संवर्धन करेगी।

1.25 वर्तमान वैश्विक और देशी समष्टि-आर्थिक परिवेश की पृष्ठभूमि में यह रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के तीन प्रमुख खंडों अर्थात् वित्तीय बाजारों, वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय मूलभूत संरचना की शक्ति और आघात-सहनीयता का परीक्षण करती है। वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने और उसे मजबूत करने के लिए वैश्विक संकट से पहले और उसके बाद भारत में किये गये विभिन्न उपाय एवं वित्तीय स्थिरता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण अध्याय II में प्रस्तुत किये गये हैं। अध्याय III - समष्टि-आर्थिक परिवेश हाल की वैश्विक और देशी घटनाओं से उत्पन्न होनेवाली

समष्टि-आर्थिक जोखिमों का एक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है जिनका वित्तीय स्थिरता के लिए निहितार्थ हैं। अध्याय IV - वित्तीय बाजार विभिन्न वित्तीय बाजारों में प्रगति का विश्लेषण करता है। प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों की सुदृढ़ता और स्थिरता की चर्चा अध्याय V - वित्तीय संस्थाएँ में की गई है। विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना, रक्षा कवचों, भुगतान और निपटान प्रणालियों और व्यवसाय की निरंतरता की तैयारी सहित वित्तीय मूलभूत संरचना से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा अध्याय VI - वित्तीय क्षेत्र नीतियाँ और मूलभूत संरचना में की गई है। अध्याय VII - दबाव परीक्षण और आघात-सहनीयता ऋण, बाजार और चलनिधि जोखिमों के लिए दबाव परीक्षणों के संचालन के माध्यम से काल्पनिक दबाव की संभावनाओं के प्रति वाणिज्य बैंकों की आघात-सहनीयता की जाँच-पड़ताल करता है।

अध्याय II

वित्तीय स्थिरता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण

भारत में वित्तीय स्थिरता का अनुसरण सुस्पष्ट अधिदेशों और संस्थागत व्यवस्थाओं से अधिक विनियामक दृष्टिकोण और अभिमुखीकरण का विषय रहा है। यह दृष्टिकोण पिछले अनुभवों एवं व्यक्ति-स्तरीय पर्यवेक्षी प्रक्रिया और समष्टि-आर्थिक आकलनों के बीच निरंतर पारस्परिक प्रभाव से विकसित हुआ है। मुख्य बाजारों - सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और मुद्रा बाजार - का विकास एक बड़े राजकोषीय घाटे समष्टि-आर्थिक अनिवार्यताओं, एक पूँजी खाता प्रबंध के ढाँचे और इन बाजारों में बैंकों की प्रधानता को देखते हुए इनके संदर्भ में किया गया है। बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण ढाँचे का उपयोग प्रणालीगत जोखिमों का समाधान करने के लिए भी एक साधन के रूप में किया गया है। अंतर-विनियामक समन्वय के लिए वित्तीय बाजारों संबंधी एक उच्च-स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफएम) के रूप में एक संस्थागत ढाँचा विद्यमान है।

भूमिका

2.1 वित्तीय स्थिरता 1990 के बाद के वर्षों में पूर्वी एशियाई संकट के परिणामस्वरूप केंद्र में आया है तथा विश्व भर में केंद्रीय बैंकों को एक सुस्पष्ट अथवा अंतर्निहित लक्ष्य के रूप में इसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हाल की घटनाओं ने एक बार फिर वित्तीय स्थिरता के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है। संकट के अनेक पाठों में से एक सीख यह रही है कि वित्तीय स्थिरता को मानकर नहीं चला जा सकता तथा यह कि मूल्य और समष्टि-आर्थिक स्थिरता के विद्यमान रहते हुए भी यह जोखिम से ग्रस्त हो सकती है।

2.2 भारतीय संदर्भ में मौद्रिक नीति के प्रति बहुविध संकेतक दृष्टिकोण एवं विवेकपूर्ण वित्तीय क्षेत्र प्रबंध ने वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित किया है। वित्तीय बाजारों के विकास के द्वारा वित्तीय प्रणाली के उदारीकरण की गति और सघनता में तेजी आने के बावजूद वित्तीय संस्थाएँ और वित्तीय मूलभूत संरचना, जो कि वित्तीय स्थिरता को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक समर्थन देनेवाली हैं, दृष्टि से ओझल नहीं हुईं। यह मौद्रिक प्राधिकारी एवं बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और मुख्य वित्तीय बाजारों के विनियामक के रूप में रिजर्व बैंक की दुहरी भूमिकाओं के बीच सहक्रियाओं के कारण संभव हुआ।

2.3 इस अध्याय का पहला खंड हाल के वैश्विक संकट के प्रारंभ से पहले रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों को प्रस्तुत करता है जो अभूतपूर्व वैश्विक उथल-पुथल के बीच भी देश में वित्तीय स्थिरता के अनुसंधान को सुनिश्चित करने में सहायक थे। अगले खंड में भौगोलिक रूप से विभिन्न देशों में तथा वास्तविक और वित्तीय क्षेत्रों के बीच उक्त संकट की संक्रामकता के व्याप्त होने के बावजूद वित्तीय स्थिरता की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए भारत में किये गये ढेर सारे मौद्रिक, विनियामक और राजकोषीय उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। पहले ही किये गये इन उपायों ने वित्तीय प्रणाली में विश्वास को पुनः

कायम करने में सहायता की और देशी संवृद्धि पर उक्त उथल-पुथल के प्रभाव को सीमित कर दिया।

2008 से पूर्व प्रारंभ किये गये उपाय

2.4 संस्थाओं और बाजारों के लिए भारत में विवेकपूर्ण नीतिगत ढाँचा वर्षों से विकसित हुआ है। उभरती हुई जोखिमों के प्रतिक्रियास्वरूप किये गये अपरंपरागत उपायों के संबंध में अब व्यापक तौर पर यह स्वीकार किया जा रहा है कि इन्होंने मुख्य असुरक्षितताओं से भारतीय वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

2.5 वित्तीय स्थिरता रिजर्व बैंक की संविधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत सुस्पष्ट रूप से बताया गया उद्देश्य नहीं है। फिर भी, विशेष रूप से 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वित्तीय क्षेत्र सुधारों को लागू करने से लेकर रिजर्व बैंक ने प्रणाली में वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं। जिन सिद्धांतों को अब अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकार किया जा रहा है, उनके आधार पर अनेक उपाय संकट से काफी पहले ही भारत में प्रारंभ किये जा चुके थे।

2.6 इनमें से कुछ उपायों की रूपरेखा नीचे दी जा रही है जो एक व्यापक कार्यक्षेत्र को समाविष्ट करते हैं, अर्थात् मौद्रिक नीति का कार्यान्वयन, पूँजी खाते का प्रबंध, विनियामक आधारभूत संरचना और प्रणालीगत अंतर-संबद्धता का प्रबंध, विवेकपूर्ण ढाँचा और वित्तीय बाजार की मूलभूत संरचना को सुधारने के लिए पहलें।

मौद्रिक उपाय

2.7 कुछ देशों के द्वारा अपनाये गये 'एक उद्देश्य, एक साधन' के न्यूनतमवादी फार्मूले के विपरीत रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का संचालन

बहुविध उद्देश्यों और बहुविध साधनों से नियंत्रित रहा है। सामान्यतः तीन मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता, वृद्धि और वित्तीय स्थिरता रहे हैं, जिनकी प्राथमिकता इन उद्देश्यों में से समष्टि-आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर समय-समय पर परस्पर परिवर्तित होती रही है। अग्रदर्शी संकेतकों द्वारा संवर्धित, मौद्रिक नीति के प्रति व्यापक आधार वाली उपयोगिता विशेष रूप से अनिश्चित आर्थिक परिवेशों में अपरिमित है। मौद्रिक नीति के संचालन में अनेक समष्टि-आर्थिक संकेतकों की निगरानी ने अस्तित्व बाजार गतिविधियों का अर्थ लगाने में तथा आम तौर पर वर्षों से आर्थिक और वित्तीय नीति को आकार प्रदान करने में रिजर्व बैंक की सहायता की है। मौद्रिक नीति के निर्माण में परामर्शदात्री प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए मौद्रिक नीति संबंधी एक तकनीकी सलाहकार समिति की स्थापना द्वारा इसे आगे और सुसाध्य बनाया गया।

पूँजी खाते का प्रबंध

2.8 भारत में पूँजी खाते के उदारीकरण ने एक सुपरिभाषित और नपे-तुले दृष्टिकोण का अनुसरण किया है। इसके साथ ही, विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में बड़े पूँजी प्रवाहों के दौरान पूँजी खाते का सक्रिय प्रबंध किया गया है। विदेशी मुद्रा बाजार में मापे गए हस्तक्षेपों के चलनिधि संबंधी निहितार्थों का प्रबंध आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) के विवेकपूर्ण उपयोग और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस)¹ द्वारा किया गया। पूँजी खाते के प्रबंध को घरेलू ऋण बाजारों में विदेशी संस्थाओं के प्रवेश के संबंध में तथा देशी कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा उधारों पर विवेकपूर्ण रक्षोपाय लागू करने के माध्यम से पुष्ट किया गया।

2.9 भारत के सरकारी और कंपनी बांड बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जो राशियाँ निवेश की जा सकती हैं उनपर एक उच्चतम सीमा (वर्तमान में क्रमशः 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर) एवं अनिवासी जमाराशियों के लिए नीतिगत ढांचे और ईसीबी पूँजी खाते के प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण साधन हैं।

अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन

2.10 प्रारंभ से ही भारत ने वित्तीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथा के मानकों को प्राप्त करने का संकल्प किया है, परंतु प्रयास तो अंतर्निहित संरचनात्मक, संस्थागत और परिचालनगत विचारों को ध्यान में रखते हुए सही तालमेल बनाये रखने का रहा है। बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन के प्रति व्यापक तौर पर स्वच्छ रखने के दृष्टिकोण की अप्रत्याशित स्थितियों

को स्वीकार करते हुए, जिसका प्रमाणक उसकी विषमता है, रिजर्व बैंक द्वारा एक बहुविध कार्यनीति अपनाई गई है। उदाहरण के लिए, वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता के मानदंडों की सख्ती के विभिन्न स्तर निर्धारित करते हुए एक त्रि-स्तरीय दृष्टिकोण को अपनाया गया है।

विनियामक मूलभूत संरचना और प्रणालीगत अंतरसंबद्धता

2.11 वैश्विक वित्तीय संकट से भारत के अपेक्षाकृत रूप से अप्रभावित रहने का एक कारण उसकी सुविकसित विनियामक और वित्तीय मूलभूत संरचना रही है। देश में विभिन्न विनियामक संस्थाओं का कानूनी समर्थन सुपरिभाषित है। वित्तीय प्रणाली का विषम स्वरूप भी भली भाँति स्वीकार किया गया है।

2.12 भारतीय संदर्भ में वित्तीय स्थिरता के लिए जिसने एक प्रणालीगत लाभ और सुदृढ़ मॉडल उपलब्ध कराया है, वह यह है कि रिजर्व बैंक बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए विनियामक है और इसके साथ-साथ इसे मुख्य वित्तीय बाजारों अर्थात् मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और ऋण बाजार का विनियमन भी प्रदत्त है जिसमें बैंक प्रधान खिलाड़ी हैं। अतः बैंकों और वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के बीच अंतरसंबद्धता की सरणियाँ रिजर्व बैंक की विनियामक परिधि के भीतर हैं।

2.13 वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण के प्रति एक समन्वित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की दिशा में वित्तीय बाजारों संबंधी एक उच्च-स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफएम) 1992 से कार्यरत है जिसके अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं तथा वित्तीय सचिव, भारत सरकार एवं अन्य विनियामक प्राधिकरणों, जैसे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के प्रमुख इसके सदस्य हैं। रिजर्व बैंक, सेबी और आइआरडीए द्वारा विनियमित संस्थाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए एचएलसीसीएफएम के अंतर्गत अलग-अलग उप समितियाँ हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं संबंधी उप समिति को विशेष रूप से यह अधिदेश दिया गया है कि वह वित्तीय समूहों की निगरानी का कार्य करे। उपर्युक्त उप समितियों के अतिरिक्त, बैंकिंग विनियमन और पूँजी बाजार विनियमों को सुव्यवस्थित रखने के लिए एक रिजर्व बैंक-सेबी तकनीकी समिति है।

¹ बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) बांड पूँजी प्रवाहों का प्रबंध करने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक के बीच सक्रिय समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 2006-08 में विपुल पूँजी प्रवाहों के प्रभाव को स्थिरीकृत करने के लिए बाजार स्थिरीकरण बांड जारी किये गये थे। इन निर्गमों से प्राप्त राशि रिजर्व बैंक के पास रखे गये सरकार के खाते में अवरुद्ध रखी जाएगी। सरकार के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) द्वारा इस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया जिसे सार्वजनिक पहुँच में रखा गया। जब उक्त प्रवाह 2008 की अंतिम तिमाही के दौरान उलट गये, तब प्रणाली में चलनिधि की आपूर्ति करने के लिए एमएसएस बांडों को अपने अधिकार से मुक्त करने (डीसिक्वेस्ट्रिंग) और वापसी खरीद के माध्यम से इन उपायों को वापस लिया गया।

2.14 रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की दो अलग-अलग समितियाँ अर्थात् वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) एवं भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड (बीपीएसएस) क्रमशः रिजर्व बैंक तथा भुगतान और निपटान मूलभूत संरचना द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थाओं के फोकस युक्त विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।

विवेकपूर्ण ढाँचा

2.15 एक प्रणालीगत दृष्टिकोण से रिजर्व बैंक बैंकिंग प्रणाली की जोखिमों का समाधान करने के लिए विभिन्न समष्टि और व्यष्टि-विवेकपूर्ण उपायों का कार्यान्वयन करता रहा है। प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीएस-एनडी-एसआइ) के मामले में पूँजीगत अपेक्षाओं, एक्सपोजर मानदंडों, चलनिधि प्रबंध, आस्ति-देयता प्रबंध और रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के रूप में एक क्रमिक रूप से नपे-तुले विनियामक ढाँचे को लागू किया गया है जिसने उनकी लीवरेज की क्षमता और विनियामक अंतरपणन की गुंजाइश को सीमित कर दिया है।

एक्सपोजर के मानदंड

2.16 बेहतर जोखिम प्रबंध के तथा ऋण जोखिमों के संकेंद्रण से बचने के उद्देश्य से एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में रिजर्व बैंक ने पूँजी बाजार को एवं व्यक्तिगत और सामूहिक उधारकर्ताओं को बैंक एक्सपोजर के संबंध में बैंक की पूँजी के संदर्भ में सीमाएँ निर्धारित की हैं। अंतर-बैंक एक्सपोजरों के संबंध में भी सीमाएँ तय की गई हैं (सारणी 2.1)। इसके साथ ही, बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है कि वे अपने क्षेत्रीय एक्सपोजरों, वाणिज्यिक स्थावर संपदा को अपने एक्सपोजर के संबंध में तथा अरक्षित एक्सपोजरों के संबंध में आंतरिक रूप से उच्चतम सीमाएँ रखें। रिजर्व बैंक द्वारा इन एक्सपोजरों की गहन निगरानी की जाती है। गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों के संबंध में उच्चतम सीमाएँ तथा श्रेणीकृत न की गई गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश पर निषेध इस उद्देश्य से लागू किये गये हैं कि ऐसी प्रतिभूतियों में एक्सपोजर को सीमित किया जा सके जिनके संबंध में उच्चतर जोखिम है। प्रणालीगत अंतरसंबद्धता का समाधान एनबीएफसी और संबंधित संस्थाओं को बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के द्वारा किया गया है। शेयरों की संपार्श्विक जमानत पर अथवा पूँजी बाजार के मध्यस्थों को आगे उधार देने के लिए वित्तपोषण सहित कुछ प्रयोजनों के लिए एनबीएफसी को बैंकों के वित्तपोषण पर प्रतिबंध इसलिए बनाये गये हैं ताकि बैंकों की वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों में विनियामक उद्देश्य के निवारण अथवा उसकी क्षति को रोका जा सके।

प्रति-चक्र्रीय उपाय

2.17 2004 से प्रारंभ हुए विस्तारकारी चरण के दौरान चक्रियता के अनुकूल प्रवृत्तियों का प्रतिरोध करने के लिए रिजर्व बैंक विभिन्न उपाय करता रहा है। कुछ क्षेत्रों में उच्च ऋण वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव तथा विभिन्न अवसरों पर बैंकों के तुलन-पत्रों के संबंध में आस्ति-कीमत उतार-चढ़ाव को पहले से अधिकार-प्राप्त प्रति-चक्र्रीय प्रावधानीकरण और कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विभेदीकृत जोखिम-भारों के माध्यम से नियंत्रित किया गया। प्रति-चक्र्रीय उपाय के रूप में वैश्विक संकट के परिणामस्वरूप इनमें से कुछ उपायों को शिथिल कर दिया गया। वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण में तत्पश्चात् हुई बड़ी वृद्धि एवं इस क्षेत्र में पुनःसंचित सीमा के आलोक में इस क्षेत्र के लिए प्रावधानीकरण की अपेक्षा को बढ़ाया गया। प्रति-चक्र्रीय प्रावधानीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सितंबर 2010 के अंत तक अपने प्रावधानीकरण की व्याप्ति का कम से कम 70 प्रतिशत तक संवर्धन करें (बॉक्स 2.1)।

चलनिधि प्रबंध

2.18 बैंकों के लिए सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) की अपेक्षा बैंकों की दोनों चलनिधि और शोधक्षमता के लिए आघात से बचानेवाले फ़क सुरक्षित भंडार के रूप में कार्य करता है। चलनिधि जोखिमों के प्रबंध के लिए आस्ति-देयता प्रबंध की शर्तें रखी गई हैं।

सारणी 2.1 : वाणिज्य बैंकों के लिए एक्सपोजर के मानदंड

एक्सपोजर प्राप्तकर्ता	सीमा
1. एकल उधारकर्ता	पूँजी निधि का 15 प्रतिशत (मूलभूत संरचना एक्सपोजर पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत)
2. समूह उधारकर्ता	पूँजी निधि का 40 प्रतिशत (मूलभूत संरचना एक्सपोजर पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत)
3. एनबीएफसी	पूँजी निधि का 10 प्रतिशत
4. एनबीएफसी - एएफसी	पूँजी निधि का 15 प्रतिशत
5. भारतीय संयुक्त उद्यम/विदेश में पूर्णतः स्वामित्व प्राप्त सहायक संस्थाएँ/भारतीय कंपनियों की समुद्रपार अवमंदक (स्टेप डाउन) सहायक संस्थाएँ	पूँजी निधि का 20 प्रतिशत
6. पूँजी बाजार एक्सपोजर	
(क) किसी भी कंपनी में बैंकों की शेयरों की धारिता	कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी का 30 प्रतिशत अथवा बैंकों की प्रदत्त पूँजी का 30 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो
(ख) पूँजी बाजार में बैंकों का कुल एक्सपोजर (एकल आधार)	उसकी निवल मालियत का 40 प्रतिशत
(ग) पूँजी बाजार में बैंकों का कुल एक्सपोजर (सामूहिक आधार)	उसकी समेकित निवल मालियत का 40 प्रतिशत
(घ) पूँजी बाजार में बैंकों का प्रत्यक्ष एक्सपोजर (एकल आधार)	निवल मालियत का 20 प्रतिशत
(ङ) पूँजी बाजार में बैंकों का प्रत्यक्ष एक्सपोजर (सामूहिक आधार)	समेकित निवल मालियत का 20 प्रतिशत
7. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बीच पूँजी की सकल धारिता	पूँजी निधि का 10 प्रतिशत

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

बॉक्स 2.1 : प्रतिचक्र्रीय विवेकपूर्ण विनियम - भारतीय अनुभव

वित्तीय संस्थाएँ सामान्यतः अपने कार्यकलापों में चक्र्रीयता के अनुकूल तरीके से व्यवहार करने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। कुछ विवेकपूर्ण विनियामक उपाय भी बैंकों के चक्र्रीयता के अनुकूल व्यवहार में अंशदान करते हैं। अतः वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए प्रति-चक्र्रीय उपायों की अपेक्षा होगी। गतिशील प्रावधानीकरण, लीवरेज अनुपात, पूँजी बीमा, प्रति-चक्र्रीय पूँजी प्रतिरोधक, समय की विभिन्नता वाली पूँजी की अपेक्षाएँ साहित्य में सामान्यतः चर्चित कुछ प्रतिचक्र्रीय विवेकपूर्ण उपाय हैं।

अंतरराष्ट्रीय तौर पर वैश्विक संकट के बाद एफएसबी, बीसीबीएस, सीजीएफएस, आइएएसबी और एफएसबी जैसे संगठन प्रतिचक्र्रीय प्रावधानीकरण सहित चक्र्रीयता की अनुकूलता को कम करने के लिए उपायों के संबंध में कार्य कर रहे हैं। भारत ने संकट के पहले ही तीव्र ऋण वृद्धि की अवधि के दौरान विशिष्ट

प्रावधानीकरण के संबंध में नीचे दी गई सारणी में दर्शाये अनुसार विभिन्न अवसरों पर वृद्धि को प्रेरणा मिली। वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल के बाद पहले के कुछ प्रतिचक्र्रीय उपायों को सारणी में दर्शाये अनुसार उलट दिया गया। उदाहरण स्वरूप, वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर पर जोखिम भारों को जुलाई 2005 में 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 किया गया। वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण में लगातार तीव्र विस्तार के चलते मई 2006 में इस क्षेत्र को एक्सपोजर पर जोखिम भार को बढ़ाकर 150 प्रतिशत किया गया। नवंबर 2008 में गिरावट की प्रवृत्ति का प्रतिरोध करने के लिए एक और प्रतिचक्र्रीय उपाय के रूप में मानक वाणिज्यिक स्थावर संपदा अग्रिमों पर प्रावधानीकरण, जिसे 0.25 प्रतिशत से स्तरों में बढ़ाकर 2.00 प्रतिशत किया गया था, को 0.40 प्रतिशत तक नीचे लाया गया। वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर पर जोखिम भार भी घटाकर 100 प्रतिशत किया गया।

विनियामक प्रतिचक्र्रीय उपाय

दिनांक	पूँजी बाजार		आवास		अन्य फुटकर		वाणिज्यिक स्थावर संपदा		एनबीएफसी - एनडी-एसआइ	
	जोखिम भार	प्रावधान	जोखिम भार	प्रावधान	जोखिम भार	प्रावधान	जोखिम भार	प्रावधान	जोखिम भार	प्रावधान
दिसं.-04	100	0.25	75	0.25	125	0.25	100	0.25	100	0.25
जुला.-05	125	0.25	75	0.25	125	0.25	125	0.25	100	0.25
नव.-05	125	0.40	75	0.40	125	0.40	125	0.40	100	0.40
मई.-06	125	1.00	75	1.00	125	1.00	150	1.00	100	0.40
जन.-07	125	2.00	75	1.00	125	2.00	150	2.00	125	2.00
मई.-07	125	2.00	50-75	1.00	125	2.00	150	2.00	125	2.00
मई.-08	125	2.00	50-100	1.00	125	2.00	150	2.00	125	2.00
नव.-08	125	0.40	50-100	0.40	125	0.40	100	0.40	100	0.40
नव.-09	125	0.40	50-100	0.40	125	0.40	100	1.00	100	0.40

स्रोत : भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 2008-09, वार्षिक नीति वक्तव्य।

क्षेत्रों में जोखिम भारों और प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं में नपी-तुली वृद्धि के माध्यम से एक प्रतिचक्र्रीय दृष्टिकोण को अपनाया था। इसका उद्देश्य उन संवेदनशील आस्ति वर्गों के लिए बैंकिंग क्षेत्र के एक्सपोजर को नियंत्रित करना था।

ऋण की गुणवत्ता के बारे में चिंताओं के अतिरिक्त आस्ति संबंधी अवांछित वृद्धि (बबल) की संभावना का प्रतिरोध करने से कुछ क्षेत्रों में बैंकों के एक्सपोजरों पर जोखिम भार एवं उन क्षेत्रों में मानक आस्तिओं पर

प्रावधानीकरण की सुरक्षा में सुधार लाने एवं अलग-अलग बैंकों की सुदृढ़ता को बढ़ाने के उद्देश्य से अक्टूबर 2009 में यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके प्रावधानों की सुरक्षा का अनुपात (जिसमें अनर्जक आस्तियों की तुलना में विशिष्ट प्रावधान और अस्थायी प्रावधान शामिल हैं) सितंबर 2010 के अंत तक 70 प्रतिशत से कम न हो। यह शर्त एक प्रतिचक्र्रीय प्रावधानीकरण नीति का भाग है जिस पर कार्य प्रगति पर है। अंतिम नीति प्रावधानीकरण के प्रतिरोधकों के निर्माण और उनके उपयोग से संबंधित होगी।

चलनिधि जोखिम की अधिक कनीदार निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए हाल के वर्षों में इन शर्तों में सुधार किया गया है। साथ ही, निधीयन और बाजार की चलनिधि पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलनिधि अनुपातों की निगरानी एक निरंतर आधार पर की जाती है।

2.19 वित्तीय स्थिरता के संदर्भ में बहुत अल्पावधि पर चलनिधि जोखिमों के महत्व को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक ने प्रणालीगत एवं संस्थागत स्तर पर इन जोखिमों को कम करने के लिए शीघ्र उपाय किये थे। इस संदर्भ में चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) को लागू करने से मुद्रा बाजार में स्थिरता का अनुरक्षण सुसाध्य हो सका।

सभी संस्थाओं को अरक्षित एक दिन की (ओवरनाइट) बाजार निधियों तक पहुँच की अनुमति देने की जोखिमों को पहचाना गया तथा इसे केवल बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) तक सीमित रखने के लिए उपाय किये गये। असंपार्श्विकीकृत मुद्रा बाजार से अन्य सहभागियों को चरणबद्ध रूप में निकालकर बाहर करना सुसाध्य हो, इसके लिए रेपो बाजार - दोनों द्विपक्षीय रेपो एवं संपार्श्विकीकृत उधार और ऋण देने की बाध्यताएँ (त्रिपक्षीय रेपो का एक रूप) -को विकसित किया गया। 2005 से एक दिन की माँग मुद्रा बाजार विशुद्ध रूप से एक अंतर-बैंक बाजार रहा है।

2.20 निवल मालियत (नेट वर्थ) के संबंध में अरक्षित माँग मुद्रा बाजार में बैंक और प्राथमिक व्यापारी जिस सीमा तक उधार ले सकते हैं तथा उधार दे सकते हैं, उसका समाधान करने के लिए विवेकपूर्ण उपाय लागू किये गये। 'खरीदी गई अंतर-बैंक देयताओं' (आइबीएल) के संबंध में, प्रणालीगत समस्याएँ निर्मित करने में ऐसी देयताओं की संभाव्यता को देखते हुए सीमाएँ लागू करने के लिए भी इसी प्रकार के उपाय किये गये।

वित्तीय बाजार संबंधी उपाय

2.21 सांविधिक रूप से रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा, ऋण, मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों एवं ओटीसी ब्याज दर बाजारों, जिनमें तत्संबंधी डेरिवेटिव्स शामिल हैं, पर विनियामक अधिदेश प्राप्त है। साधनों, उत्पादों और सहभागियों के तौर पर इन वित्तीय बाजारों को सघन बनाने के लिए व्यापक उपाय किये गये। विनिमय व्यापार किये गये मुद्रा और ब्याज दर उत्पादों के निपटान के निष्पादन के लिए कार्यविधियाँ सेबी के विनियामक दायरे में आती हैं।

2.22 कई अन्य कार्यक्षेत्रों के विपरीत, उपर्युक्त अधिदेश ने सभी ओटीसी बाजारों के लिए एक मजबूत विनियामक ढाँचे में अंशदान किया है। वित्तीय बाजारों के रिजर्व बैंक के विनियमन के मुख्य पहलुओं में शामिल हैं, उत्पाद संबंधी विनिर्देश, सहभागियों का स्वरूप, विवेकपूर्ण रक्षोपाय, सूचना देने की अपेक्षाएँ, आदि।

2.23 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत किसी भी ओटीसी डेरिवेटिव संविदा की विधिमान्यता लेनदेन के पक्षकारों में से एक पर आश्रित है जा एक विनियमित संस्था हो। डेरिवेटिव उत्पादों तक पहुँच की अनुमति आवश्यक रूप से किसी अंतर्निहित एक्सपोजर की बचाव-व्यवस्था के प्रयोजन के लिए है। ब्याज दर डेरिवेटिव्स हेतु जोखिम एक्सपोजर के रूपांतरण के प्रयोजन से डेरिवेटिव लेनदेन करने के लिए एक अतिरिक्त छूट होगी, जैसी कि रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति दी गई है।

2.24 देश में परिष्कृत वित्तीय उत्पाद प्रारंभ करने के संबंध में रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण सतर्कतापूर्ण रहा है। जहाँ ऐसे उत्पादों की अनुमति दी गई है, वहाँ व्यापक दायरे से युक्त रक्षोपाय निर्धारित किये गये हैं। इनमें प्रतिभूतिकरण के मामले में 'सही बिक्री' के लिए सख्त मानदंड शामिल हैं जिनके संबंध में ऋण की वृद्धि और चलनिधि सहायता को जारी की गई प्रतिभूतियों की अवधि पर विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) को आस्तियों की बिक्री से प्राप्त लाभ के परिशोधन के अधीन रखा गया है। संरचित डेरिवेटिव उत्पादों को केवल तभी तक अनुमति दी गई है जब तक ये रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत दो या उससे अधिक सामान्य लिखतों का योग है तथा उनमें ऐसा कोई डेरिवेटिव नहीं होता, जिसे एकल आधार पर अनुमति

नहीं दी गई है। उपर्युक्त जोखिम प्रबंध ढाँचे और डेरिवेटिव्स के उपयोग के संबंध में उचित कंपनी अभिशासन प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर देते हुए एवं विभिन्न डेरिवेटिव उत्पादों के लिए ग्राहकों की 'उपयुक्तता' और 'औचित्य' पर भी फोकस करते हुए डेरिवेटिव्स के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। ग्राहकों की उपयुक्तता और औचित्य के निर्धारण की जिम्मेदारी बाजार निर्माता पर है।

2.25 बाजार की आधारभूत संरचना के विकास पर भी बल दिया गया है। बहुत पहले 2001 से ही भारतीय समाशोधन निगम (सीसीआइएल) ने विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति और मुद्रा बाजारों में एक केंद्रीय प्रतिपक्षी के रूप में एक चरणबद्ध तरीके से कार्य करना प्रारंभ किया। मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों के लिए स्क्रीन-आधारित क्रम-सुमेलन (आर्डर मैचिंग) तथा स्वचालित निपटान प्रणालियों की भी व्यवस्था की गई। अंतर-बैंक निपटान में प्रणालीगत जोखिमों का समाधान करने के लिए एक तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) 2004 में कार्यान्वित की गई।

2.26 पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए बाजार संबंधी, विशेष रूप से ओटीसी बाजारों के संबंध में सूचना के प्रसार में सुधार लाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अनेक पहलें की गई हैं।

जमा बीमा

2.27 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा प्रदत्त जमा बीमा जमाकर्ताओं के लिए एक रक्षा कवच उपलब्ध कराता है। भारत में जमा बीमा सभी बैंकों (वाणिज्य बैंक/सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक) के लिए अनिवार्य है तथा यह उन जमाराशियों, जो विदेशी सरकारों की हों, केंद्र/राज्य सरकारों की हों, अंतर-बैंक जमाराशियाँ हों, विदेश में प्राप्त जमाराशियाँ हों तथा रिजर्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन से डीआईसीजीसी द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त जमाराशियाँ हों, को छोड़कर सभी जमाराशियों को (एक लाख रुपये की सीमा तक) समाविष्ट करता है।

वैश्विक वित्तीय संकट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया

2.28 पिछले एक दशक से विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का समेकन व्यापार के वैश्वीकरण तथा बाह्य निधीयन तक पहुँच पर बल दिये जाने के द्वारा उल्लेखनीय रूप में तीव्र रहा है। बाह्य आघातों और देशी अनिश्चितताओं के बीच प्रतिकूल प्रतिसाद के पाशकों (लूप्स) के माध्यम से भारत उक्त संकट द्वारा प्रभावित हुआ है। दूसरे शब्दों में, उक्त संकट का प्रभाव भारत में वित्तीय क्षेत्र के भीतर संपदा क्षेत्र से प्रविष्ट हुआ, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान समस्याओं के कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। अतः उक्त संकट की संक्रामकता भारत में सभी सरणियों - वित्तीय सरणी, वास्तविक सरणी, और विश्वास की सरणी - के माध्यम से व्याप्त हुई है।

2.29 उक्त संकट के परिणाम से निपटने के लिए तथा वृद्धि की गति को पुनः प्राप्त करने के लिए दोनों सरकार और रिज़र्व बैंक ने गहन समन्वय और परामर्श के साथ इस चुनौती के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सरकार की प्रतिक्रिया का मुख्य फलक राजकोषीय प्रोत्साहन रहा, जबकि रिज़र्व बैंक की कार्रवाई के अंतर्गत मौद्रिक निभाव, चलनिधि उपाय तथा प्रति-चक्रीय विनियामक उपायों का उलटाव सम्मिलित हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया

2.30 राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 ने राजकोषीय धारणीयता के लिए एक अंशांकित रूपरेखा अनिवार्य कर दी। तदनुसार, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों ने अतीत के राजकोषीय आधिकार्यों को उलटने के लिए गंभीर प्रयास किया है। फिर भी, भारत पर वैश्विक संकट को पहचानते हुए सरकार ने राजकोषीय लक्ष्यों से छूट की माँग करने के लिए उक्त एफआरबीएम अधिनियम के आपातकालीन उपबंधों को लागू किया तथा दिसंबर 2008 और जुलाई 2009 के बीच राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेजों को प्रारंभ किया। ये पैकेज जीडीपी का लगभग 3 प्रतिशत हैं तथा इनमें अतिरिक्त सार्वजनिक व्यय, विशेष रूप से पूँजीगत व्यय, मूलभूत संरचना के व्यय के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत निधियाँ, अप्रत्यक्ष करों में कटौतियाँ (मूल्यानुसार केंद्रीय मूल्य-योजित कर में 4 प्रतिशत की कमी की गई जबकि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर में प्रत्येक 2 प्रतिशत की कमी की गई), व्यष्टि और लघु उद्यमों को ऋण के लिए बढ़ाई गई गारंटी की रक्षा एवं निर्यातकों को अतिरिक्त सहायता सम्मिलित हैं। राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्राधिकृत किया गया कि वे अपने पूँजीगत व्यय में वृद्धि करने के लिए 2008-09 के लिए सकल राज्य देशी उत्पाद (जीएसडीपी) के 3.5 प्रतिशत तक एवं 2009-10 के लिए जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक बढ़ाये गये राजकोषीय घाटों का व्यय करें।

रिज़र्व बैंक की प्रतिक्रिया

2.31 रिज़र्व बैंक की नीतिगत प्रतिक्रिया का लक्ष्य बाहर से आई संक्रामकता को नियंत्रित करना - घरेलू मुद्रा और ऋण बाजारों को सामान्य रूप से कार्यरत रखना तथा यह देखना कि चलनिधि का दबाव शोधक्षमता के क्रमप्रपातों को प्रेरित नहीं करता। विशेष रूप से तीन उद्देश्यों को लक्ष्य के रूप में रखा गया : पहला, एक सुविधापूर्ण रुपया चलनिधि की स्थिति बनाये रखना; दूसरा, विदेशी मुद्रा चलनिधि में वृद्धि करना; तथा तीसरा, एक नीतिगत ढाँचे को बनाये रखना जो ऋण वितरण को सही मार्ग पर रखे ताकि संवृद्धि में नरमी को रोका जा सके। इस दिशा में नीतिगत पहलें परंपरागत और अपरंपरागत पहलों का विवेकपूर्ण मिश्रण थीं। इनका कार्यान्वयन सितंबर 2008 के बीच में प्रारंभ करते हुए पैकेजों में किया गया, अप्रत्याशित वैश्विक गतिविधियों की प्रतिक्रिया के अवसर पर, तथा अन्य अवसरों पर भारतीय बाजारों पर संभावित वैश्विक गतिविधियों के प्रभाव की प्रत्याशा में।

मौद्रिक नीति के उपाय

2.32 अक्टूबर 2008 और अप्रैल 2009 के बीच के सात महीने का समय अप्रत्याशित मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों का साक्षी था। रेपो दर में 425 आधार अंक की कमी करते हुए उसे 4.75 प्रतिशत किया गया जबकि रिवर्स रेपो दर में 275 आधार अंक की कमी करके उसे 3.25 प्रतिशत कर दिया गया।

चलनिधि संबंधी उपाय

2.33 प्रणाली में चलनिधि, दोनों रुपया और विदेशी मुद्रा चलनिधि में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किये गये। परंपरागत रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा अवरुद्ध बैंक आरक्षित निधियों की मात्रा घटाई गई तथा निर्यात ऋण के लिए पुनर्वित्त सुविधाओं को उदार बनाया गया। सीआरआर को संचयी 400 आधार अंक घटाकर 5.0 प्रतिशत तक नीचे लाया गया; एसएलआर को 100 आधार अंक कम करके 24.0 प्रतिशत तक घटाया गया एवं वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा बताया निर्यात ऋण के 15.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 50.0 प्रतिशत किया गया।

2.34 विदेशी मुद्रा चलनिधि का प्रबंध करने के उद्देश्य से किये गये उपायों में अनिवासी भारतीयों द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा जमाराशियों पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा का एक ऊर्ध्वमुखी समायोजन शामिल था। कंपनियों के लिए ईसीबी व्यवस्था में लागत की उच्चतम सीमा और निधियों के अंतिम उपयोग से संबंधित प्रतिबंधों को शिथिल किया गया। चयनित गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों को अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार तक पहुँच की अनुमति दी गई। भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) की वापसी खरीद के लिए दोनों अनुमोदन और स्वतः विद्यमान मार्गों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय तौर पर मंदी से ग्रस्त आस्ति-कीमतों को देखते हुए कुछ शर्तों के अधीन अनुमति दी गई। रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये अपरंपरागत उपायों के अंतर्गत भारतीय बैंकों के लिए उनकी अल्पावधि विदेशी निधीयन की अपेक्षाओं के प्रबंध को सुसाध्य बनाने के लिए एक रुपया-डॉलर अदला-बदली (स्वैप) सुविधा थी।

2.35 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) 24 अक्टूबर 2008 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक बैंक की निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 1.0 प्रतिशत तक एक विशेष पुनर्वित्त की सुविधा 1 नवंबर 2008 को प्रारंभ की गई। एक अन्य विशेष पुनर्वित्त की सुविधा शीर्ष वित्तीय संस्थाओं, सिडबी, राष्ट्रीय आवास बैंक और निर्यात-आयात बैंक के लिए क्रमशः लघु उद्योगों, आवास और निर्यातों को प्रदत्त ऋण के पुनर्वित्तपोषण हेतु उपलब्ध उधार देने योग्य संसाधनों का विस्तार करने के लिए शुरू की गई।

2.36 चूँकि म्युचुअल निधियाँ प्रतिदान के दबाव में आ गईं, अतः रिज़र्व बैंक ने म्युचुअल निधियों द्वारा अनुभव किये जा रहे चलनिधि के दबाव को

दूर करने के लिए लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एक अधिसूचित राशि हेतु वाणिज्य बैंकों के लिए एक 14-दिवसीय विशेष रेपो सुविधा प्रारंभ की। केवल इसी उद्देश्य के लिए बैंकों को निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत के लिए संपार्श्विक जमानत के प्रयोजनों हेतु एसएलआर प्रतिभूतियों के अस्थायी उपयोग की अनुमति दी गई। इसके बाद यह सुविधा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए तथा बाद में आवास वित्त कंपनियों के लिए भी उपलब्ध कराई गई। एसएलआर के अनुरक्षण में इस छूट को एनडीटीएल के 1.5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।

2.37 लीवरेजिंग को कम करने के लिए वाणिज्य बैंकों, अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्त संस्थाओं को म्युचुअल निधियों द्वारा धारित जमा प्रमाणपत्रों की जमानत पर उधार देने अथवा उनकी वापसी खरीद करने की अनुमति नहीं दी गई। इस प्रतिबंध को चलनिधि के समाप्त होने के संदर्भ में शिथिल किया गया।

2.38 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बाद एक विशेष प्रयोजन संस्था (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (आइडीबीआइ एसएसएसएफ) ट्रस्ट) स्थापित करने की घोषणा की जो प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) संबंधी चलनिधि की अस्थायी कमियाँ पूरी करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए सरकार द्वारा गारंटीकृत बांडों की जमानत पर रिजर्व बैंक से निधियाँ जुटा सकेगी।

2.39 राजकोषीय प्रोत्साहन के उपायों के चलते चूँकि सरकार के उधार में वृद्धि हुई, अतः सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद और बाजार स्थिरीकरण बांडों को अपने अधिकार से मुक्त करने की विवेकपूर्ण ढंग से कार्रवाई की गई तथा देशी चलनिधि की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इनका अनुक्रमण किया गया।

2.40 इस प्रकार रिजर्व बैंक वैश्विक संकट के संदर्भ में एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंता अर्थात् चलनिधि की समस्या का प्रबंध अपने शस्त्रागार से साधनों यथा- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर), चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), पुनर्वित्त, खुले बाजार के कार्यकलाप (ओएमओ) तथा बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा कर सका। सितंबर 2008 के मध्य से अक्टूबर 2009 तक की अवधि के दौरान प्राथमिक नकदी का संभावित निर्गम 5,85,000 करोड़ रुपये का रहा था। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया गया कि प्राथमिक नकदी

में वृद्धि अत्यधिक न हो। महत्वपूर्ण तौर पर इस उपाय का प्रयोग संपार्श्विक अथवा प्रतिपक्षी मानकों में किसी मंदन के बिना किया गया। रिजर्व बैंक के तुलन-पत्र की गुणवत्ता और आकार भी बड़ी सीमा तक अप्रभावित रहे।

विवेकपूर्ण उपाय

2.41 आस्तियों की स्थिति में गिरावट लाकर उन्हें क्षति पहुँचानेवाले तीव्र घटना-क्रम को प्रतिबिंबित करते हुए रिजर्व बैंक ने संकट से पहले किये गये कुछ प्रति-चक्रीय उपायों को उलट दिया। संवेदनशील क्षेत्र में मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण की अपेक्षाएँ अन्य मानक आस्तियों के लिए विद्यमान अपेक्षाओं के अनुरूप ही 2.0 प्रतिशत से घटाकर 0.4 प्रतिशत कर दी गई। बड़े अश्रेणीकृत कारपोरेट दावों पर जोखिम भार 150 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत किये गये जैसे कि वाणिज्यिक स्थावर संपदा और एनबीएफसी एक्सपोजरों के लिए लागू जोखिम भार विद्यमान हैं। एक सीमित अवधि के लिए पुनर्संरचना (कारपोरेट उद्धारक कर्ज) मार्गदर्शी निर्देशों में छूट लागू की गई ताकि बैंकों को उन अर्थक्षम इकाइयों, जो अवनति की स्थिति से प्रभावित हुई थीं, की त्वरित पहचान करने तथा उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाया जा सके।

निर्गम नीति - प्रमुख चुनौतियाँ

2.42 हाल की अवधि में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में एक ज़ेय सुधार ने विस्तारक मौद्रिक और राजकोषीय रुख से निर्गम के समय-निर्धारण और अनुक्रमण के संबंध में एक विश्वव्यापी बहस को प्रेरित किया है। एक व्यापक आम धारणा है कि इस निर्गम का अनुक्रमण एक अंशांकित तरीके से करना उपयुक्त होगा ताकि पुनःप्राप्ति (रिकवरी) की प्रक्रिया अवरुद्ध न हो और मुद्रास्फीति के अनुमान नियंत्रित रहें। जनवरी 2010 में की गई रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति 2009-10 की तीसरी तिमाही समीक्षा में रुख को इस विचार द्वारा आकार दिया गया कि पुनःप्राप्ति का समेकन 'संकट का प्रबंध करने' से 'पुनःप्राप्ति का प्रबंध करने' में एक सुस्पष्ट और सुनिश्चित अंतरण को प्रोत्साहित करे।

2.43 तथापि, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि भारत में निर्गम संबंधी बहस अन्य उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी बहस से गुणात्मक रूप से भिन्न है तथा यह उसके समष्टि-आर्थिक संदर्भ की विशिष्ट लक्षणों के कारण है। पहला, इनमें से ज्यादातर देश मुद्रास्फीति की तत्काल जोखिम का सामना नहीं कर रहे हैं जबकि भारत मुद्रास्फीति में सुधार के लिए जूझ रहा है। दूसरा, भारत के समक्ष घरेलू उपभोग और निवेश की माँग - हमारी संवृद्धि के पारंपरिक प्रभावी संचालकों -

² 40,000 करोड़ रुपये की एसएलआर कटौती शामिल है।

का पुनरुत्थान करने की चुनौती है। भारत में घर-परिवार, फर्म और वित्तीय संस्थाएँ अनर्जक तुलन-पत्रों के साथ संघर्ष नहीं कर रही हैं जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी स्थिति नहीं है। तीसरा, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, जहाँ माँग की कमी है, भारत पारंपरिक रूप से एक आपूर्ति की कमी वाली अर्थव्यवस्था का देश रहा है। आपूर्ति की कमियाँ जिन्होंने दुर्बल माँग के कारण संकट की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई, पुनः उभरेंगी और वास्तव में बंधनकारी बन सकती हैं। चौथा, भारत ऐसी कुछ बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसके पास दुहरे घाटे - दोनों राजकोषीय और चालू खाते के घाटे हैं। जहाँ एक ओर चालू खाता घाटा संतुलित है, वहीं दूसरी ओर एक दायित्वपूर्ण, विश्वसनीय और समयबद्ध राजकोषीय समायोजन करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सरकार के उधार कार्यक्रम के आकार को कम करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिससे एक सामान्य ब्याज दर व्यवस्था को बनाये रखने में मदद मिल सके। फिर भी, राजकोषीय सहायता से निर्गम की कार्यनीति को विकसित हो रही समष्टि-आर्थिक गतिविधियों के अनुसार अनुकूल बना लेने की आवश्यकता है।

2.44 भारत में निर्गम की प्रक्रिया कुछ विशेष चलनिधि सहायता उपायों की समाप्ति के साथ प्रारंभ हुई थी। एसएलआर को 25 प्रतिशत तक पुनः प्रतिष्ठित किया गया जैसी कि निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के लिए सीमा थी जो 15 प्रतिशत के संकट-पूर्व स्तर पर वापस रखी गई। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए गैर-मानक पुनर्वित्त सुविधाएं समाप्त की गईं। मौद्रिक नीति की जनवरी 2010 की समीक्षा में अत्यधिक चलनिधि को कम करने एवं मुद्रास्फीति के अनुमानों को नियंत्रित करने में सहायता पहुँचाने के प्रयास में सीआरआर को 75 आधार अंक बढ़ाया गया। मुद्रास्फीतिकारी दबावों के गहराने के साथ ही, रेपो और रिर्वर्स

रेपो दरों में 25 आधार अंक की वृद्धि 19 मार्च 2010 को घोषित की गई है।

समापन टिप्पणी

2.45 वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने के लिए भारत राजकोषीय, मौद्रिक और विवेकपूर्ण उपायों के समुच्चय का प्रयोग करता रहा है। यह सहक्रियात्मक दृष्टिकोण सरकार, रिजर्व बैंक और वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों के बीच सघन समन्वय के कारण संभव हो सका है।

2.46 रिजर्व बैंक द्वारा अपनाई गई दोनों समष्टि-विवेकपूर्ण और व्यष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों ने वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग प्रणाली की आघात-सहनीयता को सुनिश्चित किया है। उच्च संवृद्धि की अवधि के दौरान विशेष रूप से प्रतिभूतिकरण, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त जोखिम भार और प्रावधानीकरण, उधार ली गई निधियों पर निर्भरता तथा प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण एनबीएफसी द्वारा लीवरेजिंग को नियंत्रित करने के उपायों के संबंध में प्रारंभ किये गये सामयिक विवेकपूर्ण उपायों ने भारत को अच्छी स्थिति में रखा। आरक्षित निधि संबंधी - दोनों नकदी और चलनिधि संबंधी - अपेक्षाओं ने अत्यधिक लीवरेज को रोकते हुए स्वाभाविक प्रतिरोधकों के रूप में कार्य किया।

2.47 आगे बढ़ते हुए, भारतीय वित्तीय क्षेत्र वैश्वीकरण की शक्तियों का अधिकाधिक सामना करता रहेगा जिनके निहितार्थ वित्तीय स्थिरता के लिए हो सकते हैं। रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता के प्रति अधिकाधिक ध्यान देने की आवश्यकता और इस क्षेत्र में कौशल को बढ़ाने के विषय में सचेत है। इस दिशा में रिजर्व बैंक में एक बहु-विषयक वित्तीय स्थिरता इकाई हाल ही में स्थापित की गई है।

अध्याय III समष्टि आर्थिक परिवेश

भारतीय वित्तीय प्रणाली वैश्विक वित्तीय संकट से व्याप्त प्रत्यक्ष संसर्ग के प्रतिकूल प्रभाव से बची रही, परंतु वह वैश्विक समष्टि वित्तीय स्थितियों में निहित दबाव एवं घरेलू आर्थिक गतिविधि में मंदी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले की स्थिति की पुनःप्राप्ति के लक्षणों तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में चिंता कम करनेवाली स्थितियों के होने के बावजूद अधोमुखी जोखिमों में विद्यमान हैं जिससे वैश्विक समुत्थान विभिन्न देशों में क्रमिक, असंतुलित और असम रह सकता है। सरकारी ऋण, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र के कुछ देशों में और अधिक जोखिम उत्पन्न करता है। भारत में सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) की संवृद्धि में मंदी तथा खाद्य और अत्यावश्यक पण्यों की कीमतों से प्रेरित उभरते मुद्रास्फीतिकारी दबावों ने समष्टि आर्थिक नीति के रुख के लिए एक जटिल चुनौती खड़ी कर दी है। वित्तीय प्रणाली को फिर सरकार के बड़े उधार कार्यक्रम के अविच्छेदक अवशोषण सहित, अनेक महत्वपूर्ण समष्टि-स्तरीय गतिविधियों के साथ संघर्ष करना पड़ा है जो संवृद्धि के लिए सहायक राजकोषीय रुख एवं कंपनियों द्वारा गैर-बैंकिंग स्रोतों से वित्तपोषण के लिए आवश्यक था। आर्थिक गतिविधि में समुत्थान के मजबूत लक्षण हैं जबकि विनिर्माण क्षेत्र में मुद्रास्फीतिकारी दबाव सशक्त हो रहे हैं।

3.1 अप्रत्याशित वैश्विक वित्तीय संकट के बाद आई वैश्विक मंदी तथा 2008-09 की दूसरी छमाही से देशी आर्थिक गतिविधि की उल्लेखनीय मंदी ने भारत की वित्तीय प्रणाली के लिए वैश्विक संकट से प्रत्यक्ष संसर्ग के प्रभाव के प्रति उसकी आघात-सहनीयता के बावजूद महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। वैश्वीकरण ने प्रणालीगत अनिश्चितताओं की निगरानी तथा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के कार्यों को अधिक जटिल बना दिया है।


वैश्विक परिवेश

संवृद्धि संबंधी दृष्टिकोण

3.2 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के अद्यतन विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, जनवरी 2010 के अनुसार वैश्विक गतिविधि के संबंध में 2009 में लगभग 0.8 प्रतिशत की संविदा की गई। यह अनुमान है कि 2010 में इसमें लगभग 3.9 प्रतिशत की पुनःप्राप्ति और वृद्धि होगी (चार्ट 3.1)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में समुत्थान के लक्षण उभर रहे हैं जबकि कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमई) एक सुदृढ़ कायापलट (टर्नअराउंड) के लक्षण दर्शा रही हैं। फिर भी, वैश्विक संवृद्धि संबंधी दृष्टिकोण किसी भी प्रकार से निश्चित नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कम जोखिमों में शामिल हैं, लगातार वैश्विक असंतुलन, उच्च आधिक्य वाली क्षमता का वर्तमान स्तर, अविच्छिन्न राजकोषीय प्रोत्साहन की लागतें जो आनेवाले समय में सुस्पष्ट होंगी तथा नीतिगत प्रोत्साहन वापस लेने के संभावित प्रभाव। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कार्यरहित

समुत्थान और ऋण बाजारों में दबाव की निरंतरता से यह निर्दिष्ट होता है कि उक्त समुत्थान दुर्बल साबित हो सकता है। माँग की मजबूत पुनःप्राप्ति के अभाव में नये उत्पादन का विपुल परिमाण अंततः स्टॉक के रूप में रखा रह सकता है। जिससे उत्पादन और नौकरियों पर कटौतियों के एक दूसरे दौर एवं दुहरी हानि वाली मंदी के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है। मध्यावधि में धारणीय वृद्धि प्राप्त करना संकट की अवधि के दौरान क्षमता के स्तरों में अवरुद्धता से उत्पन्न होनेवाली आपूर्ति की ओर की कमियों का सामना करने तथा वैश्विक स्वरूप की माँग का पुनःसंतुलन करने के अधीन है। निर्यातों और पूँजीगत प्रवाहों

चार्ट 3.1 : जीडीपी संवृद्धि - भारत और विश्व



स्रोत : आइएमएफ, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, अद्यतन स्थिति, जनवरी 2010।

¹ आइएनसी, बैरी और केविन ओ रूरके (2009) "ए टेल ऑफ टू डिप्रेसिंस", वीओएक्स, सितंबर 1.

पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के लिए घरेलू माँग पर पुनः फोकस करने की आवश्यकता होगी जबकि पण्यों के निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय पण्य कीमतों में संभव अस्थिरताओं के प्रति आघात-सहनीयता को बढ़ाना आवश्यक होगा।

मुद्रास्फीति संबंधी दृष्टिकोण

3.3 पिछले कुछ वर्षों के दौरान ज्यादातर समय में वैश्विक मुद्रास्फीति गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाती रही; विशेष रूप से 2008-09 की दूसरी छमाही में कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में यह नीचे ऋणात्मक क्षेत्र में आ गई (चार्ट 3.2)। रुग्ण कुल माँग, 2008 के मध्य से तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट, कृषि पण्यों और धातुओं की कीमतों में बड़े सुधार, लदान की निम्नतर लागतें, स्टॉकों के निर्माण के कारण औद्योगिक कार्यकलापों में उल्लेखनीय मंदी की उपस्थिति एवं क्षमता के उपयोग में गिरावट के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीतिकारी दबाव मंद रहे। जब तक उत्पादन के अंतराल बने रहेंगे, तब तक मुद्रास्फीतिकारी दबावों के दमित रहने की संभावना है (आइएमएफ डब्ल्यूईओ अपडेट जनवरी 2010)। तथापि, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के चलते अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति ऊपर धनात्मक क्षेत्र में आ गई। विकासशील विश्व में सीमितआर्थिक मंदी, बढ़े हुए पूँजी प्रवाह तथा पण्यों और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण मुद्रास्फीतिकारी प्रभावों के आगे और मजबूत होने की संभावना है।


वैश्विक असंतुलन

3.4 संकट के प्रारंभ और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि के अवमंदन के साथ ही, वैश्विक असंतुलनों की सघनता में कमी आई है। तथापि, यह समस्या समाधान होने से काफी दूर है क्योंकि असंतुलनों में कमी अस्थायी प्रतीत होती है और संरचनात्मक नहीं है। चार्ट 3.3 अमेरिका और चीन के व्यापार संतुलनों में उतार-चढ़ाव को वैश्विक असंतुलनों के लिए प्रतिनिधियों के रूप में दर्शाता है। अमेरिका के व्यापार घाटे में गिरावट के साथ ही अमेरिका में वैयक्तिक बचत दर में वृद्धि और आयात उपभोग में कमी हुई है। फिर भी, चूँकि उक्त अर्थव्यवस्थाओं का समुत्थान हो रहा है, अतः असंतुलनों में पुनः वृद्धि होने लगी है।

सरकारी ऋण


3.5 विभिन्न देशों द्वारा किये गये बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के कारण सरकारी ऋण में तीव्र वृद्धि रही है। आइएमएफ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर), मार्केट अपडेट (जनवरी 2010) ने निर्दिष्ट किया है कि वित्तीय जोखिमों का सरकारी तुलन-पत्रों में अंतरण और सरकारी ऋण के उच्चतर स्तरों ने वित्तीय स्थिरता की जोखिमों में वृद्धि की है तथा निर्गम की प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। कुछ देशों में उत्पादन में सहवर्ती गिरावट अथवा मंदी ने राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया

चार्ट 3.2 : उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति



स्रोत : संबंधित आधिकारिक वेबसाइटें।

चार्ट 3.3 : अमेरिका और चीन के व्यापार शेष तथा अमेरिका की वैयक्तिक बचत दर



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

को और बदतर कर दिया है। उक्त जीएफएसआर मार्केट अपडेट आगामी दो से तीन वर्षों में दीर्घावधि औसत की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र के ऋण की निवल आपूर्ति में भारी वृद्धि का अनुमान व्यक्त करता है। इससे निजी क्षेत्र के ऋण में वृद्धि में कमी आ सकती है, उधार की लागत बढ़ सकती है तथा यह आर्थिक समुत्थान में एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। कुछ सर्वोत्तम निर्गमकर्ताओं में निवेशकों के विश्वास में भारी कमी आने से संभवतः इन देशों में संवृद्धि और ऋण का निष्पादन प्रभावित हो सकता है। विश्वास में यह कमी अन्य देशों में भी व्याप्त हो सकती है।

देशी समष्टि आर्थिक स्थितियाँ

वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ सहक्रिया


3.6 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान जीडीपी की वृद्धि में मंदी ने विसंबंधन के बारे में पहले के अवबोधनों पर प्रश्नचिह्न लगाया है। अध्ययनों ने भी हाल के वैश्वीकरण की लहर में विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ते हुए व्यवसाय-चक्र के सहसंबंध को सुस्पष्ट रूप से दर्शाया है। इसके अलावा, भारत के कुल चालू और पूँजी खाता प्रवाह 1990-91 में देश के जीडीपी के आधे से भी कम स्थिति से पिछले दो वर्षों में जीडीपी के 100 प्रतिशत से अधिक की स्थिति तक दुगुने से भी अधिक बढ़ गये हैं (चार्ट 3.4)। एक ओर जहाँ विश्व की अर्थव्यवस्था में एक्सपोजर दोनों व्यापार और पूँजी की सरणियों के माध्यम से बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर पूँजीगत प्रवाहों की सरणी के माध्यम से एक्सपोजर एशियाई संकट से पहले की अवधि की तुलना में अत्यंत अधिक है।

देशी माँग की प्रधानता

3.7 भारतीय अर्थव्यवस्था उसके बढ़ते हुए वैश्वीकरण के बावजूद लगातार बड़े पैमाने पर देशी माँग द्वारा संचालित रही। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) दोनों मिलकर देश के जीडीपी का दो तिहाई बनते हैं। 2008-09 की दूसरी छमाही में संवृद्धि में मंदी 2008-09 और 2009-10 के दौरान पीएफसीई में कुछ गिरावट के लिए कारण बनी। फिर भी, यह अधिकाधिक जीएफसीई के माध्यम से पूरी की गई जो राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज, छठवें वेतन आयोग के अधिनिर्णयों के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के वेतनों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन तथा सरकार द्वारा अन्य व्ययों को प्रतिबिंबित करता है (चार्ट 3.5)।

3.8 2008-09 में सकल देशी पूँजी निर्माण (जीडीसीएफ) में कुछ कमी रही जिसने संकट के प्रारंभ तक जीडीपी के प्रतिशत के रूप में एक वृद्धिशील प्रवृत्ति दर्शाई थी। फिर भी, जीडीसीएफ पर उक्त प्रभाव को मंद किया गया क्योंकि उसका वित्तपोषण बड़ी सीमा तक घरेलू


चार्ट 3.4 : भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण



स्रोत : भुगतान-संतुलन संबंधी आंकड़ों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा जीडीपी के लिए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।

चार्ट 3.5 : घरेलू उपभोग का अंश (चालू कीमते)

प्रतिशत



पीएफसीई : निजी अंतिम उपभोग व्यय । जीएफसीई : सरकारी अंतिम उपभोग व्यय ।

*अग्रिम अनुमान ।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

बचत के माध्यम से किया गया था (चार्ट 3.6) तथा विदेशी बचत पर निर्भरता साधारण थी। 2008-09 के दौरान जीडीपी की संवृद्धि में कमी तथा प्रयोज्य आय और निम्नतर सार्वजनिक बचत के कारण बचत दर में गिरावट आई। व्यवसाय के मंद वातावरण और संचित स्टॉकों की निकासी सहित, बचत दर में इस गिरावट ने निवेश की दर में गिरावट के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तथापि, यह अनुमान है कि बचत और निवेश की दरों में उनकी संबंधित प्रवृत्ति के स्तरों तक 2009-10 और 2010-11 में उछाल आएगा।


जीडीपी : क्षेत्रीय वृद्धि

3.9 2009-10 में कृषि क्षेत्र ने खराब मानसून और देश के कुछ भागों में संबद्ध सूखा और बाढ़ के रूप में दुहरे प्रतिकूल आघातों का अनुभव किया जिसके परिणामस्वरूप खरीफ² के खाद्यान्नों और तिलहनों के उत्पादन में कमी आई। ऐसे आघातों ने सामान्यतः जीडीपी की निम्नतर संवृद्धि, बढ़े हुए प्रतिपूरक राजकोषीय व्यय और घरेलू मुद्रास्फीति पर दबावों के माध्यम से समग्र समष्टि आर्थिक स्थितियों को प्रभावित किया। तथापि, यह अनुमान है कि 2009-10 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन रबी उत्पादन में सीमांत वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में मामूली तौर पर केवल 6.2 प्रतिशत ही कम है। औद्योगिक उत्पादन में 2007-08 में दर्ज की गई चक्रीय मंदी को वैश्विक संकट के चलते घटती हुई बाह्य और घरेलू माँग के साथ 2008-09 की दूसरी छमाही में बल मिला। तत्पश्चात् किये गये नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप औद्योगिक कार्यकलापों में समुत्थान हुआ। यह समुत्थान अप्रैल 2009 से गोचर रहा है तथा औद्योगिक उत्पादन में संचयी वृद्धि 2009-10 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 9.6 प्रतिशत तक तीव्र हुई, जो पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान दर्ज वृद्धि (3.3 प्रतिशत) से काफी अधिक है। 2009-10 की पहली छमाही के दौरान घरेलू औद्योगिक कार्यकलाप में मंदी और कमजोर बाह्य माँग को प्रतिबिंबित करते हुए सेवाओं में आगे और अवमंदन रहा (चार्ट 3.7)। बाद में विनिर्माण क्षेत्र और निर्यातों में समुत्थान के चलते यह अनुमान है कि सेवा क्षेत्र में भी पुनरुत्थान होगा।

जीडीपी : दृष्टिकोण


3.10 राजकोषीय वर्ष के प्रारंभ में रिजर्व बैंक ने जीडीपी वृद्धि का एक ऊर्ध्वमुखी झुकाव के साथ 6.0 प्रतिशत पर पूर्वानुमान व्यक्त किया था। यह ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति निम्नलिखित के कारण और मजबूत हुई : (क) उद्योग और मुख्य मूलभूत संरचना क्षेत्रों में समुत्थान, (ख) व्यवसाय और उपभोक्ताओं के विश्वास में सुधार तथा उपभोग और निवेश की माँग के पुनरुत्थान में उसका प्रतिबिंबन, (ग) निर्यातों और पूँजी प्रवाहों में

चार्ट 3.6 : घरेलू बचत द्वारा अधिकांश वित्तपोषित निवेश (चालू कीमतें)



जीडीएस : सकल घरेलू बचत । जीडीसीएफ : सकल घरेलू पूँजी निर्माण ।
स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

चार्ट 3.7 : सेवा क्षेत्र में अवमंदन



स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

² गरमी अथवा मानसून की फसलें जो सामान्यतः जुलाई में पहली वर्षा के साथ बोई जाती हैं, खरीफ फसलें कही जाती हैं (उदा. चावल, बाजरा, ज्वार, कपास, गन्ना)। जाड़े की फसलें जो लगभग मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं, रबी फसलें कही जाती हैं (उदा. गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मटर, जई)।

पुनरुत्थान, (घ) शेयर बाजार में समुत्थान तथा सार्वजनिक निर्गमों और निजी स्थापनों के माध्यम से अधिकतर संसाधन संग्रहण एवं (ङ) सुधरी हुई समग्र वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थितियाँ। इन कारकों के आधार पर रिजर्व बैंक ने 2009-10 के दौरान जीडीपी में वृद्धि के अपने पूर्वानुमान में 7.5 प्रतिशत तक संशोधन किया। 2009-10 के दौरान समुत्थान के संबंध में यह आशावाद पहली दो तिमाहियों में 6.1 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत पर जीडीपी में वृद्धि की दर द्वारा सिद्ध हुआ। उक्त वृद्धि दरें यद्यपि 2008-09 की अंतिम दो तिमाहियों में दर्ज 5.8 प्रतिशत से अधिक थी, तथापि वे संभाव्यता से कम रहीं। फिर भी, जीडीपी वृद्धि तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत तक घटी जो अंशतः खरीफ़ फसल पर खराब दक्षिण-पश्चिमी मानसून के प्रभाव और छठवें वेतन आयोग के अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान के कारण उच्चतर आधारभूत प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। वैश्विक संवृद्धि में एक संभव गिरावट तथा मुद्रास्फीतिकारी दबावों के निर्माण से उत्पन्न होनेवाली कुछ कम जोखिमें विद्यमान हैं। तेल की कीमतें जिनके बारे में यह अनुमान है कि वे निकट भविष्य में स्थिर रहेंगी, बढ़ सकती हैं यदि टिकाऊ और तीव्र वैश्विक समुत्थान रहता है तथा वे एक कम जोखिम के रूप में भी उभर सकती हैं।


ऋण की वृद्धि

3.11 2008-09 की दूसरी छमाही में मंद आर्थिक वृद्धि और स्टॉकों की निकासी के चलते बैंक ऋण की वृद्धि में अवमंदन रहा। यह अवमंदन 2009-10 की पहली छमाही में जारी रहा। आर्थिक वृद्धि एवं व्यावसायिक विश्वास में पुनरुत्थान के अनुरूप हाल के आंकड़े 2009-10 की दूसरी छमाही में ऋण की वृद्धि में सुधार के स्पष्ट संकेत निर्दिष्ट करते हैं (चार्ट 3.8)।

मुद्रास्फीति


3.12 मुद्रास्फीतिकारी दबाव रिजर्व बैंक की आधार-रेखा के अनुमानों से आगे गहराये हैं तथा आपूर्ति की ओर के दबावों की जोखिम विद्यमान है जो एक सामान्यीकृत मुद्रास्फीतिकारी प्रक्रिया में परिवर्तित हो रही है। यहाँ तक कि खाद्य कीमतें नरमी के लक्षण दर्शा रही हैं, तो भी वे बढ़ी हुई स्थिति में हैं। अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि खाद्येतर विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की दर तेज हुई है। वृद्धिशील क्षमता के उपयोग और बढ़ती हुई पण्यों और ऊर्जा की कीमतों के कारण मुद्रास्फीतिकारी दबाव और भी तीव्र हो सकते हैं। हाल के औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े निजी माँग के पुनरुत्थान के संकेत करते हैं जो संभावित रूप से मुद्रास्फीतिकारी दबावों में वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि आगामी महीनों में आधारभूत प्रभाव के कारण कुछ नरमी का अनुमान है (चार्ट 3.9)। मुद्रास्फीतिकारी अनुमानों को नियंत्रित करने तथा मुद्रास्फीति को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने 19 मार्च 2010 को रेपो और रिवर्स रेपो दरों में 25 आधार अंक की वृद्धि घोषित की।

चार्ट 3.8 : बैंक ऋण की आपूर्ति



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 3.9 : मुद्रास्फीति



स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, भारत सरकार।

सरकारी क्षेत्र

घाटे के संकेतक

3.13 केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति ने 2003-04 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के तत्वावधान में सुधार दर्शाया जिसे आगे सशक्त आर्थिक वृद्धि द्वारा समर्थन मिला। राज्य वित्त भी बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में केंद्र से संसाधनों के उच्चतर अंतरण से लाभान्वित हुए। केंद्र और राज्यों के संयुक्त वित्तों ने 2003-04 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान मुख्य घाटा संकेतकों के तौर पर काफी सुधार देखा (सारणी 3.1)। 2008-09 के दौरान दोनों केंद्र और राज्यों में यह प्रवृत्ति उलट गई जो राजकोषीय प्रोत्साहन के उपायों को प्रतिबिंबित करता है। विस्तारक राजकोषीय रुख 2009-10 के दौरान बनाये रखा गया। इसके परिणामस्वरूप, ऋण-जीडीपी अनुपात जो गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रहा था, 2009-10 के दौरान बढ़ गया।

3.14 2010-11 के लिए केंद्र बजट में प्रोत्साहन उपायों से नपे-तुले तौर पर निर्गम के लिए शीघ्र कदम उठाने के प्रस्ताव किये गये। पहली बार सरकार ने देशी लोक ऋण-जीडीपी अनुपात में कमी करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं।

कारपोरेट क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता

3.15 वित्तीय संस्थाओं की चलनिधि और शोधक्षमता के लिए कारपोरेट क्षेत्र की दुर्बलता जोखिम का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है। भारत में कंपनियाँ वैश्विक संकट द्वारा 2008 की अंतिम तिमाही से प्रभावित हुई थीं क्योंकि निर्यात घट गए थे, श्रेयों की कीमतों में तेजी से सुधार हुआ था, निधियों के विदेशी स्रोत समाप्त हो गए थे तथा निधीयन की लागत बढ़ गई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए एकीकरण ने कारपोरेट निधीयन के स्वरूप को उल्लेखनीय रूप में प्रभावित किया। 2002-03 से आगे भारतीय कंपनियाँ अधिकाधिक बाह्य स्रोतों से अपने निधीयन की आवश्यकताएँ पूरी कर रही हैं³। यह प्रवृत्ति आगे 2005-06 से और मजबूत हुई हालांकि 2007-08 के दौरान वैश्विक संकट के चलते इसमें थोड़ी-सी गिरावट थी (चार्ट 3.10)।


3.16 कंपनी क्षेत्र के कुल उधार में से विदेशी उधार पर निर्भरता 2003-04 के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 12.7 प्रतिशत तक हो गई जो वैश्विक ऋण बाजारों पर भारतीय कंपनियों की बढ़ती हुई निर्भरता को दर्शाती है। यह अंश 2008-09 में मामूली तौर पर घटकर 11.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट 3.11)।

सारणी 3.1 : मुख्य राजकोषीय संकेतक (केंद्र और राज्य)

(जीडीपी का प्रतिशत)				
कुल	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएँ
2003-04	2.1	5.8	8.5	81.1
2004-05	1.3	3.5	7.2	78.6
2005-06	1.0	2.7	6.5	77.2
2006-07	0.0	1.3	5.4	74.3
2007-08	-1.1	0.2	4.1	72.0
2008-09 सं.अ.	3.4	4.1	8.5	71.6
2009-10 ब.अ.	4.3	5.1	9.7	73.2


सं.अ. : संशोधित अनुमान । ब.अ. : बजट अनुमान ।
टिप्पणी : ऋणात्मक संकेत आधिक्य को निर्दिष्ट करता है ।
स्रोत : बजट संबंधी प्रलेख ।

चार्ट 3.10 : कंपनियों की निधियों के स्रोतों में उतार-चढ़ाव



*केवल बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ (निवल मालियत एक करोड़ रु पये से अधिक)
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 3.11 : कुल उधार राशियों में विदेशी उधार राशियों का अंश



*केवल बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ (निवल मालियत एक करोड़ रु पये से अधिक)।
स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक ।

³ निधियों के बाह्य स्रोतों में ईक्विटी, देशी और विदेशी उधार, व्यापार ऋण और अन्य चालू देयताएँ शामिल हैं।

3.16 एक ओर जहाँ निधीयन के विदेशी स्रोतों पर भारतीय कारपोरेट क्षेत्र की निर्भरता बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर उसके लीवरेज और व्यय अनुपातों द्वारा यथामापित उसकी सुदृढ़ता ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान सुधार की प्रवृत्ति दर्शाई है। कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित आस्ति की तुलना में ऋण का अनुपात जो लीवरेज और ब्याज दर आघातों के प्रति संवेदनशीलता की मात्रा का एक संकेतक है, पिछले कुछ वर्षों में कम हुआ है जो कर्ज का भुगतान करने के लिए इस क्षेत्र की सुधरी हुई क्षमता को प्रतिबिंबित करता है। ईक्विटी की तुलना में ऋण का अनुपात भी हाल के वर्षों में घट गया है (चार्ट 3.12)।

3.17 वैश्विक संकट के प्रारंभ से कारपोरेट निष्पादन के एक विश्लेषण से यह विदित होता है कि बिक्री की वृद्धि में 2008-09 की दूसरी तिमाही से गिरावट होने लगी है। फिर भी, कारपोरेट लाभप्रदता पर इसके प्रभाव को मौद्रिक नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप निम्नतर ब्याज दरों के साथ ही राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के कारण मंद किया गया। चूँकि बिक्री में सुधार 2009-10 की दूसरी तिमाही से होने लगा, अतः उसने कारपोरेट निष्पादन को आगे और प्रोत्साहन प्रदान किया (चार्ट 3.13 और 3.14)।

घरेलू क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता


घरेलू बचत और निवेश

3.18 संकट से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू क्षेत्र की निवल मालियत में आस्ति कीमतों में, विशेष रूप से ईक्विटी और आवास की कीमतों में गिरावट के माध्यम से कमी होती रही है। फिर भी, भारत में यद्यपि ईक्विटियों में घरेलू निवेश निकट अतीत में बढ़ गया है, तथापि संविदागत आस्तियों (जमाराशियाँ, भविष्य निधियाँ, जीवन बीमा और सरकार पर दावे) और अन्य में निवेश का अंश उल्लेखनीय रूप से अधिक है (चार्ट 3.15)। इस प्रकार, ईक्विटी की कीमतों में गिरावट का घर-परिवारों की कुल निवल मालियत पर केवल नगण्य प्रभाव है। इसके अलावा, चूँकि आवास की कीमतों में सुधार केवल सीमांत रहा है और कुछ पॉकेटों तक सीमित है (चार्ट 3.16), अतः घर-परिवारों की वास्तविक बचत का मूल्य भी बड़ी सीमा तक अक्षुण्ण रहा है।

घरेलू उपभोग और उधार

3.19 पीएफसीई में वृद्धि पिछली तिमाहियों की स्थिर गति की तुलना में 2008-09 की दूसरी छमाही और 2009-10 की पहली तिमाही में उल्लेखनीय रूप से कम हुई। दूसरी तिमाही में कुछ समुत्थान दर्ज किया गया जो तीसरी तिमाही में आगे जारी रहा। तथापि, पुटकर ऋण 2007-08 से आगे एक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाता रहा है। फिर भी, भारत में घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय बैंक ऋण के तौर पर उल्लेखनीय रूप में उन्नत (लीवरेज्ड) नहीं हुआ (चार्ट 3.17)।


चार्ट 3.12 : कंपनी क्षेत्र के लीवरेज अनुपात



*केवल बड़ी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ (निवल मालियत एक करोड़ रु पये से अधिक)


स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 3.13 : कंपनी क्षेत्र का तिमाही कार्यानिष्पादन - संवृद्धि दरें




स्रोत : तुलन-पत्र।

चार्ट 3.14 : कंपनी क्षेत्र का तिमाही कार्यानिष्पादन - चयनित अनुपात




स्रोत : तुलन-पत्र।

चार्ट 3.15 : घरेलू बचत और चुनिंदा वित्तीय निवेश




स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

चार्ट 3.16 : आवास की कीमतों में परिवर्तन (2007=100)



स्रोत : राष्ट्रीय आवास बैंक ।

चार्ट 3.17 : निजी उपभोग (पीएफसीई) और खुदरा ऋण



स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक ।

समापन टिप्पणी

3.20 वित्त और व्यापार सरणियों के प्रगामी सशक्तीकरण ने हाल के वर्षों में वैश्विक गतिविधियों में घरेलू अर्थव्यवस्था के एक्सपोजर को बढ़ा दिया है। इसने 2008-09 की दूसरी छमाही के दौरान संवृद्धि की गति में कुछ कमी को प्रेरित किया है। तथापि, समन्वित मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत उपायों ने 2009-10 में एक त्वरित समुत्थान को सुनिश्चित किया। यह अनुमान है कि संवृद्धि की गति 2010-11 में अविच्छिन्न रहेगी।

3.21 घरेलू माँग, जो भारत में अभी भी एक प्रमुख भूमिका निभाती है, के संबंध में यह संभावना है कि सूखे के सीमित प्रभाव, प्रयोज्य आय में सतत वृद्धि तथा मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन के उपायों के विलंबित प्रभाव के कारण वह मजबूत रहेगी। घर-परिवारों और कंपनियों के तुलन-पत्र अच्छी स्थिति में हैं तथा यह संकेत करते हैं कि वित्तीय प्रणाली अत्यधिक लीवरेज से युक्त फर्मों और व्यक्तियों के समक्ष असुरक्षित नहीं है। शेयर बाजारों एवं बैंक ऋण के प्रति घर-परिवारों का एक्सपोजर सीमित है।

वैश्विक संकट के तत्काल प्रभाव से कमजोर हो चुके कारपोरेट क्षेत्र का निष्पादन समुत्थान के लक्षण दर्शा रहा है।

3.22 तथापि, वैश्विक संवृद्धि में पुनःप्राप्ति के बारे में अनिश्चितता, विशेष रूप से कुछ यूरोपीय देशों में राजकोषीय अधिकताओं के प्रभाव के बारे में उभरती चिंताएँ, वैश्विक असंतुलनों में प्रारंभिक वृद्धि तथा विकसित देशों द्वारा निर्गम के लिए अपनाये गये समय और गति का प्रभाव कुछ कम जोखिम में उत्पन्न कर सकते हैं। घरेलू तौर पर निकट अतीत में मुद्रास्फीतिकारी दबाव सघन हो गए हैं जैसा कि खाद्येतर विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की दर में तीव्र वृद्धि एवं लगातार बढ़ी हुई खाद्य कीमतों से स्पष्ट है। क्षमता का बढ़ता हुआ उपयोग तथा पण्यों और ऊर्जा की बढ़ती हुई कीमतें आपूर्ति की ओर के दबावों की जोखिमों को और बढ़ा सकती हैं जो एक सामान्यीकृत मुद्रास्फीतिकारी प्रक्रिया में परिवर्तित हो सकती हैं। मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों को नियंत्रित करने और मुद्रास्फीति को और बढ़ने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक रेपो और रिवर्स रेपो दरों में 25 आधार अंक की वृद्धि की घोषणा कर चुका है।

अध्याय IV वित्तीय बाजार

वैश्विक वित्तीय संकट जो सबप्राइम बाजार से उत्पन्न हुआ, त्वरित रूप से वैश्विक वित्तीय बाजारों को प्रभावित किया तथा उसके बाद संस्थाओं और वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव पड़ा। समय के चलते प्रतिकूल प्रतिसाद का फंदा कसता गया क्योंकि विफल होती संस्थाओं और कमजोर होती वृद्धि की संभावनाओं ने वित्तीय बाजारों में आगे और दबाव को प्रेरित किया। यद्यपि भारतीय वित्तीय बाजार सितंबर 2008 तक वित्तीय संकट के प्रत्यक्ष प्रभाव से बड़ी सीमा तक प्रतिरक्षित रहे, तथापि लेहमैन ब्रदर्स की विफलता के बाद पूँजी प्रवाहों में उलटाव ने घरेलू वित्तीय बाजारों में दबाव का निर्माण किया तथा इसके साथ ही एक दिवसीय (ओवरनाइट) दरों के उल्लेखनीय रूप में बढ़ोतरी, ईक्विटी की कीमतों में सुधार और विनिमय दर पर दबाव भी रहा। वित्तीय दबाव संकेतक (एफएसआई) भी यह संकेत करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने दबाव का अनुभव किया जो अक्टूबर 2008 में चरम पर था और मार्च 2009 तक बना रहा। देशी और विदेशी मुद्रा चलनिधि में सुधार लाने तथा अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ने अनेक परंपरागत और अपरंपरागत उपाय किये। वैश्विक संकट से आगे लागू किये गये प्रति-चक्रीय विनियमों ने प्रणालीगत अस्थिरता के विरुद्ध स्थिति को अनुकूल बनाये रखने में सहायता पहुँचाई। वैश्विक बाजारों से काफी पहले ही देशी बाजार जोखिम में उल्लेखनीय कमी और बाजार की गतिविधि में उत्थान के साथ सामान्य स्थिति में वापस आ गये।

वैश्विक परिदृश्य

4.1 अमेरिका में बंधक संकट 2008 के बीच में प्रणालीगत जोखिम के रूप में परिवर्तित हुआ। अमेरिका और यूरोप में स्थित प्रमुख वाणिज्य बैंक, निवेश बैंक, बीमा और बंधक कंपनियाँ एवं अन्य वित्तीय संस्थाएँ बड़ी हानियाँ उठाने लगीं जिससे उनके पूँजीगत आधार में हास हुआ। सभी प्रकार की आस्तियों के लिए ऋण के स्प्रेडों में भारी वृद्धि हुई। यद्यपि केंद्रीय बैंकों/सरकारों ने अनेक विफल हो रही वित्तीय संस्थाओं को सहायता (बेल आउट) प्रदान की, तथापि वित्तीय बाजार लगातार विश्वास के संकट से पीड़ित होते रहे। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमई) जिन्होंने सितंबर 2008 तक संकट को बर्दाश्त करने में काफी आघात-सहनीयता दर्शाई, 2008 की अंतिम तिमाही में दबाव में आ गईं।

4.2 जोखिम से अत्यधिक विमुखता, खराब व्यवसाय और उपभोक्ता विश्वास, अवनति और आर्थिक स्थितियों में परिणामी अपकर्ष ने 2008 के अंतिम भाग में परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की जोखिम उत्पन्न कर दी। केंद्रीय बैंकों, सरकारों और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा किये गये निर्णायक और असाधारण प्रयासों के परिणामस्वरूप उक्त बाजार 2009 के प्रारंभ में स्थिर हो गए। वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए प्रणालीगत जोखिम अब उल्लेखनीय रूप में कम हो गई हैं। अप्रैल 2009 से विभिन्न वित्तीय आस्ति बाजार संभलने लगे हैं जिनको प्रत्याशित से बेहतर आर्थिक आंकड़ों, सुधरी हुई कारपोरेट और वित्तीय क्षेत्र की आमदनी तथा व्यावसायिक विश्वास के पुनरुत्थान से प्रोत्साहन मिला। विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र की आमदनी के अनुमानों में ऊर्ध्वमुखी अंतरण और सुधरे हुए विश्वास ने जोखिम-वहन क्षमता में समुत्थान के लिए सहायता प्रदान की। चूँकि वित्तीय बाजार सामान्य हो गए, अतः बैंक और कारपोरेट बाजारों से पूँजी जुटाने में समर्थ हो गए। पूँजी

जुटाने के ऐसे प्रयासों को प्रारंभ में विभिन्न देशों द्वारा शुरू किये गये ऋण गारंटी कार्यक्रमों द्वारा सहायता प्रदान की गई।

4.3 फिर भी, वास्तविक और वित्तीय क्षेत्रों के बीच प्रतिकूल प्रतिसाद के पाश (लूप) के पुनः तीव्र होने की जोखिम तब तक महत्वपूर्ण बनी रही जब तक बैंक दबाव में थे तथा घर-परिवार और वित्तीय संस्थाएँ अत्यधिक उन्नत (लीवरेज्ड) रहे (वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अक्टूबर 2009, आइएमएफ)। इस चिंता को प्रतिबिंबित करते हुए 2009 के वर्ष भर में वित्तीय बाजारों ने अंतरालों से युक्त अस्थिरता के दौर प्रदर्शित किये। तथापि, उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंकों/सरकारों द्वारा यह पुनः आश्चस्त करते हुए कि प्रोत्साहन के उपाय तब तक विद्यमान रहेंगे जब तक समुत्थान की प्रक्रिया स्थिर नहीं हो जाती, बाजार के विश्वास को बढ़ावा दिया गया। आगे बढ़ते हुए, समुत्थान की प्रक्रिया में न्यूनतम विघटन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन के उपायों को अपरिहार्य तौर पर समाप्त करने के संबंध में सावधानीपूर्वक नपे-तुले कदम उठाने की आवश्यकता है।

4.4 वित्तीय संकट के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की चलनिधि पर दबावों ने इस अवधि के दौरान किये गये असाधारण उपायों सहित, बैंक देयताओं के परिपक्वता अवधि विन्यास में कमी के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके कारण फिर आगामी कुछ वर्षों में बैंकों को पुनर्वित्त की बड़ी आवश्यकताओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार की निधीयन की जोखिम के प्रबंध के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय बैंक अपने कर्ज की परिपक्वता अवधि को बढ़ाने तथा अधिक स्थिर ग्राहक जमाराशियों को शामिल करने के प्रयोजन से अपनी देयताओं की संरचना का विविधीकरण करने के लिए प्रत्येक अवसर का लाभ उठाएँ।


4.5 सरकारी (चार्ट 4.1) और कारपोरेट सीडीएस स्प्रेड (चार्ट सं. 4.2क और ख) अत्यधिक अस्थिरता के बीच 2008 के अंतिम वर्षों में ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तरों तक व्याप्त होने के बाद 2009 की दूसरी तिमाही से व्यापक तौर पर स्थिर हो गए। तथापि, मुख्य रूप से कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में ऋण के उच्च स्तरों की धारणीयता के बारे में चिंताओं ने हाल के महीनों में उन देशों में सरकारी सीडीएस स्प्रेडों की पुनः व्याप्ति को प्रेरित किया है।

4.6 वित्तीय बाजारों में विघटन दोनों उन्नत और उभरते बाजारों में ईक्विटी की कीमतों में तीव्र सुधार और बढ़ती हुई अस्थिरता में प्रतिबिंबित हुए। अनेक उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ईक्विटी की कीमतों के संकेतकों ने 30-67 प्रतिशत के दायरे में बड़ी गिरावटों का साक्षात्कार किया (चार्ट 4.3)। कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में ईक्विटी की कीमतों में सुधार एमएससीआइ विश्व सूचकांकों की तुलना में तीव्रतर था। चूँकि सरकारी नीतिगत उपाय प्रारंभ किये गये थे, अतः वैश्विक तौर पर ईक्विटी बाजारों में विशेष रूप से मार्च 2009 से तेजी से समुत्थान हुआ। चूँकि समुत्थान के लक्षण अधिक स्पष्ट हुए, अतः सरकारी ऋण के बारे में चिंताओं की पृष्ठभूमि में 2009 के अंत तक आते-आते केवल सुधार करने के लिए ही 2009 की तीसरी तिमाही में ईक्विटी बाजारों ने आगे और लाभ प्राप्त किये (चार्ट 4.4)।

4.7 अमेरिकी खजाना 10 वर्षीय प्रतिफलों में वैश्विक संकट के दौरान गिरावट आई तथा वे मार्च 2009 में 2.5 प्रतिशत पर रह गए। तथापि, 'सुरक्षित आश्रय' (सेफ हैवन) प्रवाहों के उलटाव और अपस्फीति के संबंध में घटते भय के बीच जून 2009 में प्रतिफल 4.0 प्रतिशत की ऊँचाई को स्पर्श करते हुए तेजी से लौट आए। ये अब 4.0 प्रतिशत से नीचे के दायरे में रह गए हैं।


4.8 मुद्रा बाजारों ने वैश्विक संकट के दौरान बहुत बढ़ी हुई अस्थिरता को प्रदर्शित किया। 2008 की दूसरी छमाही में अमेरिकी डॉलर के मूल्य में जापानी येन और चीनी युवान को छोड़कर अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले सामान्यतः वृद्धि हुई क्योंकि जोखिम-वहन क्षमता में कमी आई तथा अमेरिकी निवेशकों ने समुद्रपार ईक्विटी और बांड बाजारों में अपनी स्थितियों को परिसमाप्त किया। संकट के दौरान अमेरिकी डॉलर की ताकत बाजारों में अमेरिकी डॉलर की भारी कमी द्वारा प्रबल हुई जो निधीयन के स्रोत के रूप में अल्पकालिक अंतर बैंक लाइबोर के समाप्त होने के साथ ही लेहमैन के दिवालियेपन के बाद विद्यमान रही। यह विदेशी मुद्रा के आधार पर अदला-बदलियों (स्वैप्स) का प्रयोग करते हुए तथा

चार्ट 4.1 : सर्वोत्तम सीडीएस स्प्रेड




स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 4.2क : कंपनी सीडीएस संकेतांक (सितंबर 2008-मार्च 2009)



चार्ट 4.2ख : कंपनी सीडीएस सूचकांक (मार्च 2009-सितंबर 2009)



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

¹ आइटीआरएक्सएक्स विनिमय (क्रॉसओवर) मार्किट आइटीआरएक्सएक्स यूरोप क्रॉसओवर सूचकांक है तथा यह लगभग 40 संस्थाओं द्वारा व्यवस्थित है। ग्राफ सितंबर 2008 और मार्च 2009 में प्रभावी तारीखों एवं 2014 में परिपक्वता की तारीखों सहित श्रृंखला का प्रयोग करते हैं। आइटीआरएक्सएक्स यूरोप मार्किट आइटीआरएक्सएक्स यूरोप सूचकांक है जो ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, वित्त व्यवस्थाएँ आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से 125 निवेश ग्रेड की संस्थाओं द्वारा व्यवस्थित है। प्रयुक्त श्रृंखलाएँ 2014 में परिपक्व होनेवाली हैं। सीडीएस निवेश ग्रेड, मार्किट सीडीएस उत्तरी अमेरिका निवेश ग्रेड सूचकांक है जो विभिन्न क्षेत्रों की 125 निवेश ग्रेड संस्थाओं से संरचित है तथा प्रयुक्त दोनों श्रृंखलाएँ 2014 में परिपक्व होनेवाली हैं। सीडीएस क्रॉसओवर, मार्किट सीडीएस उत्तरी अमेरिका क्रॉसओवर सूचकांक है जो 35 संस्थाओं से बना है जिनमें से प्रत्येक को सूचकांक नियमावली में यथापरिभाषित रूप में पात्र श्रेणी-निर्धारण (रेटिंग) है। प्रयुक्त दोनों श्रृंखलाएँ 2013 में परिपक्व होनेवाली हैं।


एफएक्स स्वेपों को बढ़ाते हुए बैंकों द्वारा (मुख्य रूप से यूरोपीय बैंकों द्वारा) अपेक्षाकृत अल्पावधि में स्थानीय मुद्रा निधीयन और अमेरिकी डॉलर आस्तियों में अपेक्षाकृत दीर्घावधि निवेश से उत्पन्न मुद्रा और परिपक्वता अवधि के असंतुलन के परिणामस्वरूप घटित हुआ।

4.9 अमेरिका में विशाल बीमा संस्था एआइजी तथा एक बड़ी मुद्रा बाजार म्युचुअल फंड रिजर्व प्राइमरी मनी फंड की विफलता गैर-बैंक निधीयन स्रोतों की समाप्ति का कारण बनी। जैसे जैसे संकट व्याप्त हुआ, एफएक्स स्वेप बाजारों में तीव्र अव्यवस्थाएँ घर कर गईं तथा बाजार की चलनिधि में कमी बैंकों द्वारा धारित वित्तीय आस्तियों की परिपक्वता में कृत्रिम विस्तार का कारण बनी। बढ़े हुए प्रतिपक्षी जोखिम अवबोधनों के कारण लाइबोर बाजार में अमेरिकी डॉलर निधियाँ प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो गया। परिणामतः उत्पन्न अमेरिकी डॉलर की कमी में फेडरल रिजर्व द्वारा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं एवं मेक्सिको, ब्राजील और दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंकों के साथ अमेरिकी डॉलर स्वेप व्यवस्थाएँ करने के बाद सुधार आया। संकट की अवधि के दौरान यूरो/अमेरिकी डॉलर विनिमय दर के बीच एक गहरा संबंध विद्यमान रहा तथा इस मुद्रा युग्म में आधारभूत स्वेप व्याप्त हुआ (चार्ट 4.5)।

4.10 2009 की दूसरी तिमाही से, अमेरिका में सुरक्षित आश्रय प्रवाहों के उलटाव, अमेरिका में सरल मौद्रिक नीति की निरंतरता तथा ईएमई आस्तियों में सापेक्ष आकर्षण के कारण प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं और ईएमई मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर का मूल्योस होने लगा (चार्ट 4.6)।


4.11 प्रोत्साहनकारी उपायों ने भी वैश्विक चलनिधि में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी। एक ओर जहाँ इसका कठिन समय में आर्थिक वृद्धि के लिए पृष्ठभूमि प्रदान करने का हितकारी प्रभाव रहा, वहीं दूसरी ओर आगे बढ़ते हुए आस्ति-कीमत संबंधी मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है। निम्नतर अस्थिरता और जोखिम के प्रति घटी हुई विमुखता के साथ अमेरिका में निम्न ब्याज दरें (अमेरिका में प्रायः एक दिन की (ओवरनाइट) शून्य ब्याज दर है जो फेड ने पूर्वानुमान-योग्य भविष्य के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है²) पूँजीगत प्रवाहों को प्रोत्साहित कर सकती हैं जिससे संभावित रूप से वैश्विक तौर पर आस्ति-कीमत की अस्थायी वृद्धियों (बबल्स) को बढ़ावा मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान, जो वाशिंगटन स्थित एक विशेषज्ञ समूह है, के अनुसार भारत जैसे उभरते बाजारों को ऐसे पूँजी प्रवाह कभी भी अधिक 'हितकर' नहीं रहे क्योंकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमई) अतीत के असमान जब उनके पास 'औसत से अधिक जोखिम' थी, 'उच्चतर प्रतिलाभों की संभावना' और 'कम जोखिम' प्रदान करती हैं। जीडीपी के अनुपात के रूप में लोक ऋण उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में घटता रहा है जबकि

चार्ट 4.3 : शेयर बाजार संकेतांक (वर्षानुवर्ष अंतर और मार्च 2009 में पी/ई)




स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 4.4 : शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 4.5 : यूरो/अमेरिकी डॉलर तथा उसका दो वर्षीय विदेशी मुद्रा आधारित स्वेप



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

² जनवरी और बाद में मार्च 2010 में आयोजित एफओएमसी बैठक में एक सदस्य थॉमस होनिंग थे जिन्होंने विस्तारित अवधि के लिए निम्न दरों की माँग करती हुई भाषा को सुरक्षित रखने के निर्णय से असहमति व्यक्त की थी।

यह परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ रहा है। साथ ही, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में संवृद्धि अब घरेलू माँग से अधिक संचालित है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में इन दोनों कारकों ने आस्तियों की सापेक्ष आकर्षकता को बढ़ाया है।

देशी बाजार


4.12 देशी वित्तीय बाजार वैश्विक वित्तीय संकट से प्रभावित हुए, हालांकि यह उन्नत बाजारों की तुलना में कम सीमा तक था। व्याप्त हो रहे ऋण स्प्रेडों और उच्चतर चलनिधि प्रीमियमों ने देशी वित्तीय बाजार की स्थितियों की सख्ती को प्रकट किया जिससे 2008 की तीसरी तिमाही और 2009 की पहली तिमाही के दौरान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजार में विद्यमान दबाव प्रतिबिंबित हुआ। भारतीय रुपया भी महत्वपूर्ण रूप से कमजोर हुआ तथा ईक्विटी बाजारों ने तीव्र सुधारों का अनुभव किया। मौद्रिक और राजकोषीय प्राधिकारियों की ओर से त्वरित समर्थक कार्रवाई ने यह सुनिश्चित किया कि वित्तीय बाजारों में समुत्थान की गति वैश्विक बाजारों की तुलना में भारत के मामले में सुस्पष्ट रूप से अधिक तेज थी। तथापि, वैश्विक आर्थिक समुत्थान के बारे में अंतरालों से युक्त अनिश्चितता, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और सामान्य से कम मानसून की संभावना के कारण अस्थिरता बढ़ गई।

विदेशी मुद्रा बाजार

4.13 संकट से पहले के दशक ने देशी विदेशी मुद्रा बाजार में टर्नओवर में घातीय वृद्धि का साक्षात्कार किया। सभी खंडों (हाजिर, वायदा और अदला-बदली) का दैनिक टर्नओवर 1997-98 के लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2008-09 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो विदेशी मुद्रा बाजारों के प्रणामी उदारीकरण और वैश्विक बाजारों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए समेकन को प्रतिबिंबित करता है। गुणात्मक तौर पर भी, विशेष रूप से पिछले पाँच वर्षों में पूँजी खाते से उद्भूत होनेवाली अपेक्षाकृत बड़ी मात्राओं के साथ, विदेशी मुद्रा प्रवाहों का स्वरूप उल्लेखनीय रूप में परिवर्तित हो गया है। अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया विनिमय दर में उतार-चढ़ाव ने भी ऐसे पूँजी प्रवाहों में और ईक्विटी बाजारों में (इस स्थिति के होते हुए कि ऐसे प्रवाहों का एक महत्वपूर्ण भाग ईक्विटी बाजार में जाता है) विद्यमान प्रवृत्तियों को प्रकट किया है (चार्ट 4.7 और 4.8)।

4.14 अक्टूबर 2007 और अप्रैल 2008 के बीच अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये ने लगभग आइएनआर 40 के दायरे में व्यापार


चार्ट 4.6 : अमेरिकी डॉलर, एशियाई मुद्राओं और भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव



टिप्पणी : अमेरिकी डॉलर सूचकांक³ (डीएक्सवाइ) कुछ उन्नत देशों की मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मूल्य का द्योतन करता है। एशियाई डॉलर सूचकांक⁴ (एडीएक्सवाइ) अमेरिकी डॉलर की तुलना में एशियाई मुद्राओं के मूल्य का द्योतन करता है।


स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 4.7 : अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये की दरें और निवल एफआइआइ प्रवाह



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 4.8 : अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया और निफ्टी



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

³ डीएक्सवाइ छह विकसित बाजार की मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मूल्य को प्रकट करता है। सबसे अधिक भार 57.6 प्रतिशत पर यूरो के लिए है। अन्य मुद्राओं के भार निम्नानुसार हैं : जापानी येन : 13.6 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग : 11.9 प्रतिशत, कनाडाई डॉलर : 9.1 प्रतिशत, स्वीडिश क्रोना : 4.2 प्रतिशत तथा स्विस फ्रैंक : 3.6 प्रतिशत।

⁴ एडीएक्सवाइ ब्लूमबर्ग-जेपी मोर्गन एशिया डॉलर सूचकांक है और एशियाई मुद्राओं के व्यापार और चलनिधि के तौर पर भारत है। 32.6 प्रतिशत पर उक्त सूचकांक में चीनी युवान का भार सबसे अधिक है। अन्य मुद्राओं के भार निम्नानुसार हैं : हांगकांग डॉलर : 11.8 प्रतिशत, सिंगापुर डॉलर : 11.2 प्रतिशत, कोरियन वोन : 16.1 प्रतिशत और भारतीय रुपया : 6.1 प्रतिशत, इंडोनेशियन रुपैया : 2.9 प्रतिशत, मलेशियन रिंगिट : 5.4 प्रतिशत, फिलीपीन का पेसो : 1.9 प्रतिशत, तैवानी डॉलर : 7.6 प्रतिशत तथा थाई बहत : 4.4 प्रतिशत।


किया था। इस अवधि की मुख्य विशेषता बड़े और स्थिर पूँजीगत अंतर्वाह थे। बाजार में रिजर्व बैंक की उपस्थिति ने अस्थिरता का प्रबंध करने में सहायता पहुँचाई तथा इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में अभिवृद्धि हुई और इसके द्वारा स्थिरता में योगदान हुआ। 2008 की अंतिम तिमाही में बड़े पूँजीगत बहिर्वाह विदेशी मुद्रा बाजार में विचारों पर हावी रहे तथा भारतीय रुपये (आइएनआर) में उल्लेखनीय रूप से 20 प्रतिशत से अधिक मूल्यहास हुआ। पूँजीगत प्रवाहों के फिर से उभरने तथा व्यावसायिक चिंतन और व्यापार घाटे में सुधार होने के साथ ही, उक्त मुद्रा में 2009-10 में उल्लेखनीय रूप में समुत्थान हुआ (चार्ट 4.7)।

4.15 भारतीय विदेशी मुद्रा बाजारों में वायदा प्रीमियम सामान्यतः ब्याज दर विभेदक द्वारा आदेशित दर से निम्नतर रहे हैं (चार्ट 4.9)। नकदी अमेरिकी डॉलर की कमियों के चलते, हालांकि वे अस्थायी थीं, कुछ अवसरों पर जैसी कि मार्च और अक्टूबर 2008 में स्थिति थी, वायदा प्रीमियम और भिन्न रहे (और कुछ दिनों में ऋणात्मक बन गए)।

4.16 2008 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कमजोरी के साथ ही उन्नत विनिमय दर की अस्थिरता थी। तथापि, अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपये की अस्थिरता उन्नत देशों की मुद्राओं की तुलना में कम सुस्पष्ट थी, जैसी स्थिति प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की मुद्राओं के संबंध में थी (चार्ट 4.10)।


4.17 विशेष रूप से लेहमैन ब्रदर्स की विफलता के चलते घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार ने भी भारतीय रुपये की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मूल्यवृद्धि के अनुमान दर्शाये। यह अक्टूबर 2008 में विद्यमान अस्थिरता स्मितियों के आकारों में प्रतिबिंबित हुआ (चार्ट 4.11) जिसने विभिन्न आकस्मिक (स्ट्राइक)

चार्ट 4.9 : तीन माह की परिपक्वता में अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया वायदे तथा आइएनआर सीडी दरों और अमेरिकी डॉलर लाइबोर दरों का अंतर




स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 4.10 : अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक माह की परिपक्वता के लिए विभिन्न मुद्रा युगों की वार्षिक अंतर्निहित अस्थिरताएँ



स्रोत : ब्लूमबर्ग।


चार्ट 4.11 : एक माह, तीन माह और एक वर्ष की परिपक्वताओं में अस्थिरता स्मितियों का आकार - 23 अक्टूबर 2008



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

5 अस्थिरता स्मिति एक अंतर्निहित जमानत के लिए आकस्मिक (स्ट्राइक) कीमतों के समक्ष समाविष्ट अस्थिरता का आधारभूमि है। इस प्रकार की आधारभूमि का आकार सामान्यतः एक स्मिति या मुस्कान जैसा है और इसलिए यह नाम पड़ा है। यह ईक्विटी को छोड़कर अन्य प्रकार के ऑप्शन बाजारों में एक विशिष्ट आकार है। यह पाया गया है कि गहरी धन से बाहर वाली (आउट-ऑफ-दी मनी) और गहरी धनाधीन (इन-दी-मनी) आकस्मिक (स्ट्राइक) कीमतों के संबंध में सामान्य संभाव्यता वितरण का प्रयोग करनेवाले अनुमानों की तुलना में बाजार में उच्चतर अंतर्निहित अस्थिरता है। जबकि सममूल्य विकल्प (अट-दी-मनी) वाले ऑप्शन्स के संबंध में ऐसी अंतर्निहित अस्थिरताएँ हैं जो सामान्य संभाव्यता वितरण का प्रयोग करनेवाले अनुमानों के अधिक नजदीक हैं। उच्चतर अंतर्निहित संभाव्यता का निहितार्थ यह है कि बाजार यह अनुमान करता है कि गहरी आउट-ऑफ-दी-मनी और गहरी इन-दी-मनी आकस्मिक (स्ट्राइक) कीमतों के संबंध में सामान्य वक्र वितरणों द्वारा समाविष्ट कीमतों की तुलना में घटित होने की उच्चतर संभावना है। चार्ट 4.17 में दर्शाये अनुसार एक विषम आकार, रुपये के मुकाबले अमेरिकी डॉलरों के क्रय के काल्स और विक्रय के पुट्स के लिए अत्यधिक माँग के संकेत करता है।

चार्ट 4.12 : एक माह, तीन माह और एक वर्ष की परिपक्वताओं में अस्थिरता स्मितियों का आकार - 23 अक्टूबर 2009



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

कीमतों पर अमेरिकी डॉलर के विक्रय (पुट्स) की तुलना में अमेरिकी डॉलर के क्रय (कॉल्स) के लिए अत्यधिक उच्च माँग दर्शाई जिसके परिणामस्वरूप एक विषम संरचना सामने आई। इसके अलावा, अधिमानता धनाधीन (इन-दी-मनी) क्रय (कॉल्स) के लिए बहुत गहरी थी।

4.18 परिस्थिति के वापस लगभग सामान्य होने के साथ ही, विषमता उल्लेखनीय रूप में कम हुई जैसा कि अक्टूबर 2009 में एक वर्ष के बाद अस्थिरता स्मितियों से देखा जा सकता है (चार्ट 4.12)। फिर भी, उक्त विषमता विशेष रूप से एक वर्ष की परिपक्वता अवधि में अमेरिकी डॉलर के कॉल्स के पक्ष में रही।


4.19 घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में रिजर्व बैंक की कार्रवाइयाँ स्थिर और चलनिधि से युक्त वित्तीय बाजारों को विकसित करने के उसके लक्ष्य को प्रतिबिंबित करती हैं। 2007 में बड़े पूँजीगत अंतर्वाहों ने भारतीय रुपये की तीव्र और अव्यवस्थित मूल्यवृद्धि को रोकने के लिए उनके अवशोषण को आवश्यक बनाया। बड़ी विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ इस नीति की एक प्रशाखा हैं।

4.20 तथापि, रिजर्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलरों की खरीदी जून 2008 तक बिक्री के रूप में बदल गई तथा यह मई 2009 तक जारी रहा। इस प्रकार की कार्रवाई बाजार में जो परिस्थितियाँ अस्थिर हो गई थीं, उनके स्थान पर सुव्यवस्थित परिस्थितियाँ सुनिश्चित करने की आवश्यकता द्वारा संचालित रही (चार्ट 4.13)।

4.21 विदेशी मुद्रा दर को निर्धारित करने में पूँजीगत प्रवाहों का महत्व घरेलू विदेशी मुद्रा बाजारों को अंतरराष्ट्रीय पूँजी प्रवाहों के प्रति अतिसंवेदनशील बना देता है। उक्त प्रवाहों के आकार और अनियमित स्वरूप ने भी रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंध कार्यकलापों को कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

4.22 बढ़ी हुई अस्थिरता आर्थिक एजेंटों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव को महत्वपूर्ण बनाती है। वह बचाव की लागतों को बढ़ाने की प्रवृत्ति भी दर्शाती है। वाणिज्य बैंकों से प्राप्त कर रिजर्व बैंक द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार⁶ कुल एक्सपोजर्स के प्रतिशत के रूप में कारपोरेटों का अरक्षित एक्सपोजर दिसंबर 2008 को यथाविद्यमान 5.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 को 25.4 प्रतिशत हो गया। चूँकि यह बढ़ी हुई अस्थिरता की अवधि थी, अतः अरक्षित एक्सपोजर कारपोरेट क्षेत्र की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं तथा बैंकिंग क्षेत्र के लिए ऋण जोखिमों में वृद्धि के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं।

चार्ट 4.13 : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मिलियनों अमेरिकी डॉलर में एवं अमेरिकी डॉलर/ आइएनआर में बकाया वायदा खरीद/बिक्री



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

⁶ आंकड़े केवल 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के एक्सपोजर्स/बचावों से ही संबंधित हैं। अरक्षित एक्सपोजर की राशि का निर्धारण देशी संस्थाओं के लिए उपलब्ध स्वाभाविक बचावों को हिसाब में लिये बिना किया गया है। उक्त आंकड़ों में विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अन्य अनिवासी संस्थाओं के एक्सपोजर शामिल नहीं हैं। इन बचावों में वायदा सौदे (फारवर्ड्स)/ऑप्शन्स भी शामिल हैं जो पिछले कार्य-निष्पादन की सुविधा के अंतर्गत बुक किये गये हैं, जिनके लिए अभी तक अंतर्निहित जमानत संभवतः उपलब्ध नहीं है। क्रय की ओर और विक्रय की ओर से संबंधित अरक्षित एक्सपोजर्स के अंश का अलग-अलग आकलन वर्तमान में संभव नहीं है।

सरकारी बांड बाजार


4.23 आर्थिक मंदी की प्रतिक्रिया के रूप में सरकार के व्यय में वृद्धि की वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुरूप सरकार ने 2008-09 के दौरान प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से निवल बाजार उधार लिया गया जो 2007-08 के ऐसे उधार से लगभग दुगुना था। वर्ष 2009-10 के लिए निवल बाजार उधार लगभग 4,00,000 करोड़ रुपये का था, जिसका 80 प्रतिशत अक्टूबर 2009 के अंत तक पूरा हो गया था।

4.24 उच्च राजकोषीय घाटे के बारे में चिंताओं ने (विशेष रूप से जब मुद्रास्फीतिकारी अनुमान अनुकूल नहीं हैं) सरकारी बांडों के प्रतिफलों पर ऊर्ध्वमुखी दबाव डाला है। बांडों के उच्चतर प्रतिलाभों में कारपोरेट क्षेत्र के लिए उधार की लागतें बढ़ाने की संभावना निहित है तथा इसमें आर्थिक समुत्थान के लिए एक जोखिम है। फिर भी, जैसे ही रिजर्व बैंक ने 2009-10 की पहली छमाही के लिए 80,000 करोड़ रुपये तक सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदने और अपेक्षाकृत अल्प परिपक्वता अवधियों की प्रतिभूतियाँ जारी करने के लिए खुले बाजार परिचालनों हेतु अपनी योजनाओं की घोषणा की, प्रतिलाभों में वृद्धि नरम हुई (चार्ट 4.14)। इसके अतिरिक्त, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) की वापसी खरीद नीलामियों और खुले बाजार की खरीदियों को सरकार की सामान्य बाजार उधार राशियों और एमएसएस की शेष राशियों को अपने अधिकार से मुक्त करने (डीसीक्वस्ट्रिंग) के साथ समक्रमिक बना दिया गया। वित्तीय प्रणाली को उचित रूप से चलनिधि जारी करने के द्वारा रिजर्व बैंक ने 2009-10 में सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के सापेक्ष रूप में सुचारु संचालन को सुनिश्चित किया।

4.25 सरकारी बांड बाजारों में टर्नओवर प्रतिफलों के उतार-चढ़ाव और विकसित हो रही राजकोषीय स्थिति का एक कार्य रहा है (चार्ट 4.15)। व्यापार सामान्यतः प्रतिफलों के कम होने के समय के दौरान अधिक है। दूसरी ओर, प्रतिफलों के बढ़ने की अवधियों के दौरान बाजार ने अधिक मंद और व्यापार निस्तेज होने की प्रवृत्ति दर्शाई जिससे केवल दीर्घकालिक निवेशकों की प्रधानता स्पष्ट होती है। व्यापार पर हावी होनेवाली बैंकों जैसी वित्तीय संस्थाओं की व्यापार बही में सरकारी प्रतिभूतियों का अनुपात कम है। इसके लिए कारण यह है कि सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा निवेश का विपुल भाग अधिदेशात्मक एसएलआर अपेक्षा का अंग है तथा प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य (मार्क-टू-मार्केट) की जोखिम से बचने के लिए परिपक्वता तक धारित किया जाता है।


4.26 अप्रैल 2008 और सितंबर 2008 के बीच ब्याज दरों के सामान्य सुदृढ़ीकरण तथा नीतिगत दरों में वृद्धि जैसे रेपो दर में 7.75 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक की वृद्धि करने के कारण आय-वक्र में कटौतियाँ

चार्ट 4.14 : सरकार के बाजार उधार



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

चार्ट 4.15 : सरकारी प्रतिभूति बाजार में औसत दैनिक टर्नओवर के साथ 10 वर्षीय प्रतिफल में उतार-चढ़ाव



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

(रेपो दर को अप्रैल 2009 तक 4.75 प्रतिशत तक नीचे लाया गया) करने के अनुसरण में उक्त वक्र उल्लेखनीय रूप में दुरारोह बन गया जिससे दीर्घावधि दरें कुछ निश्चल रहीं। मुद्रास्फीति संबंधी सरोकारों और सरकारी बांडों की अधिक आपूर्ति की पृष्ठभूमि में अल्पावधि में वक्र के आगे और निश्चल रहने के साथ ही उक्त आय वक्र और ऊपर अंतरित होने लगा (चार्ट 4.16)।

कारपोरेट बांड बाजार


4.27 कारपोरेट बांडों में प्राथमिक बाजार का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा, सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा दोनों सरकारी और निजी स्थापनों के लिए किया जाता है। सेबी कारपोरेट बांडों में अनुषंगी बाजार को भी, दोनों काउंटर पर (ओटीसी) और भारत में व्यापार किये गये विनियम के संबंध में विनियमित करता है। कारपोरेट बांडों में रेपो बाजार के विनियमन के लिए रिजर्व बैंक उत्तरदायी है।

4.28 जैसा कि चार्ट 4.17 में उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, शेयरों और सरकारी बांडों में नकद बाजार की तुलना में कारपोरेट बांडों में व्यापार कम है। निजी स्थापन के अंतर्गत निर्गम 2007-08 के 1,28,601 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008-09 में 2,07,164 करोड़ रुपये हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2009 की अवधि में गैर-वित्तीय क्षेत्र द्वारा 81,617 करोड़ रुपये जुटाने के चलते निर्गम 152,191 करोड़ रुपये रहा है। इस अवधि के दौरान ईसीबी के द्वारा विदेशों में जुटाये गये 23,874 करोड़ रुपये की तुलना में गैर-वित्तीय संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक निर्गम 19,791 करोड़ रुपये के रहे।

4.29 कारपोरेट बांड बाजार पर वित्तीय संकट का प्रभाव अगस्त 2008 के बाद कारपोरेट बांडों के संबंध में स्प्रेडों में तीव्र वृद्धि और टर्नओवर में गिरावट के माध्यम से प्रकट हुआ। तथापि, घरेलू मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों द्वारा सामान्य स्थिति में लौट आने के साथ ही, कारपोरेट बांडों पर व्याप्त जोखिम भी 2008-09 की चौथी तिमाही की समाप्ति तक उल्लेखनीय रूप में कम हो गई तथा प्रमात्राओं में उल्लेखनीय सुधार रहा (चार्ट 4.17)। उसके बाद बाजार की गतिविधि में आगे और वृद्धि हुई क्योंकि व्यावसायिक विश्वास में पुनः कायम हुआ और निधियों के लिए माँग में आर्थिक समुत्थान के आगे-पीछे वृद्धि हुई।


4.30 विपुल मात्रा में चलनिधि, सुधरी हुई जोखिम-वहन क्षमता, बेहतर वित्तीय परिणामों और निवेशकों के विश्वास के साथ, कारपोरेट बांडों पर स्प्रेड जून 2009 तक संकट-पूर्व स्तरों तक संकीर्ण हो गए। एक ओर जहाँ सरकारी बांडों पर आय 2009 के प्रारंभ से स्थिर गति से अधिकता की ओर बढ़ी तथा उक्त वर्ष के अंत तक कारपोरेट बांडों पर

चार्ट 4.16 : अप्रैल 2008 से आय-वक्र के आकार



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

चार्ट 4.17 : चयनित देशी बाजारों का मासिक अनुषंगी बाजार टर्नओवर



स्रोत : सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक।

आय ने इस वृद्धि के साथ मेल नहीं खाया (चार्ट 4.18)। इसके परिणामस्वरूप, कारपोरेट स्प्रेड 2009 की समाप्ति पर संकट-पूर्व स्तरों से नीचे के स्तरों तक संकीर्ण हो गए, जिससे एक सुधारित जोखिम अवबोधन स्पष्ट होता है। इसकी तुलना में, वर्ष के दौरान अल्पावधि में वाणिज्यिक दरों में गिरावट हुई, परंतु 2009 के अंत तक ये बढ़ने लगीं।


4.31 भारत में कारपोरेट बांड बाजार के विकास को अवरुद्ध करनेवाली कुछ कानूनी, विनियामक और संस्थागत अड़चनें थीं जिनमें से कई का समाधान हाल के वर्षों में विनियामक और अन्य उपायों के द्वारा किया गया है। इनमें शामिल हैं, कूपन भुगतानों के संबंध में टीडीएस को हटाना, कारपोरेट बांडों में रेपो को लागू करना, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए व्यापार और सूचना की व्यवस्थाओं हेतु न्यूनतम लॉट आकार को कम करना, सूचीकरण करार को सरल बनाना तथा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए वृद्धिशील प्रकटीकरण की अपेक्षा। रिजर्व बैंक भी कारपोरेट बांडों में सीडीएस को लागू करने की प्रक्रिया में है तथा यह प्रत्याशित है कि इससे नकदी बांड बाजार को बढ़ावा मिलेगा।

4.32 तथापि, उक्त बाजार के विकास में कुछ अड़चनें अभी भी विद्यमान हैं। भारत में मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) राज्य और निवेशक की श्रेणी के आधार पर भिन्न-भिन्न है (निवेशकों के रूप में वाणिज्य और सहकारी बैंकों के मामले में यह कम है)। संस्थागत निवेशक ज्यादातर उच्च श्रेणी निर्धारण (रेटिंग) वाले बांडों में निवेश करते हैं। उच्च साख-निर्धारण वाले निर्गमकर्ता उनके लिए ईसीबी (बाह्य वाणिज्यिक उधार) और पीएलआर से कम दरों पर घरेलू बैंक ऋण सहित सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। अतः सरकारी निर्गमों पर निर्भरता कम है यद्यपि ऐसे बांडों के संबंध में मुद्रा के असंतुलन और ब्याज दर पुनर्निर्धारण खंड नहीं हैं जैसी स्थिति बैंकों से प्राप्त मीयादी वित्त के मामले में है। जैसी कि कंपनी बांड और प्रतिभूतिकरण संबंधी उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष : श्री आर. एच. पाटील) द्वारा सिफारिश की गई है, अन्य अड़चनों में उत्पाद का मानकीकरण, एक केंद्रीयकृत डेटाबेस और दिवालियेपन की प्रक्रियाओं में सुधार शामिल हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, संस्थागत निवेशकों के निवेश से संबंधित मानदंडों में शिथिलन तथा पेंशन और भविष्य निधियों जैसे दीर्घावधि के निवेशकों के प्रवेश पर प्रतिबंधों को हटाने से इस बाजार की गहराई में सुधार आ सकता है।

मुद्रा बाजार

4.33 मुद्रा बाजार में संपार्श्विकीकरण की वृद्धि ने इस खंड की अंतर्निहित शक्ति को बढ़ा दिया। लेहमैन संकट के दौरान एक दिन की (ओवरनाइट) दरें रिजर्व बैंक के उन विदेशी मुद्रा परिचालनों के दुहरे प्रभावों के कारण मजबूत हुईं जो अत्यधिक अस्थिरता और बैंकिंग

चार्ट 4.18 : कारपोरेट स्प्रेड उतार-चढ़ाव




स्रोत : ब्लूमबर्ग।

प्रणाली से अग्रिम कर बहिर्वाहों को नियंत्रित करने के लिए थे जिन्होंने चलनिधि को प्रणाली से बाहर निकाल दिया था। तथापि, बाजार की गतिविधि मजबूत रही जो बड़ी सीमा तक उन प्रतिपक्षी सरोकारों द्वारा अप्रभावित रही जिन्होंने विकसित देशों में मुद्रा बाजारों को प्रभावित किया। अंतर-संस्थागत बाजारों के संपार्श्विकीकरण और चलनिधि सहायता सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत केंद्रीय बैंक तक दैनिक पहुँच ने कमजोर वैश्विक भावना के समक्ष प्रभावी स्थिरीकरणियों के रूप में कार्य किया। बाद में एक दिन की (ओवरनाइट) दरें, नीतिगत दरों में कटौती और चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए सीआरआर में कटौतियों जैसे मात्रात्मक उपायों के कारण कम हुईं।

4.34 भारत औसत माँग मुद्रा दर नवंबर 2008 से आगे अधिकांशतः चलनिधि सहायता सुविधा (एलएएफ) के गलियारे के भीतर ही रही (चार्ट 4.19) तथा चलनिधि की स्थिति जनवरी 2010 से आगे एक स्थिर आधार पर पर्याप्त रही।

चार्ट 4.19 : चलनिधि समायोजन सुविधा और माँग-दर



स्रोत : ब्लूमबर्ग।

4.35 सीबीएलओ और बाजार रेपो का व्यापार रिजर्व बैंक की रिजर्व रेपो दर से नीचे भली भाँति हो रहा है। सीबीएलओ के अंतर्गत बैंकों द्वारा नकदी में उधार की राशियाँ इसके पहले सीआरआर की अपेक्षाओं से मुक्त थीं। इसने अन्य बातों के साथ-साथ अंतरपणन का एक अवसर उत्पन्न किया जिसमें बैंक सीबीएलओ में उधार नकदी में ले सकते हैं तथा एलएएफ पटल के अंतर्गत रिजर्व बैंक को उधार दे सकते हैं। 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में यह छूट समाप्त की गई।

मुद्रा बाजार और ऋण-उन्मुख म्युचुअल फंड

4.36 भारत में म्युचुअल फंड उद्योग (यूटीआइ को छोड़कर) अपेक्षाकृत नया है। म्युचुअल फंडों की आस्तियाँ 2003 और 2009 के बीच छह गुनी बढ़ गई हैं। तथापि, म्युचुअल फंडों के प्रबंध के अंतर्गत अधिकांश आस्तियों का योगदान कारपोरेटों और बैंकों का है तथा फुटकर सहभागिता कम है। इन आस्तियों का एक बड़ा घटक नकदी (लिक्विड)(91 दिन तक की परिपक्वता वाले निवेशों सहित) अथवा नकदी प्लस (लिक्विड प्लस) (एक वर्ष तक की परिपक्वता वाले निवेशों सहित) निधियों के अंतर्गत हैं। ये योजनाएँ म्युचुअल फंडों के अंतर्गत सबसे अधिक तेजी से वर्धमान खंड है।

4.37 म्युचुअल फंड सीबीएलओ और रेपो जैसे एक दिन के (ओवरनाइट) मुद्रा बाजारों के लिए बड़े उधारदाता हैं जबकि बैंक प्रमुख उधारकर्ता। इसी समय उच्चतर प्रतिफल, शीघ्र मोचन सुविधाओं के द्वारा अच्छी नकदी और कर अंतरपणन अवसरों ने म्युचुअल फंडों की लिक्विड और लिक्विड प्लस योजनाओं में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निवेश को हाल की अवधि में कई गुना बढ़ते हुए देखा है। बैंकों में म्युचुअल फंडों द्वारा निवेश की गई निधियों में अंशतः योगदान बैंकों द्वारा स्वयं ही किया गया। निधियों की गतिविधियों में ऐसी चक्रीयता वित्तीय प्रणाली के लिए संभावित जोखिम उत्पन्न करती है। ऐसे म्युचुअल फंडों में चलनिधि जोखिम निहित है क्योंकि उनकी देयताएँ वास्तव में माँग पर आहरणीय हैं जबकि निवेश अधिक लंबी अवधियों के लिए होते हैं।

4.38 2008-09 की तीसरी तिमाही में म्युचुअल फंडों ने अपने संस्थागत निवेशकों से मोचन के बहुत बड़े दबावों का सामना किया जिसने म्युचुअल फंडों की आस्तियों के आतंकित विक्रय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। म्युचुअल फंडों पर दबावों को देखते हुए, रिजर्व बैंक ने म्युचुअल फंडों को बैंकों के उधार के लिए एक चलनिधि पुनर्वित्त योजना (एक 14 दिवसीय रेपो के माध्यम से) लागू की। 2008 में चलनिधि के दबाव वाली घटना के बावजूद लिक्विड तथा लिक्विड प्लस योजनाएँ लगातार वाणिज्य बैंकों जैसे संस्थागत निवेशकों पर अत्यधिक निर्भर हैं जिनकी मोचन अपेक्षाएँ बढ़ी और एक ही समय की होने की संभावना है। अतः म्युचुअल फंडों

के लिए निवेशकों, विशेष रूप से खुदरा निवेशकों के अपेक्षाकृत अधिक व्यापक समुदाय के साथ अपनी मुद्रा के स्रोतों को सुयोजित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है।

4.39 यह पाया गया है कि म्युचुअल फंडों में बैंकों का निवेश वाणिज्य पत्रों (सीपी) में म्युचुअल फंडों के निवेश के साथ सहसंबद्ध है। म्युचुअल फंडों में बैंकों के निवेशों ने 2009-10 की दूसरी तिमाही के अंत तक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई तथा यह वाणिज्य पत्रों में म्युचुअल फंडों के निवेशों में गिरावट के साथ एक ही समय घटित हुआ। इसी प्रकार, उक्त तिमाही की समाप्ति के बाद म्युचुअल फंडों में बैंकों के निवेश के बढ़ जाने के साथ ही, म्युचुअल फंडों द्वारा वाणिज्य पत्रों में अभिनियोजन भी बढ़ गया है।

वित्तीय दबाव संकेतक

4.40 हाल की वित्तीय उथल-पुथल ने वित्तीय प्रणाली के दबाव के कारणों और प्रभाव के बारे में नवीकृत बहस को प्रेरित किया है। वित्तीय दबाव के उपाय उक्त प्रभाव का विश्लेषण अनुभवजन्य तरीके से करने के लिए उपयोगी हैं। भारत में वित्तीय प्रणाली में उक्त दबाव का आकलन करने के लिए एक वित्तीय दबाव संकेतक (एफएसआइ) की संगणना की गई है। यह एक संयुक्त रूप में विभिन्न परिवर्तनीयता उपायों/संकेतकों के माध्यम से विभिन्न वित्तीय बाजारों में विद्यमान अस्थिरता को ध्यान में रखता है। उक्त एफएसआइ बैंक ऋण में वृद्धि, जोखिम स्प्रेड, बंधक स्प्रेड, ईक्विटी की अस्थिरता, वाणिज्य पत्र स्प्रेड, जमा प्रमाणपत्र स्प्रेड आदि अनेक संकेतकों का एक संमिश्र सूचकांक है। एफएसआइ में परिवर्तन इस बात का निर्धारण करने में उपयोगी हैं कि क्या दबाव बढ़ रहा है अथवा घट रहा है तथा तीव्र स्थितियों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने में इनकी उपयोगिता है। इस प्रकार के सूचकांक का उपयोग करने का लाभ किसी वित्तीय दबाव के वृत्तांत के प्रारंभ, चरम स्थिति और समाप्ति की व्याख्या करने तथा इसके द्वारा उसकी अवधि की गणना करने की सामर्थ्य के रूप में है। इसके अलावा, इस प्रकार का सूचकांक वित्तीय दबाव की घटनाओं में प्रत्येक घटक के योगदान की समझ को सुसाध्य बनाता है।

4.41 भारत के लिए एफएसआइ में दस चुनिंदा घटक हैं (बॉक्स 4.1) जो वित्तीय बाजार के तीन खंडों (बैंकिंग, विदेशी मुद्रा, ऋण और ईक्विटी बाजार) में दबाव की स्थितियों को ग्रहण करने के लिए एक समग्र सूचकांक के अंतर्गत जुड़ गए हैं। उक्त संमिश्र एफएसआइ को निर्मित करने के लिए अंतर-समान भारण पद्धति का उपयोग करते हुए इन घटकों (उप सूचकांकों) को जोड़ दिया गया है (बॉक्स 4.2)। चूँकि उक्त एफएसआइ के प्रत्येक घटक को मानकीकृत किया गया है, अतः एक वर्तमान घटना के लिए दबाव के स्तर की तुलना केवल एक ऐतिहासिक घटना के संबंध में दबाव के स्तर से ही मध्यमान (मीन) से

बॉक्स 4.1 : वित्तीय दबाव संकेतक (एफएसआइ) : भारतीय संदर्भ में चुनिंदा घटक

बैंकिंग	(1) बीटा = सीओवी(आर.एम)/वीएआर(एम). एक नवीकृत 1 वर्ष की समय-सीमा में मासित तौर पर परिकलित, जहाँ आर = बैंक कुल मूल्य सूचकांक (उदा. बैंकेक्स) में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत में परिवर्तन एम = सामान्य शेयर सूचकांक (उदा. सेन्सेक्स) में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत में परिवर्तन (2) जमा प्रमाणपत्र (सीडी) स्प्रेड : सीडी दर से खजाना बिल दर घटाकर (3) जीएआरसीएच (1.1) बीएसई बैंकेक्स का उतार-चढ़ाव (4) बैंकों के वास्तविक खाद्येतर ऋण की संवृद्धि दर (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित)
विदेशी मुद्रा	(5) विनिमय बाजार का दबाव (ईएमपी) (6) जीएआरसीएच (1.3) आइएनआर-यूएसडी विनिमय दर का उतार-चढ़ाव
ऋण	(7) प्रतिशत आय वक्र : 5-10 वर्षीय भारत सरकार की बेंचमार्क बांड आय की औसत से 91-दिवसीय खजाना बिल दर को घटाकर (8) वाणिज्य पत्र स्प्रेड : 90-दिवसीय वाणिज्य पत्र की दर से 91-दिवसीय खजाना बिल की दर को घटाकर
ईक्विटी	(9) एनएसई निफ्टी मूल्य सूचकांक पिछले 12 महीनों में उसके अधिकतम मूल्य के प्रतिशत के रूप में (सीएमएएक्स पद्धति) (10) जीएआरसीएच (2.1) एनएसई निफ्टी का उतार-चढ़ाव

उनके अंतर के तौर पर की जा सकती है। अतः उक्त एफएसआइ उसके निर्माण के लिए प्रयुक्त नमूना अवधि के लिए सापेक्ष है तथा वह दबाव के समकालिक स्तर को ग्रहण करता है।

4.42 भारत का वित्तीय दबाव संकेतक (एफएसआइ) जो अक्टूबर 2008 में चरम पर था, अब तक घट चुका है (चार्ट 4.20)। दबाव की स्थिति मार्च 2009 तक रही।

बॉक्स 4.2 : वित्तीय दबाव संकेतक (एफएसआइ) की संगणना के लिए कार्यप्रणाली

वित्तीय दबाव की परिभाषा वित्तीय बाजारों और संस्थाओं में अनिश्चितता और हानि के परिवर्तनशील अनुमानों द्वारा आर्थिक एजेंटों पर प्रयुक्त बल के रूप में दी गई है। अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव का अध्ययन नीति-निर्धारकों के लिए अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को प्रभावी रूप से मापने और प्रामाणिक निर्णय लेने के प्रयोजन हेतु महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनेक संकेतक हैं जो उस विशिष्ट क्षेत्र में घटनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रयास करते हैं। वित्तीय दबाव संकेतक (एफएसआइ) इन सभी विभिन्न संकेतकों को एकीकृत संकेतक के रूप में संयोजित करता है तथा वित्तीय प्रणाली में दबाव की वर्तमान मात्रा का एक माप उपलब्ध कराता है।

वित्तीय दबाव की संगणना एक दो-चरणीय प्रक्रिया है अर्थात् (I) अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों से संकेतकों का चयन करना और तब (II) उपयुक्त पद्धतियों का प्रयोग करते हुए इन संकेतकों को संयुक्त करना। ये संकेतक अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों से चुने जाते हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र, विदेशी मुद्रा, ऋण और ईक्विटी बाजार।

कार्यप्रणाली

परिवर्ती तत्वों (वेरियबल्स) को संयुक्त करने की पद्धति का विकल्प (भारण पद्धति) संभवतः एक एफएसआइ का निर्माण करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। कारक-विश्लेषण, अंतर-समतुल्य भार, वेरियबल्स के रूपांतरण उनके नमूना संचयी वितरण कार्यों (सीडीएफ) का उपयोग करते हुए करने जैसे विभिन्न भारण तकनीकों का प्रयोग आम तौर पर किया जा रहा है।

क) कारक-विश्लेषण : कारक विश्लेषण का मूलभूत विचार अनेक वेरियबल्स के भारित आनुक्रमिक समूह (कारक) प्राप्त करना है। इस तकनीक के दो मुख्य प्रयोजन हैं : (i) वेरियबल्स की संख्या कम करना, और (ii) वेरियबल्स के बीच के संबंधों की संरचना का पता लगाना।

ख) अंतर-समतुल्य भार : एक अंतर-समतुल्य भारण पद्धति ऐसे सूचकांक को उत्पन्न करती है जो प्रत्येक वेरियबल को समान महत्व देता है। यह

सर्वाधिक सामान्य भारण पद्धति है जो साहित्य में प्रयुक्त है। वेरियबल्स के संबंध में यह मान लिया जाता है कि उनका सामान्यतः वितरण किया गया है जो इस दृष्टिकोण की प्राथमिक कमी है। प्रत्येक वेरियबल से उसका मध्यमान उसे उसके सामान्य अंतर से विभाजित करने से पहले घटाया जाता है, अतः यह शब्द ‘अंतर-समतुल्य’ भार प्रयुक्त है।

ग) नमूना संचयी वितरण कार्यों (सीडीएफ) का प्रयोग करते हुए

रूपांतरण : प्रत्येक वेरियबल का रूपांतरण उसके नमूना सीडीएफ के आधार पर शतमकों (पर्सेन्टाइल) के रूप में इस प्रकार से किया जाता है कि दबाव के उच्चतम स्तरों के तदनुरूपी सर्वाधिक चरम मूल्यों की विशेषता को 99वें पर्सेन्टाइल के रूप में बताई जाती है। दबाव के निम्नतम स्तरों के तदनुरूपी लघुतम मूल्यों की विशेषता पहले पर्सेन्टाइल के रूप में बताई जाती है। रूपांतरित वेरियबल्स को तब उक्त संयुक्त संकेतक का निर्माण करने के लिए समान रूप से जोड़ दिया जाता है।

संदर्भ :

1. बोर्डो एम. और ए. स्क्वार्ट्ज, 2000। ‘‘मेजरिंग रियल इकॉनॉमिक एफेक्ट्स ऑफ बेलआउट्स : हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव्स ऑन हाउ कंट्रीज इन फाइनेंशियल स्ट्रेस हैव फेअर्ड विथ एण्ड विदाउट बेलआउट्स।’’ एनबीईआर वर्किंग पेपर नं. 7701।
2. डेमिग्यूस-कुंट. ए. और ई. डेट्रागियाश, 1998। ‘‘दी डिटर्मिनेन्ट्स ऑफ बैंकिंग क्राइसेस इन डेवलपिंग एण्ड डेवलपड कंट्रीज।’’ आइएमएफ स्टाफ पेपर्स 45(1) : 81-109।
3. मार्क इल्लिंग एण्ड थिंग लियू। ‘‘एन इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस फर कनाडा।’’ बैंक ऑफ कनाडा वर्किंग पेपर, 2003/14.
4. व्लर्ड इकॉनॉमिक आउटलुक. आइएमएफ. अप्रैल 2009. अध्याय 4, ‘‘हाउ लिक्विडिटी फ्लोइंग दी फायर : दी ट्रांसमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्रॉम एडवांस्ड टू इमर्जिंग इकॉनॉमीज।’’

हाल के नीतिगत उपाय

4.43 रिजर्व बैंक ने उदारीकरण और बाजारों के विकास का अंशांकन और मापन किया तथा बाजार की मूलभूत संरचना ने वैश्विक संकट के दौरान लाभ पहुंचाया। दबाव की अवधि के दौरान भी वह बाजारों का आगे और विकास करने तथा उदारीकरण करने के लिए व्यापक दायरे में निरंतर उपाय किये जिनमें से कुछ उपायों की रूपरेखा इसके नीचे दी जाती है।

बांड फ्यूचर्स

4.44 अगस्त 2009 में ब्याज दर जोखिम के विरुद्ध बचाव के साधनों के विकल्प को विस्तृत करने की दृष्टि से राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) द्वारा एक आनुमानिक 10-वर्षीय भारत सरकार बांड के साथ एक बांड फ्यूचर्स संविदा प्रारंभ की गई। ब्याज दर स्वैप्स और वायदा दर करार 1999 में शुरू किये गये हैं तथा ब्याज दर स्वैप्स ने उल्लेखनीय चलनिधि को आकर्षित किया है। तथापि, उक्त फ्यूचर्स संविदा को अभी व्यापार के उच्च परिमाण दर्ज करना बाकी है। वास्तव में, दोनों टर्नओवर और अस्थिर ब्याज-राशि हाल के महीनों में अत्यंत निम्न स्तरों पर गिर गये हैं (चार्ट 4.21)। उत्पाद में चलनिधि की आपूर्ति करने के लिए बाजार के सहभागियों से प्राप्त सुझावों का परीक्षण रिजर्व बैंक द्वारा किया जा रहा है।


मुद्रा फ्यूचर्स

4.45 मुद्रा फ्यूचर्स एनएसई और एमसीएक्स-एसएक्स में क्रमशः अगस्त और अक्टूबर 2008 में शुरू किये गये। उक्त संविदाएँ नकद-निपटान वाली हैं तथा उनके ओटीसी परिवर्तों (वेरियन्ट्स) के असमान उनके लिए किसी अंतर्निहित जमानत के सबूत की अपेक्षा नहीं है जिसका बचाव आवश्यक हो। ये दो लक्षण मुद्रा फ्यूचर्स के व्यापार की प्रमात्राओं में वृद्धि को बड़ी सीमा तक स्पष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त यह व्यापार करने के लिए काफी हद तक एक अपेक्षाकृत सरल उत्पाद है और इसके लिए आसक्त सहभागियों का एक अधिक व्यापक आधार है। लगभग अवरुद्ध अस्थिर ब्याज-राशि की तुलना में मुद्रा फ्यूचर्स की प्रमात्राओं में निरंतर वृद्धि यह दर्शाता है कि बाजार अधिकांशतः अंतःदिवसीय गतिविधि द्वारा संचालित है (चार्ट 4.22 और 4.23)।

ऋण चूक स्वैप्स


4.46 मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी तिमाही समीक्षा में उपयुक्त रक्षोपायों के अधीन निवासी संस्थाओं के लिए कारपोरेट बांडों हेतु बिलकुल सादा ओटीसी एकल नाम वाली ऋण चूक अदला-बदलियों (स्वैप्स)(सीडीएस) को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव की घोषणा की गई। शुरुआती तौर पर सभी सीडीएस व्यापारों के संबंध में एक केंद्रीकृत व्यापार सूचना मंच को सूचित करने की अपेक्षा होगी तथा यथासमय उन्हें एक केंद्रीय समाशोधन मंच पर लाया जाएगा।

चार्ट 4.20 : वित्तीय दबाव संकेतक - भारत




स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

चार्ट 4.21 : 2009 में राष्ट्रीय शेयर बाजार के बांड फ्यूचर्स संबंधी मात्रा और अस्थिर ब्याज-राशि



स्रोत : राष्ट्रीय शेयर बाजार।

चार्ट 4.22 : मुद्रा-फ्यूचर्स में अस्थिर ब्याज-राशि



स्रोत : राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई), एमसीएक्स-एसएक्स।


समापन टिप्पणी

4.47 वैश्विक वित्तीय बाजार अप्रत्याशित उथल-पुथल की अवधि के बाद 2009 में एक परिमाण तक सामान्य हो गये। स्प्रेडों में गिरावट हुई, ईक्विटियों में समुत्थान हुआ तथा अस्थिरताएँ अपने चरम से नीचे लौटीं। त्वरित और समन्वित सरकारी नीतिगत उपायों के कारण चलनिधि की स्थितियों में सुधार आया। आगे बढ़ते हुए, मुख्य रूप से कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में उच्च ऋण स्तरों की निरंतरता के बारे में हाल की चिंताएँ तथा आनेवाले वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा सामना किए जानेवाले निधीयन जोखिम वैश्विक बाजारों के लिए कुछ जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।

4.48 चलनिधि संबंधी आघातों का वैश्विक तौर पर प्रसारण तीव्र और अप्रत्याशित था। आस्ति कीमतों में अत्यधिक गिरावट ने बाजार की चलनिधि को प्रभावित किया। वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की विफलता और तीव्र अवनति ने निधीयन की उपलब्धता को कठिन बना दिया। चूँकि बाजारों में बढ़ती हुई अनकदी के जोखिम की शोधक्षमता संबंधी समस्याओं के रूप में परिवर्तन ने घेर लिया था, अतः बाजारों के सुव्यवस्थित कार्यचालन को सुनिश्चित करने तथा वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से त्वरित मौद्रिक और राजकोषीय नीतिगत प्रतिक्रियाएँ रहीं। वैश्विक वित्तीय संकट ने देशी वित्तीय बाजारों के सभी खंडों को प्रभावित किया। वित्तीय दबाव संकेतक (एफएसआइ) भी यह संकेत करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने दबाव का अनुभव किया जो अक्टूबर 2008 में चरम पर था और मार्च 2009 तक बना रहा।

4.49 भारत में दबाव को शेयरों की कीमतों में भारी और त्वरित सुधार, विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता और घरेलू मुद्रा बाजारों में दबाव के रूप में अनुभव किया गया जो विशेष रूप से

चार्ट 4.23 : मुद्रा फ्यूचर्स की मात्रा



स्रोत : राष्ट्रीय शेयर बाजार, एमसीएक्स.एसएक्स।

पूँजीगत प्रवाहों के उलटाव और घरेलू बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं पर दबाव से उत्पन्न हुआ। रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि की उपलब्धता ने सुनिश्चित किया कि घरेलू बाजार 2009-10 की पहली तिमाही तक स्थिर हो गये। वैश्विक संकट से आगे प्रतिक्रिय विनियमों के प्रयोग ने वित्तीय स्थिरता को बनाये रखने में सहायता पहुँचाई। बाजारों ने अपनी सशक्त मूलभूत संरचना के बल पर सुव्यवस्थित रूप में कार्य करना जारी रखा। वित्तीय संकट के होने के बावजूद, उपयुक्त रक्षोपायों के साथ मुद्रा और बांड फ्यूचर्स जैसे नये लिखत प्रारंभ करते हुए रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों के विकास को जारी रखा।

4.50 भारत और विकसित बाजारों के बीच ब्याज दर और संवृद्धि दर विभेदक में यह अंतःशक्ति है कि उसके कारण भारत में बड़े पूँजी-प्रवाह आ सकते हैं। वास्तव में, भारत में शीघ्र समुत्थान, आस्ति-कीमतों में तीव्र सुधार तथा अन्य विकसित और कुछ उभरते बाजारों की भी तुलना में असाधारण रूप से सुविधाजनक मौद्रिक नीतियों से भारत द्वारा प्रारंभ किये गये शीघ्र निर्गम को देखते हुए जोखिम-वहन क्षमता में हुई वृद्धि के साथ ही पूँजी प्रवाह पहले ही बढ़ गए हैं। अर्थव्यवस्था की अवशोषण क्षमता से अधिक बड़े पूँजी प्रवाह विनियम दर पर दबाव उत्पन्न करते हैं एवं वित्तीय स्थिरता के लिए उसके अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। वे अवरुद्धता की लागत को भी बढ़ाते हैं जिसके कारण राजकोषीय भार बढ़ जाता है।

4.51 कारपोरेट बचाव व्यवहार, चलनिधि और जोखिम-वहन क्षमता से प्रभावित होता है। यदि चलनिधि कम और जोखिम-वहन क्षमता अधिक है तो इसके कारण आर्थिक जोखिमों से बचाव करने का कार्य निरुत्साहित होता है। अस्थिरता की अवधियों के दौरान कंपनियों द्वारा अरक्षित एक्सपोजरों में वृद्धि प्रणालीगत चिंताओं को बढ़ाती है।

अध्याय V वित्तीय संस्थाएँ



भारतीय वित्तीय प्रणाली की मुख्य विशेषता उसकी बहुरूपता है। वह अपनी शक्ति अपनी सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता से प्राप्त करती है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि यह क्षेत्र वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल की सर्वाधिक तीव्र अवधि के दौरान भी उल्लेखनीय रूप में प्रभावित नहीं हुआ। वाणिज्य बैंक, जो वित्तीय क्षेत्र का प्रधान खंड बनाते हैं, अच्छी स्थिति में रहे हैं यद्यपि आस्ति-गुणवत्ता में हास के आरंभिक लक्षण आगे चलकर कुछ चिंता का कारण बन सकते हैं। यह इस क्षेत्र में विद्यमान संस्थाओं के लिए एक सुधरे हुए श्रेणी-निर्धारण (रेटिंग) के दृष्टिकोण में प्रकट हुआ है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय उपाय किये गये हैं, जो अपने कार्यानिष्पादन के मानदंडों में सुधार दर्ज कर रहा है, यद्यपि चिंताएँ बनी हुई हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र सामान्यतः भली भाँति विनियमित रहा है तथा विशेष रूप से एनबीएफसी-एनडी-एसआइ गहन निगरानी के अधीन है। तथापि, अंतर्निहित जोखिमों के एक अधिक सशक्त आकलन के लिए एनबीएफसी-एनडी-एसआइ हेतु पर्यवेक्षी व्यवस्था को कुछ मजबूत करने की आवश्यकता होगी। समग्र रूप में संकट की इस अवधि के दौरान रिजर्व बैंक की विनियामक परिधि के अंदर बैंकों और बैंकेतर संस्थाओं के कार्यानिष्पादन को संतोषजनक पाया गया है।

वित्तीय संस्थाओं की संरचना

5.1 भारत में वित्तीय संस्थाएँ विभिन्न प्रकार की हैं जिनमें वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित), शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाएँ (एनबीएफसी), बीमा कंपनियाँ और म्युचुअल फंड शामिल हैं। इन संस्थाओं के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्थाएँ मजबूत कानूनी समर्थन के साथ सुपरिभाषित हैं। बैंकिंग क्षेत्र रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है, जिसकी विनियामक परिधि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को भी समाविष्ट करती है। रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए भी पर्यवेक्षक है। तथापि, ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पर्यवेक्षण नाबार्ड को सौंपा गया है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और ऋण बाजारों और उनके संबंधित डेरिवेटिव उत्पादों एवं भुगतान और निपटान प्रणाली का भी विनियमन करता है। बीमा क्षेत्र आइआरडीए द्वारा विनियमित है, म्युचुअल फंड सेबी द्वारा विनियमित हैं जबकि पीएफआरडीए पेंशन निधियों को विनियमित करता है। आवास वित्त कंपनियाँ राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित हैं।

5.2 भारत में पारंपरिक रूप से बैंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यवर्ती रहे हैं जो 2009 में कुल आस्तियों का लगभग 70 प्रतिशत बने हैं (चार्ट 5.1)। इस क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों की प्रधानता है जिनकी आस्तियाँ वित्तीय प्रणाली की आस्तियों के तीन बटा पाँच से अधिक हैं। भारत में बैंकों द्वारा वित्तीय मध्यवर्तिता ने बचत की राशियाँ जुटाने के द्वारा संवृद्धि की प्रक्रिया को सहायता प्रदान करने में एक केंद्रीय भूमिका अदा की है।

चार्ट 5.1 : वित्तीय प्रणाली आस्तियाँ



अन्य में शामिल हैं वित्तीय संस्थाएँ, राज्य वित्त निगम, आवास वित्त कंपनियाँ, डीआइसीजीसी (जमा बीमा निधि)
 स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, एएमएफआइ, आइआरडीए, सीएफएसए।

5.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) जो सेवाओं का एक विशाल समुच्चय उपलब्ध कराती हैं तथा वित्तीय क्षेत्र की आस्तियों का लगभग 9 प्रतिशत बनाती हैं, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को व्यापक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए, प्रतियोगिता को बढ़ाते हुए तथा बृहत्तर जोखिम विविधीकरण करते हुए भारत में वित्तीय प्रणाली का एक अभिन्न अंग बन गई हैं।

5.4 बीमा संस्थाओं में, जो वित्तीय प्रणाली की आस्तियों का लगभग 13 प्रतिशत बनाती हैं, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की प्रधानता है, यद्यपि इस क्षेत्र में निजी सहभागिता के लिए अनुमति 2000 से दी गई है। मार्च 2009 की समाप्ति पर भारत में चौवालीस बीमा कंपनियाँ कार्यरत थीं, जिनमें से बाईस कंपनियाँ जीवन बीमा का कारोबार कर रही थीं। शेष इक्कीस कंपनियाँ सामान्य बीमा व्यवसाय में थीं तथा एक कंपनी राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता थी। 2008-09 के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा वसूल किया गया कुल प्रीमियम लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये का था। 2008 के दौरान बीमा व्यापन (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बीमा प्रीमियम) जीवन व्यवसाय के लिए 4.0 प्रतिशत पर और जीवनेतर व्यवसाय के लिए 0.6 प्रतिशत पर अपेक्षाकृत कम था।

5.5 वित्तीय संस्थाओं ने 2007-2009 के बीच आस्तियों की वृद्धि के तौर पर कुल मिलाकर 17.8 प्रतिशत की एक प्रभावकारी संयोजित वार्षिक संवृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है। इस अवधि के दौरान वित्तीय क्षेत्र की आस्तियों में बैंकों का अंश बढ़ गया है। यह प्राथमिक रूप से इस तथ्य के कारण संभव हुआ कि लेहमैन ब्रदर्स की विफलता के तत्काल प्रभाव में म्युचुअल फंडों और बीमा क्षेत्रों से निधियों का पलायन हुआ तथा बैंकों को अधिक सुरक्षित आश्रय के रूप में देखा गया। तथापि, 2009-10 के दौरान म्युचुअल फंडों, विशेष रूप से मुद्रा बाजार म्युचुअल फंडों ने प्रबंध के अधीन आस्तियों में वृद्धि को देखा। इसका श्रेय अधिकांश रूप से थोक निधियों के महत्वपूर्ण अभिनियोजन को है, जो सुलभ चलनिधि की स्थितियों, ऋण की माँग में शिथिलता, बैंकों की ओर से जोखिम विमुखता तथा कुछ कर अंतरपणन और इस प्रकार के निवेशों के लिए उपलब्ध शीघ्र मोचन के लाभों के चलते विशेष रूप से बैंकिंग और कारपोरेट क्षेत्रों से थीं।

वाणिज्य बैंक


5.6 वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों-आरआरबी और स्थानीय क्षेत्र बैंकों-एलएबी को छोड़कर) के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक), निजी क्षेत्र के बैंक (पुराने और नये) तथा विदेशी बैंक आते हैं। जून 2009 की समाप्ति पर भारत में 81 अनुसूचित वाणिज्य बैंक थे जिनके पास 65,181 बैंक शाखाओं का नेटवर्क था। वाणिज्य बैंकिंग के क्षेत्र में राज्य के स्वामित्व वाले सरकारी

क्षेत्र के बैंकों की प्रधानता है जिनकी आस्तियाँ मार्च 2009 की समाप्ति पर कुल वाणिज्य बैंक आस्तियों के 72 प्रतिशत के नजदीक थीं।

संवृद्धि की प्रवृत्तियाँ


5.7 विशेष रूप से 2005 से स्वस्थ आर्थिक वृद्धि ने भी वाणिज्य बैंकिंग क्षेत्र में प्रभावशाली संवृद्धि को सुसाध्य कर दिया (चार्ट 5.2)। यद्यपि वाणिज्य बैंकों के समन्वित तुलन-पत्र की संवृद्धि दर 2007-08 के 25 प्रतिशत की तुलना में 2008-09 में 21 प्रतिशत पर साधारण तौर पर कम रही, तथापि इस क्षेत्र ने अधिकृत जीडीपी (चालू बाजार कीमतों पर) की दर से उच्चतर दर पर संवृद्धि करना जारी रखा। तदनुसार, जीडीपी की तुलना में वाणिज्य बैंकिंग आस्तियों का अनुपात मार्च 2008 की समाप्ति पर स्थित 91.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2009 की समाप्ति पर 98.5 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह अनुपात हांगकांग और कोरिया जैसी अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं एवं अमेरिका, यूके और स्विटजरलैंड जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी नीचे रहा (चार्ट 5.3)।

चार्ट 5.2 : जीडीपी में संवृद्धि और बैंक आस्तियाँ



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक की सांख्यिकी पुस्तिका।

चार्ट 5.3 : जीडीपी की तुलना में बैंक आस्तियों का अनुपात - चयनित देश



स्रोत : विश्व बैंक।

5.8 भारतीय बैंकों की समुद्रपार उपस्थिति और उनके कार्यकलापों का मान सीमित हैं तथा वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में इनमें गिरावट आई। मार्च 2009 की समाप्ति पर यह कुल आस्तियों का 4.4 प्रतिशत रहा। विषाक्त आस्तियों में प्रत्यक्ष एक्सपोजर की लगभग अनुपस्थिति ने भारतीय बैंकों को वैश्विक संकट के संपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव से अलग रखा।

5.9 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों की वार्षिक संवृद्धि दर 2006-07 के 24.1 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 23.4 प्रतिशत हो गया तथा 2008-09 में इसमें 22 प्रतिशत तक और कमी आई। बैंक ऋण में वृद्धि भी 2006-07 में विद्यमान 28.5 प्रतिशत और 2007-08 के 23.1 प्रतिशत से तेजी से घटकर 2008-09 में 19.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट 5.4)।

5.10 वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्रमशः प्रभावित करनेवाले वित्तीय संकट के प्रभाव के चलते ऋण-उठाव आगे और मंद हो गया तथा बैंक ऋण में वर्षानुवर्ष वृद्धि 2009-10 की पहली छमाही के दौरान 12.3 प्रतिशत पर रही। इसी अवधि के दौरान निवेशों में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सितंबर 2008 को विद्यमान 6.3 प्रतिशत की तुलना में)। फिर भी, राजकोषीय और मौद्रिक उपायों की पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था के अनुरूप ऋण-वृद्धि के समुत्थान के प्रारंभिक लक्षण दर्शनीय हैं। यह प्रवृत्ति हाल की अवधियों में वृद्धिशील ऋण-जमा (सीडी) एवं निवेश-जमा (आइडी) अनुपात में उतार-चढ़ाव द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है (चार्ट 5.5)।


तुलन-पत्र की संरचना और बदलती जोखिम-पृष्ठभूमि

आस्तियाँ

5.11 वाणिज्य बैंक आस्तियों के एक आम आकार के विश्लेषण से 2008 तक निधियों के अभिनियोजन में निवेशों से ऋण में निदेशित अंतरण का पता चला (चार्ट 5.6)। उसके बाद निवेशों के अंश में बढ़ोतरी हुई है। इसने अधिक मंद ऋण-उठाव, वाणिज्य बैंकों की बढ़ी हुई जोखिम-विमुखता (जिसने जोखिम-मुक्त सरकारी पत्र के लिए अधिमानता को प्रेरित किया) एवं राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों का वित्तपोषण करने के लिए सरकार के उधार में वृद्धि को प्रतिबिंबित किया।


5.12 सितंबर 2008 के बाद ऋण की वृद्धि के मंद होने के कारण उधार संबंधी ब्याज दरें (जैसी कि बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दरों-बीपीएलआर) द्वारा प्रतिबिंबित हैं) कम हो गईं, परंतु ब्याज दरों में कमी इसी अवधि के दौरान मौद्रिक स्थितियों के अनुकूल होने के अनुरूप नहीं थी। रिजर्व बैंक ने बैंचमार्क मूल उधार दर संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट (2009) में उधार संबंधी ब्याज दरों की विषम अधोमुखी अवरुद्धता पर विशेष बल दिया। बैंकों ने मौद्रिक सख्ती के चरण (मार्च 2004-

चार्ट 5.4 : जमाराशियों, निवेशों और अग्रिमों में संवृद्धि दर




स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.5 : वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात और निवेश-जमा अनुपात



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.6 : वाणिज्य बैंकों की आस्तियाँ



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक - बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट।

सितंबर 2008) के दौरान बीपीएलआर में वृद्धियों के माध्यम से तुरंत प्रतिक्रिया जताई, परंतु जब मौद्रिक नीति को सरल बनाया गया, तब बीपीएलआर को कम करने के विषय में मंद रहे (सारणी 5.1)। उक्त रिपोर्ट के अनुसार उधार संबंधी ब्याज दरों की अधोमुखी अवरुद्धता के लिए कारणभूत कारक थे, अतीत में उच्च दरों पर संविदा की जा रही जमाराशियों की लागत, अल्प बचत के लिए निर्धारित ब्याज दरें जो जमा ब्याज-दरों में कटौती का निरोध करती हैं, कुछ क्षेत्रों के लिए बीपीएलआर से संबद्ध रियायती उधार ब्याज दरों की विद्यमानता तथा उधार लेने के लिए सरकार के बृहत् कार्यक्रम का बना रहना। सितंबर 2008 से मौद्रिक सरलीकरण के चरण के दौरान मौद्रिक नीति के अधिक प्रभावी और अधिक गति से युक्त प्रसार उक्त उपायों के प्रभाव को और अधिक असरदार बना सकते थे।

देयताएँ


5.13 जमाराशियाँ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए लगातार निधियों के मुख्य स्रोत हैं तथा उन्होंने वर्षों से कुल देयताओं में अपना अंश बनाये रखा है। मार्च 2005 की समाप्त और मार्च 2009 की समाप्ति के बीच अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताओं में पूँजी के अंश में मामूली वृद्धि रही है (चार्ट 5.7)।

5.14 मार्च 2005 के अंत में और मार्च 2009 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अंश वृद्धिशील जमाराशियों का क्रमशः 79.8 प्रतिशत और 88.7 प्रतिशत रहा है (चार्ट 5.8)। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र के नये बैंकों के अंश में तीव्र गिरावट रही जो 13.3 प्रतिशत से घटकर 3.7 प्रतिशत

चरण	मौद्रिक सख्ती का चरण	
	(मार्च 2004-सितंबर 2008)	(सितंबर 2008-नवंबर 2009)
सीआरआर	450	(-)400 ¹
रेपो दर	300	(-)425
रिक्स रेपो दर	150	(-)275
बेंचमार्क मूल उधार दरें	सरकारी क्षेत्र के बैंक	325 - 350
	निजी क्षेत्र के बैंक	225 - 375
	विदेशी बैंक	100 - (-)150
		मौद्रिक सरलता का चरण (सितंबर 2008-नवंबर 2009)
		(-)125 - (-)275
		(-)100 - (-)125
		(+)50 - 0


स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक। बेंचमार्क मूल उधार दर संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट, अक्टूबर 2009।

चार्ट 5.7 : वाणिज्य बैंकों की देयताएँ



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक - बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट।

चार्ट 5.8 : वृद्धिशील जमाराशियाँ



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

¹ मौद्रिक नीति 2009-10 की तीसरी तिमाही समीक्षा में 75 आधार अंक की वृद्धि की गई।

रह गया। इसके लिए कारण अधिकांशतः थोक और बड़े परिमाण वाली जमा राशियों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदत्त उच्चतर ब्याज दरें हैं तथा संभवतः ग्राहकों का यह अवबोधन है कि संकट के समय में सरकारी क्षेत्र के बैंक सुरक्षित आश्रय के रूप में कार्य करते हैं।


5.15 हाल के वर्षों में कम लागत वाली, चालू और बचत खातों (सीएएसए) की जमा राशियों की वृद्धि दर में कुछ अवमंदन देखा गया है। कुल जमा राशियों में इस प्रकार की जमा राशियों का अंश दिसंबर 2006 के 35.6 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2009 में 32.9 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 5.9)। उच्चतर लागत वाली मीयादी जमा राशियों में तदनुसूची वृद्धि बैंकों की लाभप्रदता का परीक्षण कर सकता है। 1 अप्रैल 2010 से बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे बचत खातों में दैनिक शेष के आधार पर ब्याज अदा करें। यह बैंकों के लिए निधियों की लागत को प्रभावित कर सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप उनके मार्जिनों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी, सीएएसए जमा राशियों की लागत मीयादी जमा राशियों के सापेक्ष रूप में कम बनी रहेगी।

5.16 वाणिज्य बैंकों के विभिन्न खंडों के बीच कुल जमा राशियों में सीएएसए जमा राशियों का अंश विदेशी बैंकों के लिए सबसे अधिक है तथा निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के लिए सबसे कम (चार्ट 5.10)।

5.17 घरेलू जमा राशियाँ² कुल जमा राशियों के 50 प्रतिशत से भी अधिक हैं यद्यपि ये जमा राशियाँ घटती हुई प्रवृत्ति को देख रही हैं। शीर्ष के 20 जमाकर्ताओं का अंश मार्च 2005 और सितंबर 2009 के बीच 10 और 14 प्रतिशत के बीच मँडराया। साथ ही, अंतर-बैंक जमा राशियों और जमा प्रमाणपत्रों पर वाणिज्य बैंकों की निर्भरता दोनों को एकसाथ लेने पर लगभग छह प्रतिशत से आठ प्रतिशत तक कम रही है (चार्ट 5.11)।


5.18 तथापि, मीयादी जमा राशियों के प्रतिशत के रूप में बड़े परिमाण वाली जमा राशियों (15 लाख रुपये और उससे अधिक) के अंश ने एक बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को देखा और वह मार्च 2008 की समाप्ति पर एक उल्लेखनीय 65.8 प्रतिशत पर रहा। वह सितंबर 2009 की समाप्ति पर केवल सीमांत तौर पर घटकर 63 प्रतिशत हो गया (चार्ट 5.12)। ऐसी भारी जमा राशियों पर निर्भरता, जो खुदरा जमा राशियों से विशिष्ट रूप से अधिक अस्थिर हैं तथा जिनके संबंध में लागत भी उच्चतर है, के निहितार्थ बैंकों की लाभप्रदता, उनकी चलनिधि और आस्ति-देयता प्रबंध के लिए हैं।

चार्ट 5.9 : बैंक जमा राशियों की संरचना




स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.10 : कुल जमा राशियों में चालू और बचत खातों का बैंक-वार अंश



स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.11 : बैंकों की जमा राशियाँ : संकेन्द्रण जोखिम



स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

² घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं, 1. व्यक्ति (हिंदू अविभक्त परिवारों सहित) i) किसान ii) कारोबारी, व्यापारी, व्यावसायिक व्यक्ति और स्वनियोजित व्यक्ति iii) श्रमजीवी और वेतन अर्जक iv) सर्राफ, महाजन, शेयर दलाल, 2. न्यास, संघ, क्लब आदि 3. स्वामित्व और भागीदारी प्रतिष्ठान 4. शैक्षिक संस्थाएँ 5. धार्मिक संस्थाएँ 6. अन्य।

5.19 जमा ब्याज दरें सितंबर 2008 के बाद नीतिगत दरों के अधोमुखी संशोधन और प्रणाली में विद्यमान अधिक चलनिधि के अनुरूप कम हो गईं (चार्ट 5.13)।

क्षेत्रीय विश्लेषण

5.20 विगत कुछ वर्षों में वाणिज्य बैंकों की आस्तियों की वृद्धि मुख्य रूप से खुदरा, स्थावर संपदा और बुनियादी संरचना के क्षेत्रों को ऋण में वृद्धि द्वारा संचालित थी (चार्ट 5.14)।

खुदरा आस्तियाँ

5.21 संपदा क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में तेजी की अवधि के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि का साक्षात्कार किया। तथापि, आर्थिक संवृद्धि में नरमी के साथ ही 2005 से प्रतिक्रमिय विवेकपूर्ण मानदंडों के स्वीकरण ने खुदरा क्षेत्र³ में वृद्धि को सीमित कर दिया तथा कुल अग्रिमों में उसका अंश सितंबर 2006 में विद्यमान 26.5 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2009 में 19.8 प्रतिशत रह गया।

बुनियादी संरचना का निधीयन

5.22 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) ने भारत में भौतिक बुनियादी संरचना के लिए लगभग 20,00,000 करोड़ रुपये के निवेश की अपेक्षा का अनुमान व्यक्त किया है। रिजर्व बैंक ने बुनियादी संरचना के निधीयन को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किये हैं (बॉक्स 5.1)। सीमित वैकल्पिक निधीयन स्रोतों के चलते इस क्षेत्र को बैंकों के एक्सपोजर में कालक्रम में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में संवृद्धि की दर बहुत अधिक और सुसंगत रूप में 30 प्रतिशत से अधिक रही है (चार्ट 5.15)। बैंकों द्वारा बुनियादी संरचना का निधीयन इस प्रकार के निधीयन के साथ संबद्ध संभावित आस्ति-देयता संबंधी असंतुलों के कारण समष्टि-आर्थिक अस्थिरता का एक संभाव्य क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है।


स्थावर संपदा

5.23 स्थावर संपदा क्षेत्र को बैंकों के एक्सपोजर और वित्तीय संकटों के बीच सहसंबंध अनेक ऐतिहासिक वृत्तांतों द्वारा अभिपुष्ट किया जा चुका है जिनमें से सबसे नवीन घटना सबप्राइम संकट है।

आवास ऋण


5.24 भारत में इस क्षेत्र को बैंक ऋण में हाल के वर्षों में मजबूती से वृद्धि (कुल बैंक ऋण की वृद्धि से उल्लेखनीय रूप में अधिक) हुई है जिसमें वैश्विक संकट के दौरान कुछ नरमी रही है। आवास ऋणों की वृद्धि दिसंबर 2006 के 31.2 प्रतिशत की अधिकता से घटकर मार्च 2009 में 4.1 प्रतिशत के निम्न स्तर पर रह गया है। आवास ऋणों की

चार्ट 5.12 : मीयादी जमाराशियों का वितरण




स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.13 : मीयादी जमाराशियाँ - ब्याज दरें



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.14 : कुल अग्रिमों में अंश




स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

³ खुदरा ऋण में वैयक्तिक आवास ऋण शामिल हैं।

उच्च वृद्धि और आस्ति-कीमतों के उतार-चढ़ाव के संबंध में उसकी संवेदनशीलता के होते हुए, इस क्षेत्र को बैंक एक्सपोजर के लिए जोखिम भारों और प्रावधानीकरण मानदंडों का समायोजन एक प्रति-चक्रीय उपाय के रूप में किया गया। कुछ केंद्रों में आवास की कीमतों में नरमी, एक प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में पूर्ववर्ती स्तरों के लिए प्रावधानीकरण मानदंडों के सरलीकरण सहित का परिणाम माँग में सुधार के रूप में हुआ - वर्षानुवर्ष वृद्धि दर का दिसंबर 2009 में 14.6 प्रतिशत तक समुत्थान हुआ (चार्ट 5.16)।

5.25 बैंकों द्वारा प्रदान किये जानेवाले आवास ऋणों के लिए “कठिन” (टीज़र) दरों के संबंध में हाल के समय में कुछ चिंताएँ उभरी हैं। इन “टीज़र” आवास ऋणों की प्रारंभ में एक निम्न नियत ब्याज दर रही है जो आगे के वर्षों में उच्चतर स्तरों तक बढ़ गई है। अतः इस प्रकार के ऋण चुकाने के लिए उधारकर्ताओं की सामर्थ्य के बारे में चिंताएँ हैं, यदि ब्याज दरें तेजी से बढ़नेवाली हों तथा बैंक की आस्ति-गुणवत्ता पर उसका परिणामी प्रभाव पड़ता हो। इस संबंध में उधारकर्ताओं का प्रभावी शिक्षण और उनकी जागरूकता महत्वपूर्ण हैं।

चार्ट 5.15 : बुनियादी संरचना को अग्रिमों में वृद्धि



स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

बॉक्स 5.1 : बुनियादी संरचना उधार के लिए उपाय

बुनियादी संरचना को उधार के लिए रिज़र्व बैंक ने अनेक विनियामक उपाय / रियायतें प्रारंभ की थीं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं :

- बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे आइडीएफसी/अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ अंतरण वित्तपोषण (टेक आउट फाइनेंसिंग) की व्यवस्था करें।
- बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे बुनियादी संरचना क्षेत्र को 5 वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि के उनके एक्सपोजर की सीमा तक न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता सहित दीर्घकालिक बांड जारी करें।
- बैंकों को एकल उधारकर्ता की सीमा के मामले में 5 प्रतिशत और सामूहिक उधारकर्ताओं के मामले में 10 प्रतिशत की सीमा तक छूट दी गई है बशर्ते कि अतिरिक्त ऋण एक्सपोजर बुनियादी संरचना की परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के कारण हो।
- बैंकों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे असूचीबद्ध गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों के लिए 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर बुनियादी संरचना के कार्यकलापों में लिप्त कंपनियों के अश्रेणीकृत बांडों में निवेश करें।
- उधारदाता बैंक को गिरवी रखे गए बुनियादी संरचना की किसी परियोजना के विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) में प्रवर्तकों के शेयरों को बैंक के पूँजी बाजार एक्सपोजर से अलग रखने की अनुमति दी गई है।
- कुछ शर्तों के अधीन बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे उन मामलों में प्रवर्तक की ईक्विटी के निधीयन के लिए वित्त प्रदान करें जहाँ प्रस्ताव भारत में बुनियादी संरचना की किसी परियोजना को कार्यान्वित अथवा परिचालित करने में लिप्त किसी मौजूदा कंपनी में शेयर के अभिग्रहण से संबद्ध हो।

- ब्याज दर फ्यूचर पुनः प्रारंभ किये गये जो ब्याज दर जोखिम का प्रबंध अधिक कुशलतापूर्वक करने में बैंकों की सहायता कर सकें।


बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के क्षेत्र में मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी तिमाही समीक्षा में कुछ उपाय घोषित किये गये हैं।

- अंतरण वित्तपोषण का मौजूदा पूँजी पर्याप्तता व्यवहार दोनों बासेल I और बासेल II के अंतर्गत वायदा आस्ति खरीदों के पूँजी पर्याप्तता व्यवहार के अनुरूप है। इस विषय में पुनर्विचार किया गया तथा एक चरणबद्ध रूप में अंतरण एक्सपोजरों के लिए पूँजी का निर्माण करने के लिए बैंकों को अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की एक नई श्रेणी ‘बुनियादी संरचना एनबीएफसी’ प्रारंभ की गई है। इनमें ऐसी संस्थाएं शामिल हैं जो अपनी कुल आस्तियों का कम से कम 75 प्रतिशत बुनियादी संरचना की परियोजनाओं के लिए धारित करती हैं। इन एनबीएफसी को बैंकों के एक्सपोजर का जोखिम भार उनके साख-निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) से संबंधित होगा।
- कारपोरेट बांड बाजार का विकास करने के लिए एक डीवीपी आधार पर कारपोरेट बांडों में ओटीसी व्यापार के समाशोधन और निपटान को परिचालित किया गया। कारपोरेट बांडों में रेपो के प्रवर्तन के लिए मार्गदर्शी निदेशों का प्रारूप जारी किया गया है।

उन निवासी संस्थाओं के लिए कारपोरेट बांडों हेतु बिलकुल सादा ओटीसी एकल नाम की सीडीएस लागू करने के लिए रिज़र्व बैंक में एक आंतरिक दल स्थापित किया गया है जो उपयुक्त रक्षोपायों के अधीन होगी।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

चार्ट 5.16 : कुल बैंक ऋण में खुदरा आवास अग्रिमों के अंश में उतार-चढ़ाव



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ ।

वाणिज्यिक स्थावर संपदा

5.26 बैंकों के वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर में वृद्धि 2007 से अवमंदित हुई (चार्ट 5.17). जिसके लिए बढ़े हुए जोखिम भारों जैसे विनियामक उपायों और मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों में बढ़ोतरी के प्रभाव सहित विभिन्न तत्व कारणभूत हो सकते हैं। यह व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है कि वाणिज्यिक स्थावर संपदा बाजारों में कीमतों में गिरावटें और ऋण हानि चक्र सामान्यतः मजबूत हैं। तथापि, इस क्षेत्र की बेहतर निगरानी के लिए भारत में वाणिज्यिक स्थावर संपदा कीमतों के एक उपयुक्त डेटाबेस को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है, जिसको दिये जानेवाले अग्रिमों में हाल के समय में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।


5.27 वैश्विक संकट के चलते रिजर्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजरों के लिए जोखिम भारों सहित मानक आस्तियों और जोखिम भारों के लिए प्रावधानीकरण के संबंध में कुछ प्रतिचक्र्रीय विवेकपूर्ण उपायों को उलट दिया। तथापि, आस्ति-

गुणवत्ता संबंधी सरोकारों के संबंध में वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को ऋण में बड़ी वृद्धि और 14 प्रतिशत पर इस क्षेत्र में पुनः संरचित अग्रिमों की सीमा (अत्यधिक वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर से युक्त चयनित बैंकों के लिए) के होते हुए इस क्षेत्र में मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण को 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)


5.28 संक्रामकता की जोखिम और विनियामक अंतरपणन की संभावना के चलते तथा संकेंद्रण जोखिम संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी एनबीएफसी को बैंकों के एक्सपोजर सख्त एक्सपोजर मानदंडों के अधीन है। इस क्षेत्र के लिए जोखिम भार और प्रावधानीकरण के मानदंड भी अक्टूबर 2008 तक आवधिक रूप से बढ़ाये गये। नवंबर 2008 में विवेकपूर्ण अपेक्षाएँ कम कर दी गईं जब इस क्षेत्र ने चलनिधि की कमी को महसूस किया।

चार्ट 5.17 : वाणिज्यिक स्थावर संपदा अग्रिमों में वृद्धि



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ ।

चार्ट 5.18 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अग्रिमों में वृद्धि



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ ।

5.29 एक ओर जहाँ इस क्षेत्र में संवृद्धि की दरों में घट-बढ़ होती रही है, वहीं दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत दीर्घतर अवधि का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुल बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में एनबीएफसी क्षेत्र को अग्रिमों के अंश में एक साधारण ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति रही है (चार्ट 5.18)।

कारपोरेटों के अरक्षित एक्सपोजर

5.30 अनुकूल आर्थिक परिवेश द्वारा आधिक्य से युक्त होने पर कारपोरेट क्षेत्र एक तेज गति वाली वृद्धि को देख रहा था। संकट के प्रारंभ से पहले वैश्विक बाजारों में सुगम चलनिधि स्थितियों और मंदी से युक्त जोखिम प्रीमियमों ने अनेक कारपोरेटों को ईसीबी और एडीआर/जीडीआर जैसे समुद्रपार निधीयन के अपेक्षाकृत सस्ते स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। परिणामी एक्सपोजर यदि अरक्षित हों तो कारपोरेटों को विनिमय दर जोखिम के प्रति एक्सपोजर कर सकते हैं तथा उनकी घरेलू उधार राशियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय 4 में चर्चा की गई है, गड़बड़ की अवधि के दौरान कंपनियों द्वारा विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों को अरक्षित छोड़ने की प्रवृत्ति साबित हो चुकी है। बैंकों को सूचित किया गया है कि उनके बोर्ड की नीति के अंतर्गत सभी ग्राहकों के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरों से उत्पन्न होनेवाली जोखिमों की सुस्पष्ट रूप से पहचान की जाए और उन्हें हिसाब में लिया जाए। इसके अलावा, ग्राहकों के कुल अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की गणना करने के लिए विदेशी मुद्रा उधारों और ईसीबी सहित सभी स्रोतों से उनके एक्सपोजर को हिसाब में लिया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा ऋण अथवा ऐसे एक्सपोजरों के उनके संविभागों की तुलना में उपयुक्त समझी जानेवाली ऐसी निम्नतर सीमाओं को केवल उनके बोर्डों की भली भाँति निर्धारित बचाव नीति के आधार पर ही प्रदान किया जा सकता है।


कारपोरेट ऋण इतिहास के बारे में सूचना का आदान-प्रदान

5.31 रिजर्व बैंक ने उधारकर्ताओं के ऋण इतिहास और व्यवहार के बारे में विशेष रूप से अनेक बैंकों से ऋण सुविधाएँ प्राप्त करनेवाले उधारकर्ताओं संबंधी सूचना के बारे में बैंकों के बीच जानकारी के प्रभावी आदान-प्रदान के लिए विभिन्न उपाय लागू किये हैं। 2001 में स्थापित सिबिल तथ्यात्मक ऋण सूचना उपलब्ध कराता है जो ऋण जोखिम का प्रबंध करने तथा ऋण देने के संबंध में उपयुक्त कार्यनीतियाँ बनाने में वित्तीय संस्थाओं की सहायता करती है।

ऋण संकेंद्रण

5.32 बैंकों के शीर्ष 20 उधारकर्ताओं को उनके एक्सपोजर के विश्लेषण से यह विदित हुआ कि बैंक की निवल मालियत के 40 प्रतिशत से अधिक बड़े कंपनी समूह एक्सपोजरों के सात उदाहरण थे (चार्ट 5.19)। अन्य 37 उदाहरणों में निधीयन का स्तर बैंकों की निवल मालियत के 30-40

चार्ट 5.19 : बड़े कारपोरेट समूहों को एक्सपोजर



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ ।

प्रतिशत के बीच था। ऋण समूहन और ऋण विक्रय उक्त एक्सपोजर को अधिक समान रूप से वितरित करने में उपयोगी होंगे।


तुलन-पत्र से बाह्य एक्सपोजर

5.33 बैंकों के समग्र जोखिम विन्यास को आकार देने में डेरिवेटिव्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्षों से भारत में बैंक जोखिमों का प्रबंध करने के लिए डेरिवेटिव्स का अधिकाधिक उपयोग करते रहे और ये उत्पाद कारपोरेटों को उपलब्ध कराते रहे हैं। बैंकों के तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाले (ओबीएस) एक्सपोजर, जिन्होंने हाल के वर्षों में उच्च संवृद्धि को देखा, मार्च 2008 से अवमंदित हुए हैं (चार्ट 5.20)। इसने अंशतः वैश्विक वित्तीय संकट के प्रारंभ एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की परिणामी रोक तथा रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण मानदंडों को सख्त बनाने को प्रतिबिंबित किया। यद्यपि ओबीएस एक्सपोजर का बकाया आनुमानिक मूलधन भारत में वाणिज्य बैंकों के लिए तुलन-पत्र में शामिल आस्तियों से दो गुने के नजदीक है, तथापि ऋण की समतुल्य राशि (वर्तमान एक्सपोजर) दिसंबर 2009 की समाप्ति पर कुल ओबीसी एक्सपोजरों के तीन प्रतिशत से कम थी। फिर भी तुलन-पत्र से बाहर के ऐसे एक्सपोजरों का संकेंद्रण चिंता का एक कारण हो सकता है। विशेष रूप से, भारत में विदेशी बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कुल ओबीसी एक्सपोजर के लगभग तीन-चौथाई हिस्से के लिए कारणभूत हैं जबकि तुलन-पत्र में शामिल होनेवाली बैंक आस्तियों के केवल दस प्रतिशत के लिए ही इनका उत्तरदायित्व है।

5.34 वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप, भारतीय बैंकों ने ऋण डेरिवेटिव्स पर अपने एक्सपोजरों और अन्य अंतरराष्ट्रीय निवेशों के संबंध में कुछ एमटीएम हानियाँ उठाईं, परंतु वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं थीं। एमटीएम हानियों ने ऋण स्प्रेडों के संकीर्ण होने के साथ जनवरी 2009 से उल्लेखनीय रूप में गिरावट की प्रवृत्ति भी दर्शाई है (चार्ट 5.21)।


5.35 2007-08 में एमटीएम हानियों और बैंकों द्वारा बेचे गये कुछ डेरिवेटिव उत्पादों पर विवादों के आलोक में रिजर्व बैंक ने चुनिंदा वाणिज्य बैंकों के डेरिवेटिव लेनदेनों की समीक्षा की तथा कुछ सामान्य अनियमितताओं का अभिनर्धारण किया जिन्होंने फेमा के उपबंधों और मार्गदर्शी निदेशों के उल्लंघनों को स्थापित किया। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में विनियामक मानदंडों को भी सख्त बनाया - वर्तमान एक्सपोजर पद्धित पर ऐसे एक्सपोजरों के संबंध में पूँजीगत अपेक्षाओं की संगणना (मूल एक्सपोजर पद्धति के बदले), डेरिवेटिव एक्सपोजरों के लिए प्रावधानीकरण की अपेक्षाएं लागू करना जैसी कि वे मानक ऋण आस्तियों के लिए लागू हैं तथा ऋण आस्तियों के लिए यथाप्रयोज्य आस्ति वर्गीकरण के मानदंडों को (उधारकर्ता-वार वर्गीकरण के सिद्धांत सहित)

चार्ट 5.20 : तुलन-पत्र बाह्य (ओबीएस) एक्सपोजर



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.21 : चयनित बैंकों की सकल एमटीएम हानियाँ, प्रावधान तथा ऋण डेरिवेटिव्स में कुल एक्सपोजर और निवेश (आनुमानिक मूल धन)



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

डेरिवेटिव संबंधी प्राप्य राशियों पर लागू करना। इस प्रकार के एक्सपोजरों की अधिक सख्त निगरानी भी प्रारंभ की गई है।

वित्तीय सुदृढ़ता संकेतक

पूँजी पर्याप्तता


5.36 भारत में बैंक भली भाँति पूँजीकृत हैं जैसा कि उनके पूँजी पर्याप्तता अनुपात द्वारा प्रतिबिंबित है जो बेसल समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम 8 प्रतिशत के अनुपात और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 9 प्रतिशत के न्यूनतम अनुपात से अधिक है। भारत में वाणिज्य बैंकों का समग्र सीआरएआर मार्च 2009 की समाप्ति पर विद्यमान 13.2 प्रतिशत से सुधरकर दिसंबर 2009 की समाप्ति पर 14.1 प्रतिशत हो गया (चार्ट 5.22)। दिसंबर 2009 की समाप्ति पर 9.7 प्रतिशत पर विद्यमान बैंकों का मुख्य सीआरएआर भी रिज़र्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2010 से निर्धारित 6.0 प्रतिशत⁴ के मानदंड से अधिक रहा है।

5.37 भारत के मामले में मुख्य टीयर I⁵ घटक कुल टीयर I पूँजी के 95 प्रतिशत के नजदीक स्वस्थ स्तरों पर स्थित है जो अनुकूलता का स्रोत है (चार्ट 5.23)। महत्वपूर्ण तौर पर टीयर I पूँजी में अगोचर आस्तियों और आस्थगित कर आस्तियों जैसी मदे शामिल नहीं हैं जिन्हें अब घटाने की अपेक्षा है।

5.38 पूँजी पर्याप्तता की सुविधाजनक स्थिति यह संकेत करती है कि जब एक बार संवृद्धि की दर गति पकड़ती है तब ऋण विस्तार के लिए निधि उपलब्ध कराने की बैंक की सामर्थ्य के बारे में तत्काल कोई चिंता नहीं है। फिर भी, सरकार ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विश्व बैंक बैंकिंग क्षेत्र सहायता ऋण प्राप्त करने का निर्णय लिया है जो एक मध्यावधि दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों की पूँजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को बजट सहायता उपलब्ध कराएगा। यह राशि एक विकास नीति ऋण (डीपीएल) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक संभाव्य दूसरा डीपीएल जून 2010 तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।


5.39 मार्च 2009 की समाप्ति पर विद्यमान स्थिति के अनुसार सभी भारतीय बैंकों ने बासेल II के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण तक अंतरण किया था। बासेल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन के लिए समय अनुसूची भी अधिसूचित की गई है। मार्च 2009 की समाप्ति पर यथाविद्यमान बैंक समूह-वार सीआरएआर सारणी 5.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 5.22 : सीआरएआर और मुख्य सीआरएआर



स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.23 : विनियामक पूँजी की संरचना



स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

सारणी 5.2 : बैंक समूह-वार सीआरएआर

मदे	अवधि	सीआरएआर (प्रतिशत)	
	मार्च के अंत में	बासेल-I के अनुसार*	बासेल-II के अनुसार*
भारतीय स्टेट बैंक एवं उनके सहयोगी	2008-09	12.68	13.96
राष्ट्रीयकृत बैंक	2008-09	12.13	13.24
निजी क्षेत्र के बैंक	2008-09	14.97	15.23
विदेशी बैंक	2008-09	15.04	14.30
सभी बैंक	2008-09	13.19	13.98

*भारतीय बैंकों का सीआरएआर बासेल समझौते के अंतर्गत निर्धारित 8 प्रतिशत की तुलना में बासेल-II के अंतर्गत 9 प्रतिशत है।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

⁴ यह शर्त न्यूनतम 4 प्रतिशत टीयर I पूँजी की बासेल अपेक्षा से उच्चतर है।

⁵ मुख्य टीयर I = सद्भावना तथा अगोचरों और विनियामक कटौतियों के लिए समायोजित आम शेयरधारकों की ईक्विटी।


5.40 बीआरआइसी देशों के बीच भारतीय बैंकों का औसत सीआरएआर ब्राजीलियन और रूसी बैंकों के औसत सीआरएआर कम रहा (चार्ट 5.24)।

उन्नयन (लीवरेज)

5.41 वित्तीय प्रणाली में अत्यधिक लीवरेज हाल की वैश्विक उथल-पुथल के लिए मार्ग प्रशस्त करनेवाले एक प्रमुख कारक के रूप में माना जाता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लीवरेज (पूँजी की तुलना में आस्तियों और (तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली मदों (ऋण परिवर्तन कारकों) का अनुपात) जो सितंबर 2009 के अंत में 16.3 गुना रहा था, सामान्य रूप से घटकर दिसंबर 2009 के अंत में 16.1 रह गया। यहाँ पर यह तथ्य प्रासंगिक है कि भारत में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए यह शर्त लागू है कि वे अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं के कम से कम 25 प्रतिशत को अनुमोदित अर्थसुलभ प्रतिभूतियों में धारित करें। प्रणाली-वार लीवरेज अनुपात, ऐसी अनुमोदित प्रतिभूतियों को घटाकर, सितंबर 2009 के अंत में 13.0 और दिसंबर 2009 के अंत में 12.9 पर काफी निम्नतर था।


5.42 भारत में शीर्षस्थ 60 बैंकों के सीआरएआर और लीवरेज का विश्लेषण (आस्ति के आकार के तौर पर) यह निर्दिष्ट करता है कि सितंबर 2009 के अंत में अधिकांश बैंक क्रमशः 12-16 प्रतिशत के सीआरएआर के दायरे में तथा 13-20 गुने के बीच लीवरेज में निकट से संकेद्रित थे (चार्ट 5.25)। केवल एक ही बहिर्वासी बैंक अपेक्षाकृत उच्च लीवरेज और निम्न सीआरएआर के साथ था जो कुल बैंक आस्तियों के केवल 0.2 प्रतिशत से युक्त था एवं इस कारण से स्थिरता के लिए इसे जोखिम/चिंता के स्रोत के रूप में नहीं माना गया। दिसंबर 2009 के अंत में कोई भी बैंक निम्न सीआरएआर और उच्च लीवरेज के साथ उच्च जोखिम की श्रेणी में नहीं था।

चार्ट 5.24 : जोखिम भारत आस्तियों की तुलना में विनियामक पूँजी - बीआरआइसी देश



स्रोत : वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।

चार्ट 5.25 : उन्नयन (लीवरेज)



स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

6 प्रावधान व्याप्ति अनुपात = (ऋण हानियों के लिए प्रावधान / सकल एनपीए) * 100। इसमें तकनीकी अपलेखन शामिल नहीं हैं।

5.43 बीआरआइसी देशों के संबंध में आस्तियों की तुलना में बैंक पूँजी का अनुपात (लीवरेज के लगभग प्रतिलोम में) दर्शाता है कि यद्यपि भारत का अनुपात पर्याप्त था, तथापि ब्राजील और रूस के अनुपात से कम था (चार्ट 5.26)।

आस्ति गुणवत्ता


5.44 आधिक्य से युक्त आर्थिक संवृद्धि द्वारा सहायता प्राप्त करने के कारण बैंकों की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के स्तर 2007-08 तक एक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाते रहे। तथापि, 2008-09 में एनपीए स्तरों में कुछ वृद्धि देखी गई (चार्ट 5.27)। वाणिज्य बैंकों का प्रावधान व्याप्ति अनुपात⁶ (ऋण हानि प्रावधान/सकल एनपीए-चार्ट में स्थित एलएलपी/जीएनपीए) एक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाता है। तथापि, एनपीए अनुपातों में कोई उल्लेखनीय हास नहीं दिखता। ऋण जोखिम के लिए दबाव के परीक्षण (जैसा कि इस समीक्षा के अध्याय VII में विस्तार से बताया गया है) भी ऋण की गुणवत्ता में अप्रत्याशित हास को सहने के लिए बैंकों की आघात-सहनीयता की उचित मात्रा को निर्दिष्ट करते हैं।

5.45 भारत में सकल एनपीए अनुपात बीआरआइसी देशों की तुलना में बेंचमार्क करने पर सुसंगत रूप में निम्न रहा है (चार्ट 5.28) यद्यपि भारत का प्रावधान व्याप्ति अनुपात अनुकूल रूप में तुल्य नहीं है।

5.46 वर्तमान संकट के प्रारंभ से पहले बहुत तीव्र ऋण वृद्धि और उसके बाद की गिरावट ने आस्ति-गुणवत्ता पर कुछ दबाव डाला है। 2008 तक वाणिज्य बैंकों का निम्न और सामान्यतः घटता हुआ आस्ति हास (स्लिपेज) अनुपात तब से बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शाता रहा है। उक्त संकट के बाद मानक अग्रिमों (कारपोरेट उद्धारक कर्जों) की पुनः संरचना संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का भी संशोधन एकबारगी उपाय के रूप में किया गया तथा यह भी आस्ति-गुणवत्ता पर आगे और दबाव डाल सकता है (चार्ट 5.29)। अतः 2009-10 में उक्त षोस अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता (चार्ट 5.30)।


5.47 रिजर्व बैंक ने अब एक प्रतिचक्रिय उपाय के रूप में यह घोषणा की है कि बैंकों को सितंबर 2010 तक अपनी अनर्जक आस्तियों के 70 प्रतिशत का प्रावधान व्याप्ति अनुपात प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह नीतिगत घोषणा एक ओर आस्ति गुणवत्ता संबंधी चिंताओं तथा दूसरी ओर बैंकिंग प्रणाली के उचित लाभों के परिणामस्वरूप की गई है। जैसा कि अन्य देशों में हुआ है, वैश्विक संकट के बाद रिजर्व बैंक भी स्पेन की 'गतिशील प्रावधानीकरण' प्रणाली के अनुसरण में उपयुक्त प्रतिचक्रिय प्रावधानीकरण की पद्धति पर कार्य कर रहा है। एक ओर जहाँ अतिरिक्त प्रावधानों की अनिवार्यता बैंकों को ऋण-

चार्ट 5.26 : आस्ति की तुलना में बैंक पूँजी - बीआरआइसी देश




स्रोत : वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।

चार्ट 5.27 : आस्ति गुणवत्ता



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.28 : आस्ति गुणवत्ता - अंतरराष्ट्रीय तुलना - बीआरआइसी देश



स्रोत : वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।

हानियों के प्रति अधिक आघात-सहनीय बनाएगी, वहीं दूसरी ओर आगे चलकर वह उनके लाभों को प्रभावित कर सकती है।

लाभप्रदता के संकेतक

5.48 भारत में बैंकों के ईक्विटी पर आय (आरओई) और आस्तियों पर आय (आरओए⁷) अनुपात पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहे हैं। आरओए की व्युत्पत्ति का विश्लेषण प्रकट करता है कि आस्तियों के बेहतर उपयोग ने लाभ के मार्जिन में कुछ गिरावट के बावजूद 2008-09 में आरओए अनुपातों को बनाये रखा (सारणी 5.3)। तथापि, यदि आस्ति-गुणवत्ता में हास, प्रावधानों में वृद्धि आदि के कारण मार्जिन दबाव में आते हैं तो यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए अपने मौजूदा आरओए स्तर को, विशेष रूप से एक वृद्धिशील तुलन-पत्र के परिदृश्य में बनाये रखने के लिए एक चुनौती होगी।

5.49 बैंकिंग प्रणाली की आरओई मुख्य रूप से हासमान ईक्विटी गुणक के कारण अपेक्षाकृत कम रही है। बैंक आस्तियों में उचित वृद्धि को देखते हुए एक हासमान ईक्विटी गुणक विनियामक सुविधा के लिए एक स्रोत है क्योंकि इसका निहितार्थ यह होता है कि बैंकों के अर्जन का एक अधिक भाग बनाये रखा जाता है तथा हानि का अवशोषण करनेवाली सामान्य ईक्विटी में अंतरित किया जाता है।


5.50 आय के स्रोतों का वियोजन यह दर्शाता है कि प्रधान अंशदान पारंपरिक बैंकिंग से ब्याज की आय के कारण है, जो लाभप्रदता को स्थिरता प्रदान करती है (चार्ट 5.31)। तथापि, बढ़ी हुई प्रतियोगिता और वृद्धिशील अमध्यस्थीकरण के वर्तमान परिवेश में निवल ब्याज मार्जिन दबाव में आ सकते हैं। अतः अन्य आय स्रोतों की दिशा में विविधीकरण करने की आवश्यकता है जो पिछले कुछ वर्षों से अवरुद्ध रहे हैं।

5.51 ब्याज, विशेष रूप से ग्राहकों की जमा राशियों पर ब्याज व्यय के सबसे बड़े अंश के लिए उत्तरदायी होता है (चार्ट 5.32)। कुल व्ययों में से स्टाफ संबंधी व्ययों का अंश कम हो गया है जो स्टाफ के युक्तियुक्तीकरण और बैंकिंग परिचालनों के बढ़ते हुए आउटसोर्सिंग को प्रतिबिंबित करता है। प्रावधान और कर जिन्होंने एक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई, रिजर्व बैंक द्वारा घोषित बढ़े हुए प्रावधानीकरण के मानदंडों और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में संभव बढ़ोतरी के कारण चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान लाभप्रदता पर अधिक भार डाल सकते हैं।

⁷ आरओए = $\frac{\text{निवल लाभ}}{\text{आस्ति}} = \frac{\text{निवल लाभ}}{\text{कुल आय}} * \frac{\text{कुल आय}}{\text{आस्ति}}$


⁸ ईक्विटी गुणक = कुल आस्तियाँ / कुल शेयरधारकों की ईक्विटी

चार्ट 5.29 : पुनःसंचित मानक अग्रिम



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.30 : आस्ति पतन




स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

सारणी 5.3 : आरओए और आरओई का वियोजन

	आरओई	आरओए	आरओई की व्युत्पत्ति		
			लाभ मार्जिन	आस्ति उपयोग	ईक्विटी गुणक ⁸
2005-06	12.7	0.9	10.9	8.0	14.5
2006-07	13.2	0.9	11.1	8.0	14.9
2007-08	12.5	1.0	11.5	8.6	12.6
2008-09	13.1	1.0	11.3	9.0	12.9

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.31 : आय



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

5.52 भारत की आरओई और आरओए पिछले कुछ वर्षों में तथा वैश्विक संकट के समक्ष भी अन्य बीआरआइसी देशों की तुलना में अधिक स्थिर रही है (चार्ट 5.33)।

चलनिधि और शोधनक्षमता


5.53 भारत में बैंक अपने आस्ति-देयता असंतुलों का प्रबंध विनियामक मार्गदर्शी निदेशों के आधार पर सक्रिय रूप से कर रहे हैं जिसमें ब्याज दर जोखिम और चलनिधि जोखिम का प्रबंध शामिल है। उक्त मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे आंतरिक विवेकपूर्ण सीमाएँ स्थापित करने के द्वारा संरचनात्मक चलनिधि के विवरण में सभी समय खंडों के दौरान संचयी असंतुलों की निगरानी करें। अल्पावधि (28 दिन तक) के लिए संचयी नकदी बहिर्वाहों के प्रतिशत के रूप में असंतुलों के संबंध में सीमाओं के तौर पर विनियामक शर्तें निर्धारित की गई हैं। अत्यंत अल्पावधि में चलनिधि जोखिम को मापने के लिए एक अधिक कणात्मक दृष्टिकोण अपनाने के द्वारा अक्टूबर 2007 में उक्त मार्गदर्शी निदेशों को सही तालमेल से युक्त बना दिया गया।

5.54 अल्पावधि समय-खंडों (28 दिन तक) का एक पूरक विश्लेषण सभी समय-खंडों में देखे गये धनात्मक असंतुलों के साथ प्रणाली स्तर पर किसी भी प्रमुख चलनिधि की अस्थिरता को निर्दिष्ट नहीं करता (सारणी 5.4)।

5.55 एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से एक वर्ष से कम और पाँच वर्ष से अधिक अवधियों के लिए दिसंबर 2009 की तुलना में दिसंबर 2006 के लिए बैंकों की जमाराशियों, अग्रिमों और निवेशों के परिपक्वता विन्यास का विश्लेषण (सारणी 5.5) संचालित किया गया। यह विश्लेषण अपेक्षाकृत अल्पावधि पर जमाराशियों के संकेंद्रण और मध्यावधि से दीर्घावधि में ऋण के अभिनियोजन को निर्दिष्ट करता है जिसके अंतर्गत तुलन-पत्र में अंतःस्थापित संरचनात्मक असंतुलन निहित हैं। तथापि, उक्त अवधि के दौरान निवेशों के अवधि-विन्यास में कटौती ने संरचनात्मक असंतुलों को प्रतिसंतुलित किया है और इसके परिणामस्वरूप कुछ सीमा तक चलनिधि जोखिम उत्पन्न हुई है। समझौताकारी समन्वयन (ट्रेड ऑफ) स्पष्ट रूप से एक अधिक सुविधाजनक चलनिधि की स्थिति और उच्चतर प्रतिफल के बीच है।


5.56 चलनिधि अनुपात विश्लेषण (सारणी 5.6) से तुलन-पत्र संबंधी संवृद्धि को सहायता पहुँचाने के लिए अस्थिर देयताओं पर बढ़ती हुई निर्भरता प्रकट होती है। कुल आस्तियों में से स्थायी जमाराशियों का अंश वर्षों से (2009 की अंतिम दो तिमाहियों को छोड़कर) प्रगामी रूप में घट गया है। कुल आस्तियों में से अस्थायी आस्तियों का अत्यधिक अनुपात होने के बावजूद अस्थिर देयताओं के संबंध में तरल आस्तियों की व्याप्ति एक से भी कम रह गई है जिससे संभावित चलनिधि संबंधी

चार्ट 5.32 : व्यय



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.33 : आस्तियों पर आय (आरओए) और ईक्विटी पर आय (आरओई) - बीआरआइसी देश



स्रोत : वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट।

सारणी 5.4 : अल्पावधि आस्ति-देयता प्रबंध का विश्लेषण

	समय-खंड			
	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन
मार्च -09	17.80	14.38	7.86	8.63
सितं- 09	34.35	28.48	19.23	16.74
दिसं-09	30.96	25.18	19.39	15.71

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

सारणी 5.5 : आस्ति-देयता प्रबंध का विश्लेषण

	जमाराशियाँ (कुल जमाराशियों का प्रतिशत)		अग्रिम (कुल आस्तियों का प्रतिशत)		निवेश (कुल जमाराशियों का प्रतिशत)	
	दिसं-06	दिसं-09	दिसं-06	दिसं-09	दिसं-06	दिसं-09
1 वर्ष से कम	39.9	42.7	34.2	33.2	25.0	37.4
1 वर्ष से 5 वर्ष	38.7	37.7	47.3	48.1	30.9	25.7
5 वर्ष से अधिक	21.3	19.6	19.5	17.7	44.1	36.9

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

दबावों का पता चलता है। तथापि, बैंकों द्वारा खरीदी गई चलनिधि पर निर्भरता जैसी कि अनुपात 4 ([ऋण + अधिदेशात्मक सीआरआर + अधिदेशात्मक एसएलआर + अचल आस्तियाँ] / स्थायी जमाराशियाँ) से देखी जा सकती है, ने 2008-09 के स्तरों से एक मामूली गिरावट दर्शाई है। (चलनिधि अनुपातों की विस्तृत परिभाषाएँ और उनके निहितार्थ अनुबंध 1 में हैं)।

दृष्टिकोण

5.57 भारत में बैंक विनियामक पूँजी पर्याप्तता अनुपात की दृष्टि से भली भाँति पूँजीकृत हैं। अधिदेशित नकदी निवेशों का अस्तित्व विनियामक सहूलियत का अतिरिक्त बोध प्रदान करता है। यद्यपि हाल के वर्षों में निवेशों से ऋण की दिशा में निधियों के अभिनियोजन में निदेशात्मक अंतरण रहा जिसने ऋण जोखिम को बढ़ाया, तथापि हाल में इस संरचना ने ऋण जोखिम से मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों में संवर्धित आबंटन के साथ एक परिवर्तित प्रवृत्ति को देखा। हालांकि वर्तमान आस्ति गुणवत्ता निरंतर अनुकूलता का बोध कराती है, फिर भी गिरावट से पहले अत्यंत तीव्र ऋण विस्तार को देखते हुए आस्ति गुणवत्ता के दबाव में आने के संकेत हैं।

5.58 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋणों और जमाराशियों के परिपक्वता अवधि विन्यास में असंतुलन को अल्पावधि निवेश आस्तियों पर उनकी बढ़ी हुई निर्भरता के द्वारा कुछ सीमा तक कम कर दिया गया है। बैंक ऋण संविभाग में बुनियादी संरचना के वित्तपोषण के बढ़ते महत्व के साथ ही, अल्पावधि जमाराशियों का अधिकतर संकेंद्रण मौजूदा आस्ति-देयता असंतुलनों को आगे और विस्तृत कर सकता है। हाल की अवधियों में पाई गई गिरावट के बावजूद भारी जमाराशियों पर निर्भरता अत्यधिक बनी रही जिसने जमा आधार की लागत और स्थिरता को प्रभावित किया। चलनिधि अनुपातों के विश्लेषण से अल्पावधि समय-खंडों में धनात्मक असंतुलन का पता चलता है। तथापि, तुलन-पत्र संबंधी संवृद्धि को सहायता पहुँचाने के लिए अस्थिर देयताओं पर बढ़ी हुई निर्भरता के संबंध में पाया गया है कि इसके लिए सुधारक कार्रवाई की आवश्यकता है।

5.59 बैंकों के तुलन-पत्र के आकार की तुलना में तुलन-पत्र से बाहर की मदों के ऋण समानक का अनुपात लगभग 3 प्रतिशत पर कम है। तथापि, ऐसे एक्सपोजर, विशेष रूप से समिश्र (कांप्लेक्स) डेरिवेटिव्स से संबंधित एक्सपोजर कुछ विदेशी बैंकों में संकेंद्रित हैं जो चिंता का कारण हो सकते हैं। तेजी से विस्तृत हो रहे कारपोरेट क्षेत्र और वर्तमान एक्सपोजर मानदंडों के चलते बैंकों के लिए उपलब्ध गुंजाइश निरुद्ध है और इसका समाधान ऋण समूहों के अधिकाधिक प्रयोग द्वारा करने की आवश्यकता है।

सारणी 5.6 : चलनिधि अनुपात ⁹							
चलनिधि अनुपात	मार्च-05	मार्च-06	मार्च-07	मार्च-08	मार्च-09	सितं. 09	दिसं. 09
1 (अस्थिर देयताएँ - अस्थायी आस्तियाँ) / (अर्जक आस्तियाँ - अस्थायी आस्तियाँ) - (%)	34.7	38.4	41.4	43.9	43.9	45.7	45.1
2 मुख्य जमाराशियाँ / कुल आस्तियाँ - (%)	53.8	53.9	52.2	49.3	48.4	51.0	52.0
3 (ऋण + अनिवार्य सीआरआर + अनिवार्य एसएलआर + अचल आस्तियाँ) / कुल आस्तियाँ - (%)	75.0	79.9	83.4	85.9	79.6	81.4	83.3
4 [ऋण + अनिवार्य सीआरआर + अनिवार्य एसएलआर + अचल आस्तियाँ] / मुख्य जमाराशियाँ	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6
5 अचल आस्तियाँ / कुल आस्तियाँ - (%)	28.8	30.3	43.4	52.0	47.6	39.9	40.0
6 अस्थायी आस्तियाँ / अस्थिर देयताएँ	0.54	0.53	0.65	0.71	0.69	0.61	0.61

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियाँ ।

5.60 अनुकूल आर्थिक परिवेश द्वारा सहायता पाकर पिछले कुछ वर्षों में आरओए द्वारा मापी गई लाभप्रदता लगभग एक प्रतिशत पर स्पष्ट रूप से स्थिर रही है। आगे बढ़ते हुए, ऋण की गुणवत्ता में संभव ऱोस और प्रावधानीकरण की बढ़ी हुई अपेक्षाओं के कारण लाभप्रदता दबाव में आ सकती है। इस परिदृश्य में स्थिर बनी हुई आरओए महत्वपूर्ण रूप से इष्टतम आस्ति उपयोग पर निर्भर रहेगी क्योंकि लाभ मार्जिन हानि उठाने की प्रवृत्ति दर्शा सकते हैं।

5.61 भारत में वाणिज्य बैंकों के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण बैंकों के लिए सुधरे हुए श्रेणी-निर्धारण (रेटिंग) के दृष्टिकोण में भी स्वयं प्रकट होता है (सारणी 5.7)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

5.62 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ऐसी संस्थाओं के रूप में माने गए हैं जिन्होंने सहकारी संस्थाओं की स्थानीय भावना और घनिष्ठता को वाणिज्य बैंकों की व्यावसायिक संगठन क्षमता के साथ संयोजित किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ईक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों तथा प्रवर्तक बैंकों द्वारा 50:15:35 के अनुपात में धारित है। यद्यपि ये वित्तीय प्रणाली की आस्तियों का केवल 1.8 प्रतिशत बनते हैं, तथापि अपने अधिक गहरे आधार के साथ ये संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आदर्श रूप में उपयुक्त हैं। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने छोटे आकार के कारण न्यूनतम जोखिम प्रस्तुत करते हैं, फिर भी संक्रामकता की जोखिम हमेशा रहती है।

5.63 हाल के समय तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति पर्याप्त से कम थी। वित्तीय प्रणाली में ऋण वितरण के एक प्रभावी साधन के

⁹ एक ओर जहाँ विश्लेषण के प्रयोजन के लिए तुलन-पत्रों में अंतःस्थापित अधिदेशात्मक सीआरआर/एसएलआर को अनकदी आस्तियों के रूप में माना जाता है, वहीं दूसरी ओर वास्तव में यह चलनिधि का एक स्रोत है जो विनियामक हस्तक्षेप के अधीन है।

रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनःस्थापित करने तथा उन्हें अर्धक्षम और लाभप्रद बनाने के लिए एक राज्य-स्तरीय प्रवर्तक बैंक-वार समामेलन कार्यक्रम सितंबर 2005 से प्रारंभ किया गया था, जिसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या को 196 से वर्तमान 86 की संख्या तक घटा दिया है। इसके साथ ही, ऋणात्मक निवल मालियत वाले 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चरणबद्ध पुनःपूँजीकरण की एक योजना का कार्यान्वयन पूरा किया गया है। पुनःपूँजीकरण में समामेलन के बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार दोनों आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता संकेतकों में आए सुधार में स्पष्ट है (चार्ट 5.34)।

सहकारी क्षेत्र

5.64 भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों का लगभग दस प्रतिशत और वित्तीय क्षेत्र की आस्तियों का सात प्रतिशत है। अतः इस क्षेत्र का आकार वाणिज्य बैंकों की तुलना में छोटा है। इसकी संरचना के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएँ आती हैं। इस क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रमुख विनियामक और पर्यवेक्षी विषयों की चर्चा इसके नीचे की गई है।

दोहरा नियंत्रण

5.65 एक ओर जहाँ सहकारी बैंकों के संस्थापन/पंजीयन और प्रबंध से संबंधित गतिविधियों का विनियमन राज्यों में सहकारी समितियों के पंजीयक अथवा सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक द्वारा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग से संबंधित कार्यकलाप भारतीय रिजर्व बैंक अथवा नाबार्ड के विनियामक/पर्यवेक्षी दायरे के अंतर्गत हैं। नियंत्रण का यह दोहरापन सहकारी बैंकों के पर्यवेक्षण और विनियमन तथा उनकी कार्यप्रणाली की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। विनियामक दुर्बलता अकुशलता को प्रोत्साहित करती है तथा अभिशासन (गवर्नैस) के सिद्धांतों के विकास में बाधा डालती है एवं बैंकों पर अनुपालन और रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं के अनेक स्तरों का भार डाल देती है। इस समस्या को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों के साथ स्वैच्छिक आधार पर सहमति ज्ञापन किये हैं जिसके द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक कार्यदल (टीएफसीयूबी) गठित किया गया है जिसमें संबंधित सरकार, शहरी सहकारी बैंकों के महासंघ और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसी प्रकार, ग्रामीण सहकारी बैंकों के मामले में वैद्यनाथन समिति द्वारा संस्तुत किये गये एक पैकेज के तहत अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा नाबार्ड के साथ सहमति ज्ञापन किये गये हैं।

5.66 नियंत्रण के दोहराव के लिए मार्ग प्रशस्त करनेवाले संवैधानिक और अन्य सांविधिक दायित्वों से उत्पन्न होनेवाली अनिवार्यताओं तथा इस तथ्य को कि पारंपरिक रूप से सहकारी संस्थाएँ राज्य के प्रशासनिक

	(दीर्घावधि लिखत)		(संमिश्र लिखतें)	
	31 मार्च 2009 को रेटिंग	30 नवंबर 2009 को रेटिंग	31 मार्च 2009 को रेटिंग	30 नवंबर 2009 को रेटिंग
मूल्यांकित बैंकों की संख्या	25	26	25	25
धनात्मक	01	-	-	01
स्थिर	19	25	18	23
ऋणात्मक	05	1	07	1


स्रोत : क्रिसिल

	31 मार्च 2009 को रेटिंग	30 नवंबर 2009 को रेटिंग
मूल्यांकित बैंक दीर्घावधि रेटिंग	27	28
धनात्मक	0	3
स्थिर	24	20
ऋणात्मक	3	5

टिप्पणी : उक्त संख्याएँ केवल दीर्घावधि लिखतों (दोनों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय) से संबंधित हैं। जहाँ संमिश्र रेटिंग दिये गये हैं, वहाँ रेटिंग निम्नतर है, परंतु दृष्टिकोण वही है जो बैंक के दीर्घावधि रेटिंग के संबंध में है।

स्रोत : फिच।

चार्ट 5.34 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - वित्तीय अनुपात



स्रोत : बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट।

तंत्र का भाग बन चुकी हैं, ध्यान में रखते हुए वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन संबंधी समिति (सीएफएएसए) की यह राय थी कि एक व्यवहार्य समाधान के रूप में सहमति ज्ञापनों (एमओयू) की वर्तमान व्यवस्था भली भाँति कार्य कर रही है। अतः 'एकल विनियामक' की प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं हो सकती जिसके लिए व्यापक संवैधानिक और विधायी संशोधनों एवं एक उल्लेखनीय राजनैतिक आम सहमति की आवश्यकता होगी जिन्हें प्राप्त करना भारतीय संदर्भ में कठिन है। आगे दृष्टिपात करते हुए, सीएफएएसए ने यह भी महसूस किया था कि इन सहमति ज्ञापनों की संरचना की और अधिक विस्तार से जाँच-पड़ताल की जा सकती है ताकि इनमें एक अधिक कनीदार तरीके से विनियामकों और सरकार के बीच विनियामक सहयोग के अतिरिक्त मुद्दों को शामिल किया जा सके।

अभिशासन और सरकार में न्यूनता

5.67 भारत में सहकारी बैंकिंग प्रणाली की एक विलक्षण बात यह रही है कि बैंक के प्रबंधन में उधारकर्ताओं की महत्वपूर्ण स्थिति है क्योंकि बैंकों की शेयर पूँजी में वे अंशदान करते हैं। यह चिंता का एक कारण है क्योंकि बैंक के बोर्ड सदस्य उधारकर्ताओं द्वारा चुने जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप बैंक की नीतियाँ हमेशा जमाकर्ताओं के हितों के साथ सामंजस्यपूर्ण नहीं होतीं। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए अनुकूल नीतियों की अपेक्षा उधारकर्ता-उन्मुख नीतियों का अनुसरण करने की इन बैंकों की प्रवृत्ति को देखते हुए इन बैंकों के प्रबंधन में जमाकर्ताओं की संबद्धता को उधारकर्ताओं के साथ समान रूप से जमाकर्ताओं की सदस्यता को प्रोत्साहित करने के द्वारा बढ़ाने की आवश्यकता है।

5.68 सहकारी बैंकिंग संरचना (एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों) में अभिशासन की न्यूनता के लिए एक अन्य कारण निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में श्रेष्ठता के आधार की अपेक्षा राजनैतिक संबद्धताओं के आधार पर हस्तक्षेप है। यह बोर्ड के स्तर पर व्यावसायिक विशेषज्ञता के अभाव में तथा निर्णयन में विशेष रूप से ऋण स्वीकृति के संबंध में हस्तक्षेप में प्रकट होता है जो अंततः उनकी वित्तीय स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

लाइसेंस रहित बैंक

5.69 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को सहकारी बैंकों पर 1 मार्च 1966 से लागू किया गया था। 1 मार्च 1966 की स्थिति के अनुसार जो प्राथमिक सहकारी ऋण समितियाँ अस्तित्व में थीं और बैंकिंग कारोबार कर रही थीं, उन्हें तब तक बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई जब तक उक्त अधिनियम की धारा 22(2) के अनुसार लाइसेंस नामंजूर नहीं किया जाता। इसके आगे 1966 के बाद भी जब भी किसी प्राथमिक ऋण समिति की स्वाधिकृत निधियाँ 1 लाख रुपये

सारणी 5.8 : लाइसेंसरहित सहकारी बैंक				
दिनांक	श. सह. बैंक	रा. सह. बैंक	जिला मध्य. सह. बैंक	कुल
31 मार्च 2007	94	17	296	407
31 मार्च 2008	77	17	296	390
31 मार्च 2009	64	17	296	377
14 दिसंबर 2009	25	16	272	313

स्रोत : परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियाँ ।

तक पहुँच जाती हैं, उससे यह अपेक्षा थी कि वह लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करे तथा लाइसेंस जारी किये जाने तक वह बैंकिंग व्यवसाय जारी रख सकती थी। दिसंबर 2009 के अंत में 313 लाइसेंस रहित सहकारी बैंक थे (सारणी 5.8)।

5.70 यह निर्णय किया गया है कि ऐसे सभी लाइसेंस रहित शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस दिया जा सकता है जिनके पास 31 मार्च 2008 को यथाविद्यमान वित्तीय स्थिति के संदर्भ में संचालित निरीक्षण के आधार पर न्यूनतम 2 प्रतिशत का सीआरएआर हो। मार्च 2010 तक उपर्युक्त मानदंड का पालन न करनेवाले शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस हेतु आवेदन अस्वीकार किये जा सकते हैं। इसी प्रकार सीएफएएसए की सिफारिश के अनुरूप यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण सहकारी क्षेत्र में केवल लाइसेंस प्राप्त सहकारी संस्थाएँ परिचालन करें, एक अविच्छेदक रूपरेखा बनाने का निर्णय किया गया। तदनुसार, नाबार्ड की पिछली निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार 4 प्रतिशत अथवा उससे अधिक सीआरएआर रखनेवाले राज्य सहकारी बैंकों और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किये जाने हैं।

शहरी सहकारी बैंक

5.71 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) मार्च 2009 के अंत में भारतीय वित्तीय संस्थाओं की आस्तियों का केवल 2.4 प्रतिशत है। शहरी सहकारी बैंक पाँच राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र) में क्षेत्रीय संकेंद्रण की अत्यधिक मात्रा प्रदर्शित करते हुए शहरी सहकारी बैंकों की कुल संख्या का लगभग 80 प्रतिशत बनते हैं। 53 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों में से 50 आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैं। आकार के तौर पर भारतीय वित्तीय क्षेत्र में उनका महत्व घटता जा रहा है क्योंकि हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में संवृद्धि वाणिज्य बैंकों की संवृद्धि की तुलना में काफी कम रही है (चार्ट 5.35)। तथापि, कृषीतर क्षेत्र, विशेष रूप से छोटे उधारकर्ताओं की आवश्यकताएँ पूरी करते हुए शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय मध्यवर्तियों के रूप में वे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

5.72 चयनित वित्तीय मानदंडों के आधार पर पर्यवेक्षण की बारंबारता निर्धारित करने के लिए शहरी सहकारी बैंक उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किये जाते हैं। जबकि ग्रेड I और II को अपेक्षाकृत अधिक मजबूत बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया जा

सकता है, वहीं ग्रेड III और IV उक्त बैंकों के अपेक्षाकृत कमजोर खंडों से संबंधित हैं।

5.73 मार्च 2005 में रिजर्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए तैयार किये गये एक परिदृष्टि प्रलेख¹⁰ (विज़न डॉक्युमेंट) के प्रारूप में इस क्षेत्र की समस्याओं पर विशेष बल दिया गया तथा अपनाये जानेवाले विस्तृत उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई ताकि शहरी सहकारी बैंक बैंकिंग संस्थाओं के एक सुदृढ़ और स्वस्थ नेटवर्क के रूप में उभर सकें। उनकी भूमिका और संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए कई पहलें की हैं।

क्षेत्र की व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए किये गये उपाय

5.74 दोहरे नियंत्रण की समस्या का समाधान करने के लिए रिजर्व बैंक ने 26 राज्य सरकारों और केंद्र सरकार (बहुराज्यीय शहरी सहकारी बैंकों के लिए) के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) किये हैं। ऐसी एमओयू व्यवस्थाएँ अब उक्त बैंकों के 99 प्रतिशत से अधिक को समाविष्ट करती हैं तथा वे इस क्षेत्र में जमाराशियों के 99 प्रतिशत से अधिक के लिए उत्तरदायी हैं।


5.75 इसके अतिरिक्त, शहरी सहकारी बैंकों के विविधतापूर्ण स्वरूप को स्वीकार करते हुए रिजर्व बैंक ने एक द्वि-स्तरीय विनियामक रूपरेखा बनाई है जिसमें अपेक्षाकृत छोटे शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों में कुछ छूट दी गई है (सारणी 5.9)। साथ ही, इस क्षेत्र का समेकन करने, बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों के एक भाग को ईक्विटी पूँजी और नवोन्मेषकारी सतत ऋण लिखतों के रूप में परिवर्तित करने के द्वारा देयताओं की पुनःसंरचना करने की अनुमति देने जैसे विभिन्न उपायों को प्रोत्साहित किया गया। पूँजीगत निधियाँ जुटाने एवं 9 प्रतिशत के निर्धारित पूँजी पर्याप्तता मानदंड (सीआरएआर) को पूरा करने में कठिनाइयाँ दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने अधिमान शेयरों और दीर्घावधि जमाराशियों के रूप में पूँजी को जुटाने की अनुमति दी है।

5.76 ऊपर निर्दिष्ट किये अनुसार हाल की अवधि में किये गये उपायों के कारण इस क्षेत्र की रूपरेखा में एक परिवर्तन रहा है। ग्रेड I अथवा II के बैंकों की संख्या 31 मार्च 2005 को यथाविद्यमान कुल बैंकों के 61 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप में बढ़कर 31 मार्च 2009 को कुल संख्या का 77 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 5.36)। ग्रेड III और ग्रेड IV के शहरी सहकारी बैंकों की संख्या को एकसाथ लेने पर वह तदनुसूचित तौर पर 31 मार्च 2005 को विद्यमान कुल संख्या के 39 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2009 को 23 प्रतिशत हो गया है।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक - एक विश्लेषण

5.77 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (एसयूसीबी) जो विशिष्ट रूप से अपेक्षाकृत बड़े शहरी सहकारी बैंक हैं, इस क्षेत्र की कुल आस्तियों का

चार्ट 5.35 : व्यवसाय के आकार में शहरी सहकारी बैंकों की वृद्धि




स्रोत : परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

	टीयर I बैंक	टीयर II बैंक
परिभाषा	100 करोड़ रु पये से कम जमाराशियाँ	अन्य सहकारी बैंक
एनपीए मानदंड	मार्च 2009 तक ऋण खातों के लिए 180 दिन का ऋण चूक मानदंड	90 दिन का ऋण चूक मानदंड
आस्ति वर्गीकरण मानदंड	संदिग्ध श्रेणी में स्थित अवमानक आस्ति के वर्गीकरण के लिए 12 महीने की अवधि 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी है	संदिग्ध श्रेणी में स्थित अवमानक आस्ति के वर्गीकरण के लिए 12 महीने की अवधि 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी रही है
प्रावधानीकरण मानदंड	मानक आस्तियाँ : 0.25 प्रतिशत तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध आस्तियों में नई वृद्धि 31 मार्च 2010 - 50 प्रतिशत 31 मार्च 2011 - 60 प्रतिशत 31 मार्च 2012 - 75 प्रतिशत 31 मार्च 2013 - 100 प्रतिशत 3 वर्ष से अधिक बकाया संदिग्ध आस्तियाँ 31 मार्च 2010 से 100 प्रतिशत	मानक आस्ति: ऋण श्रेणी के आधार पर 0.25 प्रतिशत से 0.40 प्रतिशत तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध आस्तियों में नई वृद्धि 31 मार्च 2007 - 50 प्रतिशत 31 मार्च 2008 - 60 प्रतिशत 31 मार्च 2009 - 75 प्रतिशत 31 मार्च 2010 - 100 प्रतिशत तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया संदिग्ध आस्तियाँ 31 मार्च 2007 से 100 प्रतिशत

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

चार्ट 5.36 : शहरी सहकारी बैंकों का ग्रेड-वार वितरण



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक - परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणी।

¹⁰ [http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationVisionDocuments.aspx? ID=437](http://www.rbi.org.in/scripts/PublicationVisionDocuments.aspx?ID=437)

लगभग 44 प्रतिशत बनते हैं। मार्च 2009 के अंत में 53 अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक थे। सारणी 5.10 में दिये गये रूप में विभिन्न तुलन-पत्र मानदंडों की वार्षिक संवृद्धि दरों के विश्लेषण से यह विदित होता है कि उक्त मदों पर मार्च 2009 के अंत में वार्षिक संवृद्धि में गिरावट वर्ष की पहली छमाही अर्थात् सितंबर 2008 को समाप्त छमाही में निम्नतर संवृद्धि के कारण थी; साथ ही, जमाराशियों में निम्नतर वृद्धि का परिणाम यह हुआ कि अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को अपनी आस्तियों का निधीयन करने के लिए 2008-09 में उधार राशियों का सहारा लेना पड़ा।

5.78 जहाँ एक ओर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के लिए अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के अनुपात कालक्रम में घटते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सकल एनपीए अनुपात का स्तर अभी भी उच्च बना हुआ है (चार्ट 5.37)। उच्च ऋण हानि प्रावधानों (चार्ट 5.38) का परिणाम निम्न निवल एनपीए अनुपात के रूप में हुआ है। यद्यपि इसमें इस क्षेत्र में लाभों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करने की संभाव्यता है, तथापि फिलहाल आरओए ने एक धनात्मक प्रवृत्ति बनाये रखी है।

5.79 एक सुखद स्रोत यह है कि यह क्षेत्र भली भाँति पूँजीकृत है। सीआरएआर का उचित रूप से उच्च स्तर (मार्च 2009 के अंत में 12.8 प्रतिशत) का संपूरण घटते हुए लीवरेज अनुपात से हुआ है (चार्ट 5.39)।

ग्रामीण सहकारी क्षेत्र

5.80 ग्रामीण सहकारी क्षेत्र जो वित्तीय प्रणाली की आस्तियों का 4.7 प्रतिशत बनता है, का द्विभाजन अल्पावधि और दीर्घावधि के रूप में किया जा सकता है। अल्पावधि संरचना त्रि-स्तरीय है जिसमें शीर्ष पर राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी), मध्य स्तर पर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक (डीसीसीबी) तथा ग्राम स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस) हैं। दूसरी ओर दीर्घावधि सहकारी संरचना द्वि-स्तरीय है जिसमें राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) शीर्ष स्तर पर तथा उसके बाद जिला अथवा विकास खंड स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) हैं। इन संस्थाओं की संकल्पना कृषि में दीर्घकालिक ऋण की आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य के साथ की गई थी। रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का विनियमन करने के लिए अधिदेशित है तथा उनका पर्यवेक्षण नाबार्ड के पास निहित है।


5.81 इस क्षेत्र की भूमिका वित्तीय समावेशन में सुधार लाने तथा कृषि और संबद्ध आर्थिक गतिविधियों जैसे अत्यावश्यक क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने में महत्वपूर्ण है। तथापि, यह अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करती है जैसे दोहरा विनियामक नियंत्रण, कमजोर प्रबंध सूचना प्रणालियाँ, खराब आंतरिक नियंत्रण, संसाधनों का निम्न आधार, अपर्याप्त आस्ति गुणवत्ता, लाभ के निम्न स्तर तथा अत्यधिक संचित हानियाँ। यह क्षेत्र सामान्यतः

सारणी 5.10 : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों की जमाराशियाँ, अग्रिम और निवेश (वृद्धि प्रतिशत)

	मार्च 2007 की तुलना में मार्च 2008	सितंबर 2007 की तुलना में सितंबर 2008	मार्च 2008 की तुलना में मार्च 2009
कुल आस्तियाँ	17.2	14.9	13.2
पूँजी और आरक्षित निधियाँ	29.8	17.5	25.9
जमाराशियाँ	19.7	16.6	13.6
उधार राशियाँ	7.9	-2.5	15.2
एसएलआर निवेश	17.0	12.8	13.3
गैर-एसएलआर निवेश	39.5	23.9	19.9
सकल ऋण और अग्रिम	16.1	18.8	13.7


स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक - भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट

चार्ट 5.37 : सकल और निवल अनर्जक आस्ति (एनपीए) अनुपात



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

चार्ट 5.38 : प्रावधानीकरण और आस्तियों पर आय (आरओए)



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

वित्तीय रूप से और संस्थागत तौर पर दुर्बल है। कुछ बैंकों के पास भारी जमा आधार है (मार्च 2008 को 12 राज्य सहकारी बैंकों में से प्रत्येक के पास 1,000 करोड़ रुपये से भी अधिक जमा राशियों का आधार है - डेटा एनएफएससीओबी)। ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के लिए प्रणाली स्तरीय आंकड़े एक समयांतर के साथ उपलब्ध हैं और इससे अद्यतन विश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है (चार्ट 5.40, चार्ट 5.41 और चार्ट 5.42)।


5.82 यद्यपि इस क्षेत्र का आकार छोटा है, तथापि चूंकि यह भुगतान और निपटान प्रणालियों का एक अंश है, अतः यह संसर्ग जोखिम के प्रति असुरक्षित है। अतः सरकारी नीति का लक्ष्य इस क्षेत्र को सक्रिय हस्तक्षेप के विभिन्न रूपों के माध्यम से व्यवहार्य और मजबूत रखने का है।

5.83 अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के लिए तथा ग्रामीण भारत, विशेष रूप से लघु और सीमांत कृषकों की ऋण आवश्यकताएँ पूरी करने के प्रयोजन से इस क्षेत्र को एक सुप्रबंधित और स्पंदनशील माध्यम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा पुनःसंरचना हेतु वित्तीय, कानूनी और संस्थागत उपाय सूचित करते हुए एक समुत्थान पैकेज घोषित किया गया (बॉक्स 5.2)। यह प्रत्याशित है कि इस समुत्थान पैकेज को पूरी तरह कार्यान्वित करने के बाद इन बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनकी आघात-सहनीयता में सुधार होगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ


5.84 भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में कई प्रकार की संस्थाएँ हैं जिनमें से मोटे तौर पर रिजर्व बैंक जनता से जमा राशियाँ स्वीकार करनेवाली कंपनियों तथा जमा राशियाँ स्वीकार न करनेवाली ऐसी संस्थाओं का विनियमन करता है जो आस्ति वित्तपोषण, ऋण और निवेश उपलब्ध कराने में लिप्त हैं। आवास वित्त कंपनियों, म्युचुअल फंडों, बीमा कंपनियों, शेयर दलाल कंपनियों, व्यापार बैंकिंग कंपनियों, जोखिम पूँजी फंडों, संविभाग प्रबंध आदि अन्य गैर-बैंकिंग संस्थाओं

चार्ट 5.39 : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों का सीआरएआर और लीवरेज अनुपात



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक - परोक्ष पर्यवेक्षी विवरणी ।

चार्ट 5.40 : राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक - तुलन-पत्र के घटकों में वृद्धि



टिप्पणी : ग्रामीण ऋण सहकारी संस्थाओं के लिए आंकड़े एक वर्ष के अंतराल के साथ उपलब्ध हैं।

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक - बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट ।

बॉक्स 5.2 : विरासत के मामलों में शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं का वाणिज्य बैंकों को अंतरण

बड़ी संख्या में कमजोर शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की उपस्थिति को देखते हुए तथा इस क्षेत्र से उनके अविच्छेदक निर्गम को सुसाध्य बनाने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय रूप से मजबूत शहरी सहकारी बैंकों के साथ कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के समामेलन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए शहरी सहकारी बैंकों के विलय/समामेलन हेतु मार्गदर्शी निदेश फरवरी 2005 में जारी किये थे। इन मार्गदर्शी निदेशों के अनुसार अधिग्राहक बैंक से यह अपेक्षित है कि वह अधिग्रहीत बैंक के सभी जमाकर्ताओं की समूची जमा राशियों की रक्षा स्वयं अथवा राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता से करे, उस स्थिति में भी जब अधिग्रहीत बैंक की निवल मालियत ऋणात्मक हो।

इसके अतिरिक्त, शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उपायों के एक भाग के रूप में 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों के साथ संबद्ध मामलों में निक्षेप बीमा

और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) की सहायता से मजबूत शहरी सहकारी बैंकों के साथ कमजोर शहरी सहकारी बैंकों के समामेलन की एक योजना पर रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया गया है। तथापि, उन मामलों में जहाँ यूसीबी क्षेत्र के भीतर समामेलन के लिए प्रस्ताव सामने नहीं आ रहे हैं, यह निर्णय किया गया है कि देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को शहरी सहकारी बैंकों के विरासत वाले मामलों के संबंध में आस्तियों और देयताओं (शाखाओं सहित) के अंतरण से संबद्ध योजना को डीआइसीजीसी की सहायता उपलब्ध कराई जाए, बशर्ते कि उक्त योजना जमाकर्ताओं को 100 प्रतिशत सुरक्षा सुनिश्चित करती है तथा डीआइसीजीसी की सहायता डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के अंतर्गत उपबंध किये गये रूप में निर्धारित राशि तक सीमित रखी जाती है।


स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

का विनियमन संबंधित क्षेत्रीय विनियामक द्वारा किया जाता है तथा उन्हें एनबीएफसी विनियमावली से छूट दी गई है।

5.85 रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) मोटे तौर पर जमाराशियाँ स्वीकार न करनेवाली (एनबीएफसी-एनडी), जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाली (एनबीएफसी-डी) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (आरएनबीसी) के रूप में वर्गीकृत हैं। उनका आकार वित्तीय क्षेत्र की कुल आस्तियों के लगभग नौ प्रतिशत के समान है। एनबीएफसी-एनडी को आगे एनबीएफसी-एनडी-प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण (एसआइ) के रूप में द्विभाजित किया गया है जिनमें 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक आस्ति के आकार वाली कंपनियाँ एवं एनबीएफसी-एनडी-अन्य आती हैं।


5.86 एनबीएफसीएस-एनडी-एसआइ, एनबीएफसी क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे अधिक तीव्र गति से बढ़ता हुआ खंड है। एनबीएफसीएस-एनडी-एसआइ के समेकित तुलन-पत्रों के आकार ने 2008-09 में 27.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तुलन-पत्र के आकार में इस उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मुख्य कारण स्वाधिकृत निधियों में तीव्र वृद्धि, डिबेंचर और अन्य देयताएँ हैं। एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों का विवरण उनके संबंधित विनियामकों सहित बॉक्स 5.3 में दिया गया है।

चार्ट 5.41 : राज्य सहकारी बैंक - आरओए तथा ऋण की तुलना में एनपीए का अनुपात



स्रोत : बैंकों की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट।

चार्ट 5.42 : जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक - आरओए तथा ऋण की तुलना में एनपीए का अनुपात



स्रोत : बैंकों की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट।

बॉक्स 5.3 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की विभिन्न श्रेणियाँ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के क्षेत्र के बहुविध स्वरूप को व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है। वे विविध प्रकार के कार्यकलापों का निष्पादन करती हैं तथा वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत श्रेणीकृत हैं। उनके विशेषीकरण के प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर इन संस्थाओं का विनियामक दायित्व विनियामकों के बीच वितरित किया गया है। किसी कंपनी को एक एनबीएफसी के रूप में माना जाता है तथा वह रिजर्व बैंक के विनियामक अधिकार-क्षेत्र के भीतर है यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक

अधिनियम, 1934 की धारा 45 आइ (सी) में सूचीबद्ध किसी भी गतिविधि को अपने व्यवसाय अथवा व्यवसाय के भाग के रूप में करती है। दूसरे शब्दों में एक एनबीएफसी होने के लिए किसी संस्था के लिए आवश्यक है कि वह (i) कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी हो; (ii) वित्तीय गतिविधि में लिप्त हो; और (iii) उसका प्रधान व्यवसाय कृषि, औद्योगिक अथवा व्यापार की गतिविधि अथवा स्थावर संपदा का कारोबार न हो।

गैर-बैंक वित्त कंपनी की श्रेणी	विनियामक
आस्ति वित्त कंपनियाँ	भारतीय रिजर्व बैंक
ऋण कंपनियाँ	भारतीय रिजर्व बैंक
निवेश कंपनियाँ	भारतीय रिजर्व बैंक
बुनियादी संरचना वित्त कंपनियाँ	भारतीय रिजर्व बैंक
बंधक गारंटी कंपनियाँ	भारतीय रिजर्व बैंक
अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ (आरएनबीसी)	भारतीय रिजर्व बैंक
‘संभाव्य’ निधि कंपनियाँ (यदि एक निधि कंपनी के रूप में अधिसूचना के लिए आवेदन एमसीए द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, तो ऐसी कंपनी से अपेक्षित है कि वह भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए के अंतर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र (सौओआर) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करे।	
पारस्परिक लाभ वाली वित्तीय कंपनी - निधि कंपनियाँ	भारतीय रिजर्व बैंक
विविध गैर-बैंकिंग कंपनी अर्थात् चिट फंड कंपनियाँ	केंद्र सरकार (कंपनी कार्य मंत्रालय)
आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	चिट फंडों का पंजीयक
व्यापार बैंकिंग कंपनियाँ	राष्ट्रीय आवास बैंक
जोखिम पूंजी निधि कंपनियाँ	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
शेयर बाजार/शेयर दलाल/उप दलाल	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
बीमा कंपनियाँ	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
व्यक्ति वित्त कंपनियाँ	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
	कोई विनियामक निकाय नहीं है

एनबीएफसी-एनडी-एसआइ : वित्तीय संकेतक

5.87 एनबीएफसी-एसआइ क्षेत्र भली भाँति पूँजीकृत है जिसका कुल सीआरएआर 31 मार्च 2009 को 39 प्रतिशत रहा। फिर भी, एनबीएफसी-एसआइ के एनपीए अनुपातों में वृद्धि रही है। कुल ऋण एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में सकल एनपीए जुलाई 2008 के अंत में स्थित 2.0 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर जुलाई 2009 में 4.6 प्रतिशत हो गये। इसी अवधि के दौरान कुल ऋण एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में निवल एनपीए भी 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गए।

निधीयन संबंधी विषय

5.88 एनबीएफसी के लिए निधीयन के प्रमुख स्रोतों में डिबेंचर, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार, वाणिज्य पत्र और अंतर-कंपनी ऋण शामिल हैं (सारणी 5.11)।


5.89 एनबीएफसी के निधीयन के लिए बैंक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुख स्रोत हैं। ऋण देने के साथ-साथ बैंक एनबीएफसी द्वारा जारी किये जानेवाले बांडों/डिबेंचरों में प्रमुख निवेशक भी हैं। इसके परिणामस्वरूप एनबीएफसी बैंकों पर निर्भर हैं जिससे वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिम के प्रति असुरक्षितता बढ़ जाती है। एनबीएफसी को बैंक उधार के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को बैंक एक्सपोजर सीमाओं, अधिकतर प्रावधानीकरण की अपेक्षा और उधार लेनेवाली एनबीएफसी के अधिकतर जोखिम भारों के तौर पर सख्त कर दिया गया है। ये उपाय प्रणाली में मध्यस्थता को सीमित करते हैं।

5.90 चूँकि बैंक वित्तीयन के सहारे को सीमित किया गया है, अतः एनबीएफसी अपने आस्ति अभिनियोजन के निधीयन के लिए डिबेंचरों, वाणिज्य पत्रों और अंतर-कंपनी जमाराशियों जैसे अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं। एनबीएफसी द्वारा जारी की गई इन लिखतों के एक उल्लेखनीय भाग का निधीयन म्युचुअल फंडों द्वारा किया जा रहा है। अतः एनबीएफसी आस्ति-देयता असंतुलन प्रवण हो सकती हैं तथा परिणामतः चलनिधि जोखिमों के प्रति असुरक्षित हो सकती हैं। लेहमैन की विफलता के बाद, विशेष रूप से 2008-09 की तीसरी तिमाही में प्रणालीगत चलनिधि की चरमराहत की स्थिति आई थी जिसमें एनबीएफसी क्षेत्र दबाव में आया था। आहरण के दबाव का सामना करते हुए म्युचुअल फंड, जिन्होंने अल्पावधि एनबीएफसी कर्ज में योगदान किया था, कर्ज का नवीकरण करने अथवा अतिरिक्त ऋण प्रदान करने में असमर्थ थे। इसके कारण इस क्षेत्र के लिए एक चलनिधि संकट और एक संभावित विश्वास का संकट उत्पन्न हुआ। एनबीएफसी द्वारा जारी किये गये वाणिज्य पत्र के लिए भारित औसत बट्टा दर (डब्ल्यूएडीआर) बढ़ गई जो अक्टूबर 2008 में 14.2 प्रतिशत की ऊँचाई तक पहुँच गई (चार्ट 5.43)। एनबीएफसी आगे और दबाव में आई क्योंकि उनके लिए बैंक ऋण समाप्त हो गए थे और मुद्रा बाजारों में ब्याज दरें बढ़ गई थीं, जिससे उनकी उधार की लागत में वृद्धि हुई और व्यवसाय में आगे और वृद्धि करने के लिए अवसर कम हो गए।

निधि का स्रोत	मार्च 2008 (कुल देयताओं का प्रतिशत)	मार्च 2009 (कुल देयताओं का प्रतिशत)
1. डिबेंचर	21.7	28.3
2. वाणिज्य पत्र	4.9	4.5
3. बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से उधार	19.8	18.5
4. अंतर-कंपनी ऋण	5.4	2.8
5. अन्य	14.1	15.2

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट

चार्ट 5.43 : वाणिज्य पत्रों की भारित औसत बट्टा दर (प्रतिशत)



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी आंकड़े।

इस तथ्य ने भी कि एनबीएफसी अल्पावधि उधार राशियों पर अधिक निर्भर रही, उनके लिए एएलएम असंतुलन का निर्माण किया।

5.91 बैंकों की विषम सूचना और जोखिम से सामान्य विमुखता के परिदृश्य से यह अनुमान था कि यह एनबीएफसी क्षेत्र को दबाव में रखेगा और संभावित रूप से एक प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करेगा। अतः यह निर्णय किया गया कि उन एनबीएफसी-एसआइ को एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा चलनिधि उपलब्ध कराई जाए जो चलनिधि संबंधी अस्थायी असंतुलों का सामना कर रही है। इसका मुख्य अंश यह था कि चलनिधि उक्त एसपीवी को रिजर्व बैंक द्वारा पूर्णतः गारंटीकृत सरकारी बांड खरीदने के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, इस सुविधा का उद्देश्य केवल अस्थायी चलनिधि असंतुलों से उबरना था और तुलन-पत्रों के विस्तार को सुसाध्य बनाना नहीं था। इस सुविधा के लिए कुल मात्रा 20 करोड़ रुपये की थी तथा बैंकों के लिए ब्याज दर अंतिम उधारदाता (एलओएलआर) दर थी। साथ ही, बैंकों को अस्थायी तौर पर अनुमति दी गई थी कि वे केवल एनबीएफसी और म्युचुअल फंडों के निधीयन की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 1.5 प्रतिशत तक सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के अनुरक्षण में छूट के द्वारा चलनिधि सहायता सुविधा (एलएएफ) के स्रोत के अंतर्गत चलनिधि सहायता का उपयोग करें।


5.92 यद्यपि इन योजनाओं का उपयोग कम रहा है, तथापि रिजर्व बैंक ने सरकार के साथ इस 'अंतिम उधारदाता' की सुविधा प्रारंभ करके इस क्षेत्र में विश्वास को निर्मित करने में सहायता पहुँचाई है।

5.93 भारित औसत बड़ा दर (डब्ल्यूएडीआर) में उल्लेखनीय कमी रही है जो जून 2009 में एक हलके 4.7 प्रतिशत पर थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि एनबीएफसी द्वारा जारी किये गये वाणिज्य पत्रों की लागत संबंधी बाधाएँ अब अपेक्षाकृत कम हैं। निर्गमों की संख्या भी अक्टूबर 2008 में स्थित 20 से बढ़कर लगभग 100 तक बढ़ गई है। तथापि, बैंकों के लिए चलनिधि की विपुल आपूर्ति करने के बावजूद, एनबीएफसी द्वारा बैंकों से उधार प्राप्त करने में वृद्धि नहीं हुई (चार्ट 5.44)। यह संभवतः जोखिम के प्रति बैंकों की विमुखता, निधियों की उच्च लागत तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा सचेत दृष्टिकोण और जोखिम प्रबंध के कारण था।

5.94 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के तुलन-पत्रों के घटकों ने उन चलनिधि संबंधी समस्याओं की प्रतिक्रिया के रूप में, जिनका सामना वे कर रही थीं, कोई बड़े संरचनात्मक परिवर्तन नहीं दर्शाये। फिर भी, यह क्षेत्र चलनिधि के आघातों के प्रति लगातार असुरक्षित है क्योंकि तुलन-पत्र वृद्धि के निधीयन के लिए उपलब्ध स्रोतों के कम विविधीकरण के साथ निधीयन की जोखिम निरंतर अत्यधिक बनी हुई है। इस प्रकार उन अंतर-सहबद्धताओं के चलते, जो संपदा क्षेत्र और अन्य खिलाड़ियों के साथ एनबीएफसी की हैं, स्थिरता की समस्याओं का समाधान कालक्रम में करने

की आवश्यकता है। इस संदर्भ में जहाँ एक ओर एनबीएफसी को बैंक उधार की उच्चतम सीमा रखने में एक विवेकपूर्ण उद्देश्य है, वहीं दूसरी ओर उनकी वृद्धि को संभव बनाने के लिए कारपोरेट बांड बाजार एक वैकल्पिक वित्तीय स्रोत है। कारपोरेट बांड बाजार के विकास का एक अतिरिक्त लाभ यह होगा कि एनबीएफसी अपेक्षाकृत दीर्घावधि निधियों का सहारा लेंगी तथा अपने आस्ति-देयता संबंधी (एएलएम) असंतुलों को कम कर सकेंगी।

चार्ट 5.44 : एनबीएफसी-एनडी-एसआइएस द्वारा उधार



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी आंकड़े।

समापन टिप्पणी

5.95 सहकारी बैंकों के नियंत्रण का दोहरापन उनके पर्यवेक्षण और विनियमन एवं उनकी कार्यप्रणाली की भी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में चिंता का एक कारण यह है कि केवल उधारकर्ता ही सहकारी बैंकों के सदस्य और शेरधारक होने से बोर्ड सदस्यों को चुनने के लिए पात्र हैं। इसका परिणाम फिर सदस्यों को संबद्ध उधार होता है जो जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल होने के अतिरिक्त कंपनी अभिशासन के मूलभूत सिद्धांतों के भी प्रतिकूल है।

5.96 वाणिज्य बैंकों के समान सुदृढ़ न होने पर भी शहरी सहकारी बैंकों ने कार्यनिष्पादन के सभी संकेतकों में सामान्य रूप से सुधार दर्शाया है। यह इस क्षेत्र में ग्रेड I और ग्रेड II बैंकों की श्रेणियों में वृद्धि में देखा जा सकता है जो 31 मार्च 2005 को विद्यमान कुल बैंकों के 61 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2009 को कुल बैंकों का 77 प्रतिशत हो गए हैं।

5.97 वित्तीय समावेशन में ग्रामीण सहकारी संस्थाओं द्वारा अदा की जानेवाली महत्वपूर्ण भूमिका के होते हुए भी, उनकी वित्तीय सक्षमता और सुदृढ़ता चिंता के क्षेत्र बने हुए हैं। अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार के पैकेज को यदि पूर्णतः कार्यान्वित किया जाता है, तो यह प्रत्याशित है कि इन बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनकी आघात-सहनीयता में भी सुधार होगा।

5.98 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है, यद्यपि ऋण की गुणवत्ता के संबंध में कुछ चिंता है। एनबीएफसी का व्यावसायिक मॉडल उनके द्वारा जुटाई गई देयताओं के स्वरूप और अवधि पर आधारित होना चाहिए। जिस सीमा तक एनबीएफसी दीर्घकालिक निधीयन करती हैं, उस सीमा तक उन्हें कारपोरेट बांडों और डिबेंचरों जैसे दीर्घावधि स्रोतों पर निर्भर रहने की आवश्यकता होगी क्योंकि बैंक निधीयन पर उनकी निर्भरता के संबंध

में विवेकपूर्ण तौर पर एक उच्चतम सीमा लागू की गई है। आगे बढ़ते हुए, एनबीएफसी के लिए महत्वपूर्ण विषय यह होगा कि वे अपने आस्त-विन्यास को अपने देयता-विन्यास के अनुरूप ले आएँ। एक अन्य पहलू जो गहन निगरानी को आवश्यक बनानेवाला है, एक ओर बैंकों और एनबीएफसी के बीच अंतर-सहबद्ध निधिप्रवाह हैं तो दूसरी ओर एनबीएफसी और अन्य समूह संस्थाओं, विशेष रूप से उन संस्थाओं जो पूँजी बाजार में सक्रिय हैं, के बीच निधियों का संचलन है।

अध्याय VI

वित्तीय क्षेत्र की नीतियाँ और बुनियादी संरचना

वैश्विक वित्तीय संकट ने यह दर्शाया है कि वित्तीय क्षेत्र की सशक्त नीतियाँ और सुरक्षित वित्तीय बुनियादी संरचना वित्तीय स्थिरता के लिए पूर्वापेक्षाएँ हैं। संकट के समय से भारत सहित अधिकांश देश इस प्रकार के बृहद् आकार की अशांति को रोकने और उसका प्रतिकार करने एवं यदि कोई वित्तीय संकट घटित हो तो उसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अपने वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षी बुनियादी संरचना को सुधारने की प्रक्रिया में हैं। वित्तीय क्षेत्र के विनियमन को सुधारने के लिए अनेक वैश्विक पहलें विचाराधीन हैं। इस संकट ने प्रणालीगत बाधाओं के निवारण के लिए अंतर-विनियामक समन्वय और सहकारिता के महत्व पर भी विशेष बल दिया है। भुगतान और निपटान प्रणालियों की शक्तियों और दुर्बलताओं के मूल्यांकन से भी कुछ असुरक्षितताओं का पता चलता है जिनका वित्तीय स्थिरता पर कुछ प्रभाव हो सकता है। विधि संबंधी बुनियादी संरचना का भी मूल्यांकन, समाधान की प्रक्रिया में अनिर्णय के विशेष संदर्भ में किया गया है जो भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक प्रमुख गत्यवरोध बना हुआ है। जमा बीमा के रूप में कुछ सुरक्षा जाल भी वित्तीय स्थिरता का संवर्धन करने में सहायता पहुँचाते हैं यद्यपि कुछ असुरक्षितताएँ विद्यमान हैं।

वित्तीय क्षेत्र की नीतियाँ

6.1 संकट-पूर्व ढांचे में बासेल II के तीन स्तंभ अर्थात् पूँजी पर्याप्तता, पर्यवेक्षी समीक्षा की प्रक्रिया और बाजार अनुशासन को सामान्यतः पर्याप्त और उपयुक्त के रूप में देखा गया था। तथापि, उक्त संकट ने यह प्रकट किया कि कई अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लिए उच्चतर और बेहतर गुणवत्ता की पूँजी की आवश्यकता थी, जो अंशतः इस कारण से थी कि जोखिम का कम अनुमान किया गया था। असुरक्षितताओं की प्रारंभ में ही पहचान हेतु पूँजी पर्याप्तता और समग्र पर्यवेक्षी रूपरेखाओं का आकलन करने के लिए पर्यवेक्षी समीक्षा की प्रक्रिया भी इस कारण से विफल हुई कि वित्तीय संस्थाओं और बाजारों के बीच जटिल अंतर-सहबद्धता थी जिसे समझना सशक्त समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के बिना कठिन था। स्तंभ 3 में परिकल्पित प्रकटीकरण, वित्तीय लिखतों की जटिलता के आलोक में अपर्याप्त सिद्ध हुए तथा सूचना संबंधी विषमताएँ उत्पन्न हुईं। संकट के बाद की अवधि में वैश्विक तौर पर उभरती आम सहमति विनियामक कार्यवाहियों की अधिकाधिक समर्थक है जो दोनों समष्टि और व्यष्टि स्तर पर विवेकपूर्ण विनियमन को मजबूत करेंगी। कालक्रम में राष्ट्रीय विनियामक व्यवस्थाओं के रूप में इसका समेकन उचित रूप में करने की आवश्यकता होगी।

6.2 संकट के दौरान प्राप्त सीख को प्रभावी बनाने के लिए वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित नीतियों की समीक्षा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न पहलें अब प्रक्रियाधीन हैं। जिन दिशाओं का अनुसरण करने की आवश्यकता है उनके संबंध में एक आम राय वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए जी20 द्वारा बनाई गई कार्यसूची के रूप में प्राप्त की गई। अंतरराष्ट्रीय निकाय, जैसे वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस), अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आइएएसबी)

और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आइओएससीओ) वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान विभिन्न मानकों में पाई गई कमियों के संदर्भ में बैंकों सहित, वित्तीय संस्थाओं के लिए नये सिरे से मार्गदर्शन को विकसित करने के संबंध में कार्य कर रहे हैं। वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित नीतियों को मजबूत करने के लिए कुछ प्रमुख वैश्विक पहलों के संबंध में इस अध्याय में आगे चर्चा की गई है।

6.3 भारतीय वित्तीय प्रणाली विकसित होती रही है तथा हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान यह समय की कसौटी पर खरी उतरी है। संकट के पूर्व से ही विद्यमान अंतर्निहित शक्तियों तथा अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों की सिफारिशों के आधार पर अब विचार किये जा रहे सुधारों ने इसे आघात-सहनीयता प्रदान की है एवं यह सुनिश्चित किया है कि इसकी स्थिरता को कोई खतरा नहीं है। भारत हमेशा अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को, हालांकि ऐसी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, जो उसकी विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना को मजबूत करने और उसका संवर्धन करने के लिए स्थानीय संस्थागत, संरचनागत और परिचालनगत समर्थन की दृष्टि से उपयुक्त हैं। कुछ पहलुओं में भारत अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिचक्रीय प्रावधानों और जोखिम भारों तथा प्रतिभूतिकरण के लिए रक्षोपायों के संबंध में अतिरिक्त विनियामक रक्षोपायों के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ा है। इस रिपोर्ट के अध्याय II में इन पहलुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है।

6.4 बेसल II के अंतर्गत पूँजी पर्याप्तता की अपेक्षाओं को भारत में 31 मार्च 2009 से सभी वाणिज्य बैंकों के लिए कार्यान्वित किया गया है। उन्नत दृष्टिकोणों तक तैयार बैंकों के अंतरण के लिए एक समय-अनुसूची (बॉक्स 6.1) उपलब्ध कराई गई है। शेष बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक अधिक क्रमिक दृष्टिकोण को वरीयता दी गई है। तथापि, भारत में बासेल II का कार्यान्वयन समग्र विनियामक पूँजीगत अपेक्षाओं में संभावित वृद्धि, गहन

बॉक्स 6.1 : भारत में विनियामक पूँजी की बदलती संरचना

पूँजी पर्याप्तता को पारंपरिक रूप से वित्तीय प्रणाली की शक्ति के संकेत के रूप में माना जाता रहा है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 और 12 न्यूनतम प्रदत्त पूँजी और आरक्षित निधियों तथा पूँजी के विनियमन के संबंध में एक अपेक्षा के लिए उपबंध करती हैं। 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) के लिए जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी के अनुपात की अपेक्षा लागू की जो अधिकांशतः उस समय प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक पूँजी पर्याप्तता के उपाय के रूप में थी जिसके अंतर्गत बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे 8 प्रतिशत का जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात प्राप्त करें। जोखिम भार और ऋण परिवर्तन के कारणों को समनुदेशित करने का स्वरूप भी स्थूल रूप में बासेल I समझौते में निहित शर्तों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया था जो पूँजी पर्याप्तता तथा बैंकों द्वारा प्राप्त किये जानेवाले न्यूनतम अनुपात का माप करने के लिए सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ढाँचा था। बाजार जोखिम संबंधी मार्गदर्शी निदेश मार्च 2002 में लागू किये गये थे। जून 2004 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे निम्नानुसार दो वर्ष की अवधि में दो चरणों में बाजार जोखिमों के विरुद्ध पूँजी बनाए रखें : क) प्रतिभूतियों पर बाजार जोखिमों के लिए पूँजी 31 मार्च 2005 तक व्यापार हेतु धारित श्रेणी, खुले स्वर्ण की स्थिति की सीमा, खुली विदेशी मुद्रा की स्थिति की सीमा, डेरिवेटिव्स तथा व्यापार बही एक्सपोजरों के बचाव के लिए किये गये डेरिवेटिव्स में व्यापार की स्थितियों में शामिल हैं; और ख) ऊपर (क) के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों पर बाजार जोखिमों के लिए पूँजी 31 मार्च 2006 तक विक्रय के लिए उपलब्ध श्रेणी में शामिल है।

वर्षों से यह पाया गया कि बेसल I ढाँचे में कई सीमाएँ हैं तथा इस कारण से यह महसूस किया गया कि इन कमियों को दूर करने के लिए इस समझौते को एक

जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील ढाँचे से प्रतिस्थापित किया जाए। व्यापक स्तर पर एक वैश्विक परामर्शक प्रक्रिया के बाद बीसीबीएस ने “पूँजी मापन और पूँजी मानकों का अंतरराष्ट्रीय अभिसरण : एक संशोधित ढाँचा” जून 2004 में जारी किया जिसे नवंबर 2005 में आगे और अद्यतन कर दिया गया।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य और समन्वय रखने के रिजर्व बैंक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत में सभी वाणिज्य बैंकों से (स्थानीय क्षेत्र बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) यह अपेक्षा की गई कि वे ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिचालनगत जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाएँ तथा बाजार जोखिमों हेतु पूँजीगत आवश्यकताओं की संगणना के लिए मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) लागू करना जारी रखें। भारत में परिचालनगत विदेशी बैंकों और भारत से बाहर परिचालनगत उपस्थिति रखनेवाले भारतीय बैंकों ने 31 मार्च 2008 से संशोधित ढाँचे के अंतर्गत उपर्युक्त चयनित दृष्टिकोणों तक अंतरण किया। अन्य सभी वाणिज्य बैंकों ने संशोधित ढाँचे के अंतर्गत इन दृष्टिकोणों की दिशा में 31 मार्च 2009 तक अंतरण किया।

उन्नत दृष्टिकोणों तक अंतरण करने का प्रस्ताव करनेवाले बैंकों से यह प्रत्याशित है कि वे उन दृष्टिकोणों में प्रवेश और उनके निरंतर उपयोग के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं के अपने पालन के एक लक्ष्य और सख्त आकलन का उत्तरदायित्व लें। अपेक्षित डेटाबेसों, प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) और कौशल उन्नयन आदि सहित आवश्यक तकनीकी और जोखिम प्रबंध की मूलभूत संरचना निर्मित करने के लिए बैंकों द्वारा अपेक्षित की जानेवाली संभावित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए विनियामक पूँजी मापन के लिए उन्नत दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित समय-अनुसूची घोषित की गई है।

क्रम सं.	दृष्टिकोण	रिजर्व बैंक को बैंकों द्वारा आवेदन करने की शीघ्रतम तारीख	रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन की संभावित तारीख
क.	बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए)	1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011
ख.	परिचालनगत जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)	1 अप्रैल 2010	30 सितंबर 2010
ग.	परिचालनगत जोखिम के लिए उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014
घ.	ऋण जोखिम के लिए आंतरिक श्रेणी-निर्धारण पर आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण (बुनियादी एवं उन्नत आइआरबी)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

आंकड़ों की अपेक्षाओं एवं आवश्यक सूचना प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण और कोटि-उन्नयन करने की बैंकों की आवश्यकता एवं कुशल मानव संसाधनों की अपेक्षाओं के संबंध में बढ़ रहा है, लगातार निम्न बना हुआ है और रेटिंग उधारकर्ता-आधारित होने के स्थान पर लिखत - आधारित रूप में जारी है। बासेल II के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोणों का कार्यान्वयन भी उक्त कार्यान्वयन के चरण के दौरान बैंकिंग प्रणाली का मार्गदर्शन करने तथा विनियमित बैंकों द्वारा अपनाये गये आंतरिक मॉडलों, प्रणाली और प्रक्रियाओं को विधिमान्य बनाने के तौर पर पर्यवेक्षकों पर भारी उत्तरदायित्व डाल देगा।

6.5 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के समक्ष निरंतर स्वयं को न्यूनतम मानदंडों के साथ संबद्ध करने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति के माध्यम से वाणिज्य बैंकों के संबंध में बासेल के मुख्य सिद्धांतों के अपने

अनुपालन का एक स्व-मूल्यांकन संचालित किया था। उक्त समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि देश ने उक्त सिद्धांतों का अधिकांश पालन किया।

हाल की विनियामक पहलें

6.6 विनियमन और पर्यवेक्षण में कुछ प्रमुख वैश्विक पहलों पर इसके नीचे चर्चा की जाती है जिनके संबंध में कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगति पर है।

न्यूनतम पूँजी की अपेक्षा में वृद्धि

6.7 वैश्विक वित्तीय संकट ने यह प्रकट कर दिया कि अनेक संस्थाओं द्वारा अपने एक्सपोजरों, विशेष रूप से व्यापार बही में एक्सपोजरों के लिए बनाये रखा जानेवाला पूँजी का स्तर बढ़ती हुई हानियों को देखते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ। तदनुसार बासेल समिति ने उन एक्सपोजरों

के संबंध में पूँजी की अपेक्षाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न वृद्धियों को अंतिम रूप दे दिया है, जो आवश्यक रूप से बैंकों के प्रतिभूतिकरण और पुनःप्रतिभूतिकरण की गतिविधियों से संबंधित हैं। प्रस्तावित अधिकांश वृद्धियाँ बासेल II ढाँचे के उन्नत दृष्टिकोणों से संबंधित हैं। चूँकि भारत में वाणिज्य बैंक वर्तमान में बासेल II के अपेक्षाकृत सरलतर दृष्टिकोणों का अनुसरण कर रहे हैं, अतः फिलहाल मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए लागू वृद्धियाँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

बैंक पूँजी की गुणवत्ता में सुधार लाना

6.8 बासेल समिति द्वारा हाथ में लिया गया एक अन्य कार्यक्षेत्र पूँजी की गुणवत्ता में सुधार लाना है। आगे बढ़ते हुए, फोकस अधिकाधिक, रूप की अपेक्षा विषय-वस्तु पर तथा टीयर II पूँजी की अपेक्षा टीयर I पूँजी पर, विशेष रूप से सामान्य ईक्विटी पर रहेगा। बासेल समिति टीयर I पूँजी में लिखतों और तत्वों को शामिल करने के लिए विशिष्ट पात्रता के मानदंड विकसित कर रही है। जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय V में विचार-विमर्श किया जा चुका है, भारतीय बैंकों में पूँजी की गुणवत्ता इस स्तर पर कोई खास चिंता का कारण नहीं बनती। इसके अलावा, भारत में बैंकों के लिए टीयर III पूँजी की अनुमति नहीं दी गई है।

एक चलनिधि जोखिम ढाँचे का परिचालन

6.9 यह स्वीकार करते हुए कि बैंकों की अनकदी अपर्याप्त पूँजी के समान ही शोधक्षमता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है तथा वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को प्रतिकूल रूप में प्रभावित कर सकती है, चलनिधि जोखिम के विनियमन और पर्यवेक्षण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय ढाँचे को विकसित करने के लिए कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत सुदृढ़ चलनिधि जोखिम प्रबंध और पर्यवेक्षण से संबंधित बासेल समिति के सिद्धांतों का कार्यान्वयन, विभिन्न देशों के बैंकों के चलनिधि विनियमन के लिए एक वैश्विक मानक का विकास, तथा मूल देश और मेजबान देश के पर्यवेक्षकों के बीच चलनिधि जोखिम संबंधी सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत करना शामिल है। बासेल समिति इस समय एक वैश्विक चलनिधि मानक लागू करने के लिए अपने प्रस्तावों को अंतिम रूप दे रही है जो दबाव की स्थितियों में चलनिधि की अपेक्षाएँ पूरी करने में सहायता पहुँचाएगा। इस मानक में एक अल्पावधि व्याप्ति अनुपात और एक अपेक्षाकृत दीर्घावधि संरचनात्मक निधीयन अनुपात होंगे। यह मानक अत्यधिक चलनिधि वाली आस्तियों की एक अंतरराष्ट्रीय तौर पर सुसंगत परिभाषा भी निर्दिष्ट करेगा जो किसी बैंक के चलनिधि भंडार का भाग बन सकती है। उचित चलनिधि प्रकटीकरण अपेक्षाएँ भी विकसित की जाएँगी।

6.10 भारत में चलनिधि जोखिम प्रबंध के संबंध में एएलएम शर्तें पहले से ही विद्यमान हैं। साथ ही, निधीयन और बाजार चलनिधि पर फोकस के साथ चलनिधि अनुपातों की निगरानी निरंतर आधार पर की जाती है। भारतीय बैंकों से अनिवार्य रूप से अपेक्षित है कि वे अपनी

निवल माँग और मीयादी देयताओं के कुछ अनुपात (वर्तमान में 25 प्रतिशत) को प्राथमिक तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों में रखें। संकट से प्राप्त सीख और अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों द्वारा किये जा रहे कार्य को ध्यान में रखते हुए एक संवर्धित चलनिधि जोखिम प्रबंध का ढाँचा बनाया जा रहा है।

उन्नयन (लीवरेज) को सीमित करना

6.11 पूँजी की अपेक्षाओं का समाधान करने के अतिरिक्त बासेल समिति ने जोखिम आधारित पूँजीगत अपेक्षाओं के पूरक के रूप में बैंकों के तुलन-पत्र और तुलन-पत्र से बाहर के लीवरेज का मापन और परिसीमन करने के लिए एक पारदर्शी और सरल लीवरेज अनुपात शुरू करने के प्रस्ताव की भी पहल की है। भारत ने पूँजी अनुपात के पूरक के रूप में उक्त लीवरेज अनुपात के निर्धारण को विकसित करने की पहल का समर्थन किया है और साथ ही यह निर्दिष्ट किया है कि सरकारी प्रतिभूतियों से युक्त तरल आस्तियों की सांविधिक अपेक्षा को उक्त लीवरेज अनुपात में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। मार्च 2009 में किये गये भारतीय बैंकों के लिए लीवरेज के आकलन ने निर्दिष्ट किया कि जबकि एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल करने पर कुल अनुपात 16.83 गुना था, वहीं एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल न करने पर वह घटकर 13.65 गुना रह गया।

प्रतिभूतिकरण

6.12 संश्लिष्ट और बहुस्तरीय प्रतिभूतिकरण बाजार को सब-प्राइम अशांति के एक कारण के रूप में पहचान लिया गया है। संकट के बाद प्रतिभूतिकरण बाजार के समक्ष वास्तव में एक गतिरोध उत्पन्न हुआ है। तथापि, प्रतिभूतिकरण द्वारा कुछ महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों के निष्पादित किये जाने की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय तौर पर इस बाजार का पुनरुत्थान करने में निरंतर सक्रिय रुचि रही है, यद्यपि वह कुछ विनियामक रक्षोपायों को बढ़ाने के अधीन रही है। इन रक्षोपायों में से प्रधान हैं, प्रवर्तक द्वारा जोखिम के प्रतिधारण से संबंधित तत्व एवं प्रतिभूतिकरण से उत्पन्न होनेवाले लाभों का परिशोधन। फोकस तो प्रतिभूतिकरण लिखतों के सरलीकरण और बढ़े हुए प्रकटीकरण पर भी है।

6.13 भारत में प्रचलित विनियामक अनुदेश पहले से ही वास्तविक बिक्री की पहचान पर और लाभों के प्रारंभिक बुकिंग पर प्रतिबंधों जैसे रक्षोपाय निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में भी यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रवर्तक समुचित सावधानी के संबंध में कोई समझौता नहीं करते, किये गये प्रयास में प्रतिभूतिकृत ऋणों के लिए एक न्यूनतम अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन-पीरियड) तथा प्रतिभूतिकृत आस्तियों के समूह के 10 प्रतिशत के न्यूनतम प्रतिधारण का प्रस्ताव किया गया था।

6.14 हाल के वर्षों में रक्षित बांड प्रतिभूतिकरण के लिए एक अधिक सुरक्षित विकल्प के रूप में उभरे हैं तथा यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। किसी भी जारीकर्ता के लिए पूरा सहारा प्रतिभूतिकरण और रक्षित बांडों के बीच का एक मुख्य अंतर है। रक्षित बांडों के मामले में एक पूर्ण आश्रय अधिकार जारीकर्ता पर कर्ज की चुकौती करने के लिए एक अप्रतिबंधित और अशर्त दायित्व निर्मित करता है, अतः ऋण जोखिम का अंतरण नहीं होता। वित्तीय संकट के दौरान प्रतिभूतिकरण और 'उद्धव से वितरण' मॉडल ने जिस अपयश को सहा है, उसके चलते रक्षित बांडों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। तथापि, रक्षित बांड पूर्णतः उपचार नहीं हैं। उनकी कुछ अंतर्निहित समस्याएं हैं जिनका समाधान प्रतिभूतिकरण के लिए एक पर्याप्त विकल्प के रूप में उन्हें बढ़ावा दिया जा सके, इसके पहले करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से रक्षित बांडों का परिणाम कुछ ऋणदाताओं के अधिमानी व्यवहार और अच्छी गुणवत्ता वाली आस्तियों के अवरुद्ध होने के रूप में हो सकता है जिससे जमा बीमा निधियों और अबीमाकृत जमाकर्ताओं के लिए जोखिम में वृद्धि हेतु मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

सुदृढ़ क्षतिपूर्ति सिद्धांत

6.15 संकट से पहले वित्तीय प्रणालियों में क्षतिपूर्ति की नीतियाँ इस प्रकार से देखी जा रही थीं कि वे अधिकांश रूप में जोखिम प्रबंध और जोखिम अभिशासन से संबंधित नहीं हैं। अल्पावधि लाभ इस तरह प्रदान किये गये थे कि उन लाभों को उत्पन्न करने के लिए उठाई गई अपेक्षाकृत दीर्घावधि जोखिमों के प्रति कम चिंता की गई। ऐसे पुरस्कारों ने अत्यधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया तथा इसे वैश्विक संकट के लिए योगदान करनेवाले एक कारक के रूप में माना गया। संकट के बाद क्षतिपूर्ति की नीतियों को जोखिम प्रबंध प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में अधिकाधिक देखा जा रहा है। एफएसबी ने सुदृढ़ क्षतिपूर्ति प्रथाओं के लिए सिद्धांत बनाये हैं जो क्षतिपूर्ति के प्रभावी अभिशासन और सभी प्रकार की जोखिम के लिए समायोजित की जानेवाली क्षतिपूर्ति की माँग करते हैं जो जोखिम परिणामों के साथ संतुलित हों और जोखिमों की समय-सीमा के प्रति संवेदनशील हों।

6.16 भारतीय संदर्भ में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) को देय पारिश्रमिक के लिए बैंकिंग विनियामक अर्थात् रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा पारिश्रमिक अत्यधिक न हो। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा नियत किया जाता है। रिजर्व बैंक भी एफएसबी द्वारा निर्धारित सुदृढ़ क्षतिपूर्ति सिद्धांतों को अपनाने के संबंध में कार्य कर रहा है, जैसा कि 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में घोषित किया गया है। उसने बैंकों में जोखिम प्रबंध ढाँचे के साथ क्षतिपूर्ति

की नीतियों को सुयोजित करते हुए मार्गदर्शी निदेश जारी करने तथा उन्हें न केवल अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए, बल्कि बैंक में जोखिम उठानेवाले सभी के लिए लागू करने का प्रस्ताव किया है।

साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों का विनियमन करना

6.17 बासेल समिति बाह्य रेटिंगों पर बासेल II ढाँचे की निर्भरता से उत्पन्न होनेवाले ऋणात्मक प्रोत्साहनों को कम करने के लिए विकल्पों पर विचार कर रही है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों के पर्यवेक्षण को बढ़ाया जाए तथा बासेल II के ढाँचे के अंतर्गत उनकी आधिकारिक मान्यता के लिए पात्रता के मानदंडों को और अधिक मजबूत किया जाए। रिजर्व बैंक सेबी के साथ समन्वय करते हुए बासेल II के अंतर्गत आधिकारिक तौर पर मान्यताप्राप्त/ऐसी मान्यता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों के संवर्धक पर्यवेक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा (बॉक्स 6.2)।

अंतरराष्ट्रीय लेखा-मानदंडों के अंगीकरण को सुसाध्य बनाना

6.18 वैश्विक वित्तीय संकट ने वित्तीय बाजारों में वित्तीय लिखतों के मूल्यांकन और पारदर्शिता की भूमिका पर विशेष बल दिया। अनकदी बाजारों में उचित मूल्यांकन तकनीकों की प्रयोज्यता को एक ऐसे कारक के रूप में पहचाना गया जिसने संकट को तीव्र कर दिया था। सुदृढ़ विनियमन को बढ़ाने और पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से जी-20 ने लेखा मानक निर्धारकों से अपेक्षा की कि वे विवेकपूर्ण विनियामकों के साथ अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय लिखतों के लिए लेखा मानकों की जटिलता को कम करने, ऋण हानि प्रावधानों की लेखाकरण मान्यता को मजबूत करने, प्रावधानीकरण, तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाले एक्सपोजरों, मूल्यांकन की अनिश्चितता के लिए लेखा-मानकों में सुधार लाने तथा उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक लेखा-मानकों के एकल सेट की दिशा में कार्य करें।

6.19 अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आइएएसबी) ने आइएएस 39 के प्रतिस्थापन के लिए एक त्वरित समय-सारणी की घोषणा की, जो वित्तीय लिखतों : मान्यता और मापन से संबंधित अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण मानक है। वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण और मापन के संबंध में तथा क्षति के संबंध में एक्सपोजर प्रारूप नवंबर 2009 में प्रकाशित किये गये हैं। आइएएसबी और अमेरिकी वित्तीय लेखाकरण मानक बोर्ड (एफएएसबी) ने संयुक्त रूप से अन्य राष्ट्रीय मानक निर्धारकों के साथ परामर्श करने के बाद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आइएफआरएस) और अमेरिकी जीएपी के बीच अभिसरण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तथापि, वर्गीकरण, मापन और क्षति संबंधी मानदंडों जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय अंतरों के कारण इस संबंध में प्रगति धीमी है।

6.20 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) ने 1 अप्रैल 2011 से आइएफआरएस के साथ भारतीय लेखाकरण मानकों के

बॉक्स 6.2 : साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियाँ - अंतरण मैट्रिक्स

साख-श्रेणी-निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसियों (सीआरए) द्वारा दिये गये साख रेटिंगों की विश्वसनीयता और निष्पादन का आकलन करने के लिए प्रयुक्त एक पद्धति साख अंतरण मैट्रिक्सों¹ के विश्लेषण के माध्यम से है। एक अंतरण मैट्रिक्स श्रेणी-निर्धारित संस्था अथवा लिखत की साख-गुणवत्ता में पिछले परिवर्तनों पर आधारित है तथा यह सीआर एजेंसियों के श्रेणी-निर्धारण मान की विभिन्न रेटिंग श्रेणियों में रेटिंग अंतरणों की संभाव्यता को निर्दिष्ट करता है। उक्त मैट्रिक्स का निर्माण किसी सीआरए द्वारा एक निर्दिष्ट निर्गमकर्ताओं अथवा निर्गमों के समूह के लिए विभिन्न रेटिंग ग्रेडों में एक संदर्भ अवधि के प्रारंभ में दिये गये रेटिंगों की तुलना उक्त अवधि के अंत में प्राप्त रेटिंगों के साथ करके किया जाता है।

किसी सीआरए के रेटिंग निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक अंतरण मैट्रिक्स दो महत्वपूर्ण निविष्टियाँ उपलब्ध कराता है। वह स्थिरता की दरें उपलब्ध कराता है जो निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर रेटिंग के स्थिर अथवा अपरिवर्तित रहने की संभावना को निर्दिष्ट करती हैं तथा अंतरण या गतिशीलता की दरें भी उपलब्ध कराता है जो निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर व्यतिक्रम (डिफाल्ट) ग्रेड सहित किसी रेटिंग का ग्रेड बढ़ने या घटने की संभावना को निर्दिष्ट करती हैं। एक अंतरण मैट्रिक्स का विकर्ण (डयागोनल) स्थिरता की दरें दर्शाता है तथा अन्य सभी इकाइयाँ गतिशीलता या संक्रमण की दरें दर्शाती हैं। अस्थिरता सुस्पष्ट हो जाती है यदि एक निर्दिष्ट समयावधि में किसी रेटिंग श्रेणी में विस्तृत संख्या में रेटिंग कई श्रेणियों के ऊपर अथवा नीचे छलांग लगाते हैं।

अंतरण मैट्रिक्सों से प्राप्त डिफाल्ट और संक्रमण दरों का उपयोग रेटिंग मानों को विधिमान्य बनाने तथा किसी सीआरए के रेटिंगों की रेटिंग स्थिरता का परिमाण निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। एक वर्ष का अंतरण मैट्रिक्स वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के अंत तक रेटिंग श्रेणियों के बीच सभी रेटिंग गतिविधियों को दर्शाता है। कई वर्षों के लिए अंतरण मैट्रिक्सों का उपयोग करके पिछली औसत स्थिरता दरें एवं विभिन्न रेटिंग ग्रेडों के लिए संक्रमण दरें और डिफाल्ट दरें जानी जा सकती हैं। ये किसी सीआरए के रेटिंगों की विश्वसनीयता के तौर पर उसके कार्यनिष्पादन का संकेत उपलब्ध कराती हैं।

किसी सीआरए की रेटिंग स्थिरता का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त, अंतरण मैट्रिक्सों का उपयोग विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए और अन्य इच्छुक पार्टियों

द्वारा भी किया जाता है। वे उन निवेशकों को उपयोगी और संगत सूचना उपलब्ध कराते हैं जिनके लिए अपने निवेशों को नियमित रूप से बाजार दर पर अंकित (मार्क टू मार्केट) करने की आवश्यकता है। एक कर्ज लिखत अथवा ऋण के कीमत-निर्धारण के लिए डिफाल्ट और संक्रमण दरें महत्वपूर्ण निविष्टियाँ बनाती हैं। साख-संवर्धित लिखतों की संरचना और कीमत-निर्धारण भी अंतर्निहित उधारकर्ताओं और प्रतिभूतियों की डिफाल्ट और संक्रमण दरों पर आधारित हैं। संक्रमण से डिफाल्ट सहित रेटिंग संक्रमणों का विश्लेषण भावी ऋण हानियों का अनुमान लगाने तथा ऋण जोखिम का मापन करने में उपयोगी है। डिफाल्ट आंकड़े और संक्रमण दरें उनकी ऋण आस्तियों के संविभाग के मूल्य वितरण को पहचानने में सहायता करती हैं। ग्रेड घटाने की तुलना में ग्रेड बढ़ाने का अनुपात रेटिंगों में 'झुकाव' (ड्रिफ्ट) के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है तथा यह समग्र ऋण गुणवत्ता में कमी या सुधार का निर्देशक हो सकता है। अंतरण मैट्रिक्स भी ऋण गुणवत्ता पर कालप्रभाव के असर में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

एचएलसीसीएफएम द्वारा गठित साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों के लिए व्यापक विनियमों संबंधी समिति ने भारत में सीआरए पूर्वानुमानों की सुदृढ़ता और सशक्तता के ऐतिहासिक विश्लेषण के संबंध में एक अध्ययन करवाया था। इस तथ्य के बावजूद कि भारत में फिलहाल श्रेणी-निर्धारित समष्टि (यूनिवर्स) छोटी है, इस अध्ययन ने संक्रमण डेटा में प्रतिबिंबित रूप में रेटिंग कार्यपद्धति की सापेक्ष दुर्बलता को उजागर किया जिसने अधिक मात्रा में रेटिंग के अंतरण को दर्शाया।

संदर्भ

1. क्रेडिट माइग्रेसन मैट्रिसेस - टिल स्क्यूएरमैन - जनवरी 2007।
2. टूवर्ड ए ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रेडिट रेटिंग्स - स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स रेटिंग सर्विसेज मार्च 2009।
3. क्रिसिल डिफाल्ट स्टडी 2008।
4. रिपोर्ट ऑफ दी कमेटी ऑन कांप्रेहेन्सिव रेगुलेशन फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। दिसंबर 2009।

अधिदेशात्मक अभिसरण की घोषणा की है। उसके बाद कंपनी कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2011 से प्रारंभ करते हुए एक चरणबद्ध तरीके से कारपोरेटों के अधिदेशात्मक अभिसरण के संबंध में एक रूपरेखा घोषित की है। बैंकों और बीमा कंपनियों के अभिसरण के लिए एक अलग रूपरेखा तैयार की जा रही है। आगे बढ़ते हुए, कौशल उन्नयन की कठोर अपेक्षाओं, सूचना प्रौद्योगिकी की प्रणालियों में परिवर्तनों, संक्रमण की अवधि में समानांतर लेखों के अनुरक्षण और कार्यान्वयन की समस्याओं को देखते हुए भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए उक्त अभिसरण कार्यक्रम एक बड़ी चुनौती होगा। इसके अतिरिक्त, इस अभिसरण कार्यक्रम में धीमी प्रगति के कारण भारत के लिए इन मानकों को अपनाने और लागू करने तथा इनके साथ संबद्ध विवेकपूर्ण

मानदंडों को उचित रूप में संशोधित करने के लिए सीमित समय बचता है।

विभिन्न देशों के बीच सहयोग और बैंक समाधान ढाँचा

6.21 वर्तमान वित्तीय संकट के बाद की गई विभिन्न पहलें संकट की पुनरावृत्ति की संभावना को कम करने के लिए एक उपाय के रूप में विभिन्न देशों के बीच पर्यवेक्षी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के महत्व को रेखांकित करती हैं। विदेशों में भारतीय बैंकों की शाखाएँ अधिकाधिक संख्या में खोलने तथा भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों की काफी बड़ी उपस्थिति के चलते भारतीय संदर्भ में इस विषय का महत्व बढ़ रहा है।

¹ बाह्य साख-श्रेणी-निर्धारणों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त अन्य दृष्टिकोणों में शामिल हैं i) डिफाल्ट अध्ययन - ये एक सीआरए द्वारा श्रेणी-निर्धारित लिखत/निर्गमकर्ता के साख-इतिहास का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न रेटिंग ग्रेडों को डिफाल्ट (पीडी) की एक उचित संभावना समनुदेशित करने के लिए प्रयुक्त हैं एवं ii) पुनःप्राप्ति (रिकवरी) दरें - ये डिफाल्ट के घटित होने के बाद निवेशकों द्वारा प्राप्त पुनःप्राप्तियों का विश्लेषण करने में सहायता करती हैं तथा हानि देनेवाली डिफाल्ट (एलजीडी) को पहचानने के लिए प्रयुक्त हैं जिसे विभिन्न उधारकर्ताओं और सुविधाओं के साथ संबद्ध किया जा सकता है।

6.22 विदेशों में पर्यवेक्षी सहयोग के लिए समुद्रपारीय पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के साथ रिजर्व बैंक द्वारा की गई किसी कानूनी/औपचारिक व्यवस्था के अभाव में सीएफएसए द्वारा 'मूल देश-मेजबान देश संबंधों' के विषय में बासेल मुख्य सिद्धांतों के साथ 'अधिक मात्रा में पालन न करनेवाले' के रूप में भारत का निर्धारण किया गया है। एक ओर जहाँ एक द्विपक्षीय, 'जानने की आवश्यकता' के आधार पर रिजर्व बैंक और कुछ समुद्रपारीय बैंकिंग पर्यवेक्षकों/विनियामकों के बीच विशिष्ट मुद्दों पर पर्यवेक्षी सूचना के विनियम की अनौपचारिक प्रणालियाँ विद्यमान हैं, वहीं दूसरी ओर इस संबंध में औपचारिक व्यवस्थाएँ करने में कुछ वैधानिक समस्याएँ हैं। सारांश के रूप में ऐसी व्यवस्थाएँ विदेशों के साथ पर्यवेक्षी सहयोग की स्थूल अपेक्षाएँ पूरी करती हैं, यद्यपि भारत तकनीकी रूप से मुख्य सिद्धांत का अनुपालनकर्ता नहीं है। तथापि, अब निर्णय किया गया है कि उपलब्ध कानूनी ढाँचे के अंतर्गत पर्यवेक्षी सूचना के आदान-प्रदान के लिए समुद्रपारीय विनियामकों के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) कर लिये जाएँ, जबकि इसके साथ ही अपेक्षित वैधानिक परिवर्तन करने के लिए प्रयास जारी रखे जाएँ।

6.23 संकट ने यह भी दर्शाया है कि विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में मौजूदा कानूनी और विनियामक व्यवस्थाएँ सामान्य रूप से इस प्रकार से नहीं बनाई गई हैं कि बहुविध कानूनी संस्थाओं के माध्यम से परिचालन करने वाले किसी वित्तीय समूह, दोनों विदेशी और देशी वित्तीय समूहों में समस्याओं का समाधान किया जा सके। वर्तमान में वित्तीय फर्मों के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय दिवालियेपन का ढाँचा नहीं है तथा निकट भविष्य में ऐसे ढाँचे के निर्मित किये जाने की सीमित संभावनाएँ हैं। बासेल समिति ने हाल ही में सीमा पार बैंक समाधान समूह की एक रिपोर्ट और उनकी सिफारिशें प्रकाशित की हैं।

प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (एसआइएफआइ) के साथ व्यवहार

6.24 वैश्विक संकट ने एसआइएफआइ के साथ व्यवहार करने का महत्व स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में की गई अंतरराष्ट्रीय पहलों के अंतर्गत परिभाषागत और पहचानगत मुद्दे, पर्यवेक्षण/ विनियमन के उपयुक्त स्तर से संबंधित मुद्दे, प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण बैंकों के लिए अतिरिक्त पूँजी प्रभार तथा इन संस्थाओं के समापन और समाधान से संबंधित मुद्दे सम्मिलित हैं। फोकस विनियामक दृष्टि से मूल देश-मेजबान देश के सहयोग पर भी है और पर्यवेक्षी मंडल (कॉलेज) भी प्रस्तावित किये जा रहे हैं।

6.25 भारतीय संदर्भ में एसआइएफआइ, जिन्हें भारत में वित्तीय समूह (फाइनेंशियल कांग्लोमरेट्स) कहा जाता है, के वैश्विक परिचालन बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं तथा इस दौर में ऐसी संस्थाओं के लिए पर्यवेक्षी कालेजों की आवश्यकता नहीं हो सकती। देश के अंदर वित्तीय समूहों की निगरानी और पर्यवेक्षण का ढाँचा पहले से ही विद्यमान है जहाँ तीनों प्रमुख विनियामक अर्थात् रिजर्व बैंक, सेबी और आइआरडीए संबद्ध

हैं (बॉक्स 6.3)। 'प्रधान' अथवा 'अग्रणी' विनियामक संबंधिक क्षेत्रीय विनियामकों और समूह संस्थाओं के साथ आवधिक बैठकें (सामान्यतः छमाही) आयोजित करता है। पर्यवेक्षण का ढाँचा इस प्रकार परिकल्पित है कि इसमें 'प्रधान' विनियामक द्वारा निगरानी तथा अन्य विनियामकों के साथ अप्रत्यक्ष (ऑफ साइट) निगरानी और पर्यवेक्षी सूचना का आदान-प्रदान निहित है। अभिनिर्धारित 12 वित्तीय समूहों के संबंध में आठ मामलों में रिजर्व बैंक प्रधान विनियामक है, तीन मामलों में आइआरडीए तथा एक मामले में सेबी विनियामक हैं। वित्तीय समूहों के व्यष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक अन्य क्षेत्रीय विनियामकों के साथ परामर्श करने के बाद वित्तीय समूहों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक संवर्धित ढाँचे को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।

पूँजी के निजी समूहों का विनियमन

6.26 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक धारणा उभर रही है कि बड़ी, प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण बैंकिंग संस्थाओं को स्वामित्व वाले ऐसे कार्यकलाप करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जो विशेष रूप से अत्यधिक जोखिमों और हितों के गंभीर संघर्ष उत्पन्न करते हैं। तीस के समूह (ग्रुप ऑफ थर्टी) अपनी रिपोर्ट 'वित्तीय सुधार - वित्तीय स्थिरता के लिए एक रूपरेखा' में पूँजी के निजी समूहों के संबंध में अधिक औपचारिक विनियामक पर्यवेक्षण और अधिकाधिक पारदर्शिता के पक्ष में तर्क करता है। बैंकों द्वारा पूँजी के निजी समूहों के प्रवर्तन और प्रबंध को सामान्यतः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए तथा बड़े मालिकाना व्यापार को सख्त पूँजी और चलनिधि की अपेक्षाओं द्वारा सीमित किया जाना चाहिए। प्रतिष्ठात्मक जोखिमों सहित, ऐसे कार्यकलापों में अंतर्निहित जोखिमों का अधिकाधिक संज्ञान ऐसे मानदंडों के साथ अपेक्षित है जो यह सुनिश्चित करें कि ऐसे एक्सपोजर जोखिम प्रबंध की क्षमताओं और उपलब्ध पूँजी के अनुरूप हैं। रिजर्व बैंक पूँजी के निजी समूहों के विषय में बैंकों के प्रबंध के लिए एक विवेकपूर्ण ढाँचा विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। विनियामक मार्गदर्शी निदेशों को अंतिम रूप देने से पहले जनता के अभिमत प्राप्त करने के लिए इस संबंध में प्रस्तावित विवेकपूर्ण उपायों पर एक प्रलेख जारी किया गया है।

निवेश बैंकों का विनियमन

6.27 वैश्विक संकट के लिए अमेरिका में निवेश बैंकों के लिए विवेकपूर्ण विनियमन के अभाव को कुछ सीमा तक कारण माना गया है। प्रतिभूति और विनियमन आयोग (एसईसी) के निवेश बैंकों के संबंध में निर्बाध (लैसे फेयर) विनियमन को लेकर यह व्यापक तौर पर विश्वास किया जाता है कि उसने संकट के लिए गहराई तक योगदान किया है। 'निवेश बैंक' एक ऐसा शब्द है जिसका औपचारिक रूप से भारत में प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी, वह ऐसी संस्थाओं का समानार्थी है जो प्रधानतः शुल्क आधारित सेवाएँ जैसे प्रतिभूतियों में व्यापार, अथवा संविभाग प्रबंधकों, व्यापारी बैंकरों, हामीदारों, दलालों और परामर्शी सेवाएँ देनेवालों जैसी सेवाएँ प्रदान करती हैं।

बॉक्स 6.3 : भारत में वित्तीय समूह

क्षेत्रीय विभिन्नताओं के धुंधलाने सहित, प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेषणों की तेज गति ने वित्तीय मध्यस्थों को जोखिमों को निर्मित न करने और उन्हें पुनः संयोजित करने के द्वारा अपने क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में प्रभावी रूप से स्पर्धा करने में समर्थ बनाया है। वित्तीय उदारीकरण ने न केवल बैंकिंग, बीमा और प्रतिभूतियों जैसे विभिन्न वित्तीय क्षेत्रों की सीमाएँ, बल्कि भौगोलिक सीमाएँ भी पार करते हुए वित्तीय समूहों (फाइनेंशियल कांग्लोमरेट्स) के आविर्भाव के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

इन गतिविधियों ने संसर्ग जैसी आनुषंगिक जोखिमों भी प्रारंभ की हैं जिनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न भूगोलों की समस्याओं का मूल देश द्वारा विनियमित संस्था अर्थात् बैंक, बीमा कंपनी अथवा प्रतिभूति कंपनी के तुलन-पत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। पर्यवेक्षकों ने वित्तीय समूहों के परिचालनों में अंतर्ग्रहित जटिलताओं के संबंध में व्यवहार करने के लिए क्षेत्रीय विनियमों की अपर्याप्तता को पहचान लिया है।

पर्यवेक्षण के प्रति खंडीय दृष्टिकोण की सीमाओं का समाधान करने के लिए रिजर्व बैंक ने सेबी और आइआरडीए के साथ परामर्श करके प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थों (एसआइएफआइ) अथवा वित्तीय समूहों के लिए एक विशेष निगरानी प्रणाली प्रारंभ करने का निर्णय किया। तदनुसार, भारत में एक वित्तीय समूह (एफसी) निगरानी व्यवस्था जून 2004 से विद्यमान है।

वित्तीय समूहों की निगरानी के प्रयोजन के लिए तीनों विनियामकों को प्रधान विनियामकों के रूप में नामित किया गया है जिनको अभिनिर्धारित वित्तीय समूह अपनी नामित संस्थाओं के माध्यम से एफसी विवरणियाँ प्रस्तुत करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत अभिनिर्धारित वित्तीय समूहों द्वारा अपने संबंधित प्रधान विनियामकों को संगत डेटा की तिमाही रिपोर्टिंग संबद्ध है जो अंतःसमूह लेनदेनों और अभिनिर्धारित समूहों के एक्सपोजरों की सीमा पर फोकस से युक्त है। प्राथमिक तौर पर अंतःसमूह लेनदेनों की समीक्षा इस उद्देश्य से की जाती है कि समूह के अंदर की संस्थाओं, बाहर की प्रतिपक्षियों तथा विभिन्न वित्तीय बाजार खंडों (ईक्विटी, ऋण, मुद्रा बाजार, और डेरिवेटिव्स बाजार) को बड़े एक्सपोजरों के निर्माण का पता लगाया जा सके, 'हानियों' के अंतरण (माइग्रेशन/ट्रांसफर) के मामलों की पहचान की जा सके तथा विनियामक/पर्यवेक्षी अंतरपणन की स्थितियों की खोज की जा सके। इस प्रकार यह निगरानी व्यवस्था समूह के अंदर 'संसर्ग जोखिम' एवं विशिष्ट बाहरी संस्थाओं, क्षेत्रों

और बाजार खंडों को उसके संचयी एक्सपोजर को भी ग्रहण करने की अपेक्षा करती है।

वित्तीय समूह ढांचे के अंतर्गत विशेषीकृत निगरानी के लिए वित्तीय समूहों की पहचान संबंधित वित्तीय बाजार खंडों (बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियाँ और गैर-बैंकिंग वित्त) में उनके परिचालनों के मान के लिए अनिवार्य है। उक्त संस्थाओं की तुलन-पत्र से बाहर की स्थिति के आकार को भी संबंधित बाजार खंडों में इन संस्थाओं के परिचालनों के आकार को निर्धारित करने के लिए एक मानदंड के रूप में शामिल किया जा रहा है। एक ओर जहाँ इनमें से दो या उससे अधिक वित्तीय बाजार खंडों में उल्लेखनीय रूप से उपस्थिति रखनेवाला समूह 'अभिनिर्धारित वित्तीय समूह' के रूप में अर्हता प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य वित्तीय समूह जो एक 'प्रणालीगत' दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं (मुख्य रूप से उनके आकार, डेरिवेटिव्स और प्रतिभूतिकरण जैसे विशेषीकृत लेनदेनों में संबद्धता के कारण तथा बाजार की प्रतिसूचना के कारण) भी वित्तीय समूहों के रूप में अभिनिर्धारण प्राप्त करते हैं और फोकसयुक्त निगरानी के अधीन हैं।

चूँकि उक्त निगरानी ढाँचा आवास वित्त खंड को भी शामिल करता है जो राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के अधिकार-क्षेत्र में आता है, अतः उसे इस प्रावधान के साथ एक विनिर्दिष्ट विनियामक के रूप में निर्धारित किया गया है कि किसी बाद की तारीख को पीएफआरडीए को एक और विनिर्दिष्ट विनियामक के रूप में सहयोजित किया जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं संबंधी एचएलसीसीएफएम तकनीकी समिति को वित्तीय समूह निगरानी व्यवस्था की एक विहंगम दृष्टि रखने, वित्तीय समूहों संबंधी डेटा के विश्लेषण से उत्पन्न होनेवाली चिंताओं पर मार्गदर्शन/निदेश प्रदान करने तथा प्रधान विनियामकों के अधिकार में स्थित अन्य महत्वपूर्ण सूचना, जिसका समग्र रूप में समूह के साथ संबंध हो सकता है, का आदान-प्रदान करने के लिए अंतर-विनियामक मंच के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

इस प्रकार, वित्तीय समूह निगरानी ढांचा संक्रामकता जैसी स्थितियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पहचानने के लिए प्रयास करता है जो तत्परतापूर्वक समाधान न किये जाने पर प्रणालीगत चिंता के रूप में बड़ी तेजी से फैल जाती हैं। इस ढांचे का उद्देश्य समूह के लिए चलनिधि के स्रोतों का मूल्यांकन करने के द्वारा बाजार के विघटनों से संबंधित समस्याओं का समाधान करना भी है जो वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से बिलकुल महत्वपूर्ण है।

6.28 निवेश बैंक सेबी द्वारा विनियमित किये जाते हैं। उन्नयन (लीवरेज) करने के लिए उनकी क्षमता सीमित है और इस कारण से वे वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा नहीं हैं। तथापि, जोखिमों इन निवेश बैंकों के साथ उनके समूह की कंपनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं की सहबद्धताओं से उत्पन्न होती हैं।

6.29 आगे चलकर निवेश बैंक वित्तीय अस्थिरता के एक संभावित स्रोत के रूप में न माने जाएँ, इसके लिए रिजर्व बैंक और सेबी के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उनके द्वारा जारी किये गये अथवा दलाली किये गये वित्तीय उत्पादों के विषय में जोखिम संबंधी उच्चतर स्तरीय पारदर्शिता के साथ उनके कार्यकलापों के संबंध में सूचना तक पहुँच रखें। यदि विनियामक अंतरपणन के लिए कोई उदाहरण/गुंजाइश हो तो उसका समाधान करने की आवश्यकता है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी संरचना

6.30 वित्तीय स्थिरता के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सभी सहभागियों और हितधारकों के बीच वित्तीय प्रणाली में विश्वास के एक स्तर का अनुरक्षण भी आवश्यक होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के सहभागियों और बाजारों के सभी पहलुओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए व्यवस्थाओं को सम्मिलित करनेवाली वित्तीय क्षेत्र की एक सशक्त बुनियादी संरचना का विकास, वित्तीय लेनदेनों को अबाधित रूप में पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए मजबूत भुगतान और निपटान प्रणाली की संरचना का विकास एवं एक सुव्यवस्थित तरीके से बैंक दिवालियेपन के संबंध में व्यवहार करने के लिए एक सुपरिभाषित कानूनी आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण है।

वित्तीय बाजारों का विनियमन

6.31 अंतरराष्ट्रीय तौर पर स्थिरता के दृष्टिकोण से बाजारों के लिए कोई सुस्पष्ट अथवा सुसंगत नीति का ढांचा नहीं रहा है। वास्तव में, वित्तीय संस्थाओं, बाजारों और लिखतों के प्रणालीगत महत्व का आकलन करने से संबंधित आइएमएफ-बीआइएस-एफएसबी के संयुक्त प्रलेख भी यह स्वीकार करता है कि बाजारों के प्रणालीगत महत्व का मूल्यांकन संस्थाओं की तुलना में संकल्पनात्मक चुनौतियाँ अधिक प्रस्तुत करता है।

6.32 अधिकांश विकसित वित्तीय केंद्रों में वित्तीय बाजारों के विनियमन का अर्थ ओटीसी बाजार को लगभग पूर्णतः विनियमन के दायरे से बाहर रखते हुए विनियम व्यापार वाले बाजारों से संबंधित कारोबार के संचालन के विनियमन के रूप में लगाया गया है। अतः बाजार का विनियमन विवेकपूर्ण फोकस को संस्था के विनियमन तक रखते हुए अधिकांश रूप से व्यापार अर्थात् कारोबार के संचालन के परिचालनगत पहलुओं के चारों ओर संकेंद्रित किया गया है।

6.33 तथापि, संकट के बाद यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि सर्वाधिक विकसित वित्तीय बाजारों का भी विनियमन न केवल कारोबार के संचालन की दृष्टि से, बल्कि भारत जैसे उभरते हुए देशों के संदर्भ में वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से भी करने की आवश्यकता है। भारत जैसे उभरते हुए देशों के संदर्भ में यह विशेष रूप से विनियम दरों और ब्याज दरों जैसे मुख्य समष्टि-आर्थिक परिवर्ती तत्वों (वेरियबल्स) के साथ संबद्ध बाजारों के लिए संगत हो जाता है।

प्रणालीबद्ध विनियामक के लिए विनियामक संरचना

6.34 वित्तीय स्थिरता एक सुस्पष्ट अधिदेश के रूप में हाल ही में आरंभ हुई है। संकट से पहले अधिकांश देशों में संस्थागत व्यवस्थाएँ नीतिगत समन्वय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अभिकल्पित की गई थीं तथा विनियामक ढांचे की विकसित हो रही संरचना से प्राप्त की गई थीं। तथापि, संकट के बाद उपर्युक्त व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। इनमें से कई देशों में वित्तीय स्थिरता के लिए दायित्व का पतन संकट के दौरान या तो इस रूप में कि किसी एजेंसी अथवा विनियामक को निश्चयात्मक तौर पर उसके साथ अधिदेशित नहीं किया गया था, या इस कारण से कि अपेक्षित संस्थागत प्रक्रियाएँ और लिखतें विद्यमान नहीं थीं, उत्पन्न दरारों से हुआ था। अब यह सुस्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए कि कौन-सी एजेंसी / एजेंसियाँ वित्तीय स्थिरता के लिए उत्तरदायी होंगी/होंगी तथा वित्तीय स्थिरता के लिए खतरों का समाधान करने के प्रयोजन से एक राजकीय व्यवस्था (प्रोटोकॉल) को विनिर्दिष्ट करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस संबंध में विभिन्न रूपरेखाओं पर चर्चा की जा रही है तथा बहस हो रही है।

6.35 भारतीय संदर्भ में प्रणालीगत जोखिमों का समाधान करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी बुनियादी संरचना के अंतर्गत वर्तमान में वित्तीय बाजारों संबंधी उच्चस्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफएम) के रूप में एक समन्वय व्यवस्था है। इस समिति

के अध्यक्ष रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं तथा इसमें वित्त मंत्रालय, सेबी, आइआरडीए और पीएफआरडीए का प्रतिनिधित्व है।

6.36 इस पृष्ठभूमि के होते हुए, हाल की एक महत्वपूर्ण गतिविधि सरकार द्वारा एक वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) को स्थापित करने के संबंध में की गई घोषणा रही है जिसका उद्देश्य बड़े वित्तीय समूहों की कार्यप्रणाली सहित अर्थव्यवस्था के समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करना एवं अंतर-विनियामक समन्वय की समस्याओं का समाधान करना है। एक प्रमुख मुद्दा जिसका समाधान अपेक्षित है, एचएलसीसीएफएम के साथ उक्त एफएसडीसी के संबंध का स्वरूप है।

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

6.37 वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों की सुचारु कार्यपद्धति महत्वपूर्ण है। संकट के चलते, संसर्ग की जोखिम को कम करने के प्रयोजन हेतु वित्तीय प्रणाली की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक पहलें की गई हैं। इन पहलों में शामिल हैं, प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार की बुनियादी संरचना के लिए मौजूदा मानकों और मार्गदर्शी निदेशों की व्यापक समीक्षा, केंद्रीय प्रतिपक्षी (सीसीपी) व्यवस्थाओं को मजबूत करना, ग्राहक आस्ति की सुरक्षा में सुधार लाना तथा त्रिपक्षीय रेपो बाजार में बाजार की प्रथाओं को सुधारना।

6.38 भारत में 2008 में भुगतान और निपटान प्रणालियाँ अधिनियम को लागू करने के साथ ही, रिजर्व बैंक को देश में भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करने के लिए वैधानिक रूप से प्राधिकार प्राप्त हुआ है। वित्तीय स्थिरता के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों के महत्व को देखते हुए रिजर्व बैंक भुगतान और निपटान की बुनियादी संरचना को मजबूत करने के लिए कई उपायों की पहल करता रहा है। इनकी रूपरेखा इस रिपोर्ट के अध्याय II में दी गई है।

6.39 देश में भुगतान और निपटान प्रणाली की बुनियादी संरचना को मजबूत करने की दिशा में रिजर्व बैंक का स्थूल दृष्टिकोण भुगतान के लेनदेनों, विशेष रूप से बड़े मूल्य/थोक भुगतान वाले लेनदेनों को अधिकाधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनिक विधि में अंतरित करने का रहा है। इसी समय में गारंटीकृत निपटानों के अंतर्गत सभी अंतर-बैंक भुगतान के लेनदेनों को सीसीपी में अंतरित करने के लिए प्रयास किये गये हैं। हाल की अवधि में ओटीसी लेनदेनों से, उदाहरण के लिए संपार्श्विकीकरण के माध्यम से किये जानेवाले लेनदेनों से उत्पन्न होनेवाली जोखिमों को कम करने के लिए अनेक पहलें की गई हैं। प्रसंग की एक स्थिति मुद्रा बाजारों में अनोखी सीबीएलओ व्यवस्था है। भुगतान और निपटान प्रणालियों में परिचालनगत जोखिमों का समाधान आपदा से समुत्थान की सशक्त व्यवस्थाओं के माध्यम से करने की अपेक्षा की गई है।

6.40 भुगतान और निपटान की बुनियादी संरचना के क्षेत्र में भी रिजर्व बैंक अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रयासरत है। ऐसी सर्वोत्तम प्रथाओं के समक्ष स्वयं को न्यूनतम मानदंडों से निरंतर

संबद्ध रखने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में भारत ने सीएफएसए के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के लिए मुख्य सिद्धांतों एवं प्रतिभूति निपटान प्रणालियों और सीसीपी के लिए सिफारिशों के अपने अनुपालन का एक स्व-मूल्यांकन संचालित किया। उक्त समिति का निष्कर्ष यह रहा कि देश ने स्थूल रूप से उक्त सिद्धांतों/सिफारिशों का पालन किया है।

बड़े मूल्य के भुगतान - कागजी रूप में निहित

जोखिमों को कम करना


6.41 प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए 2004 में देश में बड़े मूल्य के भुगतान वाले लेनदेनों के लिए एक तत्काल सकल भुगतान (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट- आरटीजीएस) प्रणाली कार्यान्वित की गई। तब से लेकर कागज-आधारित (माइकर और कागजी मुद्रा में अत्यधिक मूल्य वाले समाशोधन की प्रणालियाँ) प्रणालियों से बड़े मूल्य के भुगतानों के निपटान को चरणबद्ध रूप में निकालकर बाहर करने के लिए निरंतर प्रयास किये गये हैं। इस देश के आकार, जटिलता और विविधता को देखते हुए, कागजी मुद्रा के समाशोधन की प्रणालियों के माध्यम से समाशोधन किये गये अत्यधिक मूल्य वाले चेकों की मात्राओं की कल्पना सहज ही की जा सकती है। तथापि, आरटीजीएस, जो देश में बड़े मूल्य वाले भुगतानों के लगभग 90 प्रतिशत निपटान के लिए उत्तरदायी है, के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के माध्यम से निपटान किये गये अत्यधिक मूल्य वाले भुगतानों के मूल्य के संबंध में उल्लेखनीय प्रगति की गई है (चार्ट 6.1 और 6.2)। खुदरा लेनदेन को भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की परिधि में एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली (एनईएफटी) के माध्यम से लाने का प्रयास किया जा रहा है।

केंद्रीय प्रतिपक्षियों के माध्यम से जोखिम कम करना

6.42 हाल के वर्षों में मुख्य वित्तीय बुनियादी संरचना और बाजारों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल निपटानों के अधिकाधिक अंश, विशेष रूप से बड़े मूल्य के लेनदेनों को एक केंद्रीय प्रतिपक्षी (सीसीपी) की परिधि में लाने की रही है। सीसीपी इस प्रकार प्रतिपक्षी जोखिमों को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा बहुपक्षीय समायोजन (नेटिंग) द्वारा चलनिधि की अपेक्षा को कम करने में भी सहायता करते हैं। प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए वैश्विक विनियामक प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है, सीसीपी के माध्यम से तथा जहाँ उपयुक्त हो वहाँ सुसंगठित एक्सचेंजों के माध्यम से गारंटीकृत निपटानों की ओर गतिशीलता को प्रोत्साहित करना। सीसीपी व्यवस्थाओं को ओटीसी बाजारों में भी लागू करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।


6.43 भारत में केंद्रीय प्रतिपक्षी अधिकांश वित्तीय बाजारों में कार्यरत हैं। पूँजी बाजार के लिए प्रमुख शेयर बाजार अर्थात् एनएसई और बीएसई के अपने स्वयं के सीसीपी हैं (क्रमशः राष्ट्रीय प्रतिभूति समाशोधन निगम

चार्ट 6.1 : मात्रा की प्रवृत्ति



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

चार्ट 6.2 : मूल्य की प्रवृत्ति



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

और बैंक ऑफ इंडिया शेयरहोल्डिंग लिमिटेड)। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआइएल) सरकारी प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों (संपार्श्विकीकृत खंडों सहित) और विदेशी मुद्रा उत्पादों में किये गये लेनदेनों के समाशोधन और निपटान के लिए एक संस्थागत संरचना उपलब्ध कराता है (चार्ट 6.3)। सीसीआइएल की भूमिका क्रमशः ओटीसी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स खंडों में भी बढ़ाई जा रही है जो प्रारंभ में एक रिपोर्टिंग मंच के रूप में होगा और उसके बाद उसमें निपटानों को सम्मिलित किया जाएगा।


6.44 वित्तीय बाजारों की आवश्यकताएँ पूरी करने में सीसीपी प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (निपटान-पूर्व अथवा प्रतिस्थापन लागत जोखिम), चलनिधि जोखिम, निपटान बैंक जोखिम, अभिरक्षा जोखिम, निवेश जोखिम, परिचालनगत जोखिम और कानूनी जोखिम के समक्ष असुरक्षित हैं। बाजार सहभागियों की संबद्धता के साथ सीसीपी द्वारा सशक्त व्यतिक्रम प्रबंध प्रक्रियाएँ स्थापित करने की क्षमता उनकी कार्यपद्धति की एक पूर्व शर्त है। किसी सहभागी की चूक अथवा दिवालियेपन के विरुद्ध सुरक्षा पाने के लिए सीसीपी की जोखिम प्रबंध प्रक्रियाएँ निम्नलिखित के सिद्धांतों पर कार्य करती हैं- (i) प्रवेश के सख्त मानदंड निर्धारित करने के द्वारा चूक की संभावना को कम करना (ii) भावी ऋण एक्सपोजरों को संपार्श्विकीकृत करनेवाली मार्जिन की अपेक्षाएँ निर्धारित करने के द्वारा व्यतिक्रमों के विरुद्ध रक्षोपाय करना तथा (iii) पूँजी, आस्ति समूहों और गारंटी निधियों जैसे पूरक संसाधनों अथवा ऋण आबंटन प्रक्रियाओं के माध्यम से हानियों को पूरा करने के लिए बनाये गये रक्षोपायों को लागू करना जो चूककर्ता सदस्य के संपार्श्विक मार्जिन के मूल्य से अधिक हों।

6.45 सीसीपी की सशक्तता सुनिश्चित करने की लागत को बाजार द्वारा अपने कुशल कार्यसंचालन को बाधित किये बिना वहन किये जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विश्वसनीय मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्यांकन जो 'घटी कीमत पर बिक्री' (क्लोज आउट) के लिए चलनिधि बाजार के साथ मार्जिन की अपेक्षाओं को समर्थन देते हैं, परम महत्व के हैं। इसके साथ ही यह अनिवार्य है कि भुगतान प्रणाली का विनियामक यह सुनिश्चित करे कि सीसीपी की जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ सशक्त हैं और उन्हें पर्याप्त पूँजी का समर्थन प्राप्त है।

6.46 सीसीआइएल द्वारा प्रदान की जानेवाली सुविधाओं में ये जोखिम प्रबंध प्रक्रियाएँ शामिल हैं। सीएफएसए ने पाया था कि सीसीआइएल केंद्रीय प्रतिपक्षियों के लिए सीपीएसएस-आइओएससीओ की सिफारिशों का स्थूल रूप से पालन करता है। तथापि, इन प्रक्रियाओं में से किसी भी प्रक्रिया का समाधान करने में अपर्याप्तता से, विशेष रूप से (i) संपार्श्विक जमानत की मात्रा; (ii) संपार्श्विक जमानत की गुणवत्ता; और (iii) स्वयं की निधियों तक पहुँच के संबंध में अपर्याप्तता से अस्थिरताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

6.47 संपार्श्विक जमानत की अपर्याप्त मात्रा चूकों के कारण उत्पन्न होनेवाली जोखिमों का समाधान करने की सीसीआइएल की क्षमता को

चार्ट 6.3 : सीसीआइएल में दैनिक औसत एकमुश्त, रेपो, विदेशी मुद्रा और सीबीएलओ निपटान टर्नओवर



*फरवरी 2010 तक।

टिप्पणी : विदेशी मुद्रा में निपटान के आंकड़े मिलियन अमेरिकी डॉलर में हैं।

स्रोत : सीसीआइएल।

प्रभावित कर सकती है। संपार्श्विक जमानत की गुणवत्ता महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी चूक के प्रति सीसीपी की प्रतिक्रिया संपार्श्विक जमानत की विक्रेयता पर निर्भर होगी। संपार्श्विक जमानत की मात्रा और गुणवत्ता की संगणना के लिए सीसीआइएल द्वारा अपनाई गई स्थूल प्रक्रिया की रिजर्व बैंक द्वारा जाँच की गई और उसका अनुमोदन किया गया। रिजर्व बैंक द्वारा अपनी अप्रत्यक्ष निगरानी और प्रत्यक्ष निरीक्षणों के माध्यम से इन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है।

6.48 इसके अलावा, सीसीपी द्वारा अपनी स्वयं की निधियों का निवेश भी ऐसी लिखतों में हो सकता है जो कम अस्थिर और आसानी से विक्रेय हैं। जबकि इन निवेशों के संबंध में निर्णय सीसीआइएल के बोर्ड द्वारा लिये जाते हैं, इस प्रक्रिया में किसी भी अस्थिरता का संकेत रिजर्व बैंक द्वारा अपनी निगरानी की प्रक्रियाओं के दौरान किया जाता है।

6.49 सीसीआइएल में व्यवसाय का बढ़ता हुआ संकेंद्रण जोखिमों का समूहन करने तथा प्रणाली के लिए समग्र लेनदेन की लागतों को कम करने में उसकी सहायता करता है। इस स्थिति के होते हुए कि विभिन्न वित्तीय बाजारों में सीसीआइएल एकल सीसीपी है, उसके लिए उपलब्ध मौजूदा ऋण व्यवस्थाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे प्रतिभूति निपटान प्रणाली को जोकिम के प्रति कम असुरक्षित बनाया जा सके। अतः सीसीआइएल की पूँजी और चलनिधि संबंधी जरूरतों का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि इस संस्था की, जिसके महत्वपूर्ण प्रणालीगत निहितार्थ होंगे, विफलता की संभावना को कम किया जा सके।

ओटीसी बाजारों में प्रणालीगत जोखिम

6.50 हाल के वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप, विनियामक ध्यान ओटीसी नकदी और डेरिवेटिव उत्पादों के बड़े ढेर की ओर अंतरित


हुआ जिसे वित्तीय संकट के लिए मार्ग प्रशस्त करनेवाले एक प्रमुख कारक के रूप में देखा गया। ऐसे बाजारों में पारदर्शिता का अभाव वित्तीय लिखतों की सापेक्ष जटिलता के साथ जिनका व्यापार (विशेष रूप से ऋण डेरिवेटिव्स में) किया गया था, जोखिमों के निवास के आच्छादन के रूप में परिणत हुआ जिसने फिर वित्तीय प्रणाली की बढ़ी हुई अस्थिरता को प्रेरित किया। वित्तीय लिखतों में मानकीकरण, पारदर्शिता और सरलता का संवर्धन करने के लिए विश्व भर के वित्तीय विनियामकों ने अपना ध्यान विनिमय व्यापारित वित्तीय लिखतों की व्याप्ति को बढ़ाने पर केंद्रित किया। इसी समय ओटीसी लेनदेनों के निपटान के लिए सीसीपी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया गया।

6.51 भारत में मुद्रा बाजार का व्यापार अधिकांशतः काउंटर पर किया जाता है। तथापि, सरकारी प्रतिभूति बाजार में अधिकांश लेनदेन तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) द्वारा संचालित होते हैं जो एक आदेश मिलानेवाली अनाम प्रणाली है (चार्ट 6.4)। अनुषंगी बाजार के लेनदेन डीवीपी-III के माध्यम से निपटाये जाते हैं जहाँ दोनों निधियों और प्रतिभूतियों का निपटान एक नेट के आधार पर किया जाता है। सीसीआईएल समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है तथा सीसीपी दोनों भाव-आधारित और आदेश मिलानेवाली प्रणालियों के लिए। शेयर बाजारों के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार उल्लेखनीय नहीं है। वर्तमान में भारतीय वित्तीय बाजारों में ऋण डेरिवेटिव्स का अस्तित्व नहीं है। विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड और ब्याज दर स्वैप, जोकि दोनों ओटीसी व्यापार हैं, भारतीय बाजारों में लोकप्रिय रहे हैं। जहाँ एक ओर विदेशी मुद्रा फॉरवर्डों के निपटान के लिए एक गारंटीकृत निपटान व्यवस्था प्रारंभ की गई है, वहीं दूसरी ओर ब्याज दर स्वैपों को अभी सीसीपी व्यवस्थाओं के अंतर्गत लाना बाकी है।

6.52 रिजर्व बैंक सीसीआईएल की भूमिका के ओटीसी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स खंडों तक विस्तार को प्रोत्साहित करता रहा है जो प्रारंभ में रिपोर्टिंग के लिए तथा क्रमशः नवीकृत निपटान के लिए है। साथ ही, वह विदेशी मुद्रा और ब्याज दर बाजारों में विनिमय व्यापारित उत्पादों को प्रविष्ट करने के द्वारा ऐसे बाजारों में उनकी व्याप्ति को विस्तार देने के लिए प्रयास करता रहा है। विदेशी मुद्रा फ्यूचर्स और ब्याज दर फ्यूचर्स के प्रवेश के द्वारा इस दिशा में एक प्रारंभ किया जा चुका है।


6.53 मुद्रा फ्यूचर्स व्यापार अपने प्रारंभ से लेकर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं क्योंकि कुल व्यापार के टर्नओवर में ऐसे व्यापारों का अंश अक्टूबर 2008 में विद्यमान मात्र 0.3 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2009 में 6 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 6.5)। जैसी कि इस रिपोर्ट के अध्याय IV में चर्चा की गई है, ब्याज दर फ्यूचर्स में परिमाण को अभी बढ़ाना बाकी है।

चार्ट 6.4 : सरकारी प्रतिभूति बाजार व्यापार विनिमय व्यापारित और विनिमय आधारित



स्रोत : सीसीआईएल ।

चार्ट 6.5 : मुद्रा लेनदेनों के लिए ओटीसी और विनिमय व्यापारित टर्नओवर का अंश



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, एनएसई और एमसीएक्स ।

आपदा से समुत्थान (डीआर) के अभ्यास


6.54 व्यावसायिक निरंतरता के प्रबंध को खास तौर से प्रौद्योगिकी पर बढ़ती हुई निर्भरता के संदर्भ में समग्र वित्तीय स्थिरता के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा गया है। वस्तुतः परिचालनगत जोखिम का प्रबंध भुगतान और निपटान प्रणालियों के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का एक मुख्य घटक है। अप्रत्याशित विघटनों को संभालने के लिए भुगतान प्रणालियों की तैयारी की जाँच करने के लिए रिजर्व बैंक आपदा से समुत्थान के अभ्यास² संचालित करता है। अब तक विभिन्न तारीखों पर पाँच अभ्यास संचालित किये गये हैं तथा परिणाम उत्साहवर्धक हैं। तथापि, तीन महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों के लिए अभ्यासों के दौरान रिजर्व बैंक के अप्रत्यक्ष (ऑफसाइट) स्थान तक ऑफसाइट व्यवस्थाओं के माध्यम से अनेक लघुतर सहभागी संबद्ध नहीं हो सके (चार्ट 6.6)। डीआर अभ्यासों में सहभागिता करने के लिए किसी भुगतान प्रणाली, विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली के एक या उससे अधिक सहभागियों की असमर्थता व्यावसायिक अवरोध की किसी घटना की स्थिति में एक समस्या बन सकती है।

विधि संबंधी बुनियादी संरचना

6.55 एक सुव्यवस्थित रूप में बैंक दिवालियेपन के संबंध में व्यवहार करने के लिए एक सुपरिभाषित विधि संबंधी बुनियादी संरचना के महत्व को भली भाँति समझा गया है। विश्व बैंक की 'व्यवसाय संचालन रिपोर्ट' (2008) में किसी व्यवसाय को समाप्त करने के संबंध में विभिन्न देशों की तुलना से यह निष्कर्ष निकला था कि समुत्थान की दर और समापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए औसत समय के तौर पर भारत एक बहिर्वासी है (चार्ट 6.7)। चूँकि समापन की प्रक्रिया के लिए लिया गया समय एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो विचाराधीन आस्तियों के पुनःप्राप्त अनुपात को प्रभावित करता है, अतः समुत्थान की प्रणालियों और समाधान की प्रक्रियाओं के सुधार और युक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।


6.56 अंतरराष्ट्रीय समूहों (कांग्लोमरेटों) की बढ़ती हुई उपस्थिति को देखते हुए सीमापार संकट प्रबंध और समाधान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वर्तमान में विधि में ऐसे उपबंध नहीं हैं जो सीमापार दिवालियेपन की कार्यवाही को संभव बनाते हैं। सीएफएसए ने सिफारिश की थी कि सीमापार दिवालियेपन के संबंध में अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआइटीआरएएल) के मॉडल के कानून को उपयुक्त आशोधनों के साथ भारत के लिए अपनाया जा सकता है। यूएनसीआइटीआरएएल मॉडल की विधि को अपनाने पर बैंकों के क्षेत्रीय जमाकर्ताओं के हित को वैश्विक जमाकर्ताओं से कोई अधिक सुरक्षा नहीं मिल सकती, क्योंकि कंपनियों से संबंधित विभिन्न देशों की आस्तियों का समूह विद्यमान होगा।

चार्ट 6.6 : डीआर अभ्यासों में सहभागियों की सफलता का अनुपात



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक।

चार्ट 6.7 : समुत्थान अनुपात और दिवालियेपन के समाधान का समय



स्रोत : विश्व बैंक की 'व्यवसाय संचालन रिपोर्ट' (2008)।

² अभ्यास के दौरान सहभागियों से अपेक्षित है कि वे अभ्यासों के समय रिजर्व बैंक के ऑफसाइट अथवा प्राथमिक केंद्र के साथ अपने ऑफसाइट केंद्र के माध्यम से संबद्ध रहें। अभ्यास प्रारंभ करने के लिए सहभागियों को पर्याप्त से अधिक नोटिस अवधि दी गई थी।

जमा बीमा

6.57 वैश्विक वित्तीय संकट ने बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाये रखने के लिए एक विश्वसनीय और पारदर्शी जमा बीमा प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया है। बैंकिंग प्रणाली में सुरक्षा जाल संकटों को दूर करने में सहायता पहुँचाते हैं तथा इस प्रकार वित्तीय स्थिरता के लिए योगदान करते हैं।

6.58 भारत में जमा बीमा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो भारतीय रिजर्व बैंक की एक पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक संस्था है। भारत में जमा बीमा सभी बैंकों (वाणिज्य/सहकारी/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक) के लिए अनिवार्य है³। यह विदेशी सरकारों की जमाराशियों, केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियों, अंतर-बैंक जमाराशियों, विदेशों में प्राप्त जमाराशियों तथा रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से डीआइसीजीसी द्वारा विशिष्ट रूप से छूट प्रदान की गई जमाराशियों को छोड़कर सभी प्रकार की जमाराशियों को सम्मिलित करता है।

6.59 विश्व भर में सरकारों और जमा बीमा प्रणालियों द्वारा उठाये गये कदमों ने प्रणाली में स्थिरता को पुनःस्थापित करने में सहायता पहुँचाई है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को भी सामने रखा है जिन पर इसके नीचे चर्चा की जाती है।

संवर्धित जमा बीमा उपायों को शिथिल करना


6.60 हाल के वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप 47 देशों तक ने जमाकर्ता की सुरक्षा को बढ़ाने की नीतियाँ अपनाई हैं। तथापि, उनकी नीति के पैकेज सुरक्षा की दोनों व्याप्ति और सघनता के संबंध में भिन्न-भिन्न हैं। एक ओर जहाँ इनमें से अधिकांश देशों ने जमा बीमा के मौजूदा ढांचे पर निर्भर रहने का विकल्प चुना है परंतु निजी क्षेत्र के विश्वास को मजबूत करने के लिए सुरक्षा के स्तरों को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर कुछ देशों ने पूर्ण जमा गारंटियाँ लागू की हैं। अंतरराष्ट्रीय जमा बीमाकर्ता संघ (आइएमएफ) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) द्वारा किये गये सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि विभिन्न देशों में अस्थायी जमा सुरक्षा को समेटने (अनवाइंडिंग) की योजनाओं में लगभग केवल घोषित समापन की तारीखों का अनवाइंडिंग शामिल है। संवर्धित उपायों के अनवाइंडिंग के लिए दोनों राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर समन्वय की कार्यनीतियाँ आवश्यक होंगी।

6.61 छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लक्ष्य की तुलना में इस संबंध में डीआइसीजीसी द्वारा की गई एक समीक्षा से यह विदित हुआ कि एक लाख रुपये की वर्तमान उच्चतम सीमा 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार प्रति व्यक्ति जीडीपी की 2.2 गुनी हो जाती है। यह 1-2 गुने प्रति व्यक्ति जीडीपी के अंतरराष्ट्रीय न्यूनतम स्तर (बेंचमार्क) के साथ भली भाँति तुलनीय है। इसके अलावा, यद्यपि पूर्णतः रक्षित खातों का प्रतिशत 31 मार्च 2008 को यथाविद्यमान 92.6 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर 31 मार्च 2009 को 89.3 प्रतिशत हो गया है, तथापि वह स्वीकार्य स्तरों से भली भाँति अधिक रहा है। इस प्रकार जमा बीमा सुरक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता भारत में संकट की अवधि के दौरान भी विवश नहीं कर रही थी और इस कारण से शिथिलन की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती।

जमा बीमा निधि (डीआइएफ) की पर्याप्तता

6.62 निधि अनुपात/आरक्षित निधि अनुपात (कुल बीमाकृत जमाराशियों की तुलना में निधि का आकार⁴) के माध्यम से मापी गई जमा बीमा निधि (डीआइएफ) की पर्याप्तता⁴ निधि की शोधक्षमता को सुनिश्चित करने तथा जनता के विश्वास को बनाये रखने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। 2001-02 से शहरी सहकारी बैंकों को किये गये भुगतानों में आई बड़ी तेजी के कारण आरक्षित निधियों को सुधारने के लिए 2006 तक प्रीमियम दरें चरणों में 0.05 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.10 प्रतिशत⁶ कर दी गई थीं (चार्ट 6.8)। तथापि, समग्र तौर पर आरक्षित निधियों में वृद्धि आरक्षित निधि अनुपात में आनुपातिक वृद्धि

चार्ट 6.8 : आरक्षित निधि अनुपात



स्रोत : डीआइसीजीसी।

³ जमा बीमा सहकारी बैंकों के लिए लागू नहीं है जहाँ सहकारी समितियाँ अधिनियम जिसके अंतर्गत वे पंजीकृत हैं डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 2 (जीजी) के उपबंधों का पालन नहीं करता। तीन संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़, लक्षद्वीप तथा दादरा और नागर हवेली) के संबंध में सहकारी बैंकों पर इस योजना का विस्तार लंबित है क्योंकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित सहकारी समितियों अधिनियमों में आवश्यक वैधानिक परिवर्तन लागू करना बाकी है। फिलहाल लक्षद्वीप तथा दादरा और नागर हवेली में कोई सहकारी बैंक नहीं है।

⁴ स्रोत : एन एवैल्युएशन ऑफ दी डिनामिनेटर ऑफ दी रिजर्व रेशियो एफडीआइसी स्टाफ स्टडी, 12 फरवरी 2007।

⁵ 'बीमाकृत जमाराशि' से आशय ऐसी जमाराशि अथवा उसके किसी अंश से है, जिसकी चुकौती डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अंतर्गत डीआइसीजीसी द्वारा बीमाकृत है।

⁶ प्रीमियम के संबंध में कर-निर्धारणीय जमाराशियों के 0.15 प्रतिशत पर एक सांविधिक उच्चतम सीमा है।

प्राप्त नहीं कर रही है। उक्त वर्षों के लिए बीमा दावों के कारण बीमांकिक देयता (अर्थात् प्रीमियम प्राप्ति में ऐतिहासिक प्रवृत्ति और दावा भुगतानों अथवा सामान्य 'दबावों' का अनुमान करते हुए) के लिए समायोजित आरक्षित निधि अनुपात लगभग 10 आधार अंक नीचे आ जाएगा।

6.63 पिछले 10 वर्षों में भारत में कर-निर्धारणीय जमाराशियों और बीमाकृत जमाराशियों की वार्षिक चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) क्रमशः 19.1 प्रतिशत और 16.1 प्रतिशत रही है, जिसमें एक व्यापक स्प्रेड अंतर्निहित है (चार्ट 6.9)।

6.64 एक ओर जहाँ कम प्रीमियम व्यवस्था में, जैसी कि भारत में फिलहाल प्रचलित है, एक निम्नतर बीमाकृत जमाराशि अनुपात (अर्थात् कर-निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का अनुपात) एक प्रभावी सुरक्षा जाल के रूप में निधि के आकार की प्रभावोत्पादकता को सूचित करता है, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग प्रणाली में अबीमाकृत जमाराशियों का एक अत्यधिक रूप से वृद्धिशील आकार जमा बीमा को कम प्रभावी बना सकता है तथा प्रणालीगत स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।

प्रति-सहायता (क्रॉस सब्सिडाइजेशन)


6.65 पिछले कुछ वर्षों में दावा निपटान एवं प्राप्त प्रीमियम में विद्यमान प्रवृत्तियाँ वाणिज्य और सहकारी बैंकों के बीच प्रति-सहायता के एक उल्लेखनीय तत्व का संकेत करती हैं (चार्ट 6.10 और 6.11)।

6.66 प्रति-सहायता को कम करने के लिए एक विकल्प जोखिम के प्रति संवेदनशील (रिस्क सेन्सिटिव) प्रीमियमों को प्रभारित करना है। एक ओर जहाँ जोखिम के प्रति ऐसे संवेदनशील मूल्यांकन के अपने गुण हैं, वहीं दूसरी ओर प्रति-सहायता भी बड़े बैंकों के संबंध में संभव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष डॉमिनो प्रभावों से युक्त उनकी बड़ी वित्तीय बाह्यताओं के कारण उच्चतर प्रीमियम प्रभारित करने की आवश्यकता को फोकस में लाती है। ऐसे बैंकों के लिए समाधान की लागत बड़े बैंकों के परिसमापन से होनेवाली प्रत्यक्ष हानियों तथा अप्रत्यक्ष रूप से बाह्यताओं से होनेवाली हानियों के तौर पर दोनों सुनिश्चित / अंतर्निहित बीमाकर्ता के लिए अपेक्षाकृत बड़ी है।

समुत्थान संबंधी कार्य


6.67 जैसा कि डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 में प्रतिस्थापित है एवं जून 2009 में बीआइएस की प्रभावी जमा बीमा प्रणालियों के मुख्य सिद्धांतों में समाविष्ट किया गया है (सिद्धांत 19), जमा बीमाकर्ता को चाहिए कि वह विफल हुए बैंक की आस्तियों से वसूल की गई राशि में अंशदान करे। स्थापना से लेकर, दावा निपटानों की तुलना में डीआइसीजीसी की वसूली का अंश इस निधि के पुनरुत्पादन और इसकी

चार्ट 6.9 : जमाराशियों में वृद्धि




स्रोत : डीआइसीजीसी।

चार्ट 6.10 : प्रति-सहायता - वाणिज्य बैंक



स्रोत : डीआइसीजीसी।

चार्ट 6.11 : प्रति-सहायता - सहकारी बैंक



स्रोत : डीआइसीजीसी।

आघात-सहनीयता के लिए एक बड़ा अवरोध रहा है। स्थापना से मार्च 2009 के अंत तक की स्थिति सारणी 6.1 में दी गई है।

अन्य सुरक्षा जाल सहभागियों के साथ परस्पर संबंध

6.68 मुख्य सिद्धांतों के सिद्धांत 6 के अनुरूप जमा बीमाकर्ता और अन्य सुरक्षा जाल सहभागियों के बीच सूचना के सशक्त आदान-प्रदान के साथ, विशेष रूप से बैंक पर्यवेक्षकों के साथ एक औपचारिक संबंध पर जोर देने की आवश्यकता है। एक ओर जहाँ व्यवहार में डीआईसीजीसी और अन्य विनियमनकर्ताओं के बीच सूचना के विनिमय की कुछ अनौपचारिक विधियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर समाधान किये गये बैंकों की आस्तियों से की गई असंतोषजनक वसूली, समाधान के बाद विशेष रूप से सहकारी बैंकों के मामले में प्रभावी पर्यवेक्षण के अभाव का संकेत करती है जिसका समाधान संबंधित राज्य सरकारों के साथ सहमति ज्ञापनों (एमओयू) जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से करने की आवश्यकता है। एक समेकित संकट प्रबंध मॉडल सहित जहाँ डीआईसीजीसी एक अधिक सक्रिय भूमिका अदा करता है, भारत में बैंकों के लिए सुरक्षा जाल की एक नई संरचना का पता लगाया जा सकता है।

6.69 भारत में जमा बीमा वर्तमान में एक भुगतान पेटी (पे बॉक्स) प्रणाली के अंतर्गत है। पे बॉक्स प्रणालियाँ अधिकांशतः किसी बैंक के बंद होने के बाद जमाकर्ताओं के दावों का भुगतान करने तक सीमित हैं। तदनुसार उनके पास सामान्यतः विवेकपूर्ण विनियामक अथवा पर्यवेक्षी दायित्व अथवा हस्तक्षेप की शक्तियाँ नहीं हैं।

6.70 हानि या जोखिम प्रबंध के लिए उत्तरदायी जमा बीमाकर्ता के लिए एक अपेक्षाकृत विस्तारित अधिदेश के होने और तदनुसार उसके पास अधिक शक्तियाँ होने की संभावना है। इन शक्तियों के अंतर्गत जमा बीमा प्रणाली में प्रवेश और उससे निर्गम को नियंत्रित करने की क्षमता; अपनी स्वयं की जोखिमों का आकलन और प्रबंध करने की क्षमता; तथा बैंकों के परीक्षण संचालित करने अथवा ऐसे परीक्षणों का अनुरोध करने की क्षमता शामिल हो सकती हैं। ऐसी प्रणालियाँ संकटग्रस्त बैंकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकती हैं। जापान अथवा कोरिया में विद्यमान व्यवस्था के असमान डीआईसीजीसी के पास कोई विस्तारित अधिदेश नहीं है। वह जोखिम न्यूनतमकर्ता के रूप में कार्य नहीं करता जैसी स्थिति अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन (एफडीआईसी) के साथ है। भारत में जमा बीमा के सरकारी नीतिगत लक्ष्यों की समीक्षा इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय अनुभव के तथा यह जाँच करने के लिए कि क्या उक्त पे बॉक्स अधिदेश का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है, उनकी प्रभावोत्पादकता के संदर्भ में लाभकर हो सकती है।

समापन टिप्पणी

6.71 हाल के वैश्विक संकट के दौरान वित्तीय क्षेत्र नीतियों तथा बैंकों के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण मजबूत करने के लिए भारत की

सारणी 6.1 : वसूली कार्यानिष्ठादन (राशि करोड़ रुपये में)								
बैंक	निपटारये गये दावे		वसूली कार्यानिष्ठादन					
			शून्य		पूर्ण		आंशिक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वाणिज्य	27	296	2	7	39	18	82	121
			(7)	(26)	(13)	(67)	(28)	(41)
सहकारी	228	2688	81	10	2	137	212	214
			(36)	(4)	(0)	(60)	(8)	(8)
कुल	255	2984	83	17	41	155	294	335
			(33)	(7)	(1)	(60)	(10)	(11)

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े निपटारये गये कुल दावों में से प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : परीक्षण पर्यवेक्षी विवरणियाँ।

पहलों ने सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था को और विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र को आघात-सहनीयता प्रदान की है। आगे बढ़ते हुए चुनौती यह सुनिश्चित करने की होगी कि स्थानीय विचारों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करते हुए अंतरराष्ट्रीय सिफारिशों को अपनाया जाता है। बासेल II के अंतर्गत उच्चतर दृष्टिकोणों तक अंतरण भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

6.72 अप्रैल 2011 से आईएफआरएस के साथ भारतीय लेखाकरण मानकों का अधिदेशात्मक अभिमुखीकरण इस प्रक्रिया में संबद्ध जटिलताओं और इस तथ्य को देखते हुए कि उसके अंगीकरण के प्रस्तावित मार्ग में उक्त मानक के संबंध में परिवर्तन होंगे, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक प्रमुख चुनौती होगा।

6.73 एक ओर जहाँ भारत मूल देश-मेजबान देश के संबंध के विषय में बासेल मुख्य सिद्धांत के साथ 'अधिक मात्रा में पालन न करनेवाला' हो सकता है, वहीं दूसरी ओर वस्तुतः अनौपचारिक व्यवस्थाएँ उचित रूप से भली भाँति कार्य कर रही हैं। रिजर्व बैंक बैंकों के लिए पूँजी के समूहों के उनके प्रबंध में अनुसरण करने के लिए एक विवेकपूर्ण ढाँचा विकसित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। आगे बढ़ते हुए, इस उद्देश्य से कि निवेश बैंक वित्तीय अस्थिरता के संभावित स्रोत के रूप में नहीं माने जाएँ, उनके द्वारा जारी किये गये अथवा दलाली किये गये वित्तीय उत्पादों की एक उच्चतर स्तरीय जोखिम पारदर्शिता एवं पूँजी, चलनिधि, और जोखिम प्रबंध के लिए उपयुक्त मानक निश्चित करने के लिए किसी न किसी रूप में औपचारिक विवेकपूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण आवश्यक हैं।

6.74 भारत में वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न खंड भिन्न-भिन्न विनियमनकर्ताओं द्वारा विनियमित किये जाते हैं। जबकि मौजूदा विनियामक मूलभूत संरचना वैश्विक वित्तीय संकट को सहने में समर्थ रही है, प्राप्त सीख के आलोक में वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित नीतियों की समीक्षा करने एवं अंतर-विनियामक समन्वय करने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं अथवा प्रक्रियाधीन हैं।

6.75 अधिकांश विकसित वित्तीय केंद्रों में वित्तीय बाजारों के विनियमन का अर्थ विनियम-व्यापारित बाजारों के संबंध में व्यवसाय के संचालन

के विनियमन के रूप में लगाया गया है। अतः बाजार का विनियमन बड़ी सीमा तक व्यापार के परिचालनगत पहलुओं के चारों ओर संकेंद्रित रहा है। संकट के बाद यह व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है कि सर्वाधिक विकसित वित्तीय बाजारों के लिए भी केवल व्यवसाय के संचालन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से भी विनियमित किये जाने की आवश्यकता है। यह भारत जैसे उभरते हुए देशों के संदर्भ में विनियमन दरों और ब्याज दरों जैसे मुख्य समष्टि-आर्थिक परिवर्ती तत्वों (वेरियबल्स) से संबद्ध बाजारों के लिए विशेष रूप से संगत है।

6.76 संकट के बाद बाजारों और संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। अब यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करने के लिए कि वित्तीय स्थिरता के लिए कौन-सी एजेंसी/एजेंसियाँ जिम्मेदार होंगी तथा वित्तीय स्थिरता के समक्ष उत्पन्न होनेवाले खतरों का समाधान करने के लिए एक विज्ञप्ति (प्रोटोकॉल) को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न ढांचों के बारे में चर्चा और बहस की जा रही है। भारतीय संदर्भ में प्रणालीगत जोखिमों का समाधान करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी बुनियादी संरचना के अंतर्गत वर्तमान में एक एचएलसीसीएफएम के रूप में एक समन्वय व्यवस्था है। सरकार ने हाल ही में बड़े वित्तीय समूहों (कांग्लोमरेट्स) की कार्यप्रणाली सहित अर्थव्यवस्था के समष्टि-विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करने तथा अंतर-विनियामक समन्वय संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए एकएफएसडीसी की स्थापना की घोषणा की है। इस संबंध में समाधान किये जाने हेतु अपेक्षित एक मुख्य समस्या मौजूदा एचएलसीसीएफएम के साथ उक्त एफएसडीसी के संबंध के स्वरूप की है।

6.77 भुगतान प्रणाली की मूलभूत संरचना में उल्लेखनीय सुधार रहे हैं। तथापि, कुछ समस्याओं के प्रति सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है।

6.78 सीसीआईएल द्वारा प्रदान की जानेवाली समाशोधन और निपटान की सुविधाओं के अंतर्गत जोखिम प्रबंध की प्रक्रियाएं समाविष्ट हैं जिनकी जाँच-पड़ताल रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। इस स्थिति के होते हुए कि सीसीआईएल प्रमुख वित्तीय बाजारों में एकल सीसीपी है, सीसीआईएल की पूँजी और चलनिधि संबंधी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता है ताकि उसकी विफलता, जिनके महत्वपूर्ण प्रणालीगत निहितार्थ होंगे, की संभावना को कम किया जा सके।

6.79 ब्याज और विदेशी मुद्रा बाजारों में विनियमन-व्यापारित लिखतों को प्रारंभ किया गया है। इसके साथ ही, रिजर्व बैंक ने लेनदेनों के समाशोधन और निपटान के लिए तथा संबद्ध जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से ओटीसी व्यापारों के अधिदेशात्मक रिपोर्टिंग के माध्यम से सूचना की विषमता को कम करने के लिए एक सीसीपी (सीसीआईएल) को प्रारंभ करने जैसी अनेक पहलें की हैं।

6.80 वित्तीय प्रणाली में दिवालियेपन की प्रक्रिया एक प्रमुख चिंता बनी हुई है। समाधान के लिए दोनों पुनःप्राप्ति की दर और लिये गये समय के संबंध में भारत को बाह्य स्थान प्राप्त है। इस चिंता को दूर करने के लिए वैधानिक संशोधन करने की तत्काल अपेक्षा है।

6.81 भारत में जमा बीमा सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ तुलनीय है। तथापि, कर-निर्धारणीय जमाराशियों की तुलना में बीमाकृत जमाराशियों का अनुपात कालक्रम में घट रहा है जिसके संबंध में अभीमाकृत जमाराशियों में वृद्धि अंतर्निहित है। अभीमाकृत जमाराशियों का अत्यधिक रूप से बढ़ रहा आकार जमा बीमा को कम प्रभावशाली बना सकता है और प्रणालीगत स्थिरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। डीआईसीजीसी को दिये गये मौजूदा पे बॉक्स अधिदेश का दर्जा न्यूनतम लागत समाधान के लिए शक्तियों से युक्त अधिदेश तक बढ़ाकर जमा बीमा की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है।

अध्याय VII

दबाव परीक्षण और आघात-सहनीयता

अपवादात्मक परंतु युक्तियुक्त घटनाओं के प्रति प्रणाली स्तरीय दबाव परीक्षण वित्तीय प्रणाली की अस्थिरता का निर्धारण करने के लिए एक स्वीकृत विधि के रूप में अधिकाधिक उभरा है। इस अध्याय में वाणिज्य बैंकों की अस्थिरताओं और आघात-सहनीयता का परीक्षण दबाव के कारकों का अंशांकन करने के द्वारा उनकी ऋण, ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों को प्रभावित करने वाले विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत किया गया है। एक मानी हुई समष्टि-वित्तीय व्यवस्था के आधार पर बैंकिंग प्रणाली का एक गतिशील अनुरूपण विश्लेषण भी किया गया है।

7.1 पर्यवेक्षी दबाव परीक्षण दोनों अलग-अलग बैंकों और समग्र रूप में बैंकिंग प्रणाली के स्तर पर संभावित जोखिमों और अस्थिरताओं के प्रति बैंकों की आघात-सहनीयता का मूल्यांकन करने के मुख्य उद्देश्य से संचालित किये जाते हैं। इस प्रकार का दबाव परीक्षण सूचना की व्यवस्था के सुदृढीकरण और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी प्रक्रिया के परिणामी परिष्करण को सुसाध्य बनाता है ताकि बहिर्वासियों के रूप में अभिनिर्धारित अलग-अलग बैंकों के संबंध में और अधिक गहन विश्लेषण किये जा सकें। इससे उपयुक्त शीघ्र निवारक उपायों को लागू करने में सहायता मिल सकती है। उक्त दबाव परीक्षण बैंकिंग प्रणाली में विद्यमान संभावित अस्थिरताओं और समग्र जोखिम एक्सपोजरों, जो प्रणालीगत समस्याएँ उत्पन्न कर सकते हैं, की पहचान करने के द्वारा समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी को भी सुसाध्य बना सकते हैं।

7.2 आदर्श रूप से यह अपेक्षित है कि दबाव के परिदृश्यों को एक समष्टि-आर्थिक ढाँचे के साथ संबद्ध किया जाए। दबाव की स्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समष्टि-आर्थिक वेरियबल्स के बीच विद्यमान संबंध का अनुमान करने के प्रयोजन से परिमाणात्मक प्रतिक्रिया मॉडल सामान्य तौर पर अर्थमितीय तकनीकों का प्रयोग करते हैं। भारत में दबाव परीक्षण का संचालन करना पर्याप्त और संगत विगत समय-शृंखला के आंकड़ों के अभाव के कारण एक कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए, आस्ति कीमतों संबंधी आंकड़े अपर्याप्त हैं - वाणिज्यिक स्थावर संपदा कीमतों के लिए कोई विश्वसनीय प्रणाली स्तरीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं - जो अर्थव्यवस्था में आस्ति कीमत मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक प्राथमिक निविष्टि होगी।

7.3 वित्तीय सुदृढता संकेतकों के साथ समष्टि-आर्थिक परिदृश्यों को संबद्ध करने के लिए पर्याप्त आंकड़ों के अभाव में तथा पिछले 15 वर्षों में भारतीय वित्तीय प्रणाली में किसी प्रमुख 'दबाव की घटना' के न होने के कारण रिजर्व बैंक द्वारा किया गया दबाव परीक्षण सामान्यतः अपवादात्मक परंतु युक्तियुक्त दबाव की घटनाओं के प्रति वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता का आकलन करने के लिए एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रयोग करता है। आघातों की मात्रा बनाने के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली के अनुभव पर आधारित चयनित

संकेतकों संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों का प्रयोग किया जाता है। पर्यवेक्षी आंकड़ों के आधार पर एकल मुख्य वेरियबल के संबंध में आघातों को लागू करके अलग-अलग बैंकों की स्थितियों का परीक्षण किया जाता है, जिसे तब एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुदृढता संकेतक - विशिष्ट रूप से विनियामक पूँजी पर्याप्तता अनुपात के साथ संबद्ध किया जाता है। यही विश्लेषण अलग-अलग बैंकों पर प्रभाव का कुल जोड़ बनाने के द्वारा समग्र रूप में प्रणाली के लिए भी किया जाता है।

7.4 रिजर्व बैंक, समष्टि विवेकपूर्ण संकेतकों (एमपीआईएस) की अपनी तिमाही समीक्षा के एक भाग के रूप में वाणिज्य बैंकों के लिए ऋण जोखिम और ब्याज दर जोखिम को समाविष्ट करते हुए दबाव परीक्षण संचालित करता है। वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति (सीएफएसए) ने भी अपने मूल्यांकन के भाग के रूप में दबाव परीक्षणों का संचालन किया। वर्तमान में रिजर्व बैंक द्वारा किये जा रहे दबाव परीक्षणों में निम्नलिखित जोखिमों को शामिल किया जाता है :

- ऋण जोखिम, जो समूचे ऋण संविभाग के लिए अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) पर दबाव डालने के द्वारा पूँजी पर्याप्तता पर प्रभाव का अनुमान लगाती है। इसके अलावा, घरेलू अर्थव्यवस्था के कुछ खंडों पर वैश्विक संकट के प्रभावों की प्रतिक्रिया में रिजर्व बैंक ने कुछ अभिनिर्धारित खंडों (उदा. स्थावर संपदा, खुदरा अग्रिम, विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र, आदि) के लिए दबाव परीक्षण संचालित किये।
- ब्याज दर जोखिम, जो दोनों प्रणाली के और अलग-अलग बैंक के स्तरों पर "व्यापार हेतु धारित" और "विक्रय के लिए उपलब्ध" श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेश संविभाग में हास का एवं "ईक्विटी की अवधि" की पद्धति का प्रयोग करते हुए एक निर्दिष्ट ब्याज दर आघात के लिए तुलन-पत्र के आर्थिक मूल्य में हास का भी अनुमान लगाती है।
- चलनिधि जोखिम, जिसके संबंध में विभिन्न परिदृश्यों का प्रयोग किया जाता है और प्रणालीगत तौर पर महत्वपूर्ण बड़े बैंकों को समाविष्ट किया जाता है। उक्त दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के कारण विश्वास के खो जाने की वजह से जमाराशियों का अचानक आहरण शामिल है।

7.5 इस रिपोर्ट में उपर्युक्त आघातों की प्रतिक्रिया में वाणिज्य बैंकों की आघात-सहनीयता का अध्ययन उपर्युक्त तीनों दृष्टिकोणों से किया गया है। इस रिपोर्ट में दबाव परीक्षणों के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति सीएफएसए के लिए संचालित दबाव परीक्षणों के अनुरूप है। इन दबाव परीक्षणों में प्रयुक्त कार्यपद्धति एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण हैं तथा वित्तीय सुदृढ़ता संकेतकों के साथ समष्टि-आर्थिक परिवर्तियों (वेरियबल्स) के साथ अंतर-संबद्धताओं को इनके द्वारा हिसाब में नहीं लिया गया है। समष्टि दबाव परीक्षण मॉडलों की परिवृद्धि अभी विकसित होने के स्तर पर है।

7.6 इस रिपोर्ट का उद्देश्य प्रथमतः यह आकलन करना है कि क्या ऋण और ब्याज दर आघातों के प्रति वाणिज्य बैंकों की आघात-सहनीयता कालक्रम में बढ़ी है; इस प्रयोजन से अलग से ऋण और ब्याज दर जोखिमों के लिए एकल कारक दबाव परीक्षण प्रयुक्त करते हुए एक प्रवृत्ति विश्लेषण किया गया। इस अभ्यास ने विभिन्न एमपीआइ समीक्षाओं से प्राप्त परिणामों का उपयोग किया। इस विश्लेषण ने सभी वाणिज्य बैंकों को समाविष्ट किया।

7.7 दूसरे, यह जानने के लिए कि एक बैंक किसी बाहरी चलनिधि सहायता का सहारा लिये बिना चलनिधि पलायन को सहने की स्थिति में कितने समय तक रह सकता है, वाणिज्य बैंकों के संबंध में एक विश्लेषण उनकी मार्च और दिसंबर 2009 की स्थितियों के आधार पर किया गया।

7.8 तीसरे, चालू समष्टि आर्थिक और बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली के लिए एक परिदृश्य विश्लेषण किया गया। इस अभ्यास में दोनों आधार-रेखा और दबावग्रस्त परिदृश्यों को सम्मिलित किया गया।

ऋण जोखिम

7.9 बैंकों की आघात-सहनीयता का पता लगाने के लिए दोनों समूचे संविभाग और विशिष्ट क्षेत्रों के लिए उसी समय प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं में वृद्धि के साथ अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के स्तरों को बढ़ाने के द्वारा ऋण संविभाग को आघात दिया गया। इस प्रकार प्राप्त अनुमानित प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं का समायोजन पहले बैंकों के वार्षिक लाभ से किया गया तथा अवशिष्ट प्रावधानीकरण अपेक्षाएँ यदि कोई थीं तो उन्हें बैंक की पूँजी से निगमित किया गया।


संविभाग का विश्लेषण

7.10 यह विश्लेषण मार्च 2001 से दिसंबर 2009 तक उपलब्ध तिमाही पर्यवेक्षी आंकड़ों के आधार पर दोनों समग्र स्तर पर और अलग-

अलग बैंक के स्तर पर किया गया। डेटा शृंखला की लंबाई का चयन गतिशील आर्थिक चक्र में बैंकों की विकसित हो रही आस्ति गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करते हुए तथा विवेकपूर्ण मानदंडों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के आलोक में किया गया। इस परिदृश्य में एनपीए की मौजूदा स्थिति में 100, 200 और 300 प्रतिशत की वृद्धि एवं मानक, अवमानक और संदिग्ध/हानि अग्रिमों के लिए क्रमशः 1 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की संवर्धित प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं को माना गया। एनपीए में मानी गई वृद्धि को अवमानक, संदिग्ध और हानि की श्रेणियों में उसी अनुपात में वितरित किया गया जैसा कि एनपीए की मौजूदा स्थिति में प्रचलित है। अतिरिक्त प्रावधानीकरण की अपेक्षा को ऋण संविभाग की परिवर्तित संरचना के लिए लागू किया गया।

7.11 दबाव परीक्षण का प्रवृत्ति विश्लेषण यह प्रकट करता है कि मार्च 2003 तक एनपीए की मौजूदा स्थिति में 100 प्रतिशत की मानी हुई बढ़ोतरी के लिए (चार्ट 7.1) वाणिज्य बैंकों की आस्तियों के 70 प्रतिशत से भी अधिक आस्तियों से युक्त 50 से भी अधिक बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत के विनियामक निर्धारण से नीचे आ गया होता। बाद के वर्षों में और विशेष रूप से 2006 से ऋण की गुणवत्ता पर अप्रत्याशित दबाव को सहने की क्षमता के तौर पर बैंकों में अधिक आघात-सहनीयता देखी जा सकती है। इसके लिए ऋण की गुणवत्ता में सुधार और एवं पूँजी में वृद्धि को कारण माना जा सकता है। हाल की अवधियों में विशेष रूप से मार्च 2007 के बाद दबावग्रस्त बैंकों की संख्या (जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से नीचे आ गया है) केवल लगभग सात ही है जो सभी बैंकों की कुल आस्तियों के लगभग 6 प्रतिशत से युक्त हैं। मार्च 2009 की समाप्ति पर केवल तीन बैंकों का सीआरएआर, जो कुल आस्तियों के 2.4 प्रतिशत से युक्त हैं, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की मानी गई वृद्धि को देखते हुए 9 प्रतिशत से नीचे आ गया होता।

चार्ट 7.1 : अनर्जक अग्रिमों में 100 प्रतिशत वृद्धि होने पर 9 प्रतिशत सीआरएआर से नीचे आनेवाले वाणिज्य बैंक



स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

इसी प्रकार की प्रवृत्ति तब देखी गई जब एनपीए की वर्तमान स्थिति में क्रमशः 200 और 300 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इन परिदृश्यों के अंतर्गत 9 प्रतिशत सीआरएआर के स्तर से नीचे आनेवाले बैंकों की संख्या सात और 10 पाई गई जो मार्च 2009 की समाप्ति पर कुल आस्तियों के क्रमशः 8.0 और 11.9 प्रतिशत से युक्त हैं (चार्ट 7.2 और चार्ट 7.3)।


7.12 तथापि, दबाव परीक्षणों के परिणामों ने मार्च 2009 की समाप्ति की तुलना में जून 2009 की समाप्ति पर एक मामूली गिरावट दर्शायी है जहाँ कुल आस्तियों के 4.0, 8.3 और 13.7 प्रतिशत से युक्त क्रमशः 5, 7, 11 बैंकों का सीआरएआर एनपीए में मानी गई 100, 200 और 300 प्रतिशत की वृद्धि को देखते हुए 9 प्रतिशत से नीचे आ गया है (चार्ट 7.1, 7.2 और 7.3)। सितंबर 2009 के अंत में दबाव परीक्षण के परिणाम और दुर्बल हुए जहाँ कुल आस्तियों के क्रमशः 3.8, 8.9 और 14.6 प्रतिशत से युक्त 4, 9 और 13 बैंकों का सीआरएआर अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में बढ़ोतरी के माने हुए स्तरों की दृष्टि से 9 प्रतिशत से नीचे आ गये। उक्त दबाव परीक्षण के परिणाम दिसंबर 2009 की समाप्ति पर लगभग वैसे ही रहे जैसे कि वे सितंबर 2009 के अंत में थे।

7.13 सितंबर 2001 तक एनपीए में मानी गई 100 प्रतिशत की वृद्धि के लिए प्रणाली स्तर पर सीआरएआर ऋणात्मक था (चार्ट 7.4)। यद्यपि दबावग्रस्त प्रणाली स्तर का सीआरएआर सितंबर 2001 के बाद धनात्मक रूप में बदल गया था, तथापि उस समय तक बैंकों की कम आघात-सहनीयता को प्रतिबिंबित करते हुए वह जून 2003 तक 9 प्रतिशत से नीचे रहा था। सितंबर 2003 से बैंकों की दृढ़तर आघात-सहनीयता को प्रतिबिंबित करते हुए प्रणाली स्तर का दबावग्रस्त सीआरएआर 9 प्रतिशत से अधिक रहा है। एनपीए में 200 और 300 की मानी गई वृद्धि के लिए भी प्रणाली स्तरीय दबावग्रस्त सीआरएआर क्रमशः मार्च 2006 और मार्च 2007 से 9 प्रतिशत से अधिक रहे हैं।

7.14 दबाव परीक्षण के निष्कर्ष यह निर्दिष्ट करते हैं कि बैंकों की पूँजी की स्थिति पर ऋण की चूकों में किसी अप्रत्याशित वृद्धि का संभावित प्रभाव बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। हाल के वर्षों में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार बड़ी हद तक ऐसे परिणामों को स्पष्ट करता है (चार्ट 7.5)। उपर्युक्त दबाव परीक्षणों के परिणामों से निश्चिंतता का एक स्तर प्राप्त किया जा सका। इसके बावजूद, प्रणाली में दबाव के निर्माण के किसी भी प्रारंभिक लक्षण को पहचानने के लिए स्थिति की गहन निगरानी करने की आवश्यकता है।


7.15 2008-09 में अप्रत्याशित गिरावट की स्थिति में पुनःसंरचित खातों के लिए विवेकपूर्ण विनियमों को एक सीमित अवधि के लिए एकबारगी उपाय के रूप में आशोधित किया गया जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय 2

चार्ट 7.2 : अनर्जक अग्रिमों में 200 प्रतिशत वृद्धि होने पर 9 प्रतिशत सीआरएआर से नीचे आनेवाले वाणिज्य बैंक




स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

चार्ट 7.3 : अनर्जक अग्रिमों में 300 प्रतिशत वृद्धि होने पर 9 प्रतिशत सीआरएआर से नीचे आनेवाले वाणिज्य बैंक



स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

चार्ट 7.4 : दबाव डालनेवाले अनर्जक अग्रिमों पर वाणिज्य बैंकों का दबावग्रस्त सीआरएआर



स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

में उल्लेख किया गया है। इस प्रबंध के अंतर्गत अनेक खातों की पुनःसंरचना की गई थी तथा मानक श्रेणी में पुनःसंरचित खाते दिसंबर 2009 की समाप्ति पर सकल अग्रिमों का 3.1 प्रतिशत थे। यदि एक सबसे खराब स्थिति के परिदृश्य में भी यह मान लिया जाता है कि ये सभी पुनःसंरचित मानक अग्रिम एनपीए बन जाएँगे, दबाव उल्लेखनीय नहीं होगा। यह इसलिए है क्योंकि जैसी कि इस अध्याय के पैरा 7.12 में चर्चा की गई है, उक्त दबाव परीक्षण यह दर्शाते हैं कि यदि एनपीए में 300 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो भी प्रणाली के सीआरएआर के 9 प्रतिशत से अधिक रहते हुए तथा कुल बैंकिंग प्रणाली की आस्तियों के केवल 14.6 प्रतिशत से युक्त 13 बैंकों के सीआरएआर के 9 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में प्रणाली आघातों को सहने की स्थिति में होगी।

क्षेत्रीय विश्लेषण

7.16 दबाव परीक्षण क्षेत्रीय स्तर पर भी संचालित किये गये। तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों अर्थात् खुदरा, प्राथमिकता और औद्योगिक क्षेत्रों को बैंकों के एक्सपोजर पर विश्लेषण के लिए विचार किया गया।

7.17 यह माना गया कि खुदरा खंड में एनपीए की मौजूदा स्थिति में क्रमशः 100, 200, 300, 400 और 500 प्रतिशत की वृद्धि होगी। जिस प्रकार कुल अग्रिम संविभाग के मामले में किया गया था, उसी प्रकार एनपीए में वृद्धियों को अवमानक, संदिग्ध और हानि की श्रेणियों के बीच उसी अनुपात में वितरित किया गया जैसा कि वर्तमान में विद्यमान है। उन्हीं अतिरिक्त प्रावधानीकरण की अपेक्षाओं को मानक और एनपीए संविभाग पर भी लागू किया गया। दबावग्रस्त सीआरएआरों का अनुमान अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को वार्षिक लाभ से तथा अवशिष्ट प्रावधानीकरण अपेक्षाओं को बैंकों की पूँजी से समायोजित करने के बाद किया गया।


7.18 उक्त दबाव विश्लेषण ने इन आघातों को सहने की बैंकों की पर्याप्त आघात-सहनीयता को दर्शाया है। दबाव के प्रभाव को समायोजित करने के बाद प्रणाली-स्तरीय सीआरएआर सर्वत्र 11 प्रतिशत से अधिक की अच्छी स्थिति में रहा। सीआरएआर पर प्रभाव केवल एनपीए स्तर में 500 प्रतिशत की वृद्धि होने पर ही पाया गया (चार्ट 7.6)।

7.19 हाल की तिमाहियों में प्राथमिकता और औद्योगिक क्षेत्रों से संबंधित दबाव परीक्षण के परिणाम भी वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से सुखद स्थितियाँ दर्शाते हैं (चार्ट 7.7 और 7.8)।

ब्याज दर जोखिम


7.20 दबाव के परीक्षणों में ईक्विटी की अवधि (डीओई) अथवा निवल मालियत अवधि का दृष्टिकोण ब्याज दरों में यूनिट वृद्धि के कारण पूँजी में कमी का परिकलन करने में सहायता पहुँचा सकता है। यह विश्लेषण

चार्ट 7.5 : दबाव के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के प्रभावी अनर्जक अग्रिम




स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

चार्ट 7.6 : दबाव के विभिन्न स्तरों पर खुदरा अग्रिमों का दबावग्रस्त सीआरएआर



स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

चार्ट 7.7 : दबाव के विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का दबावग्रस्त सीआरएआर




स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

बैंकों के संविभाग के तुलन-पत्र में विद्यमान ब्याज दर के प्रति संवेदनशील मदों तथा तुलन-पत्र में शामिल न होनेवाली ब्याज दर के प्रति संवेदनशील मदों के लिए बैंकों के एक्सपोजर को भी हिसाब में लेता है। कुछ सीमाओं के अधीन, डीओई ब्याज दर जोखिम का अभिग्रहण करता है और जोखिम आधारित पूँजी के आकलन की दिशा में बढ़ने के लिए सहायता पहुँचाता है। ईक्विटी की अवधि जितनी अधिक होगी, उतनी ही ब्याज दर जोखिम अधिक होगी तथा तदनुसार पूँजी की अपेक्षा भी अधिकाधिक होगी। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी बैंक के संविभाग की ईक्विटी की अवधि दो परिदृश्यों के अंतर्गत संगणित की जाती है : यह माना जाता है कि पहले समय खंड अर्थात् 1 से 28 दिन में बचत जमाराशियाँ आहरित की जाती हैं (परिदृश्य I); यह माना जाता है कि बचत जमाराशियाँ 3 से 6 महीने के समय खंड में आहरित की जाती हैं (परिदृश्य II)। दोनों ही परिदृश्यों के अंतर्गत समय खंड-वार दर के प्रति संवेदनशील देयताएँ तदनुसार समायोजित की गई हैं।

7.21 परिदृश्य I के अंतर्गत प्रणाली स्तर पर डीओई मार्च 2009, जून 2009, सितंबर 2009 और दिसंबर 2009 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 8.0 वर्ष, 8.7 वर्ष, 8.9 वर्ष और 9.9 वर्ष होती है। परिदृश्य II के अंतर्गत प्रणाली स्तर पर डीओई मार्च 2009, जून 2009, सितंबर 2009 और दिसंबर 2009 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 7.1 वर्ष, 7.9 वर्ष, 8.0 वर्ष और 9.1 वर्ष निकलती है। दोनों ही परिदृश्यों के अंतर्गत डीओई का वितरण यह दर्शाता है कि 51 बैंकों (परिदृश्य I के अंतर्गत) और 52 बैंकों (परिदृश्य II के अंतर्गत) के पास मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 10 वर्ष से कम अथवा उसके समान डीओई है, जबकि दोनों परिदृश्यों के अंतर्गत 10 वर्ष तक की डीओई रखनेवाले बैंकों की संख्या जून 2009 में 47 और 49 पर; तथा सितंबर 2009 में 48 और 49 पर; एवं दिसंबर 2009 में 47 और 49 पर मामूली तौर पर कम हैं (चार्ट 7.9 और 7.10)। हालांकि हाल के महीनों में बैंकों की ईक्विटी की अवधि में कुछ वृद्धि रही है, फिर भी वह अपेक्षाकृत निम्न है। कम डीओई बैंकों द्वारा सक्रिय ब्याज दर जोखिम प्रबंध का सूचक है तथा यह संकेत करता है कि सामान्य परिस्थितियों में ब्याज दर वृद्धि के प्रति बैंकों की अस्थिरता बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगी। यद्यपि दीर्घावधि आस्तियों को बैंकों के एक्सपोजर (उदा. बुनियादी संरचना ऋण) बढ़ रहे हैं, तथापि अधिकांश ऋणों का कीमत-निर्धारण अस्थायी शर्तों पर किया जाता है जिसका निहितार्थ यह है कि उक्त आस्तियों का अधिक बारंबारता से पुनः मूल्यनिर्धारण किया जाता है जो उनकी आशोधित अवधि को कम कर देता है।


7.22 वर्तमान में, बैंकों के निवेश संविभाग तीन श्रेणियों में विभाजित हैं, अर्थात् परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) और विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)। बैंकों को प्रतिभूतियों का अंतरण एचएफटी और एएफएस श्रेणियों से एचटीएम श्रेणी में उनके अधिदेशित एसएलआर की सीमा तक करने के लिए अनुमति देने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2004 में लिये गये निर्णय का परिणाम बैंकों के एचएमटी संविभाग में वृद्धि के रूप में हुआ है। मौजूदा

चार्ट 7.8 : दबाव के विभिन्न स्तरों पर औद्योगिक अग्रिमों का दबावग्रस्त सीआरएआर




स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

चार्ट 7.9 : ईक्विटी की अवधि - समय-खंडों संबंधी बारंबारता (परिदृश्य I - 1 महीने के अंदर बचत जमा आहरण)



स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

चार्ट 7.10 : ईक्विटी की अवधि - समय-खंडों संबंधी बारंबारता (परिदृश्य II - 3-6 माह में बचत जमा आहरण)



स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

लेखांकन मानदंडों के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे केवल अपने एएफएस और एचएफटी संविभागों को ही बाजार मूल्य पर (मार्क-टू-मार्केट) अंकित करें। एएफएस और एचएफटी में धारित बैंकों के निवेश हाल की अवधियों में प्रगामी रूप में कम हो गए हैं जो मार्च 2008 में विद्यमान 39.5 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2009 की समाप्ति पर ब्याज दर के प्रति संवेदनशील उनके कुल निवेशों का 33.7 प्रतिशत रह गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, बैंकों के निवेश संविभागों के एक उल्लेखनीय अंश को बाजार के मूल्य पर (मार्क-टू-मार्केट) अंकित नहीं किया जाता है।

7.23 इसके अलावा, एएफएस और एचएफटी संविभागों की आशोधित अवधि एचटीएम के अंतर्गत विद्यमान प्रतिभूतियों से काफी कम है। इस प्रकार एचटीएम संविभाग का आकार और उसकी उच्चतर आशोधित अवधि बैंकों को संभावित ब्याज दर जोखिम के प्रति असुरक्षित रखती है। इस संदर्भ में वाणिज्य बैंकिंग प्रणाली की निम्न डीओई जो ब्याज दर के प्रति संवेदनशील आस्तियों, देयताओं और तुलन-पत्र में शामिल न की गई मदों को हिसाब में लेती है, कुछ निश्चिंतता प्रदान करती है।

चलनिधि जोखिम

7.24 चलनिधि दबाव परीक्षणों का उद्देश्य किसी बाह्य चलनिधि सहायता का सहारा लिये बिना अप्रत्याशित चलनिधि पलायन को सहने की किसी बैंक की क्षमता का निर्धारण करना है। विकसित किये गये परिदृश्य अत्यंत कठोर धारणाओं पर आधारित हैं, जो उत्कट हैं। उक्त विश्लेषण मार्च 2009 के अंत में और दिसंबर 2009 की समाप्ति पर किया गया है।

7.25 परिदृश्य I जमाकर्ताओं के विश्वास में अचानक हुई हानि के कारण अप्रत्याशित जमा आहरणों के विभिन्न अनुपातों (जमाराशियों के प्रकार के आधार पर) को चित्रित करता है तथा उन्हें निधि प्रदान करने के लिए उपलब्ध नकदी आस्तियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करता है। यह माना जाता है कि जमा प्रवाह पाँच दिन के लिए जारी रहेगा।

7.26 परिदृश्य II बीमाकृत और अबीमाकृत जमाराशियों के अप्रत्याशित आहरण को अलग-अलग ग्रहण करने का प्रयास करता है। अनुभव ने यह दर्शाया है कि अबीमाकृत जमाकर्ताओं को जैसे ही भनक लगती है कि बैंक संकटग्रस्त है, वे तत्काल 'सुरक्षा की ओर पलायन' की प्रवृत्ति को सबसे पहले अपनाते हैं। दूसरी ओर, बीमाकृत जमाराशियों के लिए, जमाकर्ता प्रतीक्षा करने और सतर्क रहने की नीति को अपनाते हैं जो अंशतः जमा बीमा सुविधा तथा बाजार की गतिविधियों की जानकारी के अभाव के कारण है।

कार्यपद्धतियाँ

7.27 चलनिधि दबाव परिदृश्यों के लिए प्रयुक्त कार्यपद्धतियाँ निम्नानुसार हैं :

परिदृश्य I

- उद्देश्य किसी बाहरी सहायता के बिना अपनी उपलब्ध अर्थसुलभ आस्तियों को बेचने के द्वारा पाँच दिन के लिए जमाराशियों के अप्रत्याशित आहरण को पूरा करने के लिए बैंक की क्षमता का अभिग्रहण करना है।
- जमाराशियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, चालू जमाराशियाँ, बचत जमाराशियाँ और मीयादी जमाराशियाँ।
- अर्थसुलभ आस्तियों में शामिल हैं नकदी निधियाँ, रिजर्व बैंक में अधिक सीआरआर शेष राशियाँ, एक वर्ष के अंदर देय अन्य बैंकों में जमाराशियाँ तथा एक वर्ष के अंदर परिपक्व होनेवाले निवेश।
- यह माना जाता है कि जमाराशियों का कुल अप्रत्याशित आहरण निम्नलिखित अनुपात में घटित होगा।
- चालू जमाराशियाँ - 1-14 दिन के समय-खंड में चालू जमाराशियों के सूचित किये गये बहिर्वाहों के अनुपात का तीन गुना।
 - बचत जमाराशियाँ - 1-14 दिन के समय-खंड में बचत जमाराशियों के सूचित किये गये बहिर्वाहों के अनुपात का तीन गुना।
 - मीयादी जमाराशियाँ - 1-14 दिन के समय-खंड में मीयादी जमाराशियों के सूचित किये गये बहिर्वाहों के अनुपात का दो गुना।
 - यह माना जाता है कि दबावग्रस्त आहरण पाँच दिन की अवधि में पहले दिन से पाँचवें दिन तक क्रमशः 40, 30, 15, 10 और 5 प्रतिशत के रूप में घटित होगा।
- यह माना जाता है कि बैंक अर्थसुलभ आस्तियों के विक्रय द्वारा जमाराशियों के दबावग्रस्त आहरण को पूरा करेगा।
- निवेशों का विक्रय उनके बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के मार्जिन के साथ किया जाता है।
- उक्त दबाव परीक्षण एक स्थिर विधि (स्टैटिक मोड) पर किया जाता है।

परिदृश्य II

- उद्देश्य अबीमाकृत और बीमाकृत जमाराशियों के विभेदक आहरण तथा पाँच दिन के लिए किसी बाहरी सहायता के बिना आहरणों की चुकौती को संभालने के लिए अर्थसुलभ आस्तियों की पर्याप्तता का अभिग्रहण करना है।
- यह माना जाता है कि बैंक की कुल अबीमाकृत जमाराशियों के 20 प्रतिशत को निम्नलिखित अनुपात में पाँच दिन की अवधि में आहरित किया जाएगा :
 - पहले दिन 9 प्रतिशत।

- दूसरे दिन 5 प्रतिशत।
- तीसरे दिन 3 प्रतिशत।
- चौथे दिन 2 प्रतिशत।
- पाँचवें दिन 1 प्रतिशत।
- यह माना जाता है कि उक्त पाँच दिनों में से प्रत्येक दिन कुल बीमाकृत जमाराशियों के 1 प्रतिशत को आहरित किया जाएगा।
- अर्थसुलभ आस्तियों के अंतर्गत नकदी निधियाँ, रिजर्व बैंक के पास अतिरिक्त सीआरआर शेष राशि, एक वर्ष के अंदर देय अन्य बैंकों के पास जमाराशियाँ तथा एक वर्ष के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश।
- निवेशों को उनके बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के मार्जिन के साथ बेचा जाता है।

परिणाम : परिदृश्य I

7.28 मार्च 2009 के लिए, तीन बैंकों, जिनकी जमाराशियों और आस्तियों का अंश लगभग 4.0 प्रतिशत है, को छोड़कर सभी बैंक पहले दिन जमाराशियों के दबावग्रस्त आहरण को पूरा करने में समर्थ थे। दूसरे दिन जमाराशियों और आस्तियों का 40.0 अंश रखने वाले 16 बैंकों ने जमाराशियों के आहरण को पूरा करने में कमी का सामना किया तथा चलनिधि की स्थितियाँ प्रगामी रूप में बिगड़ गईं (चार्ट 7.11)।


7.29 दिसंबर 2009 के संबंध में दबावग्रस्त परिणामों ने केवल एक छोटे बैंक को छोड़कर जिसकी जमाराशियों और आस्तियों का अंश लगभग 0.1 प्रतिशत है, सभी बैंकों के संबंध में साधारण तौर पर सुधरी हुई चलनिधि की स्थिति दर्शायी, जिन्होंने अपनी अर्थसुलभ आस्तियों के माध्यम से पहले दिन जमाराशियों के दबावग्रस्त आहरण को पूरा किया (चार्ट 7.12)। तथापि, दूसरे दिन से लेकर आगे चलनिधि की स्थितियाँ प्रगामी रूप में बिगड़ गईं।

परिणाम : परिदृश्य II

7.30 दबाव के इस परिदृश्य में मार्च 2009 के अंत में केवल दो छोटे बैंक ही पहले दिन अपने दबावग्रस्त चुकौती के दायित्व पूरे करने में असमर्थ थे (चार्ट 7.13)। दूसरे दिन, नौ बैंक जिनकी जमाराशियों और आस्तियों का अंश क्रमशः 8.5 और 7.6 प्रतिशत है, उक्त दबावग्रस्त आहरण को पूरा नहीं कर सके। तीसरे दिन से कमी का सामना करनेवाले बैंकों की संख्या बढ़ गई।


7.31 दिसंबर 2009 से संबंधित दबावग्रस्त परिणामों ने सुधरी हुई चलनिधि की स्थिति को दर्शाया जहाँ केवल कुछ बहुत ही छोटे बैंक अपनी अर्थसुलभ आस्तियों के माध्यम से पहले और दूसरे दिन जमाराशियों के दबावग्रस्त

चार्ट 7.11 : दबावग्रस्त बैंकों की चलनिधि स्थिति परिदृश्य-I : मार्च 2009



स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

चार्ट 7.12 : दबावग्रस्त बैंकों की चलनिधि स्थिति परिदृश्य-I : दिसंबर 2009



स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

आहरण को पूरा नहीं कर सके। तथापि, तीसरे दिन से कमी वाले बैंकों की संख्या प्रगामी रूप में बढ़ गई (चार्ट 7.14)।


7.32 उक्त चलनिधि दबाव परीक्षण परिणाम यह दर्शाते हैं कि उक्त दबाव के परिदृश्यों के अंतर्गत कुछ बैंक चलनिधि की कमियों का सामना करते हैं। यद्यपि विकसित परिदृश्यों की धारणाएँ बहुत सख्त हैं, फिर भी दबाव परीक्षण के परिणाम संकेत करते हैं कि बैंकों के लिए अपनी आकस्मिकता चलनिधि योजनाओं की निरंतर निगरानी करने एवं साथ ही चलनिधि जोखिम के प्रबंध के लिए प्रणालियों को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। उक्त दबाव परीक्षण यह मानते हैं कि निधीयन के अंतरों को पूरा करने के लिए उपलब्ध आस्तियाँ वे हैं जिनकी परिपक्वता एक वर्ष के अंदर होनेवाली है। फिर भी, चूँकि बैंक अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के न्यूनतम 25 प्रतिशत को एसएलआर प्रतिभूतियों में बनाये रखते हैं, अतः जब भी आवश्यकता होगी तब अतिरिक्त चलनिधि को जुटाना संभव होगा।

परिदृश्य विश्लेषण

7.33 आर्थिक परिवेश जिसमें बैंक परिचालन कर रहे हैं, गहरी अनिश्चितता के साथ चुनौतीपूर्ण है जो वैश्विक वित्तीय संकट एवं बाद की वैश्विक मंदी द्वारा निर्मित और संवर्धित है। भारत में वास्तविक क्षेत्र के कार्यकलाप मंद हुए जबकि मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। सरकार की उधार लेने की अपेक्षाएँ अत्यंत अधिक बनी हुई हैं। इस समष्टि-आर्थिक परिवेश से बैंकिंग प्रणाली की वित्तीय स्थितियों पर कुछ दबाव डाले जाने का अनुमान है।


7.34 एक ओर संपदा क्षेत्र में गिरावट बैंकों के ऋण संविभाग को दोनों वृद्धि और आस्ति गुणवत्ता के तौर पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर, उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दर चक्र के अनुमानित भावी पथ को देखते हुए बैंकों के निधीयन की लागत के बढ़ जाने की संभावना है। यह बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर दबाव डाल सकता है। प्रावधानीकरण की अपेक्षाएँ अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में संभावित वृद्धि और बढ़े हुए सरकारी उधार की वजह से सर्वोत्तम आय में संभावित बढ़ोतरी के कारण बाजार मूल्य अंकित (मार्क-टू-मार्केट) हानियों में उच्चतर वृद्धियों सहित अधिक सख्त विनियामक मानदंडों के कारण बढ़ सकती हैं। यह बैंकों की आधार-रेखा और समग्र वित्तीय संकेतकों पर दबाव डाल सकता है। आगे बढ़ते हुए, निम्नतर लाभ फिर आरक्षित निधियों की अभिवृद्धि और इस कारण से सीआरएआर को प्रभावित कर सकते हैं। उपर्युक्त आधार-रेखा विन्यास के आधार पर मार्च 2010 के लिए बैंकों के तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा का अनुमान किया गया है। उक्त प्रभाव और प्रणाली की आघात-सहनीयता का अंदाजा लगाने के लिए बैंकों की अनुमानित वित्तीय स्थितियों पर युक्तियुक्त आघात लागू किये गये हैं।

चार्ट 7.13 : दबावग्रस्त बैंकों की चलनिधि स्थिति परिदृश्य-II : मार्च 2009



स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

चार्ट 7.14 : दबावग्रस्त बैंकों की चलनिधि स्थिति परिदृश्य-II : दिसंबर 2009



स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा परिकलन।

कार्यपद्धति

7.35 यह विश्लेषण मार्च 2009 के लिए पर्यवेक्षी आंकड़ों के आधार पर दोनों समग्र स्तर एवं अलग-अलग बैंक स्तर पर किया गया है। दो आधारभूत परिदृश्यों को अपनाया गया है। दोनों ही स्थितियों में तुलना-पत्र एवं लाभ-हानि घटकों के लिए वृद्धि के अनुमान की संगणना चक्रवृद्धि दरों को लागू करते हुए तथा मार्च 2009 के अनुपातों का उपयोग करते हुए और उन पर प्रतिकूल प्रभाव के कारकों को लागू करते हुए की गई है। यह मानते हुए कि लाभ के पच्चीस प्रतिशत का न्यूनतम अधिदेशित अंतरण आरक्षित निधि खाते में होगा, यह मान लिया गया है कि विनियामक पूँजी की वृद्धि न्यूनतम पर रहेगी। दोनों ही आधारभूत परिदृश्यों के अंतर्गत मार्च 2010 की समाप्ति पर कुल एनपीए में 65 प्रतिशत की वृद्धि होती है। सरकार के बढ़े हुए उधार के कारण आय पर मौजूदा ऊर्ध्वमुखी दबाव के चलते निवेश संबंधी मूल्यहास के प्रावधान को भी बढ़ाया गया है। पहली आधार-रेखा यह मानती है कि वर्तमान ऋण हानि प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात अक्षुण्ण रहेंगे।

7.36 मौद्रिक नीति 2009-10 की दूसरी तिमाही समीक्षा में बैंकों के लिए प्रावधान सुरक्षा अनुपातों में सितंबर 2010 तक एनपीए के 70 प्रतिशत तक वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इस गतिविधि को

ध्यान में रखते हुए दूसरी आधार-रेखा, जो प्रतिकूल आधार-रेखा है, के परिदृश्य का निर्माण किया गया है। यह परिदृश्य मानता है कि मार्च 2010 की समाप्ति पर प्रत्येक बैंक के पास न्यूनतम 70 प्रतिशत का ऋण हानि प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात है।

7.37 उक्त दोनों आधार-रेखा परिदृश्यों में इस प्रकार प्राप्त परिणाम प्रत्येक बैंक के लिए समग्र ऋण संविभाग के स्तर पर एनपीए में 50 प्रतिशत, 100 प्रतिशत और 150 प्रतिशत की परीक्षण किया गया है। उक्त दबाव परीक्षणों के परिणाम सारणी 7.1 और 7.2 में दिये गये हैं।

7.38 पहली आधार-रेखा परिदृश्य के अंतर्गत (सारणी 7.1) अपेक्षाकृत मंद प्रभाव है तथा बैंकिंग प्रणाली एक प्रतिकूल एनपीए आघात को उचित रूप से आसानी से सहने के लिए समर्थ है। मार्च 2010 की समाप्ति पर प्रणाली का सीआरएआर 13.07 पर स्थित है तथा सभी बैंक 9 प्रतिशत से अधिक सीआरएआर को अनुरक्षित करते हैं। कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत मार्च 2009 की समाप्ति पर स्थित 2.44 से बढ़कर मार्च 2010 के अंत तक 3.44 हो गया है, जबकि 7 छोटे बैंकों की आस्तियों पर आय (आरओए) कुल आस्तियों में 0.92 प्रतिशत का अंश रखते हुए ऋणात्मक बन जाती है। आधार-रेखा पर 150 प्रतिशत के सर्वाधिक कठोर ऋण गुणवत्ता के आघात के अंतर्गत, जब एनपीए के

सारणी 7.1 : परिदृश्य विश्लेषण के परिणाम - दबाव परीक्षण - पहली आधार-रेखा									
	कुल अग्रिमों से सकल एनपीए का प्रतिशत (%)	मार्च 2009 के सकल एनपीए से दबावग्रस्त सकल एनपीए का अनुपात	सीआरएआर (%)	उन बैंकों की संख्या जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम है	उन बैंकों की कुल आस्तियों का अंश जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम है (%)	आस्तियों पर आय (आरओए) (प्रतिशत)	उन बैंकों की संख्या जिनकी आरओए ऋणात्मक है	बैंकों की कुल आस्तियों में अंश जिनकी आरओए ऋणात्मक है (प्रतिशत)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
मार्च 2009	2.44	-	13.19	-	-	1.02	-	-	
मार्च 2010 आधार-रेखा	3.44	1.65	13.07	Nil	-	0.95	7	0.92	
आधार-रेखा पर दबाव : एनपीए में वृद्धि									
50 प्रतिशत	5.15	2.48	12.43	5	5.33	0.65	15	10.13	
100 प्रतिशत	6.87	3.30	11.69	12	12.78	0.31	20	18.38	
147 प्रतिशत	8.49	4.08	10.97	16	20.32	0.00	31	48.73	
150 प्रतिशत	8.59	4.13	10.89	17	21.11	ऋणात्मक	32	49.26	

सारणी 7.2 : परिदृश्य विश्लेषण के परिणाम - दबाव परीक्षण - प्रतिकूल आधार-रेखा									
	कुल अग्रिमों से सकल एनपीए का प्रतिशत (%)	मार्च 2009 के सकल एनपीए से दबावग्रस्त सकल एनपीए का अनुपात	सीआरएआर (%)	उन बैंकों की संख्या जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम है	उन बैंकों की कुल आस्तियों का अंश जिनका सीआरएआर 9 प्रतिशत से कम है (%)	आस्तियों पर आय (आरओए) (प्रतिशत)	उन बैंकों की संख्या जिनकी आरओए ऋणात्मक है	बैंकों की कुल आस्तियों में अंश जिनकी आरओए ऋणात्मक है (प्रतिशत)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
मार्च 2009	2.44	-	13.19	-	-	1.02	-	-	
मार्च 2010 प्रतिकूल आधार-रेखा	3.44	1.65	12.93	2	0.30	0.65	14	10.01	
प्रतिकूल आधार-रेखा पर दबाव : एनपीए में वृद्धि									
50 प्रतिशत	5.15	2.48	11.60	10	10.19	0.09	24	43.55	
58 प्रतिशत	5.43	2.61	11.35	11	10.73	0.00	28	46.87	
100 प्रतिशत	6.87	3.30	9.99	21	39.91	ऋणात्मक	36	60.12	
129 प्रतिशत	7.87	3.78	9.00	25	44.60	ऋणात्मक	40	67.27	
150 प्रतिशत	8.59	4.13	8.25	33	61.58	ऋणात्मक	44	74.83	

स्रोत : पर्यवेक्षी आंकड़े और भारतीय रिजर्व बैंक स्टाफ द्वारा परिकलन।

स्तर में 313 प्रतिशत की वृद्धि होती है, प्रणाली का सीआरएआर 10.89 प्रतिशत पर पर्याप्त रहा है। यह इसलिए है क्योंकि 2009-10 में बैंकों द्वारा दर्ज किये गये अनुमानित लाभ उक्त एनपीए आघात के कारण उत्पन्न होनेवाली हानि को उल्लेखनीय रूप से अवशोषित करते हैं। तथापि, आस्ति गुणवत्ता की अत्यंत चरम अवनति के अंतर्गत प्रणाली-स्तरीय लाभप्रदता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, जहाँ कुल आस्तियों में 49.26 प्रतिशत का अंश रखनेवाले 32 बैंकों की आस्तियों पर आय (आरओए) ऋणात्मक बन गई है। कुल अग्रिमों में से 8.49 प्रतिशत पर दबावग्रस्त सकल एनपीए स्तर के लिए आधार-रेखा पर 147 प्रतिशत एनपीए आघात के होते हुए प्रणालीगत आरओए शून्य हो जाती है, यद्यपि प्रणाली के स्तर पर सीआरएआर 10.97 प्रतिशत पर न्यूनतम निर्धारित नौ प्रतिशत से लगातार काफी अधिक बना हुआ है।

7.39 प्रतिकूल आधार-रेखा के परिदृश्य के अंतर्गत (सारणी 7.2) कुल आस्तियों में 0.30 प्रतिशत अंश रखनेवाले दो छोटे बैंकों का सीआरएआर निर्धारित 9 प्रतिशत से नीचे आ गया है तथा 14 बैंकों की आस्तियों पर आय (आरओए) ऋणात्मक हो गया है। जब एनपीए आघात प्रतिकूल आधार-रेखा परिदृश्य को प्रदान किये जाते हैं तब यह प्रभाव और भी बढ़ जाता है। कुल आस्तियों में 46.87 प्रतिशत का अंश रखनेवाले 28 बैंकों को प्रभावित करते हुए प्रतिकूल आधार-रेखा पर 58 प्रतिशत एनपीए आघात के होते हुए यदि सकल एनपीए की मात्रा में लगभग 161 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो प्रणाली स्तर की आरओए ऋणात्मक बन जाती है। यदि एनपीए स्तरों पर प्रतिकूल आधार-रेखा पर 129 प्रतिशत तक दबाव आता है तो प्रणाली स्तर का सीआरएआर भी 9 प्रतिशत को छू जाता है, जहाँ कुल आस्तियों में 44.60 प्रतिशत अंश वाले 25 बैंकों का सीआरएआर निर्धारित 9 प्रतिशत से नीचे आ जाता है।

7.40 अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रावधानों के वर्तमान स्तरों पर बैंकिंग प्रणाली निश्चिततापूर्वक आघातों को सह सकती है। वह एक अपेक्षाकृत प्रतिकूल परिदृश्य के अंतर्गत 70 प्रतिशत के बढ़े हुए प्रावधानीकरण सुरक्षा मानदंडों के प्रभाव को भी उल्लेखनीय रूप में सहने के लिए समर्थ है। तथापि, यदि इस प्रतिकूल आधार-रेखा परिदृश्य के अंतर्गत ऋण की गुणवत्ता में कोई असाधारण अवनति होती है तो प्रणालीगत आघात-सहनीयता का परीक्षण किया जा सकता है।

समापन टिप्पणी

7.41 बैंकों के ऋण जोखिम एक्सपोजर का दबाव परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त विभिन्न परिदृश्य ऋण की गुणवत्ता में अप्रत्याशित षोस को सहने के लिए बैंकों की उचित रूप से सुखद स्थिति और आघात-सहनीयता को प्रकट करते हैं। हाल के वैश्विक संकट के प्रारंभ से पहले सामान्य रूप से बैंकों में व्याप्त आस्ति गुणवत्ता में स्थिर और निरंतर सुधार तथा पिछले कुछ वर्षों में बैंकों द्वारा किया गया तुलन-पत्र परिशोधन दबाव के परिदृश्यों के मंद प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। तथापि, निकट भविष्य में बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को क्षति पहुँचाने की संभाव्यता

के साथ वैश्विक आर्थिक मंदी ने अधोमुखी (डाउनसाइड) जोखिमों की वृद्धि की है।

7.42 वर्तमान लेखांकन मानदंड एक वर्धमान ब्याज दर परिदृश्य में बहुत अधिक बाजार भाव को अंकित करने (मार्क-टू-मार्केट) की हानि को वहन करने की बैंकों की प्रवृत्ति को कम करते हैं क्योंकि उनका अधिकांश निवेश संविभाग, बाजार भाव पर अंकित (मार्क-टू-मार्केट) नहीं है। एएफएस और एचएफटी संविभागों की आशोधित अवधि भी अत्यंत निम्न स्तर पर है। ईक्विटी की अवधि (डीओई) जो निम्न है, यह निर्दिष्ट करती है कि हालांकि एचटीएम संविभाग की आशोधित अवधि उच्चतर है, तथापि इस उच्चतर अवधि के कारण उत्पन्न होनेवाली ब्याज दर जोखिम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

7.43 चलनिधि दबाव परीक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि उक्त दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत कुछ बैंक चलनिधि की कमी का सामना करते हैं। यद्यपि विकसित परिदृश्य अत्यंत कठोर धारणाओं से युक्त हैं, फिर भी दबाव परीक्षण के परिणाम संकेत करते हैं कि बैंकों के लिए अपनी आकस्मिकता चलनिधि योजनाओं की निरंतर निगरानी करने एवं साथ ही चलनिधि जोखिम के प्रबंध के लिए प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। दबाव परीक्षण यह मानते हैं कि निधीयन के अंतरों को पूरा करने के लिए उपलब्ध आस्तियाँ वे हैं जो एक वर्ष के अंदर परिपक्व हो रही हैं। तथापि, चूँकि बैंक अपनी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के न्यूनतम 25 प्रतिशत को एसएलआर प्रतिभूतियों में बनाये रखते हैं, अतः जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त चलनिधि जुटाना संभव होगा।

7.44 एक ओर जहाँ संपदा क्षेत्र में अवमंदन बैंकों के ऋण संविभाग को दोनों संवृद्धि और आस्ति गुणवत्ता के तौर पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर बढ़ते हुए मुद्रास्फीतिकारी दबाव को देखते हुए बैंकों के निधीयन की लागत के बढ़ जाने की संभावना के चलते, निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) दबाव में आ सकता है। अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में वृद्धि और सर्वोत्तम आय में बढ़ोतरी की वजह से बाजार भाव पर अंकित (मार्क-टू-मार्केट) हानियों में उच्चतर वृद्धि के कारण प्रावधानीकरण की अपेक्षाएँ इसके द्वारा बैंकों के निम्नतम आधार (बॉटमलाइन) और समग्र वित्तीय संकेतकों पर दबाव डालते हुए बढ़ सकती हैं। उपर्युक्त आधार-रेखा विन्यास के आधार पर प्रणाली के प्रभाव और उसकी आघात-सहनीयता का अंदाज लगाने के लिए बैंकों की पूर्वानुमानित वित्तीय स्थितियों (फाइनेंशियल्स) पर युक्तियुक्त ऋण गुणवत्ता आघात प्रयुक्त किये गये। परिणामों ने यह प्रकट किया कि बैंकिंग प्रणाली प्रावधानों के वर्तमान स्तरों पर निश्चिततापूर्वक आघातों को सहने की स्थिति में है तथा एक अपेक्षाकृत कठोर प्रावधानीकरण के परिदृश्य के अंतर्गत 70 प्रतिशत के संवर्धित प्रावधानीकरण सुरक्षा मानदंडों के प्रभाव को उल्लेखनीय रूप में सहने में समर्थ है। तथापि, यदि ऋण की गुणवत्ता में कोई असाधारण हास है तो प्रणालीगत आघात-सहनीयता का परीक्षण किया जा सकता है।

अनुबंध 1: चलनिधि अनुपात

क्र.	अनुपात	घटक	महत्व
1	(अस्थिर देयताएँ - अस्थायी आस्तियाँ)/(अर्जक आस्तियाँ - अस्थायी आस्तियाँ)	<p>अस्थिर देयताएँ : (जमाराशियाँ + उधार राशियाँ 1 वर्ष तक देय बिल) साख-पत्र - पूर्णतः बकाया अन्य आकस्मिक ऋण और प्रतिबद्धताओं के घटक- वार सीसीएफ एक वर्ष तक स्वैप निधियाँ (क्रय/विक्रय)</p> <p>मौजूदा मानदंडों के अनुसार चालू जमाराशियों (सीए) के 15 प्रतिशत और बचत जमाराशियों (एसए) के 10 प्रतिशत को अस्थिर मानना होगा और 1-14 दिन के समय-खंड में; शेष को 1-3 वर्ष के समय-खंड में दर्शाना होगा। अतः बैंकों द्वारा एक वर्ष के अंदर देय रूप में सूचित की गई सीएएसए जमाराशियाँ अस्थिर देयताओं के अंतर्गत शामिल की गई हैं। उधार राशियों में रिजर्व बैंक, माँग, अन्य संस्थाओं और पुनर्वित्त से प्राप्त उधारराशियाँ शामिल हैं।</p> <p>अस्थायी आस्तियाँ नकदी रिजर्व बैंक में अतिरिक्त सीआरआर शेष बैंकों में शेषराशियाँ खरीदे/भुनाये गये 1 वर्ष तक के बिल एक वर्ष तक के निवेश एक वर्ष तक की स्वैप निधियाँ (विक्रय/क्रय)</p> <p>अर्जक आस्तियाँ कुल आस्तियाँ-(अचल आस्तियाँ +अन्य बैंकों में चालू खातों में शेष+पट्टेदारी को छोड़कर अन्य आस्तियाँ+अमूर्त आस्तियाँ)</p>	<p>उससीमा को मापता है जहाँ तक अतिशीघ्र चलायमान मुद्रा (हॉट मनी) बैंक की मूलभूत अर्जक आस्तियों का समर्थन करती है। चूँकि गणक अल्पावधि, ब्याज के प्रति संवेदनशील निधियों का द्योतन करता है, अतः एक उच्च और धनात्मक संख्या कुछ अनकदी की जोखिम को सूचित करती है।</p>
2	स्थायी जमाराशियाँ/कुल आस्तियाँ	<p>स्थायी जमाराशियाँ : 1 वर्ष से अधिक अवधि वाली सभी जमाराशियाँ (सीएएसए सहित) + निवल मालियत</p> <p>कुल आस्तियाँ : तुलन-पत्र का आधार</p>	<p>उस सीमा का माप करता है जहाँ तक आस्तियों का निधीयन स्थिर जमा आधार के माध्यम से किया जाता है।</p>
3	(ऋण + अनिवार्य एसएलआर + अनिवार्य सीआरआर + अचल आस्तियाँ)/ कुल आस्तियाँ	<p>सकल अग्रिम अपेक्षित एसएलआर अपेक्षित सीआरआर अचल आस्तियाँ</p>	<p>अनिवार्य आरक्षित नकदी निधियों और सांविधिक चलनिधि निवेशों सहित ऋण न्यूनतम नकदी हैं और इसलिए एक उच्च अनुपात तुलन-पत्र में अंतःस्थापित अनकदी के परिमाण को सूचित करता है।</p>
4	(ऋण + अनिवार्य एसएलआर + अनिवार्य सीआरआर +अचल आस्तियाँ)/ स्थायी जमाराशियाँ	<p>अग्रिम अपेक्षित एसएलआर अपेक्षित सीआरआर अचल आस्तियाँ</p>	<p>उस सीमा का मापन करते हैं जहाँ तक अनकदी आस्तियों का वित्तपोषण स्थायी जमाराशियों से किया जाता है। 1 से अधिक (खरीदी गई नकदी) 1 से कम (संचित नकदी)</p>
5	अस्थायी आस्तियाँ / कुल आस्तियाँ		<p>उपलब्ध नकदी आस्तियों की सीमा का मापन करता है। एक उच्चतर अनुपात चलनिधि धारित करने की अवसर लागत के तौर पर बैंकिंग प्रणाली के आस्ति उपयोग के संबंध में टकराव उत्पन्न कर सकता है।</p>

अनुबंध 1: चलनिधि अनुपात (समाप्त)

क्र.	घटक	घटक	महत्व
6	अस्थायी आस्तियाँ / अस्थिर देयताएँ		अस्थिर देयताओं के सापेक्ष रूप में नकदी निवेशों की सुरक्षा को मापता है। 1 से कम अनुपात एक नकदी समस्या की संभावना का संकेत करता है।
7	अस्थिर देयताएँ / कुल आस्तियाँ	मद 6 द्वारा विभाजित मद 5	उस सीमा का मापन करता है जहाँ तक अस्थिर देयताएँ तुलन-पत्र का निधीयन करती हैं।
8	(गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियाँ) / (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का बही मूल्य + अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियाँ)		गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों और अतिरिक्त एसएलआर प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य का मापन उनके बही मूल्य के सापेक्ष रूप में करता है। 1 से अधिक अनुपात सूचित करता है कि यदि कोई बैंक अपने विक्रेय संविभाग को ओने-पौने बेच देता है तो वह लाभ उठाएगा।

स्रोत : वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन संबंधी समिति की रिपोर्ट

